भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र

(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र

(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	**पृष्ठ**
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii
अध्याय 1		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
अनवरत बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर	1.6	4
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	4
लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.9	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.10	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण	1.11	6
अध्याय 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
उच्चतर शिक्षा विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली	2.1	7
जेल विभाग हरियाणा में जेलों का प्रबंधन	2.2	31
अध्याय 3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग एफ.सी.आई. से दावों की वसूली न होना तथा ब्याज का अतिरिक्त भार	3.1	51
वन विभाग जल संचयन संरचना पर निष्फल व्यय	3.2	54
आवास विभाग (आवास बोर्ड हरियाणा) सामुदायिक केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.3	56
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग प्रचार एवं विज्ञापन पर व्यय	3.4	57

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
श्रम एवं रोजगार विभाग **(हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कार्मिक कल्याण बोर्ड)** निर्माण कार्य कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर निधियों का अनुप्रयोग न होना तथा आयकर का परिहार्य भुगतान	3.5	64
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधूरे कार्य पर निष्क्रिय व्यय	3.6	67
कलोरीनेशन प्लांटों की खरीद में अनियमितताएं	3.7	69
अपूर्ण योजना पर निष्फल व्यय तथा एक एजेंसी को कार्य किए बिना भुगतान	3.8	72
भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण पेयजल की स्कीम का कार्यचलित न होना	3.9	74
अपरिष्कृत जल के अभाव में गैर-कार्यात्मक जलापूर्ति योजना	3.10	75
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा पर्यावरण विभाग गंगा नदी का कायाकल्प	3.11	76
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) रेलवे के पास निधियों का समयपूर्व निक्षेप	3.12	83
राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव	3.13	85
राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन करके सरकारी खाते से बाहर निधियां रखने के कारण ब्याज का अतिरिक्त भार	3.14	93
तकनीकी शिक्षा विभाग कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना का विकास	3.15	95
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग **(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)** चूककर्ता विकासक से सरकारी देयों की वसूली में विफलता	3.16	101
स्पष्ट स्थल प्रदान न करने के कारण निष्क्रिय व्यय	3.17	103
अपूर्ण पुनर्नवीनीकरण सीवरेज जल वितरण पाईपलाइन	3.18	105
व्यावसायिक कालोनी लाईसेंस की अनियमित प्रदानगी और विकासक को अदेय लाभ	3.19	106
आवश्यकता से अधिक पाईपों की खरीद	3.20	109
परिवहन विभाग एजेंसी को अदेय लाभ	3.21	110
शहरी स्थानीय निकाय और विकास एवं पंचायत विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण	3.22	112
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग छात्रवृत्तियों के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान	3.23	122

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण	1.8	127
1.2	31 मई 2017 को वर्ष 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची	1.9	128
1.3	वर्ष 2012-13 तथा 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 मई 2017 को प्रतीक्षित थी, के विवरण	1.9	130
1.4	अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.9	132
1.5	31 मार्च 2017 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है	1.9	134
1.6	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.10	136
2.1	नमूना-जांच किए गए विभागों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात के विवरण	2.1.9.2	139
2.2	नमूना-जांच किए गए विभागों में रिक्त सीटों के विवरण	2.1.9.5	140
2.3	सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा उनकी उपयोगिता स्थिति को दर्शाने वाले विवरण	2.2.8.2	141
2.4	नमूना-जांच की गई जेलों में निषिद्ध वस्तुओं की वसूली दर्शाने वाले विवरण	2.2.8.2	142
2.5	राज्य में जेलों की औसत क्षमता, अधिभोग तथा अधिभोग की प्रतिशतता दर्शाने वाली विवरणी	2.2.9.1 (i)	143
2.6	नमूना-जांच की गई जेलों में बिस्तरों की कमी दर्शाने वाली विवरणी	2.2.9.2 (i)	144
2.7	जिला मजिस्ट्रेट को भेजे गए, समय पर प्राप्त तथा देय तिथि के पश्चात प्राप्त मामले दर्शाने वाली विवरणी	2.2.9.4	145
2.8	पैरोल पर छोड़े गए, वापस लौटे, सरेंडर किए गए तथा फरार कैदियों को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.9.4	146
3.1	चार प्रमुख स्कीमों पर किए गए व्यय के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.5 (i)	147
3.2	तीन मंडलों द्वारा 45 वाटर वर्क्स पर क्लोरीनेटरों के स्थापन तथा उसके बाद कार्य के क्षेत्र विस्तारण के लिए एजेंसी 'ए' के साथ अनुबंधों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.7	148

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.3	अंबाला छावनी में एच.डी.पी.ई सीवरेज पाईपें बिछाने के लिए ईई., पी.एच.ई.डी., अंबाला छावनी द्वारा किए गए अनुबंधों तथा किए गए भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.8 (i एवं iii)	150
3.4	उन मामलों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी जहां अनुबंध राशि ₹ पांच लाख से कम थी तथा बाद में बढ़ाई गई	3.11.3.3	151
3.5	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्थल पर मात्राओं में परिवर्तन करके अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाली विवरणी	3.13.3.2	154
3.6	अनसर्वड/अंडरसर्वड जिलों में किए गए बहुतकनीकी संस्थानों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.15.2.1	155
3.7	सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन में घटती प्रवृति दर्शाने वाली विवरणी	3.15.2.2	156
3.8	चयनित बहुतकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना की कमियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.15.3.1	157
3.9	जारी किए गए अनुदान तथा किए गए व्यय के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.15.3.1	158
3.10	नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों में नामांकन में घटती प्रवृति दर्शाने वाली विवरणी	3.15.4.1	159
3.11	31 मार्च 2017 को शिक्षण संवर्ग तथा गैर-शिक्षण संवर्ग में रिक्तियां दर्शाने वाले विवरण	3.15.4.2	160
3.12	मैकेनिकल तथा सिविल कोर्सों के लिए बहुतकनीकी संस्थानों में स्टॉफ की स्थिति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.15.4.2	161
3.13	विद्यार्थियों की वर्षवार पास प्रतिशतता के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.15.5.1	162
3.14	नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों में खराब पास प्रतिशतता के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.15.5.1	163
3.15	विद्यार्थियों के वर्षवार प्लेसमैंट के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.15.5.2	164
3.16	निधियां जारी करने में विलंब दर्शाने वाली विवरणी	3.22.3 (i)	165
3.17	प्रोत्साहन के दोहरे भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.22.3 (v)	166
3.18	सूचना, शिक्षा, संचार एवं जन-जागरूकता हेतु प्राप्ति एवं व्यय दर्शाने वाली विवरणी	3.22.4 (i)	167
3.19	लाभार्थियों की कवरेज दर्शाने वाली विवरणी	3.22.5 (i)	168
3.20	व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों के भौतिक सत्यापन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.22.5 (ii)	169
3.21	व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों का शौचालयों के रूप में उपयोग न दर्शाने वाली विवरणी	3.22.5 (iii)	170

प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2016-17 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं अर्थात् (i) हरियाणा में जेलों का प्रबंधन; (ii) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली तथा अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानियों, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित ₹ 681.26 करोड़ से आवेष्टित 23 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

1. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना बहुविषयक उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1976 में की गई थी। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना बनाने की कमी, वित्तीय प्रबंधन में कमियां, संबद्ध कॉलेजों में मूलभूत संरचना तथा शैक्षिक मानकों को लागू न करना, मानवशक्ति तथा कक्षाओं में मूलभूत संरचना की कमियां प्रकट हुई जिसने विश्वविद्यालय की समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

लघु अवधि तथा लंबी अवधि की विकासकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए शैक्षिक योजना बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.6.1)

अधिशेष धन को सावधि जमाओं में निवेश न करने के परिणामस्वरूप ₹ 51.71 लाख के ब्याज की हानि हुई। दिए गए अस्थाई अग्रिम के ₹ 11.18 करोड़ असमायोजित पड़े हुए थे।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 तथा 2.1.7.3)

कंप्यूटरीकरण के कार्य को पारदर्शी ढंग से आबंटित नहीं किया गया था। संविदा करार से ₹ 26.31 करोड़ का अधिक भुगतान कर दिया गया था। आगे, कार्य भी अधूरा पड़ा था।

(अनुच्छेद 2.1.8)

18 से 26 प्रतिशत शिक्षकों के (नियमित) पद तथा 52 से 55 प्रतिशत (स्वयं वित्त पोषण योजना) पद खाली पड़े हुए थे।

(अनुच्छेद 2.1.9.4)

92 अनुसंधान प्रोजेक्टों में से केवल 37 ही पूरे हुए थे। अधूरे प्रोजेक्टों में से 21 के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को पार कर चुके थे। छात्रों के उत्तीर्ण होने की समग्र प्रतिशतता 2012-13 में 55 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 41 प्रतिशत रह गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.5)

चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना पर किया गया ₹ 10.98 करोड़ का व्यय इसके उद्देश्यों के पूर्ण न होने की वजह से निष्फल हो गया।

(अनुच्छेद 2.1.10.2)

विश्वविद्यालय की प्रिंटिंग प्रेस को उसकी क्षमता से कम उपयोग करने के कारण ₹ 4.53 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.10.3)

2. हरियाणा में जेलों का प्रबंधन

जेलों का प्रबंधन एवं प्रशासन, कारागार अधिनियम, 1894, कारागार अधिनियम, 1900 और हरियाणा में यथा लागू पंजाब जेल मैनुअल 1894 द्वारा शासित है। जेलों को प्रस्थापित करने का मुख्य प्रयोजन अपराधियों को कैद में रखना तथा जेलों से उनकी रिहाई पर समाज में उनके पुनर्वास तथा पुन:जुड़ाव के लिए सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाना है। हरियाणा में जेलों के प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा से आयोजना, वित्तीय प्रबंध, रक्षा, सुरक्षा, कैदियों को सुविधाएं और विशेषाधिकार और पुनर्वास प्रदान करने में कमियां प्रकट हुई जिन्होंने विभाग के उद्देश्यों को दुर्बल बना दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई। भारत सरकार के आधुनिक कारागार मैनुअल के आधार पर नया जेल मैनुअल तैयार नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.6.1)

हरियाणा राज्य पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.एस.पी.एच.सी.एल.) के पास ₹ 97.77 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के विरूद्ध केवल ₹ 68.69 करोड़ (70.25 प्रतिशत) व्यय किए गए।

(अनुच्छेद 2.2.7.2)

अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद और सुरक्षा उपकरणों की कमी थी तथा जेल के साथ ऊंची इमारतें एवं सामान्य सड़कें विद्यमान थी जिससे जेलों की सुरक्षा को खतरा था।

(अनुच्छेद 2.2.8.1, 2.2.8.2 और 2.2.8.6)

जेलों की क्षमता अनुप्रयोग असंतुलित था चूंकि तीन अत्यधिक भरी हुई जेलों के कैदी दूसरी जेलों में स्थानांतरित नहीं किए गए जहां जगह उपलब्ध थी। इसके अलावा, जिला जेल फरीदाबाद में दो महिला हॉस्टल और एक स्कूल भवन गत सात वर्षों से अप्रयुक्त पड़े थे।

(अनुच्छेद 2.2.9.1 (i) और (ii))

जिला जेल, नारनौल में टयूबरक्लोसिस (टी.बी) से ग्रस्त कैदियों को दूसरे कैदियों के साथ रखा गया था जो स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहा था।

(अनुच्छेद 2.2.9.1 (iv))

जेल अस्पतालों में अपर्याप्त बैड, चिकित्सा बुनियादी ढांचे का अभाव, महिला कैदियों के लिए महिला डाक्टरों की अनुपलब्धता और मनोरोग परामर्शदाताओं की तैनाती नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.2.9.2)

जेल कारखानों की कार्यविधि संतोषजनक नहीं थी क्योंकि राज्य में 19 जेलों में से केवल 9 में कारखाने कार्यचालित थे।

(अनुच्छेद 2.2.9.5)

खुली जेल की धारणा और रिहाई के बाद इन कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान देना अपेक्षित था।

(अनुच्छेद 2.2.10.3 और 2.2.10.4)

जेलों में सुधारात्मक कार्य संबंधी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड और कैदियों के लिए रिहाई के बाद देखभाल गृह के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए कार्य प्रोग्राम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड गठित नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.12)

अनुपालन लेखापरीक्षा

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी/प्रस्तुत न करने तथा संबंधित जिला खाद्य तथा आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा राज्य सरकार के खाते में निधियों के हस्तांतरण के लिए अनुदेशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप एफ.सी.आई. से ₹ 18.65 करोड़ की वसूली नहीं हुई तथा राज्य राजकोष पर ₹ 21.12 करोड़ के ब्याज का भार बढ़ गया।

(अनुच्छेद 3.1)

वन विभाग द्वारा खराब आयोजना तथा सिंचाई के लिए जलापूर्ति हेतु संरचना को अंतिम रूप देने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.86 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि योजना का प्राथमिक उद्देश्य गांव पीपल घाटी (पंचकूला) में सिंचाई के लिए पानी प्रदान करना, प्राप्त नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.2)

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग की प्रचार एवं विज्ञापन पर व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा ने राज्य के बाहर के समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन, समाचार-पत्रों की भाषा से भिन्न भाषा में विज्ञापनों के प्रकाशन, स्कीम की अधिसूचना के बिना विज्ञापन पर निष्फल व्यय तथा विज्ञापन बिलों पर ₹ 51.52 लाख के अधिक भुगतान के दृष्टांत प्रकट किए। जनवरी 2013 की अवधि के लिए वीडियो अभियान हेतु थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग सेवाएं नहीं ली गई थी परिणामस्वरूप अधिक तथा अनियमित भुगतान हुए। नगर पालिका उप नियमों के उल्लंघन में होर्डिंग्ज लगाने के परिणामस्वरूप उन्हें अन्य स्थानों पर दोबारा लगाने के कारण ₹ 2.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। परिवहन की बसों पर विज्ञापन पर ₹ 63.92 लाख खर्च किए गए थे जिसका लाभ बहुत कम अवधि के लिए हुआ था।

(अनुच्छेद 3.4)

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कार्मिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर निधियों का अनुप्रयोग न होने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को वांछित लाभ नहीं हो पाया, इसके अतिरिक्त ₹ 22.76 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान हुआ तथा ₹ 47.07 करोड़ की अतिरिक्त देयता उत्पन्न हुई।

(अनुच्छेद 3.5)

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, कैथल द्वारा स्वयं ही उच्च विशिष्टताओं के साथ कार्य निष्पादित किया गया जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृत राशि से ड्रेन निर्माण कार्य का केवल 38 प्रतिशत कार्य हुआ। निर्माण कार्य अधूरा रहा जिससे ₹ 3.11 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.6)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने भंडारों की खरीद हेतु वित्तीय नियमों के उल्लंघन में ₹ 6.39 करोड़ के 131 कलोरीनेशन प्लांट खरीदे। इसके अतिरिक्त, एक एजेंसी को ₹ 2.27 करोड़ के अनुरक्षण प्रभारों का अग्रिम में भुगतान करके अदेय वित्तीय लाभ प्रदान किया गया था।

(अनुच्छेद 3.7)

₹ 16.73 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अंबाला सदर नगर की सीवरेज योजना अपूर्ण रही। इसके अलावा एक एजेंसी को स्थल पर कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना ₹ 2.74 करोड़ का भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.8)

सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता के निर्धारण के लिए नियमित यातायात गणना नहीं की जा रही थी, जिसके अभाव में राज्य राजमार्गों को मानदंड के अनुसार चौड़ा/मजबूत नहीं किया जा रहा था तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कें मानदंड पूरा करने के बावजूद राज्य राजमार्ग के रूप में अपग्रेड नहीं की जा रही थी। निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियत आंतरिक यंत्रावली का अनुसरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक अनुमोदन से ₹ 12.53 करोड़ का अधिक व्यय हुआ और विस्तृत अनुमानों में विनिर्दिष्ट नहीं की गई ₹ 3.43 करोड़ की मदों का निष्पादन किया गया। परियोजनाओं में अत्यधिक देरी हुई जिससे लागत ₹ 1.58 करोड़ बढ़ गई और ₹ 3.94 करोड़ टोल शुल्क की राजस्व हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.13)

कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में तीन भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा निधियां सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.81 करोड़ के ब्याज भार में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, बचत बैंक खातों पर अर्जित ₹ 9.52 करोड़ का ब्याज भी सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया था।

(अनुच्छेद 3.14)

तकनीकी शिक्षा विभाग में कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना का विकास की लेखापरीक्षा ने आयोजना का अभाव प्रकट किया क्योंकि ₹ 60.11 करोड़ व्यय करने के बावजूद सात नए बहुतकनीकी संस्थानों में से पांच कार्यात्मक नहीं किए गए। वर्तमान बहुतकनीकी संस्थानों में सीटें खाली रहने के बावजूद दस नए बहुतकनीकी संस्थान ₹ 157.17 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किए गए। निधियों की उपलब्धता के बावजूद वर्तमान बहुतकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना का अभाव पाया गया। बिना किसी मांग के ₹ 4.98 करोड़ की लागत पर अंबाला में निर्मित लड़कों का छात्रावास अप्रयुक्त पड़ा रहा। कुछ बहुतकनीकी संस्थानों ने स्टॉफ की कमी का सामना किया। बहुतकनीकी संस्थानों में उत्तीर्ण प्रतिशतता और छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट कम था।

(अनुच्छेद 3.15)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), समन्वय के अभाव के कारण, एक चूककर्ता विकासक से ₹ 14.29 करोड़ के सरकारी देयों की वसूली करने में विफल रहे। हुडा ने सरकारी देयों की वसूली/समायोजन की बजाय विकासक को ₹ 14.34 करोड़ का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.16)

स्पष्ट स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना नए सैक्टरों 58 से 115 गुरूग्राम के लिए मुख्य जलापूर्ति पाईप लाइनें बिछाने के कार्य के आबंटन से न केवल ₹ 4.12 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ परंतु क्षेत्र में जलापूर्ति के लाभ भी प्राप्त नहीं हो सके।

(अनुच्छेद 3.17)

पूर्णता की प्रस्तावित तिथि से तीन वर्ष से अधिक बीतने के बाद भी, गुरूग्राम में परिष्कृत जल के लिए मुख्य वितरण पाईप लाईनें प्रदान करने की परियोजना के लिए बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की विफलता ने ₹ 108 करोड़ के व्यय को निरर्थक बना दिया।

(अनुच्छेद 3.18)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने विशेष क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र को बिना किसी अधिसूचना के वाणिज्यिक भूमि उपयोग में बदल कर वाणिज्यिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान किया। विकासक को ₹ 18.94 करोड़ की सीमा तक अदेय लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त, विकासक की भूमि के माध्यम से आम मार्ग सुनिश्चित नहीं किया गया था और परियोजना का विज्ञापन भवन योजना के अनुमोदन के बिना शुरू कर दिया गया था।

(अनुच्छेद 3.19)

हुडा द्वारा वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना, डी.आई. पाईपों के अधिक खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 20.80 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। ₹ 2.12 करोड़ मूल्य की पाईपें प्रयोग नहीं की जा सकी चूंकि संविदा थ्रू दरों के माध्यम से दी गई थी।

(अनुच्छेद 3.20)

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण के कार्यान्वयन की समीक्षा से प्रकट हुआ कि नमूना-जांच की गई 12 नगरपालिकाओं में अस्वच्छ शौचालयों वाले निवासियों की पहचान नहीं की गई और 23 नगरपालिकाओं में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया। 2,571 लाभार्थियों को ₹ 1.80 करोड़ के प्रोत्साहन उनकी सत्यता के सत्यापन किए बिना निर्मुक्त किए गए। शहरी क्षेत्रों में 2,192 लाभार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,364 लाभार्थियों को केवल आंशिक प्रोत्साहन निर्मुक्त किए गए। प्रोत्साहन के दोहरे/तिहरे भुगतान के मामले देखे गए। शौचालयों के निर्माण के लिए घरों को आवृत करने में कमी की और वे शौचालय जो निर्मित किए गए, कई मामलों में अपूर्ण थे। जागरूकता, निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव भी था।

(अनुच्छेद 3.22)

जिला कल्याण अधिकारी, झज्जर ने दावों के पूर्ण प्रलेखन और वास्तविकता सुनिश्चित किए बिना छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 5.15 करोड़ का भुगतान किया इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.23)

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

हरियाणा सरकार के अंतर्गत 56 विभाग तथा 29 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं। वर्ष 2012-17 के दौरान बजट अनुमानों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2012-17 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	12,331	11,897	14,481	13,597	16,639	16,765	19,668	18,713	21,663	21,631
सामाजिक सेवाएं	15,935	14,516	18,563	15,414	21,498	19,120	25,015	21,539	29,403	25,473
आर्थिक सेवाएं	11,348	11,557	13,000	12,740	14,372	13,088	16,549	18,691	23,482	20,875
सहायता अनुदान एवं अंशदान	170	102	179	136	194	145	213	293	248	424
कुल (1)	**39,784**	**38,072**	**46,223**	**41,887**	**52,703**	**49,118**	**61,445**	**59,236**	**74,796**	**68,403**
पूंजीगत परिव्यय	4,661	5,762	5,766	3,935	5,747	3,716	5,904	6,908	8,817	6,863
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	874	522	1,084	776	1,001	843	1,367	13,250	4,729	4,515
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9,221	5,951	13,105	7,968	13,850	8,227	10,036	7,215	9,677	5,276
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	-	-	63	-	80
लोक लेखा संवितरण	75,894	21,074	94,863	24,560	52,478	25,609	84,833	28,650	96,756	29,276
अंतिम नकद शेष	-	2,697	-	6,007	-	6,508	-	6,218	-	5,658
कुल (2)	**90,650**	**36,006**	**1,14,818**	**43,246**	**73,076**	**44,903**	**1,02,140**	**62,304**	**1,19,979**	**51,668**
कुल योग (1+2)	**1,30,434**	**74,078**	**1,61,041**	**85,133**	**1,25,779**	**94,021**	**1,63,585**	**1,21,540**	**1,94,775**	**1,20,071**

स्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरणियां तथा राज्य सरकार के बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2016-17 के दौरान ₹ 1,94,775 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,20,071 करोड़ था। राज्य का कुल व्यय[1] 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 44,356 करोड़ से 80 प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,781 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय उसी अवधि के दौरान ₹ 38,072 करोड़ से 80 प्रतिशत बढ़कर ₹ 68,403 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 28,616 करोड़ से 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 46,284 करोड़ हो गया। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 75 से 92 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय सात से 13 प्रतिशत था।

---

1 राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल व्यय 17 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

1.3 अनवरत बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 13 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की अनवरत बचतें थी जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी जैसा **तालिका 1.2** में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 1.2: अनवरत बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व (दत्तमत)						
1.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	270.60 (69)	280.85 (51)	333.58 (81)	237.74 (58)	283.17 (62)
2.	09-शिक्षा	1,591.65 (19)	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)	3,436.36 (25)
3.	10-तकनीकी शिक्षा	68.22 (19)	78.68 (21)	137.08 (28)	93.47 (20)	98.19 (21)
4.	11-खेल एवं युवा कल्याण	19.25 (13)	56.33 (31)	58.82 (25)	84.43 (27)	105.84 (25)
5.	13-स्वास्थ्य	253.27 (14)	279.74 (14)	576.18 (21)	547.14 (18)	595.38 (18)
6.	14-शहरी विकास	41.48 (15)	118.37 (62)	32.64 (24)	63.06 (37)	12.47 (13)
7.	15-स्थानीय शासन	379.76 (22)	589.57 (27)	584.00 (28)	1,407.70 (43)	879.77 (25)
8.	17-रोजगार	15.14 (20)	25.61 (33)	25.15 (31)	29.62 (38)	16.12 (23)
9.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	107.83 (52)	185.52 (51)	166.43 (45)	122.74 (33)	115.61 (14)
10.	24-सिंचाई	375.55 (27)	382.54 (25)	512.00 (31)	359.16 (21)	512.12 (27)
11.	27-कृषि	184.55 (20)	256.92 (24)	473.74 (37)	374.19 (27)	826.91 (43)
12.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	159.83 (10)	345.36 (16)	580.95 (23)	815.54 (28)	366.90 (10)
पूंजीगत (दत्तमत)						
13.	38-जन-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	324.40 (28)	137.28 (11)	146.74 (13)	323.70 (28)	310.50 (25)
पूंजीगत (भारित)						
14.	लोक ऋण	4,250.68 (40)	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)

टिप्पणीः कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे)

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 701.18 करोड़ तक घट गए जैसा **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजनागत अनुदान	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)	3,744.39 (117)	3,078.49 (-18)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)	2,268.18 (-19)	2,327.52 (3)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)	27.53 (12)	34.50 (25)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)	338.66 (-23)	237.07 (-30)
कुल	**2,339.25 (-15)**	**4,127.18 (76)**	**5,002.88 (21)**	**6,378.76 (28)**	**5,677.58 (-11)**

(पिछले वर्ष पर वृद्धि प्रतिशतता कोष्ठकों में दर्शाई गई है)
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही विस्तृत निधियां हस्तांतरित कर रही थी। भारत सरकार ने 2014-15 से आगे इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। तथापि, 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/ गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही ₹ 1,483.69 करोड़ हस्तांतरित किए।

1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा स्कीमों/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों तथा नागरिकों की अपेक्षाओं और पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2016-17 के दौरान, राज्य के 1,066 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत आवृत्त 22 स्वायत्त निकायों सहित 33 स्वायत्त निकायों की

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं[2] भी की गई थी।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर निगेटिव प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। मुख्यतः नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारियों को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करने पर जोर देना था। विभागों द्वारा छः सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित थी।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 23 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। प्रशासनिक विभागों के उत्तर केवल चार अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के लिए प्राप्त किए गए हैं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2016-17 के दौरान 45 मामलों में ₹ 5.60 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.8 लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2017 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 16,33,996.87 करोड़ के धन मूल्य वाले 317 निरीक्षण प्रतिवेदन के 1,028 अनुच्छेद मार्च 2017 के अंत तक बकाया थे

---

[2] (i) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली तथा (ii) हरियाणा में जेलों का प्रबंधन।

जैसा नीचे तालिका में इंगित किया गया है।

तालिका 1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2003-04 से 2011-12	164	315	432.29
2012-13	30	84	42.38
2013-14	23	93	199.43
2014-15	31	119	2,181.26
2015-16	32	162	379.17
2016-17	37	255	16,30,762.34[3]
कुल	**317**	**1,028**	**16,33,996.87**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में अनुरक्षित आई.आर. रजिस्टरों से ली गई सूचना)

इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिनका 31 मार्च 2017 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में इंगित किए गए हैं।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प.प्र.) के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए अनुच्छेदों की स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 35 प्रशासनिक विभागों ***(परिशिष्ट 1.2)*** से संबंधित 77 अनुच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) पर अभी लोक लेखा समिति (मई 2017) में चर्चा की जानी शेष थी। इन 77 अनुच्छेदों में से 26 प्रशासनिक विभागों द्वारा 62 अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां ***परिशिष्ट 1.3*** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी।

उन्नीस प्रशासनिक विभागों ने ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरणों के अनुसार 38 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 1,718.08 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

3 इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग, मछलीपालन विभाग, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, हुडा इत्यादि से वसूलनीय ₹ 16,29,715.82 करोड़ के जल प्रभार शामिल हैं।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1971-72 से 2011-12 तथा 2013-14 तक की अवधि हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 686 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक वांछित थी ***(परिशिष्ट 1.5)***।

1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 29 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 जून 2017 को लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं की सुपुर्दगी, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को जारी करने तथा विधानसभा में इनके प्रस्तुतिकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 1.6*** में इंगित की गई है।

एक[4] स्वायत्त निकाय ने अपने वार्षिक लेखे गत 20 वर्षों (1996-97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे जबकि अन्य निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा आठ वर्षों के मध्य श्रृंखलित रहा। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से पता न चल रही वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है। अतः लेखाओं को तुरंत अंतिमकृत एवं प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड चण्डीगढ़ (2009-10 से 2014-15) तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड**,** चण्डीगढ़ (2009-10 से 2013-14) के संबंध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण

गत दो वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण उनके धन मूल्य के साथ नीचे **तालिका 1.5** में दिए गए हैं।

तालिका 1.5: 2014-16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों से संबंधित विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुच्छेद		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट अनुच्छेद
2014-15	3	242.86	27	285.78	3	13
2015-16	3	201.80	20	545.36	-	9

2016-17 के दौरान ₹ 681.26 करोड़ मूल्य वाली दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं (₹ 72.08 करोड़) तथा 23 अनुच्छेद (₹ 609.18 करोड़) इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

[4] जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

उच्चतर शिक्षा विभाग

2.1 महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.) की स्थापना बहुविषयक उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विकसित करने के उद्देश्य के साथ 1976 में की गई थी। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना बनाने की कमी, वित्तीय प्रबंधन में कमियां, संबंद्ध कॉलेजों में मूलभूत संरचना तथा शैक्षिक मानकों को लागू न करना, मानवशक्ति तथा कक्षाओं में मूलभूत संरचना की कमियां प्रकट हुई जिसने विश्वविद्यालय की समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे सारीकृत किया गया है:

विशिष्टताएं

लघु अवधि तथा लंबी अवधि की विकासकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए शैक्षिक योजना बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.6.1)

अधिशेष धन को सावधि जमाओं में निवेश न करने के परिणामस्वरूप ₹ 51.71 लाख के ब्याज की हानि हुई। दिए गए अस्थाई अग्रिम के ₹ 11.18 करोड़ असमायोजित पड़े हुए थे।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 तथा 2.1.7.3)

कंप्यूटरीकरण के कार्य को पारदर्शी ढंग से आबंटित नहीं किया गया था। संविदा करार से ₹ 26.31 करोड़ का अधिक भुगतान कर दिया गया था। आगे, कार्य भी अधूरा पड़ा था।

(अनुच्छेद 2.1.8)

18 से 26 प्रतिशत शिक्षकों के (नियमित) पद तथा 52 से 55 प्रतिशत (स्वयं वित्त पोषण योजना) पद खाली पड़े हुए थे।

(अनुच्छेद 2.1.9.4)

92 अनुसंधान प्रोजेक्टों में से केवल 37 ही पूरे हुए थे। अधूरे प्रोजेक्टों में से 21 के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को पार कर चुके थे। छात्रों के उत्तीर्ण होने की समग्र प्रतिशतता 2012-13 में 55 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 41 प्रतिशत रह गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.5)

चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना पर किया गया ₹ 10.98 करोड़ का व्यय इसके उद्देश्यों के पूर्ण न होने की वजह से निष्फल हो गया।

(अनुच्छेद 2.1.10.2)

विश्वविद्यालय की प्रिंटिंग प्रेस को उसकी क्षमता से कम उपयोग करने के कारण ₹ 4.53 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.10.3)

2.1.1 प्रस्तावना

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) की स्थापना राज्य में बहुविषयक उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विकसित करने के उद्देश्य के साथ 1976 में की गई थी। यह 1978 में एक संबद्धता देने वाला विश्वविद्यालय बन गया तथा इसके अधिकार क्षेत्र को राज्य के 10 जिलों[1] में कॉलेजों तथा सामान्य शिक्षा के संस्थानों, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और प्रबंधन तक विस्तारित किया गया। यह एक शिक्षण-सह-संबद्धता देने वाला विश्वविद्यालय है जो कि अपने 38 शिक्षण विभागों, जो कि 11 संकायों में समूहीकृत किए गए हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टर की उपाधि की पेशकश करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें 62 गैर-शिक्षण विभाग हैं। तीन अन्य संस्थान नामत: इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी का विश्वविद्यालय संस्थान (यू.आई.ई.टी.), होटल एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान (आई.एच.टी.एम.) विश्वविद्यालय कैंपस में तथा गुरूग्राम में स्थित कानून एवं प्रबंधन का विश्वविद्यालय संस्थान (यू.आई.एल.एम.एस.) विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन है। यह दूरस्थ शिक्षा निदेशालय (डी.डी.ई.) के माध्यम से छात्रों को अपने पारंपरिक स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन पाठ्यक्रमों की दूरस्थ शिक्षा का आयोजन भी कर रहा है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया तथा सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। राज्य के राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। कुलपति प्रधान कार्यकारी तथा शिक्षण अधिकारी हैं जोकि विश्वविद्यालय के कार्य संचालनों को नियंत्रित करते हैं, इनकी सहायतार्थ एक रजिस्ट्रार, एक वित्त अधिकारी, डीन तथा विभागों/संस्थानों के निदेशक हैं। विश्वविद्यालय के प्राधिकरण हैं कोर्ट[2], कार्यकारी परिषद्, वित्तीय समिति तथा शिक्षण परिषद् जो कि विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों पर नियंत्रण रखती हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या:

- विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए यथोचित योजना बनाई गई;
- वित्तीय प्रबंधन, संसाधन जुटाना तथा उपयोग कार्यकुशल और प्रभावी था;
- विहित मानदंडों के अनुरूप ही शैक्षिक कार्यक्रमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया गया था;
- मूलभूत संरचना, संपदा प्रबंधन तथा सहायक सेवाएं पर्याप्त तथा लागू मानदंडों के अनुरूप थी; तथा
- एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू थी।

---

1 (i) भिवानी, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुरूग्राम, (iv) झज्जर, (v) मेवात, (vi) मोहिंदरगढ़, (vii) पलवल, (viii) रोहतक, (ix) रेवाड़ी तथा (x) सोनीपत।

2 बोर्ड की नीतियों तथा विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए तथा सुधार और विकास के उपायों के लिए सुझाव देने हेतु कोर्ट एक ऐसा प्राधिकरण है जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, संकायों के डीन इत्यादि शामिल हैं।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्य पद्धति

इस विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 (1) के अधीन की जाती है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 की अवधि की विश्वविद्यालय की गतिविधियों को समाविष्ट किया गया।

विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदआऊट रिप्लेसमेंट प्रणाली को अपनाते हुए लेखापरीक्षा ने 62 में से 17 अशैक्षणिक तथा 38 शिक्षण विभागों में से 12 विभागों का चयन किया। इसके अतिरिक्त दो संस्थान नामत: यू.आई.ई.टी. तथा आई.एच.टी.एम., रसायन एवं पर्यावरण विज्ञान विभागों को जोखिम विश्लेषण के आधार पर तथा शारीरिक शिक्षा विभाग को एंट्री कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के सुझाव पर चुना गया। इस प्रकार कुल 34 (यू.आई.ई.टी. तथा आई.एच.टी.एम. सहित 17 अशैक्षिक तथा 17 शैक्षिक विभागों) को अभिलेखों की नमूना-जांच के लिए चुना गया।

दिसंबर 2016 में प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों और मापदंडों की चर्चा की गई। जून 2017 में विभाग के प्रधान सचिव के साथ एग्जिट कांफ्रेंस की गई। विश्वविद्यालय के जवाबों तथा एग्जिट कांफ्रेंस में सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के लिए स्रोत निम्नलिखित से लिए गए:

- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 तथा विश्वविद्यालय का कैलेंडर एवं लेखा संहिता।
- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा की गई बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त।
- धन मुहैया कराने वाली एजेंसीज अर्थात् राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अन्य राज्य/केंद्रीय सरकारी विभागों द्वारा तय किए गए मानदंड।
- पंजाब वित्तीय नियम जैसे कि हरियाणा में लागू है तथा हरियाणा सार्वजनिक निर्माण विभाग संहिता।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के दिशानिर्देश।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 आयोजना

2.1.6.1 शैक्षिक आयोजना बोर्ड का गठन न करना

अधिनियम के अनुच्छेद 24 के साथ पठित एम.डी.यू. अधिनियम की धारा 13 सी प्रावधान करती है कि विश्वविद्यालय उप-कुलपति (चेयरमेन), उच्च शैक्षिक स्तर/मानकों के पांच व्यक्ति तथा कुलपति द्वारा नामित तीन बाहरी विशेषज्ञ विभिन्न विभागों के संकायों में से शैक्षिक मामलों के तीन डीन रोटेशन आधार पर को शामिल करते हुए एक शैक्षिक आयोजना बोर्ड का गठन करेगा। बोर्ड को (लघु अवधि तथा दीर्घावधि की) विकास योजनाओं को तैयार करने और स्कीमों के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मॉनीटरिंग करने के लिए शिक्षा एवं अनुसंधान के मानकों को उच्च स्तर पर ले जाने के उपायों की जांच करनी थी तथा उपाय सुझाने थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विश्वविद्यालय ने 2012-17 के दौरान शैक्षिक आयोजना बोर्ड का गठन नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के कार्यचालन को मॉनीटर करने के लिए कोई केन्द्रीय निकाय नहीं था तथा विश्वविद्यालय ने अपनी लघुकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बनाई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आंतरिक प्राप्तियों में आ रही कमी, संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षा मानकों को लागू न करना, कंप्यूटरीकरण की पहल में विफलता, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा ऑफर किए गए पाठ्यक्रमों में घटता नामांकन, विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटें, अध्यापन संकाय पर कार्य का कम बोझ इत्यादि जैसे मुद्दों का समाधान करने की कोई निर्णायक योजना नहीं थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय ने शैक्षिक आयोजना बोर्ड के गठन किए जाने का आश्वासन दिया। तथापि, इसका गठन अभी तक नहीं किया गया था (सितंबर 2017)।

2.1.6.2 स्थाई विकास लक्ष्यों के लिए योजना न बनाना

कार्यलयीन तौर पर स्थाई विकास के लक्ष्य[3] (एस.डी.जी.) जनवरी 2016 से लागू हुए। तदनुसार, हरियाणा सरकार, आयोजना विभाग ने हरियाणा में एस.डी.जीज के कार्यान्वयन के लिए सात अंतर विभागीय कार्य समूहों का गठन किया (जुलाई 2016)। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2030 तक समावेशी तथा एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए जीवनभर सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करने संबंधी एस.डी.जी.-4 को लागू किया जाना था।

यह विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण संघटकों में से एक था। अभिलेखों में यह नहीं पाया गया कि विभाग ने एस.डी.जी.-4 प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को अपना कोई रोड-मैप बताया या नहीं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि न तो विभाग ने और न ही विश्वविद्यालय ने एस.डी.जी.-4 को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई थी। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी, निष्पादन संकेतकों में गिरावट का रूझान तथा छात्राओं से छेड़छाड़ जैसे मुद्दे, जिनकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है, ने लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला। तथापि, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कोई

---

[3] संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 'ट्रांसफोसिस अंडर वर्ल्ड' नाम के वैश्विक विकास विजन को अपनाया था तथा स्थाई विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा 2030 रखी थी।

विशिष्ट योजना नहीं थी। एग्जिट कांफ्रेंस में कुलपति ने बताया कि एस.डी.जी. की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। तथापि, अक्तूबर 2017 तक इस मामले में कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई थी।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

2012-17 के दौरान विश्वविद्यालय की प्राप्तियों और व्यय के विवरण को नीचे **तालिका 2.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.1 विश्वविद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष (1)	सहायता अनुदान (2	आंतरिक प्राप्तियां (3)	अन्य एजेंसियों[4] से प्राप्तियां (4)	कुल आय (5) (2+3+4)	कुल उपलब्ध धनराशि (6) (1+5)	कुल व्यय (7	वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय के पास अंतशेष (8) (6-7)
2012-13	144.83	41.00	263.64	18.60	323.24	468.07	332.80	135.27
2013-14	135.27	44.00	240.91	13.65	298.56	433.83	291.21	142.62
2014-15	142.62	48.00	232.62	11.30	291.92	434.54	277.87	156.67
2015-16	156.67	55.00	197.88	10.96	263.84	420.51	258.44	162.07
2016-17[5]	162.07	68.36	200.99	28.37	297.72	459.79	323.12	136.67

स्रोत: विश्वविद्यालय के बजट अनुमान

जैसा कि तालिका से स्पष्ट होता है निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में विश्वविद्यालय की आंतरिक प्राप्तियां ₹ 263.64 करोड़ से घटकर ₹ 200.99 करोड़ रह गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि आंतरिक प्राप्तियों में आई कमी मुख्यत: व्यावसायिक पाठ्क्रमों (नामत: बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस इत्यादि) तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में छात्रों के नामांकन में आई कमी की वजह से थी।

इसके साथ ही साथ अयोजनागत व्यय मुख्यत: स्थापना पर व्यय 2012-13 में ₹ 186.30 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 300.43 करोड़ हो गया। जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधियों का शेष वर्ष दर वर्ष घटता गया तथा इससे सरकारी अनुदानों पर निर्भरता बढ़ गई।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2017) कि इसकी प्राप्तियों में कमी मुख्यत: दूरस्थ शिक्षा निदेशालय वैश्विक केंद्रों के बंद होने तथा बी.एड कॉलेजों के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद को स्थानांतरित होने के कारण आई थी।

2.1.7.1 अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों से फीस तथा अन्य प्रभारों को स्वीकार करने के लिए अगस्त 2010 से एक बैंक खाता खोला हुआ था तथा आगे (मई 2013) को उसने विश्वविद्यालय को फीस तथा अन्य प्रभारों के संग्रहण संबंधी सेवाएं प्रदान करते हेतु बैंक के साथ कम से कम ₹ 10 करोड़ के शेष को बनाए रखने के लिए एक करार किया।

---

[4] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एस.एस.आर.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) इत्यादि।

[5] वर्ष 2016-17 के आंकड़े, अनुमानित आंकड़े हैं क्योंकि वर्ष के लेखे अंतिमकृत नहीं हुए थे।

इससे पहले कम से कम शेष रखने की कोई शर्त नहीं थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अतिरिक्त धन को अधिक ब्याज कमाने के लिए सावधि/फिक्सड जमाओं में निवेश करने की बजाय सितंबर 2010 से फरवरी 2017 तक की अवधि में ₹ 67.04 करोड़ तक की धनराशि इस बचत खाते में रखी गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि किए गए करार के अनुसार कम से कम ₹ 10 करोड़ के शेष को छोड़कर इस खाते में नवंबर 2010 से अप्रैल 2013 तक कम से कम ₹ दो करोड़, नवंबर 2013 से अगस्त 2014 तक ₹ चार करोड़, नवंबर 2015 से दिसंबर 2015 तक ₹ 22 करोड़ तथा फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक ₹ दो करोड़ की राशि थी जिसे आसानी से सावधि जमाओं में निवेशित किया जा सकता था तथा नवंबर 2010 से जनवरी 2017 तक की अवधि में विश्वविद्यालय के लिए कम से कम ₹ 51.71 लाख[6] का अतिरिक्त ब्याज कमाया जा सकता था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अतिरिक्त धन को बेकार नहीं पड़े रहने दिया जाएगा तथा बैंक के साथ निवेश की अधिक अच्छी संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

2.1.7.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान न प्राप्त होना

भारत सरकार (भा.स.) पर्यटन मंत्रालय ने होटल एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान (आई.एच.टी.एम.) को तीन वर्षीय होटल प्रबंधन स्नातक पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय चार डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए ₹ दो करोड़ का अनुदान संस्वीकृत किया (जून 2011)।

₹ 10 लाख की प्रथम किस्त जून 2011 को प्राप्त हुई जोकि फ्रंट ऑफिस लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए प्रयोग की गई परंतु इसके बाद कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए 2011-12 के दौरान नए पाठ्यक्रम आरंभ नहीं किए जा सके। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आई.एच.टी.एम. द्वारा जरूरत के अनुसार भवन के लिए कोई ले-आऊट प्लान तैयार नहीं किया गया था तथा वह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि ले-आऊट प्लान के संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाई गई अभ्युक्तियां (मई 2015) की तरफ यथोचित ध्यान नहीं दिया गया था।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2017) कि अनुदान जारी करने के लिए भारत सरकार से इस मामले में अनुकरण किया जा रहा था। अत: आई.एच.टी.एम. की तरफ से हुई ढिलाई की वजह से उसे ₹ 1.90 करोड़ की केंद्रीय सहयता नहीं मिल पाई तथा होटल प्रबंधन के नए पाठ्यक्रम आरंभ नहीं हो पाए।

2.1.7.3 अस्थाई अग्रिमों का असमायोजन

विश्वविद्यालय लेखा संहिता खंड-IV के अनुच्छेद 10.13 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि अस्थाई अग्रिमों का लेखे जितना जल्द हो सके प्रस्तुत किए जाएं तथा कोई अव्ययित

[6] नवंबर 2010 से अप्रैल 2013 के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, नवंबर 2013 से अगस्त 2014 की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, नवंबर 2015 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जैसा कि सावधि/फिक्सड जमा पर ब्याज दर लागू है, में से बचत खाते पर 4 प्रतिशत की दर से कमाए गए ब्याज को घटाने के बाद।

राशि बचती है तो वह जिसके लिए अस्थाई अग्रिम[7] आहरित किए गए थे उन खरीदों के पूर्ण होने पर तुरंत ही वापस किए गए हैं। सभी अग्रिम, उनके आहरण के एक माह के भीतर समायोजित किए आने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विश्वविद्यालय उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। 2012-17 की अवधि के दौरान ₹ 11.18 करोड़ की राशि के 270 मामलों से संबंधित अस्थाई अग्रिम मार्च 2017 तक बिना समायोजन के ही पड़े थे। इन अग्रिमों में से अधीक्षक (यात्रा भत्ता) द्वारा आहरित ₹ 56.80 लाख के भिन्न-भिन्न तरह के 58 अग्रिम बकाया थे जबकि नियमानुसार तीन अस्थाई अग्रिमों से अधिक को, जब तक कि पहले ही आहरित अग्रिमों को समायोजित नहीं किया जाता, संस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के अतिरिक्त इंजीनियरिंग कक्ष द्वारा 58 व्यक्तियों/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.18 करोड़ वसूलनीय/समायोजनीय था।

अस्थाई अग्रिमों के असमायोजन से वित्तीय नियमों के लगातार उल्लंघन को प्रोत्साहन मिल सकता है तथा इससे विभागों/कर्मचारियों द्वारा कपट/निधियों का दुर्विनियोजन हो सकता है।

सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि अग्रिमों को समयबद्ध ढंग से समायोजित अथवा वसूल किया जाए। विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2017) कि ये मामले समायोजन की प्रक्रिया अधीन थे।

2.1.7.4 सेवाकर का परिहार्य भुगतान

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने पूरक शिक्षा सेवाओं के माध्यम से शिक्षा के संबंध में शैक्षणिक संस्थान को अथवा द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान की छूट दी थी (जून 2012)। इस अधिसूचना में जुलाई 2014 में बदलाव किए गए तथा सेवाकर में छूट ऐसी सेवाओं के लिए जैसे कि छात्रों, संकाय तथा स्टॉफ के परिवहन, सरकार द्वारा प्रायोजित मिड डे मील स्कीम सहित कैटरिंग, सुरक्षा अथवा स्वच्छता अथवा हाऊस कीपिंग सेवाओं पर लागू किए गए।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय ने 2012-14 के दौरान आउटसोर्सिंग एजेंसियों से सुरक्षा तथा हाऊस कीपिंग जैसी सेवाएं लेने के लिए तीन एजेंसियों को ₹ 52.61 लाख के सेवाकर का भुगतान किया। यदि सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को लागू किया जाता तो सेवाकर के इस भुगतान को रोका जा सकता था।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2017) कि सेवा प्रदाताओं ने इस सेवाकर को सरकारी खाते में जमा कराया था परंतु सेवाकर के भुगतान से छूट न लेने के बारे में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

2.1.7.5 हॉस्टल सिक्योरिटी को वापस न करना

विश्वविद्यालय दाखिले के समय प्रत्येक छात्र से ₹ 500 तथा प्रत्येक छात्रा से ₹ 250 की दर से हॉस्टल सिक्योरिटी लेता है। विश्वविद्यालय को छोड़ने पर यह सिक्योरिटी छात्रों को वापस कर दी जाती है। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2012-17 में कुल

---

[7] एक वर्ष से कम 138 मामले: ₹ 8.85 करोड़; एक से दो वर्ष 32 मामले: ₹ 1.52 करोड़; दो से पांच वर्ष 100 मामले: ₹ 0.81 करोड़।

प्राप्त सिक्योरिटी राशि ₹ 75.69 लाख में से ₹ 21.60 लाख वापस किए गए तथा मार्च 2017 को ₹ 54.09 लाख[8] की हॉस्टल सिक्योरिटी वापस की जानी बाकी थी।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2017) कि हॉस्टल को छोड़ने पर छात्रों द्वारा आवेदन करने पर हॉस्टल सिक्योरिटी एक वर्ष के भीतर वापस की जा रही थी। इससे यह प्रकट होता है कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को सिक्योरिटी वापस करने की कोई प्रणाली नहीं बनाई।

2.1.8 विश्वविद्यालय गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण

(क) अपारदर्शी ढंग से कार्य का आबंटन

विश्वविद्यालय के कलैंडर खंड-IV के अनुच्छेद 12.18 (ii) के अनुसार निविदा दस्तावेज स्वत: पूर्ण तथा सविस्तार होना चाहिए। आगे, अनुच्छेद 12.48 बाध्य करता है कि ₹ पांच लाख से अधिक की सामग्री तथा सेवाओं की खरीद के लिए कम से कम दो समाचार पत्रों में व्यापक विज्ञापन देते हुए खुली निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय ने प्रशासन, वित्तीय, शैक्षणिक, कॉलेजों की संबद्धता, अनुसंधान इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के कंप्यूटरीकरण के लिए 20 फरवरी 2010 को अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी, जिन्हें 2 मार्च 2010 तक प्रस्तुत करना था तथा उन्हें उसी दिन खोला जाना था। यह देखा गया कि विश्वविद्यालय नियमों (विश्वविद्यालय कलेंडर खंड-IV के अनुच्छेद 12.18 (i)) में विनिर्दिष्ट अनुसार 15 दिन की बजाय निविदा प्रस्तुत करने के लिए केवल 10 दिन ही दिए गए। इस प्रकार, निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए कम समय दिए जाने के कारण प्रतिद्वंदिता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, निविदा का विज्ञापन कम से कम दो समाचार पत्रों में देने की बजाय केवल एक समाचार-पत्र में ही प्रकाशित किया गया।

विश्वविद्यालय को सात फर्मों[9] से निविदाएं प्राप्त हुई। कुलपति ने कंप्यूटरीकरण के कार्य के निरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की। निविदा दस्तावेज में दी गई शर्तों के अनुसार वित्तीय तथा तकनीकी अलग-अलग निविदाएं प्रस्तुत की जानी थी। तथापि, तकनीकी अर्हता तथा कोटेशन भाव के लिए विचार में लिए जाने वाले मानदंडों को विशेष रूप से निविदा दस्तावेजों में नहीं बताया गया था। विश्वविद्यालय ने निविदाओं को खोलने के दिन अर्थात् 12 मार्च 2010 को निविदा देने वालों की तकनीकी अहर्ता के आकलन के लिए दस्तावेज जैसे की वार्षिक कुल बिक्री, कैपेबिलिटी मैचोरिटी मॉडल इंटीग्रेशन (सी.एम.एम.आई.) प्रमाण-पत्र, स्थानीय/राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रणाली, बिक्रीकर संख्या, पूर्व का अनुभव इत्यादि मंगाए थे। इन सात फर्मों में से तीन फर्मों[10] को समिति[11] द्वारा तकनीकी आधार पर जैसे कि अनुभव की कमी, वित्तीय व्यावहारिकता, मानव शक्ति की अपर्याप्त स्पोर्ट, व्यावसायिक

---

8 2012-13: ₹ 10.94 लाख; 2013-14: ₹ 11.35 लाख; 2014-15: ₹ 9.17 लाख; 2015-16: ₹ 9.12 लाख; तथा 2016-17: ₹ 13.51 लाख।

9 (i) मैसर्ज एच.सी.एल. इनफोसिस्टमज (ii) मैसर्ज एक्सपीडियन ई-साल्यूशन्ज, (iii) मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज, (iv) मैसर्ज इमेमिनेश लर्निंग सिस्टमज, (v) मैसर्ज एफ.सी.एस. साफ्टवेयर साल्येशन्ज, (vi) मैसर्ज इंटरफेस इंडिया तथा (vii) मैसर्ज सेफदूत ई-साल्यूशन्ज।

10 (i) मैसर्ज इमेजिनेश लर्निंग सिस्टमज, (ii) मैसर्ज इंटरलेस इंडिया तथा (iii) मैसर्ज सेफदूत ई-साल्यूशन्ज।

11 जिसमें शामिल हैं (i) शैक्षिक मामलों के डीन (ii) शरीर विज्ञान के संकाय, डीन (iii) यू.आई.ई.टी. के निदेशक (iv) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष (v) रजिस्ट्रार (vi) कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा (vii) उप-रजिस्ट्रार (सामान्य)।

समझ की कमी इत्यादि के कारण रद्द कर दिया गया (अप्रैल 2010) यद्‌यपि पहले से ही विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे।

शेष बची चार फर्मों जिन्हें अपने प्रस्तावों की विस्तृत प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था (अप्रैल 2010) में से एक को इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि उसे विश्वविद्‌यालय के कार्यकलापों को स्वचालित बनाने के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था यद्‌यपि अनुभव के मुद्दे पर पहले ही अप्रैल 2010 में निर्णय ले लिया गया था।

शेष बची तीन फर्मों[12] की वित्तीय निविदाओं को जून 2010 में खोला गया। मैसर्ज एक्सपिडियन ई-साल्यूशनज की निविदा को यह कहते हुए निरस्त किया गया कि प्रत्येक वस्तु की कीमत तथा प्रोजेक्ट की कुल लागत गणनीय नहीं थी तथा फर्म के पास पर्याप्त अनुभव नहीं था।

शेष दो फर्मों में से मैसर्ज एच.सी.एल. इनफोसिस्टमज ने प्रोजेक्ट के लिए ₹ 3.01 करोड़, काल सैंटर के प्रचालन तथा अनुरक्षण तथा फ्रंट डैस्क, डाटा सैंटर तथा अनुप्रयोगों के लिए प्रति वर्ष ₹ 0.38 करोड़, प्रति व्यक्ति डाटा एंट्री आपरेटर के लिए ₹ 7,500 तथा डाटा डिजीटाईनेशन प्रति पृष्ठ के लिए ₹ 0.65 उद्धृत किए। मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज ने प्रति छात्र प्रति परीक्षा ₹ 199 उद्धृत किए तथा अनुमानित लागत ₹ छ: करोड़[13] परिकलित की। जबकि समिति की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम निविदा मूल्य वाली मैसर्ज एच.सी.एल. इनफोसिस्टमज की निविदा इस आधार पर निरस्त की गई कि उसे, इस तरह के कार्य करने का अनुभव नहीं था। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद की निविदा दस्तावेज में अनुमानित लागत को जमा कराने संबंधी कोई विधि विनिर्दिष्ट नहीं थी तथा सभी तीनों फर्मों ने भिन्न-भिन्न मानदंडों पर वित्तीय निविदाएं जमा कराई थी, जिनकी एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती थी, मैसर्ज एक्सपिडियन ई-सोल्यशनज तथा मैसर्ज एच.सी.एल. इनफोसिस्टमज की वित्तीय निविदाओं को मनमाने ढंग से निरस्त किया गया। अंतत: केवल मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज को ही पात्र माना गया तथा अक्तूबर 2010 में उसे कार्य आदेश दे दिया गया। यह कार्य ठेका दिए जाने की तिथि से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि अन्य फर्मों की तुलना में मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज की वार्षिक बिक्री तथा अनुभव सबसे कम था क्योंकि यह 2008-09 में ही कंपनी के रूप में अस्तित्व में आई थी अर्थात् इस निविदा से एक वित्तीय वर्ष पहले ही। दूरस्त शिक्षा निदेशालय (डी.डी.ई.) में चल रहे इस फर्म के कार्य को संतोषजनक माना गया भले ही कार्य जुलाई 2009 में ही शुरू हुआ था जिसकी पूर्णता अवधि जुलाई 2012 थी। इस फर्म के पास कोई सी.एम.एम.आई. (कैपेबिलिटी मैचोरिटी मॉडल इंटीग्रेशन) प्रमाण-पत्र नहीं था। दूसरी ओर मैसर्ज एच.सी.एल. इनफोसिस्टमज के पास 24 वर्ष का अनुभव था और सी.एम.एम.आई. प्रमाण-पत्र भी था। यह भी अवलोकित किया गया कि कुलपति ने कुछ विशिष्ट अवसरों (23 जून 2010, 14, 16 तथा 28 जुलाई 2010 तथा 20 और 25 अगस्त 2010) पर समिति का सभापतित्व किया था तथा समिति की कार्य प्रणाली पर उनका प्रभाव था। इस प्रकार, निविदा का मूल्यांकन तथा संविदा देने की प्रक्रिया में कमजोरियां थी तथा वह अपारदर्शी थी।

[12] (i) मैसर्ज एच.सी.एल. इनफोसिस्टमज (ii) मैसर्ज एक्सपीडियन ई-साल्यूशन्ज तथा (iii) मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज।

[13] तथापि यह तीन लाख छात्रों के लिए 199 प्रति छात्र की दर से 5.97 परिकलित होते हैं।

(ख) अधिक भुगतान

निविदा दस्तावेज के अनुसार मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज को ठेका दिए जाने की तिथि (अक्तूबर 2010) से 12 माह के भीतर सारा कंप्यूटरीकरण कार्य पूर्ण करना था तथा बिना किसी अतिरिक्त लागत के डाटा सैंटर को तीन वर्ष के लिए अनुरक्षित करना था।

मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज द्वारा दी गई ₹ 199 प्रति छात्र प्रति परीक्षा की लागत पेशकश के आधार पर मूल्यांकन समिति द्वारा प्रोजेक्ट की लागत एक वर्ष की छात्रों की संख्या के आधार पर परिकलित की गई अर्थात् तीन लाख छात्रों के लिए लगभग ₹ छः करोड़। तथापि, अक्तूबर 2010 में विश्वविद्यालय तथा मैसर्ज नायसा कम्यूनिकेशनज के मध्य हस्ताक्षरित हुए समझौता ज्ञापन में पूर्णता अवधि को बढ़ा कर 16 माह कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि विश्वविद्यालय ने तीन वर्ष के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर फर्म को पूरी राशि (₹ 199 प्रति छात्र प्रति परीक्षा) का भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय ने ₹ छः करोड़ की बजाय ₹ 32.31 करोड़ का भुगतान कर दिया। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने ₹ 26.31 करोड़[14] का अधिक भुगतान किया। समझौता ज्ञापन निविदा दस्तावेज में दी गई विशेष शर्तों के अनुरूप था इसकी सुनिश्चितता में लापरवाही बरतने के कारण बड़े पैमाने पर हानि हुई जिसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाने की आवश्यकता है।

आगे, यह देखा गया कि महाविद्यालय विकास परिषद् की गतिविधियां, अनुसंधान, छात्र कल्याण, (कमरा आबंटन को छोड़कर) हॉस्टल प्रबंधन, खेलकूद संबंधी मामले, स्टोर प्रबंधन, इंजीनियरिंग कक्ष, संपदा कार्यालय इत्यादि का कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया यद्यपि इनमें कार्य क्षेत्र के अनुसार यह जरूरी था। केवल वित्तीय प्रबंधन तथा शैक्षणिक प्रबंधन के कार्यकलापों का ही कंप्यूटरीकरण किया गया। इन कार्यों को किए बिना ही ठेका (14 अक्तूबर 2013) को समाप्त हो गया।

विश्वविद्यालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि इस मामले की राज्य सरकार स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही थी।

(ग) शेष बचे कंप्यूटरीकरण के कार्य का पूरा न होना

विश्वविद्यालय ने छोड़े गए कार्य को निविदाएं मांगने के बाद एक दूसरी फर्म को कर सहित ₹ 4.78 करोड़ की लागत पर आबंटित कर दिया (अगस्त 2014)। समझौता ज्ञापन के अनुसार सेवा प्रदाता को छात्रों के जीवन चक्र प्रबंधन, मानव संसाधन (ओ.एम., पी.ए. तथा पे रोल) तथा वित्त मॉडयूल से संबंधित मॉडयूल को लागू करना था, ऐसा करने में विफल होने पर प्रति माह ठेका मूल्य के दो प्रतिशत की दर से के अधिकतम ठेका मूल्य का 25 प्रतिशत तक अर्थदंड लगाया जाना था। सेवा प्रदाता ने नियत अवधि मे अपेक्षित मॉडयूलस को लागू नहीं किया तथा यह कार्य अभी भी अधूरा है यद्यपि अप्रैल 2017 तक करों सहित ₹ 1.40 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। तथापि, कार्य को पूरा करने में हुई देरी के लिए कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया यद्यपि ठेके के नियम एवं शर्तों के अनुसार ₹ 1.20 करोड़ का (₹ 4.78 करोड़ का 25 प्रतिशत) अर्थदंड उदगृहीत किया जाना चाहिए था।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2017) कि फर्म को कार्य को पूरा करने के लिए अपनी प्रोजेक्ट टीम लगाने के लिए कहा गया था।

---

[14] कुल 32.31 करोड़ का भुगतान किया गया - करार के अनुसार ₹ छः करोड़ का भुगतान किया जाना था।

2.1.9 शैक्षिक गतिविधियां

विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य जैविक विज्ञानों तथा पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष जोर देते हुए बहुविषयक उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां अवलोकित कीं:

गुणवत्ता एवं प्रशासकीय विषय

2.1.9.1 संबद्ध कॉलेजों में गुणात्मक शिक्षा के लिए मानकों को लागू न करना

विश्वविद्यालय कॉलेजों/संस्थानों को संबद्धता देने की विश्वविद्यालय की शर्तें, विश्वविद्यालय के अधिनियम 38 में दी गई हैं। मार्च 2017 को विश्वविद्यालय से कुल 249 कॉलेज/संस्थान संबद्ध थे। संबद्धता देने से पूर्व कुलपति द्वारा गठित एक समिति को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, संकाय तथा अन्य मददगार प्रणालियों की जांच करने के लिए एक निरीक्षण करना होता है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर शैक्षिक परिषद्/कार्यकारी परिषद् संबद्धता प्रदान करती है। किसी कॉलेज अथवा संस्थान को दी गई संबद्धता का वर्ष-दर-वर्ष आधार पर नवीनीकरण कराना होता है। विश्वविद्यालय ने एक निरीक्षण फार्म तैयार किया है जिसमें उपलब्ध मानव संसाधन तथा बुनियादी ढांचे का विवरण देना होता है। इस फार्म को दिसंबर 2014 में संशोधित किया गया था तथा कॉलेजों को (क) शिक्षक तथा अन्य स्टॉफ; (ख) बुनियादी ढांचा तथा सुख-सुविधाएं (ग) शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर अंक दिए जाने थे। प्रत्येक श्रेणी में 71 प्रतिशत तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 51 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले कॉलेजों को क्रमश: 'क', 'ख' तथा 'ग' ग्रेड दिया जाना था। 'ख' ग्रेड वाले कॉलेजों को इस बंधनकारी शर्त के साथ संबद्धता दी जानी थी कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व एक वर्ष के भीतर बताई गई कमियों को दूर कर लेंगे जबकि 'ग' श्रेणी में आए कॉलेजों/संस्थानों की असंबद्ध करने की प्रक्रिया के लिए नोटिस दिए जाने थे।

कुल 249 संबद्ध कॉलेजों में से 40 की निरीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां प्रकट हुईं:

(i) कॉलेजों का वर्गीकरण न करना

चयनित 40 कॉलेजों के संबंध में 2011-17 के दौरान कुल 114 निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षण रिपोर्टों में से किसी में भी निरीक्षण के लिए तैयार किए गए प्रोफार्मा को पूर्णत: नही भरा गया। दिसंबर 2014 जब वर्गीकरण करने की पहल की गई, तब से 22 निरीक्षण[15] किए जा चुके थे परन्तु कॉलेजों/संस्थानों[16] का 'क' 'ख' 'ग' में वर्गीकरण नहीं किया गया। निरीक्षण प्रोफार्मा में पूर्ण जानकारी न होने तथा अंकों के आधार पर कॉलेजों का वर्गीकरण न होने से यह विनिश्चय नहीं किया जा सका कि क्या कॉलेज/संस्थान संबद्धता के पात्र थे। तथापि, संस्थानों/कॉलेजों को अस्थाई संबद्धता प्रदान की गई थी।

विश्वविद्यालयन ने बताया (अक्तूबर 2017) कि दिसंबर 2014 के बाद किए गए निरीक्षणों के लिए नियत प्रोफार्मा भरा गया था तथा 2016 में भूमि, बुनियादी ढांचा, संकाय, स्टॉफ,

---

[15] विभिन्न तरह के कालेज/संस्थानों में हुए निरीक्षणों का विवरण: इंजीनियरिंग-2, डिग्री-11, वास्तु-2, प्रबंधन-3, विधि-3 तथा होटल प्रबंधन-1

[16] कालेज/संस्थानों में से नमूना-जांच किए गए कालेज: इंजीनियरिंग-16, डिग्री-9, वास्तु-3, प्रबंधन-9, विधि-2 तथा होटल प्रबंधन-1

पुस्तकालय इत्यादि संबंधी जानकारी से समाहित एक वैब पोर्टल विकसित किया गया था। दिसंबर 2014 के बाद कॉलेजों/संस्थानों के वर्गीकरण संबंधी विश्वविद्यालय का उत्तर सही नहीं था क्योंकि अनियमितताएं दिसंबर 2014 के बाद किए गए निरीक्षणों के संबंध में थी।

(ii) कमियों को दूर करने पर भी कॉलेजों/संस्थानों को अस्थाई संबद्धता को जारी रखना

अधिनियम अनुसार, कमियां होने पर, शैक्षिक/कार्यकारी परिषद् को उन बिंदुओं को विशेष तौर पर इंगित करना था जिन्हें वह समझती थी कि कॉलेज उनमें पीछे है तथा वह समय सीमा तय करनी थी जिसमें वह कॉलेज उनका अनुपालन अवश्य कर ले। निरीक्षण दलों ने नीचे दिए विवरण अनुसार कमियां बताई थी:

- **शासी निकाय का गठन न करना तथा अनुमोदन न करना:** प्रत्येक कॉलेज में एक प्रबंधन समिति होनी चाहिए थी जिसे शासी निकाय के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि कम से कम 11 सदस्य हों तथा उसे विश्वविद्यालय से स्वीकृत कराया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 14 कॉलेजों द्वारा शासी निकाय का गठन नहीं किया गया था। छः कॉलेजों ने शासी निकाय का गठन किया था परंतु उसे विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं कराया गया था।

- **प्रतिमानों के अनुरूप शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टॉफ को नियुक्त न करना:** संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों में अध्यापकों का चयन समिति द्वारा किया जाना था जिसमें कम से कम तीन बाहरी विशेषज्ञ होने चाहिए थे तथा विश्वविद्यालय द्वारा चयन समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदित किए जाने तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाना था।

निरीक्षण समितियों द्वारा देखा गया कि 40 कॉलेजों में से 33 में या तो शिक्षण स्टॉफ का चयन विधिवत गठित समितियों के माध्यम से नहीं किया गया या चयन समिति की कार्यवाहियों को विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं करवाया गया था।

- **स्टॉफ तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी:** निरीक्षण समितियों ने 27 कॉलेजों में शिक्षण स्टॉफ की कमी अथवा कम अहर्ता वाले शिक्षण स्टॉफ तथा 16 कॉलेजों में प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी के बारे में भी रिपोर्ट किया था।

इन कॉलेजों को वर्ष-दर-वर्ष संबद्धता दी जाती रही यद्यपि इन कॉलेजों के, किए गए निरीक्षण में बताई गई कमियां जारी थी। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों की कार्यप्रणाली पर यथोचित नियंत्रण नहीं किया।

विश्वविद्यालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि वह चूककर्ता कॉलेजों/संस्थानों के विरूद्ध अर्थदंड लगाना, छात्रों को दाखिल करने की क्षमता में कमी करके तथा उन्हें 'दाखिला नहीं' वाले वर्ग में डालना जैसी कार्रवाईयां करता है। यह उत्तर सामान्य शब्दावली में दिया गया है तथा विशिष्ट मामलों के बारे में उत्तर नहीं दिया गया।

(iii) कॉलेजों को बिना संबद्धता के जारी रखे रखना

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2015-16 तथा 2016-17 सत्र के लिए किसी भी व्यावसायिक (इंजीनियरिंग/विधि/प्रबंधन/आर्किटेक्चर) कॉलेज को अस्थाई संबद्धता में बढ़ोतरी प्रदान करने के लिए निरीक्षण समितियां गठित नहीं की गई थी। ये कॉलेज उपरोक्त दोनों सत्रों के लिए बिना संबद्धता प्राप्त किए ही कार्यरत थे। असंबद्ध होने के बावजूद विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों में पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित की तथा परिणाम भी घोषित किया।

विश्वविद्यालय ने अपनी वैबसाईट पर इन कॉलेजों को संबद्ध कॉलेजों की सूची में दिखाना जारी रखा।

विश्वविद्यालय ने माना (अक्तूबर 2017) कि कॉलेजों में से अधिकतर द्वारा कमियों को दूर न करने के कारण 2015-16 तथा 2016-17 सत्र के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए निरीक्षण समितियां गठित नहीं की गई थी तथा साथ ही बताया कि सर्वोच्च निकाय नामत: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय बार परिषद/वास्तु परिषद् (ए.आई.सी.टी.आई./बी.सी.आई./सी.ओ.ए.) इन पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति दे रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय ही संबद्धता देने के लिए जिम्मेदार था तथा (ए.आई.सी.टी.आई./बी.सी.आई./सी.ओ.ए.) द्वारा संबद्धता को जारी रखे रखने का अनुमोदन केवल मानदंडों में से एक था तथा विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों को 'दाखिला नहीं' वाले वर्ग के अधीन नहीं डाला था।

(iv) विवरणियां प्रस्तुत न करना

अधिनियम 38 के उपबंध 15 (ख) के अनुसार मान्यता प्राप्त कॉलेजों को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक अन्य विवरण के साथ-साथ प्रबंधन तथा शिक्षण स्टॉफ में हुए परिवर्तन तथा नए स्टॉफ की अहर्ता बताते हुए रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट जमा करानी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कॉलेजों में से किसी ने भी यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, चूककर्ता कॉलेजों के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी (अगस्त 2017)।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय कॉलेजों/संस्थानों में शैक्षिक मानकों को निर्धारित करने की वस्तुनिष्ठ प्रणाली लागू करने में विफल रहा। निरीक्षण समितियों द्वारा लगातार कमियों के बारे में बताए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय कमियों को दूर करने के लिए समय सीमा निश्चित करने अथवा इन कॉलेजों को असंबद्ध किए जाने की पहल करने में विफल रहा। यहां तक कि वर्ष-दर-वर्ष अस्थाई संबद्धता प्रदान करना जारी रखा गया जबकि मानव संसाधन तथा बुनियादी ढांचे की कमी के कारण छात्र गुणात्मक शिक्षा से वंचित रहे।

कॉलेज विकास परिषद् के डीन ने बताया (सितंबर 2017) कि लगभग 90 कॉलेजों ने पूर्ण जानकारी अपलोड कर दी थी तथा आश्वासन दिया कि शेष बचे कॉलेजों संबंधी जानकारी अगले सत्र के शुरू होने से पूर्व समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर ली जाएगी। जहां तक विवरणियों के प्रस्तुत करने का प्रश्न है, यह बताया गया (अक्तूबर 2017) कि सभी कॉलेजों की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए पहले ही अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

2.1.9.2 शिक्षक-छात्र-अनुपात

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने स्नातकोतर शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विज्ञान हेतु 1:10 का शिक्षक-छात्र-अनुपात तथा मानविकी/सामाजिक क्षेत्र के लिए 1:15 के अनुपात की अनुशंसा की थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2012-17 वर्षों के दौरान नमूना-जांच किए गए 15 शिक्षण विभागों में से तीन[17] सामाजिक विभागों तथा दो विज्ञान विभागों (सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा चिकित्सा जीव प्रौद्योगिकी केंद्र) में संकाय प्रतिमानों से अधिक थे।

[17] (i) रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन (ii) मनोविज्ञान तथा (iii) पर्यावरण विज्ञान।

10 सामाजिक विभागों (जिनका विवरण ***अनुलग्नक 2.1*** में दिया गया है) में शिक्षण संकाय प्रतिमानों से कम थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, इस बात से सहमत हुए कि शिक्षक-छात्र-अनुपात में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2.1.9.3 प्रतिमानों की अपेक्षा शिक्षकों पर कार्यभार कम होना

यू.जी.सी. प्रतिमानों के अनुसार किसी भी शैक्षिक वर्ष में पूर्ण रोजगार शिक्षकों पर कार्यभार 30 कार्यशील सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह 40 घंटे से कम नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए 15 शिक्षण विभागों में से केवल चार विभागों (गणित, औषधीय विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा मनोविज्ञान) में ही शिक्षकों पर कार्य भार यू.जी.सी. प्रतिमानों के अनुसार था। जैसा कि **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया है 2012-17 के दौरान नौ शिक्षण विभागों में शिक्षकों पर कार्यभार 40 से 65 प्रतिशत तक कम था।

तालिका 2.1.2: शिक्षण विभागों में शिक्षकों पर कार्यभार

विभाग का नाम	शिक्षकों की औसत संख्या	प्रतिमानों के अनुसार कुल कार्य घंटे	वास्तविक कार्यभार (घंटों में)	कमी (घंटों में)	कार्यभार में कमी की प्रतिशतता
रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन	3.0	18,000	6,300	11,700	65
भूगोल	9.4	56,400	20,970	35,430	63
समाज शास्त्र	6.4	38,400	15,360	23,040	60
अर्थशास्त्र	7.6	45,600	22,460	22,140	48
राजनीति विज्ञान	2.0	12,000	6,300	5,700	48
पर्यावरण विज्ञान	7.0	42,000	17,580	24,420	58
जीव रसायन	5.0	30,000	11,580	18,420	61
सी.एम.बी.टी.	3.6	21,600	9,660	11,940	55
सूक्ष्म जीवी	8.0	48,000	28,800	19,200	40

स्रोत: सूचना शिक्षण विभागों द्वारा दी गई है।

दो विभागों (लोक प्रशासन तथा शारीरिक शिक्षा) ने सूचना नहीं दी। विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के लिए कार्यभार की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित नही की थी।

2.1.9.4 शिक्षण/गैर-शिक्षण संवर्गों में रिक्त पद

शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए योग्य तथा अनुभवी संकाय का उपलब्ध होना पहली आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के प्रसाशन में कार्य के सुचारू संचालन के लिए गैर-शिक्षण स्टॉफ के पद भरे जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जैसाकि **तालिका 2.1.3** में विवरण दिया गया है, विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के विभिन्न पद (नियमित तथा स्वयं वित्त पोषित योजना वाले) तथा गैर-शिक्षण जैसे कि लिपिकों, सहायकों, अधीक्षकों, सहायक रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों तथा रजिस्ट्रार को 2012-17 की अवधि के दौरान नहीं भरा गया।

तालिका 2.1.3: संस्वीकृत, भरे गए तथा रिक्तपद

पद का नाम	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17			रिक्त पदों की प्रतिशतता
	एस.	एफ.	वी.	एस.	एफ.	वी.	एस.	एफ.	वी.	एस.	एफ.	वी.	एस.	एफ.	वी.	
शिक्षण पद (नियमित)	385	316	69	386	312	74	385	303	82	386	294	92	386	285	101	18 से 26
शिक्षण पद (एस.एफ.एस.)	200	89	111	200	95	105	200	96	104	200	96	104	200	95	105	52 से 55
गैर-शिक्षण स्टॉफ	1,168	907	261	1,171	931	240	1,154	939	215	1,144	912	232	1,144	871	273	19 से 24

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनाएं।
एस.: संस्वीकृत एफ.: तैनात वी.: रिक्त

रिक्त पदों को न भरना शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालता है। गैर-शिक्षण संवर्गों में कमी भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालती है।

विश्वविद्यालय ने बताया (फरवरी 2017) कि सरकार ने केवल शिक्षण पद भरने की ही अनुमति दी थी तथा गैर-शिक्षण पदों को भरने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार अपर्याप्तता शिक्षा की गुणवता को प्रभावित करेगी।

शैक्षिक कार्य निष्पादन तथा स्कीम का कार्यान्वयन

2.1.9.5 शैक्षिक कार्य निष्पादन में ह्रास

किसी विश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन को उसके अनुसंधान परिणामों, छात्रों के नामांकन, छोड़ जाने वाले तथा पास होने वाले छात्रों की प्रतिशतता, नियोजन इत्यादि से परखी जा सकती है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

अनुसंधान प्रोजेक्ट: विश्वविद्यालय ने आयोग (यू.जी.सी.) शोध कार्यक्रमों/प्रोजेक्टों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान कार्यक्रमों/प्रोजेक्टों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदानें प्राप्त की। 2012-17 के दौरान, विश्वविद्यालय को ₹ 8.58 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ कुल मिलाकर 92 अनुसंधान प्रोजेक्ट सौंपे गए। मार्च 2017 तक ₹ 4.86 करोड़ की लागत वाले 37 प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके थे। 55 अधूरे पड़े प्रोजेक्टों में से 21 की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इन 21 मामलों में से 13 के लिए यू.जी.सी. ने समयावधि बढ़ा दी थी, जबकि शेष आठ मामलों में समयावधि नहीं बढ़ाई गई थी।

एक मामला ऐसा है जिसमें ''हरियाणा की अर्थव्यवस्था तथा शासन एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों'' पर एक शोध प्रोजेक्ट यू.जी.सी. द्वारा मार्च 2009 में सौंपा गया था जिसे पांच वर्षों में पूरा किया जाना था, पूर्ण नहीं हो सका था (अगस्त 2017) जबकि ₹ 27.45 लाख व्यय किया जा चुका था यह पूरा व्यय निष्फल हो गया। यू.जी.सी. की विशेषज्ञ समिति ने प्रोजेक्ट भी रोक दिया था (अगस्त 2014)।

विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों की गिरती पास प्रतिशतता: 2012-16 के दौरान नमूना-जांच किए गए विभागों के लिए पास हुए छात्रों की प्रतिशतता की तुलना में परीक्षा में बैठे छात्रों को **तालिका 2.1.4** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.4: नमूना-जांच किए गए विभागों में परीक्षा में बैठे, छोड़ गए तथा उत्तीर्ण हुए छात्रों का विवरण

वर्ष	दाखिला किए गए छात्रों की संख्या	जितने छात्र परीक्षा में बैठे	जो छात्र छोड़ गए	जो छात्र पास हुए	कुल दाखिल हुए छात्रों की तुलना में पास होने वालों की प्रतिशतता	परीक्षा में बैठे कुल में से पास होने वालों की प्रतिशतता	कुल दाखिल हुए छात्रों में से छोड़ गए छात्रों की प्रतिशतता
2012-13	1,542	1,300	242	1,039	67	80	16
2013-14	1,601	1,356	245	1,091	68	80	15
2014-15	1,671	1,440	231	1,120	67	78	14
2015-16	1,657	1,377	280	845	51	61	17

स्रोत: विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों में से संकलित की गई सूचना।

यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान पास होने की प्रतिशतता में बहुत अधिक गिरावट आई थी तथा लेखापरीक्षा अवधि में छोड़ जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 14 तथा 17 के मध्य रही।

- ***समग्र पास प्रतिशतता में गिरता रूझान***: संबद्ध कॉलेजों के छात्रों सहित विश्वविद्यालय के पास होने वाले छात्रों की कुल प्रतिशतता **तालिका 2.1.5** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.1.5: परीक्षा में बैठे एवं पास हुए छात्रों का विवरण

वर्ष	छात्रों ने परीक्षा दी	छात्र पास हुए	प्रतिशतता
2012-13	6,41,328	3,55,787	55
2013-14	6,43,790	3,32,029	52
2014-15	6,48,396	2,89,330	45
2015-16	6,30,294	2,59,363	41

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनाएं।

यह अवलोकित किया गया कि पिछले पांच वर्षों में पास होने वाले छात्रों की प्रतिशतता 55 से गिर कर 41 रह गई थी। विश्वविद्यालय उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए बुरे परिणामों के आने का कारण सुनिश्चित नहीं किया।

- ***नियमित पाठ्यक्रमों में रिक्त पड़ी सीटें***: नमूना-जांच किए गए विभागों द्वारा दी गई सूचना से लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2012-17 के दौरान ***(अनुलग्नक 2.2)*** सात विभागों के 21 पाठ्यक्रमों में बड़े पैमाने पर उपलब्ध सीटें रिक्त रही थी। यह अवलोकित किया गया कि एम.एस.सी., जीयो इंफरमेटिक्स भूगोल के (चौथा सिमेस्टर) में 65 प्रतिशत तथा डिफेंस एम.फिल में 48 प्रतिशत, प्री पीएच.डी. डिफेंस में 53 प्रतिशत, लोक प्रशासन में एम फिल/प्री-पीएचडी में एम.ए. तथा भूगोल में एम.टेक प्रथम 40 प्रतिशत सीटें रिक्त पड़ी थी। विश्वविद्यालय को संबंधित पाठ्यक्रमों को जारी रखने पर पुन: विचार करना चाहिए तथा तदनुसार दाखिला देने की क्षमता को पुन: निर्धारित करना चाहिए।

- ***दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में छात्रों के दाखिले में घटता रूझान***: डी.डी.ई. के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा ऑफर किए गए पाठ्यक्रम तथा दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को **तालिका 2.1.6** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.6: दूरस्थ शिक्षा में छात्रों के दाखिले के रूझान के विवरण

वर्ष	बीए, एमए,एम कॉम इत्यादि पाठ्यक्रमों में	बीसीए, एमबीए, एमसीए इत्यादि पाठ्यक्रमों में	दाखिला दिए छात्रों की कुल संख्या	2012-13 की तुलना में आई गिरावट की प्रतिशतता
2012-13	65,783	44,416	1,10,199	-
2013-14	59,414	21,554	80,968	27
2014-15	61,560	3,384	64,944	41
2015-16	67,503	144	67,647	39
2016-17	71,344	0	71,344	35

स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा दी गई सूचनाएं।

यह अवलोकित किया गया कि छात्रों का नामांकन केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों बीए, एमए, एम.कॉम इत्यादि में ही था। अन्य पाठ्यक्रमों जैसे कि एम.बी.ए., एम.सी.ए. इत्यादि में 2016-17 में नामांकन शून्य तक नीचे आ गया था।

कुलाधिपति द्वारा गठित समिति की (फरवरी 2012) में हुई बैठक में यह संकल्प लिया गया था कि डी.डी.ई. एक सर्वेक्षण करेगा तथा ऐसे नए कार्यक्रम जो कि ग्रामीण विकास, समाज के लिए औरतों और बच्चों के कल्याण हेतु उपयोगी हो, का पता लगाएगा। विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2017 तक भी सर्वेक्षण नहीं किया था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2017) कि निकट भविष्य में कुछ नए पाठ्यक्रमों को शुरू किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

- ***आजीविका परामर्श तथा नियोजन कक्ष:*** विश्वविद्यालय ने मार्च 2011 में छात्रों के लिए आजीविका परामर्श तथा नियोजन कक्ष की स्थापना की थी। आई.एच.टी.एम. तथा यू.आई.ई.टी. में नियोजन की स्थिति को **तालिका 2.1.7** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.7: नियोजित छात्रों की संख्या को दर्शाता विवरण

विभाग	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	ए.एस.[18]	एस.एस.[19]	ए.एस.	एस.एस.	ए.एस.	एस.एस.	ए.एस.	एस.एस.
आई.एच.टी.एम.	230	30(13)	216	62(29)	181	156(86)	उपलब्ध नहीं	104
यू.आई.ई.टी.	439	78(18)	431	48(11)	579	76 (13)	479	61(13)

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड

यह अवलोकित किया गया कि आई.एच.टी.एम. के लिए नियोजन की वास्तविक प्रतिशतता 13 से 86 के मध्य तथा यू.आई.ई.टी. के संबंध में 11 से 18 के मध्य रही। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सितंबर 2013 में हुई विभागीय संयोजकों की बैठक में आजीविका, परामर्श तथा नियोजन कक्ष के एक इंटरएक्टिव वैब पोर्टल/पृष्ठ शुरू करने के लिए संकल्प किया गया था। परंतु वह अभी तक शुरू नहीं किया गया था (सितंबर 2017)।

इस प्रकार, निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में, शैक्षिक निष्पादन संकेतक जैसे कि शोध परिणाम, छोड़ जाने वालों तथा उतीर्ण होने वालों की दर, छात्रों का नामांकन नियोजन इत्यादि में गिरावट का रूझान प्रकट हुआ। विश्वविद्यालय ने निष्पादन संकेतकों में आई गिरावट के रूझान के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जिस कारण, विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य अर्थात् बहुविषयक उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित एवं विकसित करके करना, पूर्णत: प्राप्त नहीं हो पाया।

18 ए.एस. - वास्तविक संख्या।

19 एस.एस. चयनित छात्र तथा कोष्ठकों में दर्शाई प्रतिशतता।

2.1.9.6 तकनीकी शिक्षा गुणात्मक सुधार कार्यक्रम

राज्य द्वारा धन पोषित/सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए तकनीकी शिक्षा गुणात्मक सुधार कार्यक्रम-II, केन्द्र एवं राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) है। 2010-11 से आरंभ हुआ यह प्रोजेक्ट 4 वर्ष के लिए था, तथा यू.आई.ई.टी. को ₹ 10 करोड़ संस्वीकृत किए गए। तथापि इन ₹ 10 करोड़ में से 2012-17 के दौरान यू.आई.ई.टी. ने ₹ सात करोड़ प्राप्त किए थे तथा सरकार से शेष ₹ 3 करोड़ की धन राशि अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई थी (अप्रैल 2017)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कुछ घटकों को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा जैसा कि **तालिका 2.1.8** में विवरण दिया गया है, आबंटित धन राशि अव्ययित ही रही।

तालिका 2.1.8: अव्ययित रही धन राशि को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	घटक का नाम	आबंटित धन राशि	उपयोग की गई धन राशि	अव्ययित धन राशि	प्रतिशतता
1	संकाय तथा स्टॉफ का विकास	100	31.84	68.16	68
2	संस्थागत प्रबंधन क्षमता निर्मित करना	30	1.22	28.78	96
3	कमजोर छात्रों को शैक्षिक मदद	40	1.45	38.55	96
4	संस्थागत सुधारों का कार्यान्वयन	20	1.17	18.83	94
5	वृद्धिगत प्रचालन लागत	100	16.30	83.70	84
6	बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण	50	0	50.00	100
कुल		**340**	**51.98**	**288.02**	**85**

स्रोत: सूचना, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से संकलित की गई है।

नियमानुसार, शासक मंडल को 11 माह अथवा लंबी अवधि के लिए जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाती, संविदा आधार पर आवश्यक अहर्कता तथा अनुभव वाले संकाय तथा स्टॉफ को रखने का अधिकार दिया गया था। तथापि, शासक मंडल की बजाय निदेशक यू.आई.ई.टी. द्वारा गैस्ट शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा था जो कि अनियमित था। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

दिशानिर्देशानुसार संस्थान को निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रायोजित परामर्शी प्रोजेक्टों, विशेषत: आदेश पर निंतरता शिक्षा कार्यक्रमों के प्रस्ताव देना, किसी निवेश से मिला ब्याज, टेस्टिंग तथा प्रमाणन, एकस्वों तथा सर्वाधिकारों, उद्योगों तथा अन्यों द्वारा हाई-टेक उपकरणों का प्रयोग इत्यादि जैसी गतिविधियों से राजस्व का पता लगाना तथा कमाना चाहिए परंतु ऐसी कोई भी गतिविधियां हाथ में नहीं ली गई (मई 2017)।

2.1.10 बुनियादी ढांचा

2.1.10.1 अपर्याप्त बुनियादी ढांचा

जैसा कि नीचे **तालिका 2.1.9** में दर्शाया गया है, 15 नमूना-जांच किए गए शिक्षण विभागों[20] की लेखापरीक्षा संवीक्षा में कक्षा कमरों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान कक्षों तथा कंप्यूटर प्रयोगशालाओं जैसी कमियां देखी गई।

तालिका 2.1.9: नमूना-जांच किए गए विभागों में बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता का विवरण

सुविधा	कक्षा कमरा	प्रयोगशालाएं	अनुसंधान कक्ष	कंप्यूटर प्रयोगशाला
अपेक्षित	83	62	71	19
उपलब्ध	61	56	54	12
कमी	22	6	17	7
कमी की प्रतिशतता	27	10	24	37

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा दी गई सूचनाएं।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कक्षा कमरों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान कमरों तथा कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में क्रमश: 27, 10, 24 तथा 37 प्रतिशत की कमी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विश्वविद्यालय के पास धन होते हुए भी, समयबद्ध ढंग से पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी।

2.1.10.2 चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान का कार्यशील न होना और बुनियादी ढांचे का बेकार पड़े रहना

विश्वविद्यालय ने ₹ 10.30 करोड़ की लागत से एक नव-निर्मित भवन में चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान स्थापित किया (मार्च 2012)। इस संस्थान का लक्ष्य तथा उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न शोध प्रस्ताओं को, सामान्य जनता के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में सीधे तौर पर लगे पंचायती राज संस्थानों तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा राजनीतिज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए हाथ में लेना था। शासी निकाय ने विभिन्न विषयों[21] पर लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा प्रमाण-पत्र कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया (मार्च 2015)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यह संस्थान 2012-13 से दो सहायक स्टॉफ के साथ एक निदेशक के साथ कार्य कर रहा था। न तो इस संस्थान ने कोई प्रशिक्षण दिया और न ही इसे किसी विभाग से कार्यान्वयन के लिए कोई शोध प्रोजेक्ट मिले। इस संस्थान ने 2012-16 के दौरान ₹ 68.09 लाख का प्रशासकीय व्यय किया। इस प्रकार, 2012-16 के दौरान भवन निर्माण पर किए गए ₹ 10.98 करोड़ के व्यय के लाभकारी परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

---

20 (i) रक्षा और सामरिक अध्ययन, (ii) रसायन विज्ञान, (iii) लोक प्रशासन, (iv) राजनीति विज्ञान, (v) मनोविज्ञान, (vi) गणित, (vii) चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, (viii) सूक्ष्म जीव विज्ञान, (ix) जैव रसायन, (x) फार्मास्युटिकल साइंसेज, (xi) पर्यावरण विज्ञान, (xii) अर्थशास्त्र, (xiii) समाजशास्त्र, (xiv) शारीरिक शिक्षा तथा (xv) भूगोल

21 स्वास्थ्य और पर्यावरण, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण, मानव तस्करी विरोध, उद्यमिता और कौशल विकास, ग्रामीण विकास, मानव अधिकार, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण, गैर सरकारी संगठन प्रबंधन, व्यवसाय कौशल तथा बिजली वितरण में सक्षमता।

निदेशक ने बताया (अप्रैल 2017) कि नियमित संकाय की अनुपलब्धता के कारण जनसंख्या स्टडीज के एम.ए. पाठ्यक्रम को भूगोल विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा संकाय के पदों को भरने के बाद शोध प्रोजेक्ट प्रस्तावों को विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी धन पोषण करने वाली एजेंसियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधान सचिव ने बताया कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थान को कार्यशील बनाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2.1.10.3 प्रिंटिंग प्रेस के कार्य करने से हुई हानियां

विश्वविद्यालय कैलेंडर खण्ड-IV के अनुच्छेद 26.5 के अनुसार विश्वविद्यालय प्रेस, विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों की मुद्रण सामग्री के मुद्रण तथा जिल्दसाजी के लिए जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय प्रेस ने जैसा कि **तालिका 2.1.10** में विवरण दिया गया है, 2012-16 में ₹ 4.53 करोड़ की हानि उठाई:

तालिका 2.1.10: विश्वविद्यालय प्रेस की आय व व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आय	व्यय	हानि
2012-13	1.23	2.46	1.23
2013-14	1.84	2.66	0.82
2014-15	1.49	3.70	2.21
2015-16	2.86	3.13	0.27
कुल	**7.42**	**11.95**	**4.53**

स्रोत: विश्वविद्यालय के अभिलेखों से संकलित की गई सूचना।

आगे, यह भी देखा गया कि डी.डी.ई. ने 2012-15 में डी.डी.ई. ने अपनी पढ़ाई की सामग्री ₹ 19.13 करोड़ की लागत से एक निजी फर्म से छपवाया था। डी.डी.ई. ने 2015-16 में अपनी पढ़ाई की सामग्री विश्वविद्यालय की प्रैस से ₹ 2.21 करोड़ में छपवाई थी। इससे प्रैस की हानि 2014-15 में ₹ 2.21 करोड़ से 2015-16 में ₹ 0.27 करोड़ पर लाने में मदद मिली जो कि यह दर्शाता है कि प्रैस में होने वाली हानियां मुख्यत: उसकी क्षमता का कम उपयोग करने के फलस्वरूप थीं। इस प्रकार, डी.डी.ई. द्वारा मुद्रण सामग्री निजी फर्म से मुद्रित कराने के परिणामस्वरूप प्रैस का क्षमता से कम उपयोग हुआ तथा बड़े पैमाने पर हानि हुई।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2017) कि विश्वविद्यालय प्रैस ने डी.डी.ई. की पढ़ाई की सामग्री को मुद्रित करने में असमर्थता व्यक्त की थी। तथापि, लेखापरीक्षा को विश्वविद्यालय के रिकार्ड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि प्रैस ने डी.डी.ई. के कार्य को करने से इंकार किया था।

2.1.10.4 आवश्यकता से अधिक पढ़ाई की सामग्री को मुद्रित करना

विश्वविद्यालय के कलेंडर के अनुच्छेद 12.7 (i) में यह शर्त लगाता है कि अत्यधिक स्टॉक रखना तथा इससे संबंधित हानियों को रोका जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि डी.डी.ई. ने आवश्यकता का बिना यथोचित आकलन किए एक निजी फर्म से पुस्तकों का मुद्रण कराया था। फर्म ने अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 के दौरान भिन्न-भिन्न श्रेणियों की ₹ 3.27 करोड़ की 2.85 लाख पुस्तकें विश्वविद्यालय को आपूरित की किंतु सभी श्रेणियों की ₹ 0.64 करोड़ मूल्य की 43,000 पुस्तकें चार वर्ष के वार्षिक सत्र बीत जाने के बाद भी स्टॉक में पड़ी हुई थी (अगस्त 2017)। पर्यावरण की पढ़ाई/शिक्षा के मामले में जुलाई 2013 के दौरान आपूर्तित 18,000 पुस्तकों में से

₹ 0.26 करोड़ की 17,000 पुस्तकें फालतू पड़ी हुई थी (अगस्त 2017)। उपरोक्त के अतिरिक्त, डी.डी.ई. ने विश्वविद्यालय की प्रैस से पुस्तकें मुद्रित कराई थी जिनमें से 2,47,730 पुस्तकें स्टोर में फालतू पड़ी थी (मई 2017)। इन पुस्तकों में से, 2,13,963 पुस्तकें ऐसी थी जो कि एक ही विषय की 1,000 प्रतियां थी। इस प्रकार, डी.डी.ई. ने आवश्यकता का आकलन किए बिना पुस्तकें बड़ी मात्रा में मुद्रित कराई।

2.1.10.5 नौकरीपेशा महिलाओं के हॉस्टल का अनुपयोग

केन्द्र की मदद से चलने वाली योजना ''बच्चों के लिए दिन की देखभाल वाले, नौकरीपेशा महिलाओं हेतु हॉस्टल भवन के निर्माण/वृद्धि के क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं को मदद'' के अधीन एम.डी.यू. ने 60 नौकरीपेशा महिलाओं के लिए ₹ 1.49 करोड़ की लागत से 1,322 वर्गमीटर का एक हॉस्टल बनाया (जून 2007)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि हॉस्टल में रहने वालों की औसत केवल 5.4[22] महिला थी तथा यह 2012-17 के दौरान शून्य और ग्यारह के मध्य रही थी। इस प्रकार, हॉस्टल पिछले पांच वर्षों में प्रयोग नहीं हुआ/मामूली प्रयोग हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

2.1.10.6 विश्वविद्यालय की सुविधाओं तथा गतिविधियों का मूल्यांकन

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं/गतिविधियों के संबंध में छात्रों के मध्य संतोष के स्तर को मॉनीटर करने के लिए एक आवधिक फीडबैक प्रणाली विकसित करनी चाहिए थी। तथापि, छात्रों से फीडबैक लेने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान छात्रों की संतुष्टता के स्तर का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय के स्टॉफ की मदद से एक प्रश्नावली विधि के माध्यम से 183 छात्रों (132 लड़कियों तथा 51 लड़कों) से फीडबैक लिया गया। छात्रों को विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता को खराब औसत, अच्छी तथा उत्कृष्ट के रूप में मान देने के लिए कहा गया था। **तालिका 2.1.11** में छात्रों द्वारा दिए गए मान का विवरण दिया गया है:

तालिका 2.1.11: छात्रों का प्रतिशत, जिन्होंने सुविधाओं को मान दिया, का विवरण

गतिविधियां	छात्रों की संख्या तथा प्रतिशतता जिन्होंने सुविधाओं को मान लिया									
	खराब		औसत		अच्छी		उत्कृष्ट		कोई टिप्पणी नहीं	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
संकाय	29	16	58	32	72	39	24	13	0	0
पाठ्यक्रम	12	7	65	36	78	43	26	14	2	0
पाठ्यक्रम विषय वस्तु	15	8	58	32	85	46	25	14	0	0
प्रशासकीय स्टॉफ का व्यवहार	25	14	54	29	75	41	29	16	0	0
कंप्यूटर सुविधाएं	50	27	46	25	54	30	32	17	1	1
प्रयोगशाला	29	16	68	37	54	30	29	16	3	1
कैंपस का माहौल	16	9	41	22	82	45	44	24	0	0
शिकायत/निवारण प्रणाली/शिकायत प्रणाली	48	26	55	30	59	32	20	11	1	1
संकाय/शिक्षण स्टॉफ के साथ संबंध	15	8	56	30	78	43	34	19	0	0
उद्योगों से संपर्क/नौकरी नियोजन	75	41	55	30	37	20	15	8	1	1
सुरक्षा	20	11	57	31	68	37	37	20	1	1
वाई-फाई/इंटरनेट की गुणवत्ता	18	10	49	27	61	33	54	30	1	0

स्रोत: छात्रों के फीडबैक से संकलित।

[22] 2012-13 में 11, 2013-14 व 2014-15 में शून्य, 2015-16 में 9 तथा 2016-17 में 7

उपरोक्त आंकड़ों का विश्लेषण निम्न प्रकार से प्रकट करता है:

- कुल मिलाकर 52 प्रतिशत छात्र संकाय से संतुष्ट थे जबकि शेष 48 प्रतिशत ने असंतुष्टता प्रकट की थी।
- कुल मिलाकर 57 प्रतिशत छात्र पाठ्यक्रम को पूरा करने के बारे संतुष्ट थे जबकि शेष 43 प्रतिशत संतुष्ट नहीं थे। तथापि, 60 प्रतिशत छात्र पाठ्यक्रम विषय वस्तु से संतुष्ट थे।
- 57 प्रतिशत छात्रों ने प्रशासकीय स्टॉफ का व्यवहार संतोषजनक पाया जबकि 43 प्रतिशत छात्र उससे संतुष्ट नहीं थे।
- प्रयोगशाला सुविधाओं से केवल 46 प्रतिशत छात्र ही संतुष्ट थे जबकि 54 प्रतिशत ने इन्हें अपर्याप्त माना।
- 56 प्रतिशत छात्रों ने शिकायत निवारण प्रणाली को दोषपूर्ण/कमजोर पाया।
- 71 प्रतिशत छात्र नौकरी/कैंपस नियोजन/उद्योग से संबंधों नियोजन कक्ष की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे।
- तथापि, 69 प्रतिशत छात्र कैंपस के समग्र वातावरण से संतुष्ट थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि समग्र निष्पादन/विभिन्न प्रतिमानों पर संतोष के स्तर में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

छेड़खानी की घटनाओं से निपटने/कम करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए छात्राओं से एक प्रश्नावली के माध्यम से प्रतिक्रिया ली गई। छात्राओं द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के अनुसार 46 प्रतिशत को विश्वविद्यालय में छेड़खानी की समस्या का सामना करना पड़ा किंतु उनमें से 12 प्रतिशत ने ही शिकायत दर्ज कराई। यह भी देखने में आया कि 54 प्रतिशत छात्राएं विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न विरोधी कक्ष के होने से अनभिज्ञ थी। 50 प्रतिशत से अधिक छात्राओं ने विश्वविद्यालय कैंपस में सुरक्षा के संबंध में चिंता प्रकट की।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2017) कि शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति बनाई गई थी। आगे, महिला पुलिस स्टेशन, रोहतक के सहयोग से ''महिला सुरक्षा तथा स्वय-रक्षा तकनीकों'' पर कार्यशाला आयोजित की जा रही थी तथा समिति की अध्यक्ष भी नई दाखिल हुई छात्राओं से लिंग संवेदनशीलता, महिला सुरक्षा इत्यादि के संबंध में जागरूकता लाने के लिए संवाद करती हैं।

2.1.11 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग, लागू होने वाले नियमों तथा विनियमों की अनुपालना के बारे में प्रबंधन में यथोचित आश्वासन प्रदान करता है। अपर्याप्त नियंत्रण जैसे कि सिविल निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत न करना, संपदा रजिस्टर न लगाना तथा भौतिक सत्यापन न कराना तथा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है लेखापरीक्षा आपतियों का बिना निपटारे पड़े रहना, जैसे मामले थे।

अनुच्छेद 18.9.1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मंडलीय अधिकारी को अधिशासी अभियंता/मुख्य इंजीनियर को निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अभिलेखों

की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इंजीनियरिंग कक्ष द्वारा निर्माण कार्यों की मासिक/तिमाही भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट तकनीकी सलाहकार/कुलपति को प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। 30 निर्माण कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 10 निर्माण कार्य अपने निर्धारित समय सीमा की बजाय दो से आठ माह की देरी पर हो रहे थे। निर्माण कार्यों की प्रगति को उच्च अधिकारियों द्वारा मॉनीटर नहीं किया जा रहा था। प्रधान सचिव ने कार्यकारी इंजीनियर को आदेश दिया कि वह पी.डब्ल्यू.डी. की कार्य विधि का अनुपालन करे तथा मासिक जानकारी का वैब-साईट पर अपलोड करे।

यद्यपि 2014-15 के वार्षिक लेखाओं के अनुसार ₹ 527.67 करोड़ की स्थिर परिसंपत्तियां थी, चल/अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों के (खरीद/निर्माण, अवस्थिति, वृद्धि, निपटान, ह्रास इत्यादि) विस्तृत अभिलेखों वाला स्थिर परिसंपत्तियों का रजिस्टर नहीं बनाया गया। आगे, नियमानुसार[23] प्रत्येक वर्ष संपदा अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के सभी विभागों/कार्यालयों की भंडारित वस्तुओं का भौतिक सत्यापन कराया जाना जरूरी था। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2012-17 के दौरान परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों का प्रमाणीकरण/आस्तित्व का सत्यापन नहीं हो सका।

बिना निपटारे के पड़े स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/मांग-पत्रों/अवलोकनों को **तालिका 2.1.12** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.12: स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग की लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण

वर्ष	आरंभिक शेष		नए जोड़े गए		निपटारित		बकाया	
	लेखापरीक्षा पैरा	मांग पत्र	लेखापरीक्षा पैरा	मांग पत्र	लेखापरीक्षा पैरा	मांग पत्र	लेखापरीक्षा पैरा	मांग पत्र
2012-13	88	782	15	14	32	86	71	710
2013-14	71	714	15	12	9	97	77	629
2014-15	77	629	10	16	3	51	84	594
2015-16	84	594	17	18	2	25	99	587
2016-17	89	587	-	22	1	26	88	583

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आंकड़े।

यह देखा गया है कि बड़े पैमाने पर लेखापरीक्षा पैरे तथा मांग पत्र बिना निपटारे के पड़े हुए थे। बकाया पैरों में शामिल थे गबन/धन तथा स्टोर के दुर्विनियोजन के मामले, स्टोर/स्टॉक में हुई कमियां, न हुई/कम हुई वसूलियां, राजस्व की हानि, अधिक/अनियमित/परिहार्य भुगतान इत्यादि। इनमें से 20 लेखापरीक्षा पैरे/अपेक्षाएं 1978-79 से बिना निपटारे के पड़ी थी। लेखापरीक्षा अवलोकनों का अननुपालन, लेखापरीक्षा करने तथा प्रणालियों में सुधार लाने के प्रमुख उद्देश्यों को विफल कर देता है।

2.1.12 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय की आंतरिक प्राप्तियां कम होती जा रही थी तथा राजस्व व्यय बढ़ता जा रहा था। अपारदर्शी ढंग से कंप्यूटरीकरण के कार्य के आबंटन, सेवाकर का परिहार्य भुगतान तथा लंबे समय से असमायोजित अस्थाई अग्रिमों वाले मुद्दों से विश्वविद्यालय में कमजोर वित्तीय प्रबंधन प्रकट हुआ। विनिर्दिष्ट मानकों को लागू किए बिना कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने से

[23] विश्वविद्यालय लेखा संहिता कैलेंडर (खण्ड-IV) का नियम 28.11

गुणात्मक शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। शिक्षकों के कार्यभार में असंतुलन मानवशक्ति के खराब उपयोग को इंगित करता है। पास होने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही थी। आई.एच.टी.एम तथा यू.आई.ई.टी. से छात्रों का नियोजन भी कम ही हो रहा था। पाठ्यक्रमों में बड़े पैमाने पर खाली सीटें पड़ी थी जिससे बनाई गई क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विशेषकर चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान तथा प्रिंटिंग प्रैस में कम उपयोग हो रहा था। परिसंपत्ति रजिस्टर का अननुरक्षण, भौतिक सत्यापन न करना, सिविल निर्माण कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टें न जमा कराना तथा स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा पैरों के लंबे समय तक बिना निपटारे के रहने से आंतरिक नियंत्रण की कमजोरी प्रकट हुई।

2.1.13 अनुशंसाएं

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- कम होती जा रही आंतरिक प्राप्तियों, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में नामांकन में हो रही कमी, विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का रिक्त रहना इत्यादि के मुद्दों के निवारण के लिए अधिक केंद्रित आयोजना होनी चाहिए।
- वित्तीय प्रबंधन को, विशेषकर अधिशेष धन, संपत्ति को निवेशित करने, अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन इत्यादि के संदर्भ में सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- अधिक मूल्य वाले ठेकों को सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए पारदर्शी ढंग से दिया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय की गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण के चल रहे कार्य सहित निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे होने चाहिए।
- कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- विभिन्न शिक्षण विभागों के पद तर्कसंगत होने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षकों के पास पर्याप्त कार्यभार है एक तंत्र होना चाहिए।
- चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान तथा नौकरीपेशा महिला हॉस्टल सहित पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे के उपयोग में सुधार होना चाहिए; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों तथा स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग की अभ्युक्तियों की अनुपालना लागू की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा परिणामों को सरकार को अगस्त 2017 में संदर्भित किया गया तथा बाद में नवंबर 2017 में अनुस्मारक जारी किया गया था, परन्तु उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित था।

जेल विभाग

2.2 हरियाणा में जेलों का प्रबंधन

जेलों का प्रबंधन एवं प्रशासन, कारागार अधिनियम, 1894, कारागार अधिनियम, 1900 और हरियाणा में यथा लागू पंजाब जेल मैनुअल (पी.जे.एम.), 1894 द्वारा शासित है। जेलों को प्रस्थापित करने का मुख्य प्रयोजन अपराधियों को कैद में रखना तथा जेलों से उनकी रिहाई पर समाज में उनके पुनर्वास तथा पुन: एकीकरण के लिए सामाजिक सुधार कार्यक्रम का दायित्व करना है। हरियाणा में जेलों के प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा से आयोजना, वित्तीय प्रबंध, रक्षा, सुरक्षा, कैदियों को सुविधाएं और विशेषाधिकार और पुनर्वास प्रदान करने में कमियां प्रकट हुई जिन्होंने विभाग के उद्देश्यों को दुर्बल बना दिया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

विशिष्टताएं

ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई। भारत सरकार के आधुनिक कारागार मैनुअल के आधार पर नया जेल मैनुअल तैयार नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.6.1)

हरियाणा राज्य पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.एस.पी.एच.सी.एल) के पास ₹ 97.77 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के विरूद्ध केवल ₹ 68.69 करोड़ (70.25 प्रतिशत) व्यय किए गए।

(अनुच्छेद 2.2.7.2)

अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद और सुरक्षा उपकरणों की कमी थी तथा जेल के साथ ऊंची इमारतें एवं सामान्य सड़कें विद्यमान थी जिससे जेलों की सुरक्षा को खतरा था।

(अनुच्छेद 2.2.8.1, 2.2.8.2 और 2.2.8.6)

जेलों की क्षमता अनुप्रयोग असंतुलित था चूंकि तीन अत्यधिक भरी हुई जेलों के कैदी दूसरी जेलों में स्थानांतरित नहीं किए गए जहां जगह उपलब्ध थी। इसके अलावा, जिला जेल फरीदाबाद में दो महिला हॉस्टल और एक स्कूल भवन गत सात वर्षों से अप्रयुक्त पड़े थे।

(अनुच्छेद 2.2.9.1 (i), (ii))

जिला जेल, नारनौल में टयूबरक्लासिस (टी.बी) से ग्रस्त कैदियों को दूसरे कैदियों के साथ रखा गया था जो स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहा था।

(अनुच्छेद 2.2.9.1 (iv))

जेल अस्पतालों में अपर्याप्त बैड, चिकित्सा बुनियादी ढांचे का अभाव, महिला कैदियों के लिए महिला डाक्टरों की अनुपलब्धता और मनोरोग परामर्शदाताओं की तैनाती नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.2.9.2)

जेल कारखानों की कार्यविधि संतोषजनक नहीं थी क्योंकि राज्य में 19 जेलों में से केवल 9 में कारखाने कार्यचालित थे।

(अनुच्छेद 2.2.9.5)

खुली जेल की धारणा और रिहाई के बाद इन कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान देना अपेक्षित था।

(अनुच्छेद 2.2.10.3 और 2.2.10.4)

जेलों में सुधारात्मक कार्य संबंधी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड और कैदियों के लिए रिहाई के बाद देखभाल गृह के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए कार्य प्रोग्राम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड गठित नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.12)

2.2.1 प्रस्तावना

जेलों का प्रबंधन एवं प्रशासन पूर्ण रूप से राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है और बंदी अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और पंजाब जेल मैनुअल (पी.जे.एम.), 1894 द्वारा शासित है। जेल प्रस्थापित करने का मुख्य प्रयोजन विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपराध करने वाले अपराधियों को बंदी बनाना, और उनकी जेलों से रिहाई पर उनके पुनर्वास और समाज में पुन: सम्मिलन होने के लिए उन्हें सुधारने के उद्देश्य से समाज सुधार कार्यक्रमों का बीड़ा उठाना भी है। जेलों के समुचित कार्यचालन के लिए जेल से बाहर बंदियों को कोर्ट पेशी (उपस्थिति), चिकित्सा उपचार तथा पैरोल और छुट्टी स्वीकृत करवाने के लिए पुलिस गार्डस उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा जारी आदर्श जेल नियमावली (एम.पी.एम.), 2003, में जेल प्रशासन और बंदियों के सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन निहित है परंतु इसे राज्य सरकार द्वारा अपनाया नहीं गया है (अक्तूबर 2017)। चूंकि सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं जैसे कुछ मुख्य मुद्दों पर पी.जे.एम. में समुचित मानदंड/मानक निर्धारित नहीं किए गए थे, एम.पी.एम. के प्रावधानों को निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मापदंड के रूप में लिया गया है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) हरियाणा सरकार, गृह विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है। महानिदेशक (डी.जी.पी.) कारागार विभाग का प्रमुख है जिसकी सहायता के लिए अपर महानिदेशक (ए.डी.जी.पी.), कारागार, महानिरीक्षण (आई.जी.पी.) कारागार, तथा अपर महानिरीक्षक कारागार) होते हैं। जिला स्तर पर तीन[24] केंद्रीय कारागार (सी.जे.एस.) और 16 जिला कारागार (डी.जे.) हैं और करनाल में एक जेल प्रशिक्षण स्कूल (जे.टी.एस.) हैं। सी.जेज, डी.जेज और जे.टी.एस. का प्रबंध जेल अधीक्षकों (जे.एस.) द्वारा किया जाता है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चत करना था कि:

- आयोजना प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल था;

[24] (i) अंबाला, (ii) हिसार-I तथा (iii) हिसार-II.

- रक्षा तथा सुरक्षा प्रबंध कुशल एवं प्रभावी थे;
- अधिनियमों, नियमों और मैनुअल में यथा विचारित सुविधाएं, प्राधिकार और बुनियादी ढांचे प्रदान किए गए थे तथा सुधारक एवं पुनर्वासीय गतिविधियों नियमों एवं अधिनियमों के अनुकूल थे; तथा
- मानव संसाधन प्रबंध, आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग यंत्रावली पर्याप्त थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

बिना आकार के आनुपातिक प्रतिस्थान की पद्धति (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के आधार पर चयनित आठ[25] (19 केंद्रीय एवं राज्य में जिला जेलों में से) जेलों, जेलों के महानिदेशक (डी.जी.पी.) और जेल प्रशिक्षण स्कूल, करनाल की 2012-17 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना-जांच जनवरी 2016 और मार्च 2017 के मध्य की गई। डी.जी.पी. के साथ मार्च 2017 में एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र और लेखापरीक्षा उद्देश्य पर चर्चा की गई। गृह सचिव और डी.जी.पी. के साथ जुलाई 2017 में एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई और कांफ्रेंस के विचार-विमर्शों को रिपोर्ट में समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए:

- कारागार अधिनियम, 1894 और बंदी अधिनियम, 1900;
- पंजाब जेल मैनुअल (पी.जे.एम), 1894 यथा हरियाणा को लागू और समय-समय पर संशोधित;
- हरियाणा जेल सुधार समिति की सिफारिशें (सितंबर 2010)।

2.2.6 आयोजना

2.2.6.1 परिप्रेक्ष्य योजना और नए जेल मैनुअल का प्रतिपादन न होना

एक संगठन के प्रभावी प्रबंध में आयोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान देने योग्य क्षेत्रों जैसे विस्तार के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्य, मूलभूत संरचना को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता और वित्त तथा मानवशक्ति दोनों रूप में संसाधनों में कमी का सर्वेक्षण और पहचान को ध्यान में रखते हुए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जानी चाहिए। परिप्रेक्ष्य योजना की विस्तृत गतिविधि की रूपरेखा तैयार करने तथा लागू अधिनियमों, मैनुअलों और नियमों में प्रावधान किए गए नियंत्रणों और जांचों को सक्षम बनाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने 2012-17 के दौरान कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की, न ही ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए मॉडल जेल मैनुअल (एम.पी.एम.) 2003 प्रेषित किया (दिसंबर 2003)। एम.पी.एम. में कानून और प्रक्रिया में मूल एकरूपता की धारणा को कमजोर किए बिना इसकी तरह राज्य जेल मैनुअल के प्रतिपादन के लिए प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एम.पी.एम. अक्तूबर 2017 तक नहीं

[25] (i) करनाल, (ii) गुरूग्राम, (ii) नारनौल, (iv) सिरसा, (v) रोहतक, (vi) अंबाला (सी.जे.), (vii) हिसार-I (सी.जे.) तथा (viii) हिसार-II (सी.जे.)।

अपनाया गया। एम.पी.एम. की प्राप्ति के चार वर्ष पश्चात मार्च 2008 में एम.पी.एम. के आधार पर हरियाणा जेल मैनुअल तैयार करने के लिए डी.जी.पी. की अध्यक्षता में पांच सदस्यों वाली समिति गठित की गई। समिति ने आवश्यक कार्रवाई के लिए जेल विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (मार्च 2010)। तत्पश्चात् सरकार ने आगामी टिप्पणी के लिए फरवरी 2011 में कानून सचिव-सह-लीगल रिमेंबरेंसर की अध्यक्षता में और समिति गठित कर दी। यद्यपि भारत सरकार ने भी 2016 में एम.पी.एम. को संशोधित कर दिया है, समिति द्वारा अभी हरियाणा जेल मैनुअल को अंतिम रूप दिया जाना शेष है। इसी बीच, नए मॉडल जेल मैनुअल 2016 के कार्यान्वयन/अपनाने से पहले इसकी जांच के लिए आई.जी.पी. की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समितियों ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की (जुलाई 2017)। विभाग की गतिविधियां पंजाब जेल मैनुअल द्वारा शासित की जा रही थी जो समय बीतने के साथ पुरानी हो गई हैं।

परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न होने और एम.पी.एम. के न अपनाए जाने, या नए जेल मैनुअल के प्रतिपादन के कारण मुख्य क्षेत्रों जैसे सुरक्षा, सुविधाओं और प्राधिकारों के प्रावधान, कैदियों का पुनर्वास जैसे अनुच्छेदों 2.2.8.2, 2.2.8.6, 2.2.9.2 (i) (ii) (iii), 2.2.10.3 और 2.2.10.4 में चर्चित हैं, में कमजोरी रह गई।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि नया जेल मैनुअल लगभग तैयार है और इसे अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा जाएगा। यह भी बताया गया कि परिप्रेक्ष्य योजना भी भविष्य में तैयार की जाएगी। तथापि, नया जेल मैनुअल अनुमोदन के लिए सरकार को नहीं भेजा गया (अगस्त 2017)।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 बजट प्रावधान और व्यय

2012-17 के दौरान बजट प्रावधान तथा उनके विरूद्ध किया गया व्यय नीचे तालिका में वर्णित है:

तालिका 2.2.1: बजट आबंटन तथा व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजनागत				योजनेत्तर			
	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय	आधिक्य (+)/ बचतें (-)	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय	आधिक (+)/ बचतें (-)
2012-13	43.94	28.64	28.63	(-) 0.01	95.43	98.03	97.37	(-) 0.66
2013-14	45.80	14.21	15.05	(+) 0.84	101.30	129.71	127.72	(-) 1.99
2014-15	25.00	24.18	24.39	(+) 0.21	148.06	160.68	160.92	(+) 0.24
2015-16	55.00	54.62	51.05	(-) 3.57	182.05	189.05	179.39	(-) 9.66
2016-17	75.00	59.56	60.32	(+) 0.76	218.87	226.22	199.77	(-) 26.45
कुल	**244.74**	**181.21**	**179.44**	**(-) 1.77**	**745.71**	**803.69**	**765.17**	**(-)38.52**

स्रोत: विनियोजन लेखा

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि 2012-17 के दौरान योजनागत और योजनेत्तर के अंतर्गत ₹ 40.29[26] करोड़ की कुल बचतें थी। वर्ष 2016-17 में, बचतें योजनेत्तर के अंतर्गत ₹ 26.45 करोड़ (11.69 प्रतिशत) थी।

[26] योजनागत: ₹ 1.77 करोड़ तथा योजनेत्तर: ₹ 38.52 करोड़।

2.2.7.2 एच.एस.पी.एच.सी.एल. के साथ निधियों का संग्रह

योजनागत के अंतर्गत निधियां मुख्यत: आवासीय और कार्यालय भवन के निर्माण कार्यों के लिए हैं और लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) भवन एवं सड़कें (बी. एंड आर.) के द्वारा आहरित और व्यय की जाती है। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) कुछ निर्माण कार्यों को अपने स्तर पर निष्पादित करता है और कुछ निर्माण कार्य हरियाणा राज्य पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (एच.एस.पी.एच.सी.एल.) के द्वारा डिपोजिट वर्क्स के रूप में निष्पादित करवाता है। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) ने 2012-17 के दौरान विभिन्न जेल निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए एच.एस.पी.एच.सी.एल. के नियंत्रण पर ₹ 79.29 करोड़ दिए। ₹ 18.48 करोड़ के पिछले शेष ब्याज सहित कुल ₹ 97.77 करोड़ पूंजीगत निर्माण कार्यों के निष्पादन कार्यों के लिए एच.एस.पी.एच.सी.एल. के पास उपलब्ध थे। तथापि, एच.एस.पी.एच.सी.एल. ने केवल ₹ 68.69 करोड़ प्रयोग किए और ₹ 29.08 करोड़ 31 मार्च 2017 तक अव्ययित पड़े रहे। वित्त विभाग द्वारा जारी (मार्च 2011) अनुदेशों के अनुसार, एच.एस.एच.पी.सी.एल. द्वारा अप्रयुक्त निधियों पर अर्द्ध-वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष छ: प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित था और विभाग इसे वसूल करने और विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के लिए उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2012-17 की अवधि के लिए विभाग ने न तो अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 5.57 करोड़ राशि के ब्याज का भुगतान किया और न ही विभाग ने इसे सरकारी खाते में जमा करने के लिए मांग की।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि विभाग एच.एस.पी.एच./सी.एल. द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन की निगरानी नहीं कर रहा था क्योंकि चालू/पूर्ण निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय रिपोर्टें, परियोजना-वार बचत/आधिक्य विभाग के पास उपलब्ध भी नहीं थे। परिणामत: अपेक्षित सुधारक कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए विभाग को प्रत्येक कार्य की स्थिति का ज्ञान नहीं था। एजिग्ट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि एच.एस.एच.पी.सी.एल. से कार्यवार विवरण प्राप्त किया जाएगा और लेखाओं का मिलान किया जाएगा।

2.2.7.3 जेल कारखानों द्वारा जॉब वर्क/बिक्रियों के एवज में बकाया वसूलियां

नमूना-जांच की गई आठ में से तीन जेलों में, जेल में उत्पादित फर्नीचर, निवार, चमड़ा, मौजों जैसी मदों की बिक्री पर ₹ 1.12 करोड़[27] की राशि सरकारी विभागों/संस्थाओं के विरूद्ध सितंबर 1986 से मार्च 2016 तक बकाया थी। संबंधित जेलों के जेल अधीक्षकों ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि बकाया राशियों को वसूलने/समायोजित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि बकाया राशि का विश्लेषण किया जाएगा और समायोजन या वसूलियों द्वारा निपटान किया जाएगा।

2.2.7.4 खाली दुकानों को पट्टे पर न दिया जाना

जिला सिरसा और रोहतक में 2008-09 और 2012-13 में क्रमश: आठ और सात दुकानों का निर्माण किया गया। रोहतक में एक दुकान जो अक्तूबर 2016 में किराए पर दी गई थी, के अलावा यह दुकानें उनके निर्माण समय से खाली पड़ी थी। खाली दुकानों के पट्टे पर न दिए जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई। आगे, विभाग ने दुकानों की बिल्डिंग्ज के

[27] (i) अंबाला: ₹ 0.99 करोड़ (जून 2008 से जून 2013), (ii) हिसार-I ₹ 0.12 करोड़ (मई 2010 से मई 2012) तथा (iii) करनाल: ₹ 0.01 करोड़ (सितंबर 1986 से मार्च 2016)।

वैकल्पिक प्रयोग के लिए कोई संभावनाएं नहीं ढूंढी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान डी.जी.पी. ने स्वीकार किया कि दुकानों का निर्माण आवश्यकता से परे था और भविष्य की योजनाओं में शामिल नहीं किए जाएगा।

2.2.8 रक्षा एवं सुरक्षा प्रबंध

रक्षा और सुरक्षा प्रबंध अधिनियमों, नियमों और जेलों की आवश्यकता के अनुरूप बनाए जाते हैं। चयनित आठ जेलों के सुरक्षा प्रबंध के मूल्यांकन से सुरक्षा और निगरानी या जेलों और कैदियों से संबंधित प्रक्रियाओं से व्यतिक्रम दर्शाया, जैसा नीचे चर्चित है।

2.2.8.1 जेलों में अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद की कमी

पी.जे.एम. के पैरा 327 में प्रावधान है कि प्रत्येक जेलर को अग्निशस्त्र और छर्रा गोला-बारूद की मिलिट्री ब्रीच प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, मैनुअल के पैरा 369 के अनुसार, 40 राउंड बाल, 50 राउंड ब्लैंक और छर्रा के 30 राउंड सभी कर्मचारियों को आबंटित करने अपेक्षित थे। उप अधीक्षकों, वरिष्ठ सहायक अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों को जेलरों के लिए गोला-बारूद अनुमत स्तर पर उपलब्ध करवाए जाने थे। नमूना-जांच की गई आठ जेलों में 30 अप्रैल 2017 को पिस्तौलों/रिवाल्वरों और रायफलों/बंदूकों और गोला-बारूद की कमी थी जैसा नीचे **तालिका 2.2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2.2 अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद की कमी के विवरण

अस्त्र-शस्त्र			
अस्त्रों की किस्म	**मैनुअल अनुसार आवश्यकता**	**उपलब्ध**	**कमी (प्रतिशतता)**
पिस्तौल/रिवाल्वर	72	21	51 (71)
रायफल/बंदूक	1,368	841	527 (38)
गोला बारूद			
(410 मास्कट रायफल कुल सं. 307)	**मैनुअल अनुसार आवश्यकता**	**उपलब्ध**	**कमी (प्रतिशतता)**
राऊंड बोल	12,540	5,382	7,158 (57)
राऊंड ब्लैंक	15,050	7,425	7,625 (51)
राऊंड बर्कशॉट	10,450	9,417	1,033(10)

स्रोत: नमूना-जांच की गई जेलों के अभिलेखों से संकलित।

अत:, जेलों में अस्त्र-शस्त्र एवं गोला बारूद की कमी थी जिसका जेलों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव निश्चित है।

डी.जी.पी. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि अस्त्र-शस्त्र एवं गोला बारूद के मानक उच्चतर थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजाब जेल मैनुअल के अनुसार मानदंडों का अनुसरण आवश्यक था जब तक इन मैनुअलों पर पुनर्विचार एवं संशोधन हो।

2.2.8.2 अ-कार्यचालित/आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का अभाव

प्रत्येक जेल आधुनिक उपकरणों जैसे जैमर्ज, सी.सी.टी.वी. कैमरा, डोर फ्रेंम मेटल डिटैक्टर (डी.एफ.एम.डी.), हैंड हैल्ड मेटल डिटैक्टर (एम.एच.एम.डी.), नाईट विजन दूरबीन, सर्च लाईट, आंसू गैस उपकरण, फिंगर प्रिंट मशीन, अलार्म एवं सायरन, एक्स-रे स्क्रीनिंग, सेंसर, वॉकी-टाकी, बॉडी स्कैनर इत्यादि से सज्जित होनी चाहिए।

नमूना-जांच की गई जेलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मोबाइल फोन जैमरज, डी.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी. और सर्च लाइट्स जैसे 220 विद्यमान सुरक्षा उपकरणों में से, 151 (69 प्रतिशत) कार्यचालित नहीं थे ***(परिशिष्ट 2.3)*** और जेलें आधुनिक सुरक्षा उपकरणों

जैसे बॉडी स्कैनर, नाइट विजन दूरबीन एवं सेंसर से सज्जित नहीं थी (सितंबर 2017)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पी.जे.एम. में इन आधुनिक उपकरणों का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि मैनुअल बहुत पुराना था। तथापि, इन आधुनिक उपकरणों के लिए एम.पी.एम. (पैरा 23.17 से 23.22) में पर्याप्त प्रावधान रख लिया गया है। परंतु एम.पी.एम. में अपनाए न जाने/पी.जे.एम. में संशोधित न किए जाने के कारण जेलों में सुरक्षा प्रबंधों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया था।

डी.जी.पी. ने भी सभी जेल अधीक्षकों को सुरक्षा स्टॉफ के मध्य बेहतर संबद्धता स्थापित करने हेतु संवेदनशील बिंदुओं और वाचटावरों पर इंटरकाम प्रस्थापित करने के निदेश दिए (दिसंबर 2015) परंतु इन्हें खरीदा नहीं गया (सितंबर 2017)। इनके अभाव में, प्रारंभ से ही कैदियों के भागने और उनके पास निषिद्ध वस्तुएं होने के मामले थे जो पता नहीं चल पाए जैसा नीचे चर्चित है:

- **कैदियों का भागना:** डी.जी.पी. द्वारा जनवरी 2012 से दिसंबर 2016 की अवधि के लिए प्रस्तुत सूचना (सितंबर 2017) ने दर्शाया कि 10 कैदी जेलों से भागने में सफल रहे। हालांकि, सभी भागे हुए कैदी बाद में गिरफ्तार कर लिए गए।
- **निषिद्ध वस्तुओं की वसूली:** नमूना-जांच की गई जेलों में रखे गए तलाशी एवं जब्ती रजिस्टरों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2012-16 के दौरान जेल अधीक्षक/जिला प्रशासक द्वारा की गई 8,412 आकस्मिक निरीक्षण/जेलों/कैदियों की छानबीन की गई, जिसमें 1,425 निषिद्ध वस्तुओं ***(परिशिष्ट 2.4)*** अर्थात् मोबाइल फोन, चार्जरज, बैटरीज, मोबाइल सिम, ब्लेड और मादक पदार्थ जैसे कि अफीम, स्मैक, सुलफा, शराब और नशे की गोलियां आदि 2012 से 2016 के दौरान कैदियों से बरामद किए गए।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि निषिद्ध वस्तुएं रोकने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरण की खरीद का कार्य प्रक्रियाधीन है। खरीद अभी तक नहीं की गई (अगस्त 2017)।

2.2.8.3 वॉकी-टॉकी सैटों का कार्यचालन न होना

सुरक्षा स्टॉफ के मध्य बेहतर संबद्धता स्थापित करने हेतु डी.जी.पी. कार्यालय ने राज्य में सभी जेलों के लिए दिसंबर 2011 में ₹ 33.20 लाख की लागत पर 200 वॉकी टॉकी सेटों की खरीद की। यह देखा गया कि नमूना-जांच की गई आठ में से सात जेलों में, 89 सहायक उपकरण सहित वॉकी टॉकी सेट डी.जी.पी. कार्यालय से जनवरी 2012 में प्राप्त किए गए। इनमें से 77[28] वॉकी टॉकी सेट अ-कार्यचालित हो गए थे। इनमें से पांच जेलों में 43[29] सेट तीन वर्षों की वारंटी अवधि के भीतर थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जेल अधीक्षकों द्वारा मरम्मत/बदली के मामले अगस्त 2012 और नवंबर 2015 के भीतर भेजे थे परंतु सेट की मरम्मत/बदली के लिए की गई कार्रवाई रिकार्ड में नहीं थी।

इस प्रकार वॉकी टॉकी सेटों के अ-कार्यचालन से जेल परिसर के भीतर सुरक्षा स्टॉफ के मध्य आंतरिक संपर्क प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, इन 77 सेटों की खरीद पर किया गया ₹ 12.78 लाख का व्यय निष्फल हो गया। विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि वॉकी टॉकी की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

---

[28] (i) केन्द्रीय कारागार अंबाला: 12; (ii) गुरूग्राम: 15; (iii) हिसार-I: 15; (iv) हिसार-II: 08; (v) नारनौल: 10; (vi) रोहतक: 08 तथा (vii) सिरसा: 09.

[29] (i) केन्द्रीय कारागार अंबाला: 12; (ii) गुरूग्राम: 08; (iii) हिसार-II: 08; (iv) नारनौल: 08; तथा (v) रोहतक: 07.

2.2.8.4 जेलों के भीतर सी.सी.टी.वी. कैमरों का स्थापन

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों के प्रधान सचिव, (गृह एवं जेल) और सभी राज्यों/यूटीज के डी.जी. (जेल) को एक वर्ष की अवधि के भीतर परंतु दो वर्षों से अधिक देरी से नहीं, सभी जेलों के अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए (दिसंबर 2015)। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नमूना-जांच की गई किसी भी जेल में सी.सी.टी.वी. कैमरे अभी तक स्थापित नहीं किए गए थे (अप्रैल 2017)। विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि सी.सी.टी.वी. कैमरों की खरीद प्रक्रियाधीन है। तथापि, अभी तक खरीद नहीं की गई थी (अगस्त 2017)।

2.2.8.5 वीडियो कांफ्रैसिंग प्रणाली का कम प्रयोग

कैदियों को न्यायालय (पेशीज) के समक्ष वीडियो कांफ्रैसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने और पुलिस अनुरक्षण का प्रबंध करने, पारगमन के दौरान कैदियों के भाग जाने, जेलों में निषिद्ध पदार्थों की तस्करी को कम करने और साथ ही मामलों के शीघ्र निपटान के विचार से, विभाग ने 2007 में ₹ 3.28 करोड़ की लागत पर राज्य में सभी जेलों में वीडियो कांफ्रैसिंग सिस्टम (वी.सी.एस.) प्रस्थापित/चालू किए।

नमूना-जांच की गई आठ जेलों में, 2012 से 2016 (कलैंडर वर्षों) के दौरान, 10,00,452 पेशियों के विरूद्ध कोर्ट द्वारा केवल 69,894 (7 प्रतिशत) पेशियां वी.सी.एस. के माध्यम से करने की अनुमति दी गई। जिनमें से, 59,086 पेशियां वी.सी.एस. द्वारा की गई और शेष 10,808 पेशियों में वी.सी.एस. की सेवा की खराब गुणवत्ता, दोषपूर्ण राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क संबद्धता, अपर्याप्त तकनीकी मानवशक्ति, आई.टी. मूलभूत संरचना, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण वी.सी.एस. के माध्यम से प्रस्तुत नहीं की जा सकी। वी.सी.एस. के कम प्रयोग ने इस उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया जिसके लिए इनका प्रापण किया गया था। इसके अलावा, 2012 से 2016 के दौरान पेशियों के लिए कोर्ट से लाने/ले जाने के समय 15 कैदी भाग गए।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि कोर्ट के साथ-साथ जेलों में वी.सीज की अपर्याप्त संख्या प्रणाली के कम प्रयोग का मुख्य कारण था। परंतु विभाग ने उपलब्ध वी.सी.एस., जो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे थे, के बारे कोई उत्तर नहीं दिया। अत: इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त वी.सीज प्रतिस्थापित करने तथा विद्यमान वी.सीज का कार्यचालन सुधारने की आवश्यकता है।

2.2.8.6 जेल की परिसीमा के पास निर्मित ऊंची इमारतें/सार्वजनिक सड़कें

जेल की बाऊंड्री दीवार के पास इमारतों/सड़कों का निर्माण सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकता है। पी.जे.एम. जेल की मुख्य दीवार से इमारत के निर्माण के लिए कोई निम्नतम दूरी निर्धारित नहीं करता। तथापि, एम.पी.एम. का पैरा 2.05 (iv) केंद्रीय जेल और जिला जेल की जेल दीवार से क्रमश: 150 और 100 मीटर के भीतर इमारतों के निर्माण को निषिद्ध करता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जेलों के पास इमारतों/सड़कों के कारण जेलों में सुरक्षा को खतरा था जैसा नीचे चर्चित है:

- पांच[30] जेलों में ऊंची इमारतें (दो और तीन मंजिल) जेलों की मुख्य दीवार से केवल 10 और 60 मीटर की दूरी पर निर्मित थी।

---

[30] (i) केन्द्रीय जेल-I, (ii) केन्द्रीय जेल-II हिसार, (iii) करनाल, (iv) नारनौल तथा (v) सिरसा।

- जिला जेल कुरूक्षेत्र में, जिला जेल की परिसीमा की पश्चिम किनारे के साथ एक निजी व्यक्ति द्वारा शहर एवं ग्राम आयोजना विभाग से बिना कोई अनुमति लिए एक मैरिज पैलेस का निर्माण किया गया था जोकि एम.पी.एम. के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन था। मैरिज पैलेस की इमारत की ऊंचाई जेल की परिसीमा एवं मुख्य दीवारों से अधिक थी और मैरिज पैलेस की छत से जेल के दृश्य दृष्टिगोचर थे।
- केंद्रीय जेल, अंबाला में केंद्रीय जेल की मुख्य दीवार के साथ एक रास्ता बनाया गया था और इसे सामान्य जनता के लिए एक आम रास्ते के तौर पर अनुमति थी। कैदियों के ब्लाक (2, 3, 4, 5 और 6) इस रास्ते के पास मौजूद थे।

उपर्युक्त उल्लंघन जेल की सुरक्षा को खतरा थे। जेलों के अधीक्षकों की रिपोर्टों से यह अवलोकित किया गया कि निषिद्ध वस्तुएं बाहरी लोगों द्वारा जेल परिसर के भीतर फेंकी जा रही थी।

जिला जेल अधीक्षक, नारनौल ने बताया (अप्रैल 2017) कि आसपास की बिल्डिंग्ज नई जेल के निर्माण के बाद निर्मित की गई थी। केंद्रीय जेल-I हिसार और सिरसा के अधीक्षकों ने बताया (अप्रैल 2017) कि जेल की बाहरी दीवार के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। केंद्रीय जेल, अंबाला के साथ सामान्य रास्ते के बारे, डी.जी.पी. ने बताया (मई 2017) कि सामान्य रास्ता बहुत पुराना था तथा विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। तथापि, भूमि के स्वामित्व बारे राजस्व रिकार्डज से सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार, मामले में जेल की सुरक्षा के नजरिए से जांच की आवश्यकता है। कुरूक्षेत्र में मैरिज पैलेस के निर्माण बारे, डी.जी.पी. ने बताया (अप्रैल 2017) कि मैरिज पैलेस के स्वामी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि यह जिला जेल के निर्माण से पूर्व विद्यमान था। जिला शहर आयोजन कुरूक्षेत्र ने, तथापि, उत्तर दिया (अप्रैल 2017) कि उसके कार्यालय द्वारा मैरिज पैलेस की कोई इमारत/ले-आउट योजना अनुमोदित नहीं की गई। चूंकि मैरिज पैलेस का निर्माण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नहीं किया गया था, मामले में जांच की जाने की आवश्यकता है।

2.2.8.7 जेल के अपूर्ण बुर्ज

राज्य सरकार ने फैक्टरी कार्यशाला, महिला जेल वार्ड, किशोर बैरेक, अस्पताल, बहुउद्देशीय हाल और सात बुर्जों के निर्माण के लिए ₹ 1.65 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2005)। जिला जेल कुरूक्षेत्र में यह निर्माण कार्य, दो बुर्जों को छोड़कर, सितंबर 2009 में ₹ 2.58 करोड़ का व्यय करके पूर्ण किए गए थे। ठेकेदार इन दो बुर्जों के निर्माण कार्य को भूतल तक निष्पादित करके छोड़ गया (अप्रैल 2017) तथा ये बुर्ज अपूर्ण रह गए जो जेल में कैदियों की सुरक्षा के लिए खतरा था।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि एच.एस.पी.एच.सी.एल. को बुर्जों के छोड़े गए कार्य को पूरा करने के लिए कहा जाएगा।

2.2.8.8 जेलों के कम्प्यूटराईजेशन में देरी

मुख्यालय के साथ जेलों के संपर्क हेतु जेल विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) की एक परियोजना ₹ 5.28 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गई (अक्तूबर 2009)। परियोजना मार्च 2012 तक पूर्ण की जानी थी जिसका कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रथम चरण के लिए ₹ 3.85 करोड़ की अनुमोदित लागत के विरूद्ध, 2012-16 के दौरान ₹ 1.08 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर, सहायक उपकरण और फिंगर प्रिंट उपस्थिति रिकार्डिंग सिस्टम खरीदी गई। तथापि, जेलों का कम्प्यूटराईजेशन अकार्यान्वित रहा क्योंकि कम्प्यूटर, राज्य विस्तार क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से आपस में नहीं जोड़े गए। परिणामत: जेलें मुख्यालय से जोड़ी नहीं जा सकी और आई.टी. योजना के वांछित उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए जा सके (मार्च 2017)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि हरियाणा में सभी जेलें एक दूसरे से और साथ ही साथ डी.जी.पी. कार्यालय से अनुबंध करके एक साफ्टवेयर विक्रेता के साथ अनुबंध करके जोड़ी जा चुकी हैं। इस सेवा के लिए विक्रेता को भुगतान कैदी कल्याण निधि में से मासिक आधार पर किया जा रहा था। तथापि, जुलाई 2017 में दो चयनित जेलों (हिसार-I और हिसार-II) के विभागीय स्टॉफ के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा की गई भौतिक जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि फिंगर प्रिंटस, नाम, अपराध, ट्रायल की स्थिति, आने वालों के फोटो और विवरण आदि सहित कैदियों का डाटा किसी समुचित बैकअप, सुरक्षा और अन्य जेलों तथा डी.जी.पी. कार्यालय के साथ संबद्धता के बिना प्रत्येक जेल में स्टैंडअलोन कंप्यूटरज पर रिकार्ड किया जा रहा था। आगे, विभाग कैपचर किए गए डाटाबेस का प्रयोग प्रबंधन यंत्र के तौर पर नहीं कर रहा था। इसके अलावा, निजी विक्रेता का डाटा पर पूर्ण नियंत्रण एवं पहुंच थी जो सुरक्षा के विचार से सुरक्षित नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, डी.जी.पी. ने अगस्त 2017 में एक बैठक के दौरान आश्वासन दिया कि सरवर्ज की खरीद के बाद सिस्टम कनैक्ट हो जाएगा और समुचित सुरक्षा उपाय भी प्रारंभ किए जाएंगे।

2.2.9 मूलभूत संरचना एवं कैदियों को अन्य सुविधाएं

2.2.9.1 जेलों में मूलभूत संरचना

(i) जेलों में अति भीड़ होना

पी.जे.एम. का पैरा 1013 निर्धारित करता है कि जेल अधीक्षक कैदियों को अस्थाई रूप से आश्रय देकर या अन्य जेलों में भेजकर प्रबंध करें।

राज्य में अधिकृत क्षमता के संदर्भ में वास्तविक अधिभोग संतोषजनक था। विवरण ***परिशिष्ट 2.5*** में दिए गए हैं। तथापि, नमूना-जांच की गई तीन[31] जेलों में बंदियों की औसत अधिभोग प्रतिशतता 145 और 187 के भीतर ***(परिशिष्ट 2.5)*** रही जिसके कारण अधिक भीड़ तथा कैदियों को निर्धारित भूमि स्थल तथा वायु स्थल की अनुपलब्धता हुई। लेखापरीक्षा परीक्षण में पुन: प्रकट हुआ कि जिला जेल, सिरसा में महिला कैदियों के लिए अपर्याप्त स्थान था जहां 2013 से 2016 के दौरान आठ महिला बंदियों की क्षमता के विरूद्ध 36 से 48 बंदी रखे गए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि उल्लिखित अत्यधिक भीड़ भरी जेलों में अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। यह भी बताया गया कि महिला कैदियों के लिए अतिरिक्त बैरकों का निर्माण भी किया जाएगा।

[31] (i) नारनौल: 187 प्रतिशत; (ii) हिसार-I: 154 प्रतिशत तथा (iii) सिरसा: 145 प्रतिशत।

अत:, पी.जे.एम. के अनुच्छेद 1013 के अनुसार अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए अत्यधिक भरी हुई जेलों में से बंदियों को कम प्रयुक्त जेलों में स्थानांतरित करने के लिए प्रबंधन की ओर से पहल का अभाव था।

(ii) महिला जेलरों के हॉस्टलों और स्कूल बिल्डिंग का अनुप्रयोग न होना

जिला जेल, फरीदाबाद में 2009-10 में नई बिल्डिंग में शुरू की गई थी। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रत्येक में 30 के रहने की क्षमता वाले दो महिला जेलरों के हॉस्टलों और जेल स्टॉफ के बच्चों के लिए एक स्कूल बिल्डिंग जेल के प्रारंभ होने से ही खाली पड़े थे।

जिला जेल अधीक्षक ने बताया (दिसंबर 2016) कि हॉस्टल जेल में महिला जेलरों की तैनाती न होने के कारण खाली रहे। यह दर्शाता है कि बिल्डिंग्स आवश्यकता के निर्धारण के बिना ही निर्मित की गई थी। विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि जिला जेल फरीदाबाद के अधीक्षक को बिल्डिंगज में कुछ परिवर्तन करने के बाद पी.पी.पी. स्कीम के अंतर्गत स्कूल चलाने के लिए इन बिल्डिंगज को लीज पर देने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया।

(iii) अपूर्ण फैक्टरी शैड

राज्य सरकार ने जिला जेल, जींद में महिला बैरकों, किशोर बैरकों, वार्डन हॉस्टलों, गोदाम, फैक्टरी शैड, हास्पिटल, बुर्ज के निर्माण के लिए ₹ 3.87 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन किया (नवंबर 2005)। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्य ₹ 3.75 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2009 तक पूर्ण किए गए थे परंतु फैक्टरी शैड पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा जेल विभाग को सौंपा नहीं गया। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि फैक्टरी शैड में बाहर के दरवाजे और बिजली की फिटिंगज दिसंबर 2009 से अपूर्ण पड़े थे। परिणामत: जेल में फैक्टरी को गत सात से अधिक वर्षों से कार्यचालित नहीं किया जा सका।

(iv) कैदियों का पृथक्करण न होना

हरियाणा जेल सुधार समिति ने विभिन्न संक्रामक और सांसर्गिक रोगों से पीड़ित कैदियों को अलग रखने की सिफारिश की (सितंबर 2010) डी.जी.पी. ने सभी जेलों के अधीक्षक को संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के संदिग्ध मामलों को पृथक करने और उन्हें कड़े रूप में अलग रखने, जब तक चिकित्सा अधिकारी उन्हें सुरक्षित घोषित न कर दें, के निर्देश दिए (अप्रैल 2011)। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जिला जेल, नारनौल में, 15 से 65 तक ट्यूबरक्लोसिस (टी.बी.) से पीड़ित कैदी 2012 से 2016 के दौरान अन्य कैदियों के साथ रखे गए। इसने अन्य कैदियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया। जेल अधीक्षक ने बताया (अप्रैल 2017) कि जेल में अतिरिक्त स्थान की अनुपल्ब्धता के कारण, टी.बी. से पीड़ित कैदियों को अलग वार्डों में नहीं रखा जा सका। अत: संक्रामक और सांसर्गिक रोगों से पीड़ित कैदियों को अन्य कैदियों से पृथक रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई।

2.2.9.2 चिकित्सा सुविधा और मूलभूत संरचना

(i) अपर्याप्त अस्पताल बैड

जेल अधिनियम, 1894 की धारा 39 में प्रत्येक जेल में एक अस्पताल का प्रावधान है। यद्यपि पी.जे.एम. इन अस्पतालों में रखे जाने वाले बैड की संख्या निर्धारित नहीं करता, एम.पी.एम. इसे अधिकृत कैदियों की जनसंख्या का पांच प्रतिशत नियत करता है। विभाग ने न तो अस्पतालों में बैड के मानक तय करने के लिए कोई प्रयास किया न ही एम.पी.एम. के

मानकों को अपनाया। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना-जांच की गई आठ में से सात जेलों में एम.पी.एम. के प्रावधानों के संदर्भ में बैडों की कमी 16 और 92 बैड के मध्य थी जिसके विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिए गए हैं। विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि मॉडल जेल मैनुअल के मानक उच्चतर थे और प्राप्य नहीं थे। विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि एम.पी.एम. के मानक उच्चतर थे, फिर विभाग को सरकार के साथ परामर्श से अपने स्वयं के मानक तय करने चाहिए थे।

(ii) चिकित्सा देखभाल मूलभूत संरचना का अभाव

पी.जे.एम. जेल अस्पतालों में किसी चिकित्सा देखभाल की मूलभूत संरचना निर्दिष्ट नहीं करता। तथापि, एम.पी.एम. का अनुच्छेद 7.32 निर्धारित करता है कि जेल के हस्पताल में एक दंत चिकित्सा केंद्र, एक नेत्र चिकित्सा केंद्र, एक लघु आपरेशन थियेटर, एक चिकित्सीय प्रयोगशाला, एक एक्स-रे प्रयोगशाला, एक फिजियों-थैरैपी इकाई और सभी उपकरण सहित डिटोक्सीफिकेशन इकाई होनी चाहिए।

विभाग ने न तो सांसर्गिक मूलभूत सरंचना के मानक तय करने के प्रयास किए न ही एम.पी.एम. के मानक अपनाए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नेत्र चिकित्सा केंद्र केवल जिला जेल रोहतक में उपलब्ध था और चिकित्सीय प्रयोगशाला केंद्रीय जेल अंबाला और जिला जेल नारनौल में उपलब्ध थी। डेंटल कुर्सियां छः जेल अस्पतालों में थी जिनमें से केवल चार[32] कार्यचालित थी यद्यपि दो[33] जेल हस्पतालों में एक्स-रे मशीनें थी, कोई रेडियोग्राफर तैनात नहीं किए गए (सितंबर 2017) इन सुविधाओं के अभाव में, कैदियों को जेलों के बाहर सिविल हस्पतालों में भेजना पड़ता था। 2012-17 के दौरान नमूना-जांच की गई जेलों में औसतन, 21,897 कैदी प्रतिवर्ष सिविल अस्पतालों में भेजे गए। विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान स्वीकारा कि राज्य में जेलों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी थी। 34 चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध सितंबर 2017 को 19 तैनात थे और 15 पद रिक्त थे। डी.जी.पी. ने ठेके के आधार पर रिक्त पदों के भरने के लिए मामला सरकार को भेजा (सितंबर 2017)।

(iii) महिला कैदियों के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख

पी.जे.एम. महिला कैदियों के लिए चिकित्सा देखरेख के लिए कोई स्त्री-पुरूष मानक निर्दिष्ट नहीं करता। तथापि, एम.पी.एम. का अनुच्छेद 24.18 नियत करता है कि उनके जेल में ठहराव के दौरान महिला कैदियों की चिकित्सा देखरेख का ध्यान केवल महिला चिकित्सक करेंगे। हरियाणा जेल सुधार समिति ने भी प्रत्येक जेल जहां महिला वार्ड हैं, में एक महिला चिकित्सक और दो नर्सों की तैनाती की सिफारिश की (सितंबर 2010) परंतु विभाग ने न एम.पी.एम. को अपनाया न ही एच.जे.आर.सी. की सिफारिशें कार्यान्वियत की।

नमूना-जांच की गई आठ जेलों में से, 2012-16 (कलैंडर वर्षों) के दौरान सात जेलों में औसत 510 महिला कैदी थे और केंद्रीय जेल हिसार-I में कोई महिला कैदी नहीं थी। तथापि, महिला चिकित्सक सी.जे., हिसार-II के अलावा किसी जेल अस्पताल में महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई। परिणामत: जेलों के औसत 168 महिला कैदियों को बाहरी चिकित्सा के लिए

[32] गुरूग्राम, अंबाला, रोहतक तथा सिरसा।

[33] अंबाला तथा रोहतक।

सिविल अस्पतालों में ले जाना पड़ा। अत: महिला कैदियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थी।

डी.जी.पी. ने बताया (अगस्त 2017) कि महिला कैदियों के उपचार के लिए महिला चिकित्सा अधिकारियों के नए पद सृजित करने के लिए मामला सरकार को भेजा गया था।

(iv) मनोचिकित्सक परामर्शदाता की नियुक्ति न होना

एच.जे.आर.सी. ने जेल कैदियों में नशे के आदि और डिप्रेशन के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक केंद्रीय जेल और जिला जेल प्रत्येक में एक मनोचिकित्सक-सह-परामर्शदाता के दो पद सृजित करने की सिफारिश की (सितंबर 2010)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राज्य में किसी जेल अस्पताल में मनोचिकित्सक परामर्शदाता के पद नहीं भरे गए। एच.जे.आर.सी. की कार्यान्वयन समिति ने सिफारिश की कि प्रचलित अभ्यास के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक जेल में प्रत्येक सप्ताह मनोचिकित्सक सह-परामर्शदाता भेजना जारी रखना चाहिए परंतु इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान डी.जी.पी. ने बताया कि केंद्रीय जेल हिसार और जिला जेल रोहतक में नशामुक्ति केंद्र प्रस्थापित किए गए थे परंतु नियमित स्टॉफ प्रदान नहीं किया गया। मनोचिकित्सक-सह-परामर्शदाता के पद बारे, ये कहा गया (अगस्त 2017) कि ऐसे कोई पद विभाग द्वारा संस्वीकृत नहीं किए गए।

2.2.9.3 जेलों के निरीक्षण के लिए अतिथि-बोर्ड का गठन न किया जाना

पी.जे.एम. का अनुच्छेद 53-क और 53-ख में प्रत्येक जेल के लिए पदेन और गैर-सरकारी सदस्यों के साथ अतिथि बोर्ड के गठन के लिए प्रावधान है। बोर्ड द्वारा जेलों का निरीक्षण करना अपेक्षित है। बोर्ड द्वारा सभी बिल्डिंगों और जेलों का निरीक्षण, शिकायतें सुनना, कैदियों के भोजन का निरीक्षण और सजा का निरीक्षण करना अपेक्षित था। मैनुअल में प्रावधानों के बावजूद नमूना-जांच की गई किसी जेल में अतिथि बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार ने अतिथि बोर्ड के गठन के लिए विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया था (जून 2017)। तथापि, बोर्ड का गठन नहीं हुआ (अगस्त 2017)।

2.2.9.4 पुलिस विभाग और जिला प्रशासन से समर्थन का अभाव

- पंजाब कैदी (कोर्टों में उपस्थिति) नियम, 1969 के नियम 11 के अनुसार, जेल अधीक्षक ने कोर्टों में 'पेशी' के लिए कैदियों को पर्याप्त पुलिस एस्कोर्ट का प्रबंध सुनिश्चित करना था।

नमूना-जांच की गई जेलों में 10,07,040 ट्रायल के अधीन कैदी (यू.टी.पीज) जिनके लिए पेशी में उपस्थित होने के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी, के विरूद्ध 2012-16 के दौरान 9,79,260 यू.टी.पीज कोर्टों में पेश किए गए और शेष 27,780 यू.टी.पीज नियत तारीखों पर कोर्ट में पुलिस बल के अभाव में पेश नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, विचाराधीन कैदियों को कोर्ट की सुनवाई का अवसर नहीं मिला।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि वी.आई.पी. ड्यूटी और आंदोलनों से निपटने जैसे व्यस्त शैड्यूल के कारण कोर्ट पेशियों के लिए कैदियों को पर्याप्त पुलिस गार्ड प्रदान नहीं किए जा सके।

- जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर पैरोल[34]/फरलो के मामलों की प्रक्रिया के लिए सरकार ने अप्रैल 1999 में 21 दिनों की समयसीमा निर्धारित की थी। नमूना-जांच की गई जेलों में, पैरोल छुट्टी के 14,387 मामले 2012-16 के दौरान अनुमोदन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेजे गए। इनमें से केवल 1,532 (10 प्रतिशत) मामलों की प्रक्रिया निर्धारित समय अर्थात् 21 दिनों के भीतर की गई और 12,855 मामले देय तिथि के बाद प्राप्त किए गए ***(परिशिष्ट 2.7)*** 2012-16 के दौरान पैरोल/फरलो अनुमोदित करने में देरी आठ मास की सीमा तक थी। इससे पैरोल/फरलो के लिए आवेदन देने के प्रयोजन जैसे आश्रितों के स्कूलों, कॉलेजों में दाखिला, पत्नी की डिलीवरी, घर का निर्माण/मरम्मत, विवाह, कृषि इत्यादि ही समाप्त हो गए। संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटज ने बताया (अप्रैल 2017) कि अपराधियों के सत्यापन के लिए पुलिस विभाग को भेजे गए पैरोल/छुट्टी के मामलों में देरी सामान्यत: पुलिस विभाग द्वारा की गई।
- हरियाणा सद्व्यवहार कैदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस को सूचना के साथ श्योरिटी बांड के निष्पादन पर कैदियों की अस्थाई रिहाई के लिए प्रावधान है। कैदी जो वापस रिपोर्ट करने की देय तिथि से दस दिन के भीतर रिपोर्ट नहीं करता, को किसी भी पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और श्योरिटी बांड की राशि जब्त की जा सकती है। नमूना-जांच की गई आठ जेलों में, 2012 से 2016 के दौरान कुल 12,708 कैदी अस्थाई तौर पर पैरोल/फरलो पर रिहा किए गए। इनमें से, 12,490 कैदियों ने वापस रिपोर्ट किया, 218 कैदियों ने देय तिथि पर रिपोर्ट नहीं किया जिनमें से 91 गिरफ्तार किए गए, 3 की मृत्यु हो गई, 76 ने आत्मसमर्पण किया और 48 जोकि कत्ल, बलात्कार, अपहरण, लूट/डकैती, हथियार अधिनियम और नारकोटिक्स ड्रग्स और साईकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के मामलों में शामिल थे, अभी भी भगोड़े हैं (दिसंबर 2016) जिनके विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिए गए हैं। आगे, दिसंबर 2016 तक 112 कैदियों के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ₹ 3.91 करोड़ राशि के श्योरिटी बांड जब्त नहीं किए गए। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि श्योरिटी बांडस की राशि वसूल करने के प्रयास किए जा रहे थे।

अत: कैदियों को पुलिस गार्ड उपलब्ध करवाने और पैरोल/फरलो पर कैदियों के वापस आने को सुनिश्चित करने और पैरोल/फरलो के मामलों का अनुमोदन करने की प्रणाली को पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के साथ समन्वय में मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.2.9.5 कैदियों के लिए कार्य और जेलों में फैक्टरियों का संचालन

(i) कठोर कारावास वाले कैदियों को कार्य न सौंपा जाना

नमूना-जांच की गई जेलों में, 2012 से 2016 के दौरान औसत 3,668 कठोर कारावास (आर.आई.) कैदी थे जिनमें से औसत 1,870 (51 प्रतिशत) को कार्य प्रदान किया गया। अत: 49 प्रतिशत कैदी सुधारात्मक रोजगार द्वारा कमाने के अपने अधिकार से वंचित रह

---

[34] पैरोल कुछ समय के लिए सजा का स्थगन है और फरलो की गणना कैदियों को दी गई कुल सजा में होती है।

गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्य जेल फैक्टिरियों के समुचित संचालन न होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे चर्चित हैं:

राज्य में 31 दिसंबर 2016 को 19 केंद्रीय/जिला जेलों में से नौ[35] में जेल फैक्टिरियां का संचालन हो रहा था। ये जेल, कपड़े, साबुन, फिनाईल, फर्नीचर, लोहे की आलमारी और ब्रेड के उत्पादन में शामिल थी। यद्यपि जिला जेल नारनौल की फैक्टरी कार्यचालित थी, विभाग द्वारा मुख्यत: तकनीकी पदों की संस्वीकृति न होने के कारण 2012-17 के दौरान उत्पादन नगण्य था।

नमूना-जांच की गई तीन[36] जेलों में प्रशिक्षित स्नातकों के 18 पदों के विरूद्ध, विभिन्न व्यवसायों की संचालन फैक्टरियां होते हुए, 2012-17 के दौरान विभिन्न व्यवसायों के लिए कैदियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छ: प्रशिक्षक स्नातक उपलब्ध थे, जबकि दो[37] जेलों में किसी व्यवसाय का कोई तकनीकी पद राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत नहीं था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से अधिकतम पुनर्वास प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(ii) बिना कार्य के फैक्टरी स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों पर निरर्थक व्यय

केंद्रीय जेल-II हिसार बिक्री या अन्य विभागों से आदेश पर आपूर्ति के लिए दोषी कैदियों के लिए कपड़े, निवार, कांटेदार तार, चमड़ा, जुराबें और फर्नीचर का उत्पादन कर रही थी। जेल फैक्ट्री अगस्त 2016 से कुछ केन का कार्य करने के अलावा 2012-17 के दौरान बंद रही। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि फैक्टरी बिल्डिंग की खराब अवस्था के कारण फैक्टरी उचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी। फैक्टरी स्टॉफ (एक चमड़ा मास्टर, एक केनी मास्टर और एक लेखाकार) बिना किसी काम के जेल फैक्टरी में तैनात रहे (जनवरी 2017)। उनके वेतन एवं भत्तों पर (अप्रैल 2012-जुलाई 2016) ₹ 28.78 लाख का अनुत्पादक व्यय किया गया।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी सेवाएं अन्य उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त की जाएंगी।

2.2.10 कैदियों के सुधार, पुनर्वास और शिक्षा

जेल प्रशासन का अंतिम उद्देश्य अपराधियों का सुधार एवं पुनर्वास तथा कैदियों की अभिरक्षा और नियंत्रण से बदल कर उनके प्रशिक्षण और उपचार की तरफ बल देना है। इस पर एम.पी.एम. में भी जोर दिया गया, जिसमें बताया कि कैदियों को उन सुविधाओं से सज्जित करने की आवश्यकता है जो उन्हें सीखने और कमाने के योग्य बनाएं। स्थाई विकास लक्ष्यों[38] की लक्ष्य संख्या 16 स्थाई विकास के लिए शांतिपूर्ण और सम्मिलित समाज को प्रोत्साहन देना, सबके लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी,

---

35 (i) केन्द्रीय जेल अंबाला, (ii) हिसार-I, (iii) भिवानी, (iv) रोहतक, (v) करनाल, (vi) कुरूक्षेत्र, (vii) यमुनानगर, (viii) नारनौल तथा (ix) फरीदाबाद।

36 (i) अंबाला, (ii) हिसार-I तथा (iii) रोहतक।

37 (i) करनाल तथा (ii) नारनौल।

38 यू.एन. जरनल एसैंबली ने एक वैश्विक विकास नजरिया 'अपनी दुनिया बदलना' अपनाया और 2030 तक प्राप्त करने के लिए स्थाई विकास लक्ष्य नियत किए।

उत्तरदायी और सम्मिलित समाज को प्रोत्साहित करना नियत करता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि स्थाई विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं थे क्योंकि शांति पूर्ण और सम्मिलित समाज को प्रोत्साहित करने के लिए अपराधियों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त सुधारक एवं पुनर्वास गतिविधियां और कैदियों के लिए खुली जेलें स्थापित करना हाथ में नहीं लिए गए (अगस्त 2017) जैसा नीचे चर्चित है:

2.2.10.1 दोषी कैदियों के लिए जेलों में सुधारात्मक गतिविधियां

जेल प्रबंधन ने दोषी कैदियों के लिए सुधारात्मक उपायों के एक भाग के तौर पर राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग (एन.आई.ओ.एस.) संस्थान/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी (आई.जी.एन.ओ.यू.) के माध्यम से साक्षरता एवं शिक्षात्मक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियां प्रारंभ की जो कि उनके बर्ताव एवं दृष्टिकोण को बदल सके। यह अंतत: समाज की मुख्यधारा में उनके पुनर्वास को सरल बनाएगा। विभाग ने सभी दोषी कैदियों को इसके मुख्य निष्पादन सूचकों में आवृत करने का लक्ष्य नियत किया (मई 2017)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच की गई आठ जेलों में से दो जेलों (सीजे-2, हिसार और डीजे, रोहतक) में 2012-16 के दौरान 1,385 की औसत संख्या प्रतिवर्ष के कैदी होते हुए साक्षरता कार्यक्रम की कोई सुविधाएं नहीं थी। नमूना-जांच की गई आठ जेलों में 2012-16 के दौरान औसतन 8,864 कैदी थे जिनमें से 5,582 (63 प्रतिशत) को इस अवधि के दौरान सुधारात्मक गतिविधियों के अंतर्गत लाया गया। इनमें से, 4,138 कैदियों को एन.आई.ओ.एस./ आई.जी.एन.ओ.यू. के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई और 1,444 कैदी 2012-16 के दौरान साक्षरता कार्यक्रम के अधीन साक्षर बनाए गए। अत: सभी कैदियों को सुधारात्मक गतिविधियों के अधीन आवृत करने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।

2.2.10.2 व्यावसायिक प्रशिक्षण

कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य कार्य के महत्व की प्रेरणा देना, रिहाई के बाद सम्मानजनक आजीविका कमाने की प्रवीणता प्रदान करना, आत्मविश्वास और स्वाभिमान विकसित करने और कैदियों के मध्य मनोबल को बढ़ाना था। एच.जे.आर.सी. ने कैदियों का सुधार और कैदियों की ऊर्जा को सकारात्मक मुद्दों की ओर दिशा देना था। जिला प्रशासन को औद्योगिक परीक्षण और व्यावसायिक विभाग, तकनीकी विभाग और शिक्षा विभाग जैसे राज्य विभागों के साथ कौशल विकास, सुधार, शिक्षा और विभिन्न व्यवसायों में कैदियों के पुनर्वास जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संरचित करने चाहिए। विभाग ने सभी कैदियों को इसके मुख्य निष्पादन सूचकों में आवृत करने का लक्ष्य नियत किया था।

नमूना-जांच की गई आठ जेलों में 2012 से 2016 के दौरान औसत 8,864 कैदी थे जिसमें से 4,857 कैदी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नामित हुए और केवल 3,976 (45 प्रतिशत) कैदियों को उसी अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अत: विभाग ने कैदियों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि अधिकतम कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के कदम उठाए जाएंगे।

2.2.10.3 खुली जेलों की व्यवस्था न करना

खुली जेलों[39] अभिप्राय दोषी कैदियों के सुधार, सही करना और पुनर्वास के प्रचलित सिद्धान्त को अभ्यास में लाना है ताकि रिहाई के बाद वे स्व-अनुशासित और सभ्य जीवन जी सकें। यह संस्थाएं कैदियों को रोजगार के अवसर और स्वतंत्र जीवन जीने के अवसर प्रदान करती है। यह व्यक्तियों का सम्मान वापस लाती हैं और उनमें आत्म निर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करती है, जो समाज में उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पी.जे.एम. क्योंकि यह बहुत पुराना था में खुली जेलों के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथापि, एम.पी.एम. (अनुच्छेद 21.05) में खुली जेल के लिए प्रावधान किया गया है परंतु खुली जेल स्थापित करने की यह धारणा पी.जे.एम. के संशोधन न होने के कारण विभाग द्वारा अभ्यास में नहीं लाई जा सकी।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2017) कि कैदियों के लिए 'खुली हवा जेलें' शासित करने के लिए प्रारूप नियमों बारे प्रस्ताव जनवरी 2017 में राज्य सरकार को भेजा गया जो सरकारी स्तर पर विचाराधीन हैं (अगस्त 2017)।

2.2.10.4 रिहा कैदियों को बाद की देखभाल और पुनर्वास प्रदान न किया जाना

अपराधियों की बाद की देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया संस्थागत देखभाल और उपचार का अभिन्न भाग है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पी.जे.एम. में बाद की देखभाल और पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, एम.पी.एम. के अनुच्छेद 20.05 और 20.06 में प्रावधान है कि दोषी जिन्हें पांच या अधिक वर्षों के कारावास की सजा दी गई है को उनकी रिहाई पर पुनर्स्थापित होने से संबंधी सभी मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए बाद की देखभाल के घेरे के अधीन लाया जाना चाहिए।

नमूना-जांच की गई आठ जेलों में, 1,808 दोषी 2012-16 के दौरान पांच वर्षों से अधिक की सजा के पूर्ण होने के बाद रिहा हुए परंतु इन दोषियों में से किसी को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि कोई स्कीम कार्यचालित नहीं थी। तथापि, मुद्दा नए जेल मैनुअल में सम्मिलित किया जाएगा।

2.2.11 मानव संसाधन प्रबंध

2.2.11.1 मानवशक्ति की कमी

उप जेल अधीक्षक/सहायक जेल अधीक्षक/उप-सहायक जेल अधीक्षक, मैट्रन और जेलरों जैसे मुख्य संवर्गों में रिक्तियां थी जैसा कि नीचे **तालिका 2.2.3** में दिया गया है:-

[39] खुली जेल ऐसी जेल होती है जिसमें विश्वास किया जाता है कि कैदी अपनी सजा न्यूनतम परिवेक्षण और मानक सुरक्षा के साथ काटेंगे।

तालिका 2.2.3: मुख्य पदों में कमी दर्शाते विवरण

श्रेणी	संस्वीकृत पद	तैनात व्यक्ति	कमी	प्रतिशतता
उप जेल अधीक्षक	47	43	4	9
सहायक जेल अधीक्षक	78	50	28	36
उप-सहायक जेल अधीक्षक	52	41	11	21
जेलर	2,368	1,939	429	18
मैट्रन	48	शून्य	48	100
कुल	**2,593**	**2,073**	**520**	**20**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

यह अवलोकित किया गया कि सहायक जेल अधीक्षक के संवर्ग में 36 प्रतिशत और मैटर्न के संवर्ग में 100 प्रतिशत की कमी है। आगे यह अवलोकित किया गया कि सरकार द्वारा दिसंबर 2013 में राज्य में जेलरों की कुल कमी और मानवशक्ति को कम करने के बावजूद, केंद्रीय जेल-II हिसार में 40 पदों की संस्वीकृति के विरूद्ध 108 जेलर नियुक्त थे। यह भी अवलोकित किया गया कि 262 पदों की संस्वीकृति के विरूद्ध गुरूग्राम जेल में केवल 159 जेलर नियुक्त किए गए। आगे, यह अवलोकित किया गया कि केंद्रीय जेल-II हिसार में कैदियों की संख्या 590 थी जबकि गुरूग्राम जेल में कैदियों की संख्या 2,077 थी।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि सुरक्षा स्टॉफ के खाली पदों को भरने की मांग सरकार को भेजी गई है।

2.2.11.2 जेल प्रशिक्षण स्कूल करनाल में अपर्याप्त सुविधाएं

सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित जेल प्रशासन की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी कर्मचारियों/सुरक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। 2012-17 के दौरान सुरक्षा स्टॉफ के साथ-साथ प्रदान किए गए प्रशिक्षण की स्थिति नीचे **तालिका 2.2.4** में दी गई है।

तालिका 2.2.4: 2012-17 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किए गए सुरक्षा स्टॉफ का ब्यौरा

वर्ष	तैनात सुरक्षा स्टॉफ की कुल संख्या			प्रशिक्षित सुरक्षा स्टॉफ की संख्या			प्रतिशतता
	हैड जेलर	जेलर	कुल	हैड जेलर	जेलर	कुल	
2012-13	229	2,211	2,440	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2013-14	240	2,160	2,400	शून्य	884	884	37
2014-15	233	2,125	2,358	शून्य	183	183	8
2015-16	243	2,028	2,271	67	1,280	1,347	59
2016-17	255	1,937	2,192	65	817	882	40

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2012-13 के दौरान जेलरों को तथा 2012-15 के दौरान हैड जेलरों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। उपर्युक्त के अलावा, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2012-15 के दौरान सुरक्षा स्टॉफ को प्रशिक्षण देने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य नियत नहीं किए गए। तथापि, 2012-17 के दौरान सहायक जेल अधीक्षक, महिला जेलरों/महिला मुख्य जेलरों और लिपिकीय स्टॉफ के लिए किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। अंतरीय कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण अनुभव रखने वाले संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना था परंतु अंतरीय कक्षाओं के लिए कोई संसाधन व्यक्ति आमंत्रित नहीं किए गए। डी.जी.पी. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान स्वीकारा कि सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केवल एक अभ्यास प्रशिक्षक की तैनाती की गई थी।

2.2.11.3 जेलरों के लिए लक्ष्य अभ्यास की व्यवस्था न होना

पी.जे.एम. का बंदूकबाजी अभ्यास नियम ***(परिशिष्ट-VII)*** प्रावधान करता है कि सभी जेलरों को अग्निशस्त्र चलाने के लिए वार्षिक आधार पर 15 राऊंड (खड़े हुए 50 और 75 गज प्रत्येक पर पांच राऊंड और झुकी हुई अवस्था में 100 गज पर) का लक्ष्य अभ्यास अवश्य मिलना चाहिए। तथापि, 2012 से 2016 के दौरान जेलों के लिए लक्ष्य अभ्यास की व्यवस्था एक बार भी नहीं हुई। इस प्रकार, जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आपातकाल से निपटने के लिए जेलर पूर्णत: प्रशिक्षित नहीं थे।

2.2.12 आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग

आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग लागू नियमों एवं विनियमों के अनुपालन बारे प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग अपर्याप्त था क्योंकि राज्य सलाहकार बोर्ड और कार्य प्रोग्राम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड गठित नहीं किए गए, डी.जी.पी. के निरीक्षण कम थे और आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना में कमियां थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

- जेलों में दोष सुधारात्मक कार्य, कैदियों के पुनर्वास और कैदियों या उनके संबंधियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार एवं जेल प्रशासन के परामर्श देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड गठित नहीं किया गया। इसी प्रकार, कैदियों के लिए रिहाई के बाद देखभाल गृहों के लिए नियोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए कार्य प्रोग्राम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के लिए एम.पी.एम. (पैराग्राफ़ 14.04) में परिकल्पना की गई थी, हालांकि, इसका गठन नहीं किया गया था।
- निरीक्षण आयोजित करने की 40 आवश्यकताओं के विरूद्ध, 2012-16 (कलैंडर वर्ष) के दौरान डी.जी.पी. द्वारा 34 किए गए। यह भी अवलोकित किया गया कि अभ्युक्तियों/कमियों, यदि कोई हों की अनुपालना के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निरीक्षण की गई जेलों को कोई निरीक्षण नोट जारी नहीं किया गया। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान डी.जी.पी. ने आश्वासन दिया कि भविष्य में जेलों के पर्याप्त निरीक्षण आयोजित किए जाएंगे।
- जेलों के लिए लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं और क्षेत्र को विधिबद्ध करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया गया। जेलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करवाने के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना कभी तैयार नहीं की गई। राज्य में 20 इकाईयों में से 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमश: आठ, छ: और चार इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। 2015-16 और 2016-17 के दौरान किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं हुई। 62 अनुच्छेदों वाली 18 आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें अनुपालन न होने के कारण बिना निपटान के रह गई (मार्च 2017)। विभाग ने बताया कि (अप्रैल 2017) मानवशक्ति की कमी के कारण, कुछ ही जेलों की आंतरिक लेखापरीक्षा की जा सकी। लंबित अनुच्छेदों के बारे में, यह बताया गया कि अनुच्छेदों की समीक्षा 2017 में जेलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करते समय की जाएगी।

2.2.13 निष्कर्ष

ध्यान दिए जाने वाले अनिवार्य क्षेत्रों को पहचानने के बाद परिप्रेक्ष्य योजना और भारत सरकार के आधुनिक जेल मैनुअल के आधार पर नया जेल मैनुअल तैयार नहीं किया गया। परिभाषित योजना एवं मैनुअल के अभाव में, जेलों का निष्पादन सही ढंग से परिभाषित मानदंडों के विरूद्ध मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन कमियों से पूर्ण था तथा एच.एस.पी.एच.सी.एल. के पास अव्ययित निधियां थी। जेलों की रक्षा और सुरक्षा जोखिम में डाली गई चूंकि अस्त्र-शस्त्रों और गोला बारूद की कमी, सुरक्षा उपकरण का अभाव, जेलों के साथ ऊंची इमारतें और सामान्य सड़कें उपस्थित थी। जेलों की क्षमता का प्रयोग असंतुलित था। जिला जेल, नारनौल में, टयूबरक्लोसिस (टी.बी.) से पीड़ित कैदी अन्य कैदियों के साथ रखे गए थे जो स्वास्थ्य को खतरा था। इसके अतिरिक्त जिला जेल फरीदाबाद में दो महिला हॉस्टल और एक स्कूल बिल्डिंग गत सात वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी थी। चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थी जेल अस्पतालों में बेड अपर्याप्त संख्या में, चिकित्सा मूलभूत संरचना का अभाव, महिला कैदियों के लिए महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं थी। जेल फैक्टरियों की कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं थी चूंकि राज्य में फैक्टरियां 19 जेलों में से केवल 9 में कार्यचालित थी। शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए। कैदियों के लिए खुली जेल और रिहाई के बाद पुनर्वास की धारणाओं पर अधिक ध्यान देना अपेक्षित था। जेलों की प्रभाविकता और कार्यचालन में सुधार करने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड और कार्य प्रोग्राम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड गठित नहीं किए गए।

2.2.14 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- ध्यान देने योग्य क्षेत्र पहचान कर परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना और भारत सरकार के आधुनिक जेल मैनुअल के आधार पर नए जेल मैनुअल के अंतिमकरण को तीव्र करना;
- अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद एवं आधुनिक सुरक्षा उपकरण की खरीद को तीव्र करना;
- जेलों के अनुप्रयोग को श्रेष्ठ करना, अधिक भीड़-भाड कम करना, अपूर्ण मूलभूत संरचना को पूर्ण करना;
- मानकों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना;
- टी.बी से पीड़ित कैदियों का अन्य कैदियों से पृथककरण;
- कैदियों को गार्ड/पैरोल/छुट्टी के सामयिक प्रावधान के लिए पुलिस विभाग और डी.एमज/एस.डी.एमज के साथ समन्वय में सुधार;
- कैदियों को रचनात्मक कार्यों में लगाकर उनके पुनर्वास के लिए जेल फैक्टरियों की कार्यप्रणाली में सुधार; तथा
- सुधारात्मक, पुनर्वास और शिक्षा कार्यक्रम का समुचित रूप से कार्यान्वयन।

लेखापरीक्षा परिणाम अगस्त 2017 में सरकार को भेजे गए और अक्तूबर तथा नवंबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी किए गए परंतु उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित था।

अध्याय 3
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

3.1 एफ.सी.आई. से दावों की वसूली न होना तथा ब्याज का अतिरिक्त भार

एफ.सी.आई. को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी/प्रस्तुत न करने तथा संबंधित डी.एफ.एस.सीज द्वारा राज्य सरकार के खाते में निधियों के हस्तांतरण के लिए अनुदेशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप एफ.सी.आई. से ₹ 18.65 करोड़ की वसूली नहीं हुई तथा राज्य राजकोष पर ₹ 21.12 करोड़ के ब्याज का भार बढ़ गया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग (विभाग), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर, केंद्रीय भंडारण के लिए खाद्यानों की खरीद करता है तथा इसको भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को सौंप देता है। विभाग, भारतीय स्टेट बैंक से कैश क्रेडिट सीमा (सी.सी.एल.) प्राप्त करके खाद्यान खरीद करता है। विभाग एफ.सी.आई. को गेहूं सुपुर्द करने के बाद, एफ.सी.आई. को बिल प्रस्तुत करता है जिसके विरूद्ध भारत सरकार से तय दरों पर भुगतान प्राप्त होता है। चूंकि एफ.सी.आई. को सुपुर्द किए गए स्टॉक में भारी निधियां शामिल हैं, उनकी वसूली में देरी राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आगे, संबंधित क्षेत्र/जिला संगठनों अर्थात् जिला खाद्य तथा आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सीज) द्वारा इस प्रकार वसूल किए गए भुगतान को उनके बैंक खाते से तुरंत राज्य सरकार के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए जिससे ब्याज हानि के अतिरिक्त भार से बचा जा सके। विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित कमियां अवलोकित की गई थी:

(क) रबी विपणन मौसम 2011 के लिए भारत सरकार ने एम.एस.पी. के अतिरिक्त गेहूं पर ₹ 50 प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस घोषित किया (अप्रैल 2011)। किसानों को बोनस के भुगतान के लिए, विभाग ने सभी जिला कार्यालयों को निर्देश (मई 2011) दिए कि बोनस राशि किसानों को आढ़तियों[1] के माध्यम से भुगतान के लिए बिलिंग-कम-भुगतान एजेंटों (बी.सी.पी.ए.)[2] को तब निर्मुक्त की जाए जब आढ़तिए विभाग के जिला कार्यालयों को फार्म[3] आई तथा फार्म जे सहित किसान-वार विवरण प्रस्तुत कर दें। आगे, एफ.सी.आई. द्वारा (मई 2011) जारी आदेशों के अनुसार गेहूं पर किसानों को भुगतान किए गए बोनस की संपूर्ण राशि का एफ.सी.आई. को स्टॉक की सुपुर्दगी के समय नियमित बिलों के साथ दावा किया जाना था। इस प्रयोजन के लिए, डी.एफ.एस.सीज को बिलों के साथ-साथ एक निर्धारित प्रपत्र, जिसमें किसान का नाम, खरीद की तिथि, भुगतान का तरीका तथा चैक/कैश वाउचर संख्या आदि को दर्शाते हुए प्रमाण-पत्र, यह सत्यापित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना था कि बोनस का भुगतान वास्तव में संबंधित किसानों को कर दिया गया था।

---

1 कमीशन एजेंट।

2 बी.सी.पी.ए., निर्बाध खरीद प्रक्रिया के लिए किसानों के साथ-साथ विभाग की सुगमता के लिए मंडियों में नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें उनके कार्य के लिए कमीशन दी जाती है।

3 फार्म आई आढ़तियों का बिल है जिसमें उनके द्वारा खरीदे गए गेहूं के किसानवार विवरण शामिल होते हैं तथा फार्म जे प्रत्येक किसान, जो गेहूं बेचता है, को जारी किया गया बिक्री वाऊचर है।

विभाग ने रबी मौसम 2011 के गेहूं के लिए अप्रैल तथा सितंबर 2011 के मध्य बी.सी.पी.एज द्वारा किसानों को भुगतान किए जाने वाले ₹ 61.64 करोड़ (नमूना-जांच किए गए 10 जिला[4] कार्यालयों में) का बोनस जारी किया। यह गेहूं एफ.सी.आई. को अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के दौरान आपूरित/सौंपा गया था। तथापि, बोनस की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित विवरणों की अनुपस्थिति में, विभाग अगस्त 2013 से फरवरी 2015 के दौरान गेहूं की सुपुर्दगी के समय पर नियमित बिक्री बिलों के साथ ₹ 5.77 करोड़ वसूल कर सका। विभाग ने अपने बकाया दावों की प्रतिपूर्ति के लिए एक से 59 महीनों की देरी के साथ ₹ 55.87 करोड़ के अनुपूरक बिल दिसंबर 2011 से जनवरी 2016 के दौरान जारी किए। विभाग ने ₹ 45.30 करोड़ अक्तूबर 2012 से जुलाई 2016 के दौरान वसूल किए तथा एफ.सी.आई. से ₹ 10.57 करोड़ की राशि अभी भी वसूलनीय थी क्योंकि इसने एफ.सी.आई. को अपेक्षित दस्तावेज/विवरण नहीं दिए थे (मार्च 2017)। बोनस राशि के दावों को प्रस्तुत करने में देरी के कारण, विभाग को ₹ 13.97 करोड़[5] (मार्च 2017) के ब्याज का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2017) कि बोनस की शेष राशि को वसूल करने के प्रयत्न किए जा रहे थे तथा उनका देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने का विचार है।

(ख) किसानों की कठिनाईयां कम करने तथा रबी विपणन मौसम (आर.एम.एस.) 2015-16 में बेमौसमी बरसात के कारण गेहूं की व्यथित बिक्री से बचाने के लिए भारत सरकार ने मूल्य में कमी[6] के साथ गेहूं की खरीद के लिए विनिर्देशों[7] को शिथिल कर दिया (अप्रैल 2015)। बाद में, भारत सरकार ने निर्णय लिया (जून 2015) कि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली मूल्य में कमी की राशि पर आर.एम.एस. के प्रापण कार्य संचालनों की समाप्ति पर समर्थित दस्तावेजों (अर्थात् फार्म आई. तथा फार्म जे.) के साथ बिलों की प्रस्तुति राज्य सरकार को एफ.सी.आई. द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, भारत सरकार के 19 जून 2015 के ये निर्देश विभाग द्वारा डी.एफ.एस.सीज को डेढ़ महीने की देरी के साथ 7 अगस्त 2015 को परिचालित किए गए।

यह देखा गया कि नमूना-जांच किए गए आठ[8] डी.एफ.एस.सीज द्वारा शिथिलीकृत विनिर्देशों के अंतर्गत आर.एम.एस. 2015-16 के दौरान खरीदे गए गेहूं के लिए किसानों को पूरे एम.एस.पी. का भुगतान किया गया था। माह जून 2015 तक, डी.एफ.एस.सीज ने एम.एस.पी. पर गेहूं के बिलों के लिए दावा किया तथा चमक रहित, सूखे तथा टूटे अनाज के विरूद्ध एफ.सी.आई. ने ₹ 6.88 करोड़ की कटौती की। जुलाई 2015 से आगे, डी.एफ.एस.सीज ने ₹ 3.42 करोड़ की राशि की कटौती के बाद बिलों के दावे किए यद्यपि भारत सरकार सभी समर्थित दस्तावेजों (फार्म आई. तथा फार्म जे.) के साथ बिलों के प्रस्तुतिकरण के बाद प्रापण

---

4 (i) करनाल, (ii) कुरूक्षेत्र, (iii) अंबाला, (iv) फतेहाबाद, (v) यमुनानगर, (vi) गुरूग्राम, (vii) सिरसा, (viii) कैथल, (ix) फरीदाबाद तथा (x) हिसार।

5 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गेहूं की आपूर्ति के माह से बोनस राशि की वसूली के माह तक सी.सी.एल. (गत पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम) पर, एक माह का मार्जिन अनुमत करने के बाद, प्रभारित 11.01 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित।

6 चमक रहित, सूखे हुए तथा टूटे हुए अनाज की प्रतिशतता बारे।

7 किसानों द्वारा बाजार में लाए गए घटिया गेहूं के कारण खरीद मूल्य में कटौती जो ₹ 3.63 प्रति क्विंटल से ₹ 10.89 प्रति क्विंटल के मध्य रही।

8 (i) अंबाला, (ii) कुरूक्षेत्र, (iii) फतेहाबाद, (iv) करनाल, (v) कैथल, (vi) पानीपत, (vii) सिरसा तथा (viii) यमुनानगर।

एजेंसियों को पूर्ण एम.एस.पी. के भुगतान की अनुमति पहले ही दे चुकी थी (जून 2015)। केवल तीन डी.एफ.एस.सीज नामतः यमुनानगर, पानीपत तथा कैथल ने अपने दावे प्रस्तुत किए तथा पांच से 18 महीनों की देरी के साथ एफ.सी.आई. से ₹ 2.22 करोड़ मूल्य कमी की राशि/कम किए दावे प्राप्त किए परिणामस्वरूप ₹ 0.30 करोड़ (सी.सी.एल. पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रभारित 11.01 प्रतिशत की दर पर) के ब्याज का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। पांच डी.एफ.एस.सीज[9] आढतियों से अपेक्षित फार्म जे प्राप्त नहीं कर सके तथा इस प्रकार मार्च 2017 तक एफ.सी.आई. से ₹ 8.08 करोड़ के मूल्य कटौती/कम दावे की राशि का दावा करने में विफल रहे तथा एफ.सी.आई. को दावों को प्रस्तुत न करने के कारण मार्च 2017 तक ₹ 1.41 करोड़ (सी.सी.एल. पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रति वर्ष प्रभारित 11.01 प्रतिशत की दर पर) के ब्याज का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने जांच में पाया कि विभाग ने बी.सी.पी.एज से फार्म जे, के संग्रहण तथा उनके बिलों सहित एफ.सी.आई. को दावों की वसूली के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) ने निर्णय लिया (मई 2011) कि राज्य सरकार/राज्य सरकारी एजेंसियों से उनके द्वारा लिए गए चावल/गेहूं के विरूद्ध सभी भुगतान इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा किए जाए तथा इस उद्देश्य के लिए बैंक खाते खोलने के लिए विभाग से अनुरोध किया (जून 2011)। विभाग ने तदनुसार प्रत्येक जिला कार्यालय में चालू खाता खोलने के लिए वित्त विभाग, हरियाणा से अनुमति मांगी (अक्तूबर 2011) जो प्रदान कर दी गई (नवंबर 2011)। अपने फील्ड कार्यालयों को अनुमति बारे सूचित करने के लिए (नवंबर 2011) विभाग ने सभी डी.एफ.एस.सीज को निर्देश दिए कि इलैक्ट्रानिक माध्यम से एफ.सी.आई. से प्राप्त राशियां राज्य सरकार के खातों में दैनिक आधार पर स्थानांतरित की जानी चाहिए ताकि धन निष्क्रिय न पड़ा रहे। सभी डी.एफ.एस.सीज ने दिसंबर 2011 से अक्तूबर 2012 के दौरान खाते खोले।

लेखापरीक्षा ने 2014-17 के दौरान 15 डी.एफ.एस.सीज[10] के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया कि एफ.सी.आई. से भुगतान इलैक्ट्रानिक तरीके के साथ-साथ चैक द्वारा भी प्राप्त किए जा रहे थे लेकिन डी.एफ.एस.सीज उनके चालू/बचत खातों[11] से राज्य सरकार के खातों में दैनिक आधार पर निधियों को स्थानांतरित नहीं कर रहे थे। नमूना-जांच किए गए जिलों में से 10[12] में राज्य सरकार को ऐसी निधियों के स्थानांतरण के 767 मामलों में देरी एक से 168 दिनों (तीन दिनों[13] की अवधि का लाभ अनुमत के पश्चात्) के मध्य श्रृंखलित रही

---

9 (i) अंबाला, (ii) कुरूक्षेत्र, (iii) फतेहाबाद, (iv) करनाल तथा (v) सिरसा।

10 (i) अंबाला, (ii) भिवानी, (iii) फतेहाबाद, (iv) गुरूग्राम, (v) करनाल, (vi) कैथल, (vii) कुरूक्षेत्र, (viii) नारनौल, (ix) पलवल, (x) पानीपत, (xi) रोहतक, (xii) सिरसा, (xiii) यमुनानगर, (xiv) पंचकूला तथा (xv) मेवात।

11 डी.एफ.एस.सीज कुरूक्षेत्र तथा नारनौल ने बचत खाते खोल लिए थे।

12 (i) अंबाला, (ii) भिवानी, (iii) फतेहाबाद, (iv) गुरूग्राम, (v) करनाल, (vi) कैथल, (vii) कुरूक्षेत्र, (viii) नारनौल, (ix) पलवल तथा (x) यमुनानगर।

13 बैंक की छुट्टियों तथा कनैक्टिविटी की समस्या के कारण ऑनलाईन चालान करने में विलंब हेतु तीन दिन का मार्जिन दिया गया है।

जिसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार पर ₹ 5.44 करोड़[14] के ब्याज का भार बढ़ गया। देरी तथा ब्याज के अतिरिक्त भार का वर्षवार विश्लेषण **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका 3.1: 2014-17 के दौरान निधियों के स्थानांतरण में देरी के कारण ब्याज का अतिरिक्त भार

दिनों की संख्या में देरी	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज का अतिरिक्त भार (₹ लाख में)
1 से 30	726	2,238.18	346.27
31 से 60	23	84.83	98.69
61 से 90	12	9.16	21.27
91 तथा 168	6	24.07	77.98
कुल	**767**	**2,356.24**	**544.21**

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

उपर्युक्त निधियों के स्थानांतरण में देरी के 767 मामलों में से, 207 अर्थात् 27 प्रतिशत मामले 2014-17 के दौरान ₹ 3.00 करोड़ (55 प्रतिशत) के ब्याज के अतिरिक्त भार सहित डी.एफ.एस.सी. करनाल से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने निधियों के स्थानांतरण में देरी को स्वीकार किया (मई 2017) तथा गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया (अगस्त 2017)। इसके अलावा, विभाग द्वारा दैनिक आधार पर चालू खाते से सरकारी खाते में निधियों के निक्षेपण की निगरानी करने के लिए संबंधित डी.एफ.एस.सीज की अध्यक्षता के अंतर्गत तीन अधिकारियों/कर्मचारियों की एक समिति के गठन की सूचना दी गई।

इस प्रकार, एफ.सी.आई. को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी/प्रस्तुत न करने तथा संबंधित डी.एफ.एस.सीज द्वारा राज्य सरकार के खाते में निधियों के हस्तांतरण के लिए अनुदेशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप एफ.सी.आई. से ₹ 18.65 करोड़[15] की वसूली नहीं हुई तथा राज्य राजकोष पर ₹ 21.12 करोड़[16] के ब्याज का भार बढ़ गया।

ये बिंदु सरकार को अप्रैल-जून 2017 के दौरान भेज दिए गए थे, जून-नवंबर 2017 के दौरान स्मरण-पत्र जारी किए जाने के बावजूद उनके उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे।

वन विभाग

3.2 जल संचयन संरचना पर निष्फल व्यय

खराब आयोजना तथा सिंचाई के लिए जलापूर्ति हेतु संरचना को अंतिम रूप देने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.86 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि योजना का प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी प्रदान करना, प्राप्त नहीं किया जा सका।

शिवालिक विकास बोर्ड (एस.डी.बी.) को विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा बागवानी विभाग आदि द्वारा हरियाणा राज्य में

---

[14] 11.01 प्रतिशत प्रतिवर्ष, अवधि के दौरान कैश क्रेडिट प्राप्ति करने की न्यूनतम दर है। डी.एफ.एस.सीज कुरूक्षेत्र तथा नारनौल ने बचत बैंक खाते में राशि जमा करवाई जहां ब्याज की दर चार प्रतिशत थी। तथापि, यह 7.01 प्रतिशत (11.01 प्रतिशत - 4 प्रतिशत) पर परिकलित की गई है।

[15] बोनस राशि: ₹ 10.57 करोड़ तथा वैल्यू कट राशि: ₹ 8.08 करोड़।

[16] बोनस राशि: ₹ 13.97 करोड़, वैल्यू कट राशि: ₹ 1.71 करोड़ तथा निधियों का विलंबित हस्तांतरण: ₹ 5.44 करोड़।

शिवालिक क्षेत्र के विकास का कार्य सौंपा गया है। शिवालिक विकास बोर्ड द्वारा पंचकूला जिले में गांव पीपल घाटी में जल संचयन संरचना (डब्ल्यू.एच.एस.)[17] के निर्माण का प्रस्ताव गांव पीपल घाटी में बंजर भूमि में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के साथ-साथ आसपास के निवासियों को पीने का पानी प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया (अगस्त 2012)। तदनुसार एस.डी.बी. द्वारा डब्ल्यू.एच.एस. के निर्माण कार्य के लिए ₹ 3.12 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन नवंबर 2013 में दिया गया। इस परियोजना के तकनीकी सहयोग और पर्यवेक्षण के लिए वन विभाग उत्तरदायी था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) द्वारा ₹ 3.12 करोड़ के परियोजना अनुमान को अनुमोदित किया गया (फरवरी 2013) जिसमें ₹ 18.80 लाख 'ग्रेविटी फ्लो तकनीकी'[18] द्वारा गांव के कृषीय क्षेत्रों को डब्ल्यू.एच.एस. से सिंचाई के लिए जलापूर्ति हेतु संरचना का प्रावधान शामिल था।

मंडलीय वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) (प्रादेशिक), मोरनी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि डब्ल्यू.एच.एस. का निर्माण कार्य जनवरी 2014 में शुरू किया गया और सिंचाई के लिए जलापूर्ति की संरचना को छोडकर ₹ 2.86 करोड़[19] की लागत पर सितंबर 2014 में पूर्ण किया गया। जलापूर्ति की संरचना का निर्माण नहीं किया गया क्योंकि विभाग सिंचाई के लिए जल प्रदान करने के अन्य तकनीकी विकल्प ढूंढ रहा था। डी.एफ.ओ. द्वारा बिना कोई व्यवहार्यता अध्ययन किए पास के ग्रामीणों के अनुरोध पर 'ग्रेविटी फ्लो' की बजाय लिफ्ट सिंचाई[20] द्वारा जल प्रदान करने के लिए ₹ 85.75 लाख का नया प्रस्ताव/अनुमान तैयार किया गया (अक्तूबर 2014)। यह अनुमान केवल अनुमोदन हेतु उच्च प्राधिकारियों को सितंबर 2015 में एक वर्ष की देरी से भेजा गया। नवंबर 2016 में मंडलीय वन अधिकारी ने उच्चतर प्राधिकारियों को यह सूचना भेजी कि इस प्रकार का कार्य वन विभाग द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता और यह सुझाव भी दिया कि सिंचाई या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लिफ्ट सिंचाई का कार्य कराने पर विचार करें। आगे, यह भी देखा गया कि लिफ्ट सिंचाई के लिए नए अनुमान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया (अक्तूबर 2017)। परिणामत: यद्यपि डब्ल्यू.एच.एस. ₹ 2.86 करोड़ की लागत पर पूर्ण कर लिया गया, जलापूर्ति का ढांचा शुरू नहीं हुआ था।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया (जून 2017) कि लिफ्ट सिंचाई प्रणाली द्वारा सुविधा प्रदान करना प्रक्रियाधीन था क्योंकि वन विभाग के पास निधियां पहले से उपलब्ध थी। तथापि, डी.एफ.ओ. मोरनी ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि लिफ्ट सिंचाई तकनीक व्यवहारिक नहीं थी तथा इसका प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। डी.एफ.ओ., मोरनी ने बाद में सूचित किया (अक्तूबर 2017) कि अध्यक्ष, शिवालिक विकास एजेंसी और प्रधान सचिव, राजस्व विभाग के निर्देश पर, लिफ्ट सिंचाई द्वारा जल प्रदान करने का अनुमान अनुमोदन के लिए आगे सक्षम अधिकारी को भेजा गया है। इसके अव्यवहारिक होने के बावजूद लिफ्ट सिंचाई को आगे बढ़ाने का कारण विभागीय प्रतिक्रिया में नहीं दिया गया। अत: वन विभाग

[17] ट्रीटिड वाटर शैड कैचमैंट में भण्डारण संरचना में प्राकृतिक अवक्षेपण संग्रहण प्रक्रिया। शिवालिक तलहटी क्षेत्र में वाटर हारवेसटिंग सिंचाई का प्रमुख स्रोत है क्योंकि वहां सिंचाई के अन्य स्रोत विकसित करने की संभावना नहीं है।

[18] गुरूत्व प्रभाव में पानी गुरूत्व की सहायता से प्राकृतिक प्रवाह द्वारा पहुंचाया जाता है।

[19] (i) श्रम - ₹ 2.04 करोड़; (ii) सामग्री - ₹ 0.76 करोड़ तथा (iii) आकस्मिक - ₹ 0.06 करोड़।

[20] लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई की पद्धति है जिसमें पानी प्राकृतिक प्रवाह (जैसा गुरूत्व प्रवाह प्रणाली में) द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है बल्कि पंपों की सहायता से पहुंचाया जाता है।

डब्ल्यू.एच.एस. से जलापूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली कार्य प्रणाली का पता नहीं लगा सका और परिणामत:, सिंचाई के लिए जल प्रदान करने का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, शुरू से ही खराब आयोजना के परिणामस्वरूप ₹ 2.86 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, स्कीम का मूल उद्देश्य, गांव के बंजर खेतों को सींचने के लिए जल प्रदान करना, प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला टिप्पणियों के लिए वन विभाग, राज्य सरकार को भेजा गया (जून 2017) था; जुलाई तथा नवंबर 2017 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

आवास विभाग
(आवास बोर्ड हरियाणा)

3.3 सामुदायिक केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय

आवासीय बोर्ड कॉलोनी, दादरी गेट, भिवानी में सामुदायिक केन्द्र के लिए बिजली एवं जल का कनेक्शन न दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, क्योंकि सामुदायिक केन्द्र का इसके निर्माण की तारीख से पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक उपयोग नहीं हुआ था।

आवासीय बोर्ड हरियाणा (बोर्ड) ने आवासीय बोर्ड कॉलोनी, दादरी गेट, भिवानी में कालोनी के निवासियों द्वारा सामाजिक समारोहों के आयोजन हेतु पेवमेन्ट तथा पार्किंग इत्यादि सहित चार मंजिला सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की योजना बनाई। राज्य सरकार ने खरीदारी केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए ₹ 4.95 करोड़ का संयुक्त प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जुलाई 2008)। सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए ₹ 1.76 करोड़ का विस्तृत अनुमान मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया (जून 2011) था।

कार्यकारी अभियता (ई.ई.) आवासीय बोर्ड हरियाणा (एच.बी.एच.), रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पेवमेन्ट तथा पार्किग इत्यादि सहित सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का कार्य एक फर्म को सिविल कार्यों, आंतरिक जन स्वास्थ्य कार्यों तथा आंतरिक विद्युत स्थापन सेवाओं के लिए ₹ 1.50 करोड़ की लागत पर आबंटन पत्र जारी करने की तारीख से नौ माह के भीतर पूर्ण करने के लिए आबंटित किया गया (जून 2010)। सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का कार्य ₹ 1.78 करोड़ की लागत पर नौ माह के विलंब के बाद दिसंबर 2011 में पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सामुदायिक केन्द्र इसकी पूर्णता से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के समापन के बाद भी उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि बोर्ड ने बिजली एवं जल कनेक्शन प्राप्त नहीं किए थे। आगे, सामुदायिक केन्द्र में अग्नि अथवा इसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने के जोखिमों से बचने के लिए अग्निशमन प्रणाली स्थापित नहीं की गई क्योंकि अग्निशमन प्रणाली का प्रावधान न तो अनुमान में और न ही करार अनुबंध में किया गया।

सामुदायिक केंद्र का उसकी पूर्णता से पहले नीलामी के माध्यम से निपटान करने पर विचार एवं अनुमोदन प्रदान करने के लिए अक्तूबर 2011 के दौरान बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने सुझाव दिया कि सामुदायिक केंद्र दीर्घावधि के लिए बोर्ड की परिसंपत्ति हो सकता है। तथापि, इसकी नीलामी करने के बजाय इसे इस शर्त के साथ 10 वर्षों की दीर्घावधि पर पट्टे पर दिया जा सकता है कि सामुदायिक केंद्र की सुविधाएं बोर्ड

द्वारा नियत रियायती दरों पर कालोनी के मूल आबंटियों को प्राथमिकता पर समारोह आयोजित करने के लिए दी जाएगी। बोर्ड ने ई.ई., एच.बी.एच., रोहतक को सामुदायिक केंद्र पट्टे पर देने के लिए प्राधिकृत किया (मई 2016)। तथापि, ई.ई. ने बताया (जून 2016) कि इसे अग्निशमन प्रणाली के बिना पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि अग्निशमन प्रणाली के लिए डी.एन.आई.टी. अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास फरवरी 2016 में भेजा गया था, इसे अभी तक (जून 2017) अनुमोदित नहीं किया गया था। इस प्रकार, बोर्ड ने सामुदायिक केंद्र का अभी तक न तो निपटान किया है और न ही इसे पट्टे पर दिया है। भवन की हालत भी पांच वर्षों से अधिक तक उपयोग न होने के कारण खराब हो गई है।

इस प्रकार, दिसंबर 2011 में निर्मित ₹ 1.78 करोड़ का व्यय करने के पश्चात सामुदायिक केंद्र का उपयोग नहीं किया जा सका तथा इसके निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल रहा। बिजली तथा पानी का कनैक्शन प्राप्त न करने के कारण, रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

मामला टिप्पणियों के लिए अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आवास विभाग के पास जुलाई 2017 में भेजा गया था। सितंबर तथा नवंबर 2017 में अनुस्मारक जारी किए गए थे। तथापि, उत्तर अभी प्रतीक्षित था ।

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग

3.4 प्रचार एवं विज्ञापन पर व्यय

राज्य के बाहर के समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन, समाचार-पत्रों की भाषा से भिन्न भाषा में विज्ञापनों के प्रकाशन, स्कीम की अधिसूचना के बिना विज्ञापन पर निष्फल व्यय तथा विज्ञापन बिलों पर ₹ 51.52 लाख के अधिक भुगतान के दृष्टांत थे। जनवरी 2013 की अवधि के लिए वीडियो अभियान हेतु थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग सेवाएं नहीं ली गई थी परिणामस्वरूप अधिक तथा अनियमित भुगतान हुए। नगर पालिका उप नियमों के उल्लंघन में होर्डिंग्ज लगाने के परिणामस्वरूप उन्हें अन्य स्थानों पर दोबारा लगाने के कारण ₹ 2.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। परिवहन की बसों पर विज्ञापन पर ₹ 63.92 लाख खर्च किए गए थे जिसका लाभ बहुत कम अवधि के लिए हुआ था।

3.4.1 प्रस्तावना

सरकार का विज्ञापन से प्राथमिक उद्देश्य समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभिप्रेत विषय या संदेश की विस्तृत संभव कवरेज को प्राप्त करना है। राज्य सरकार की विज्ञापन नीति के दिशा-निर्देश (ए.पी.जी.), 2007 प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक तथा अन्य मीडिया के लिए प्रक्रिया एवं मापदंड शासित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों सहित सरकार के विभिन्न विभागों तथा संगठनों के विज्ञापनों के लिए लोक संपर्क निदेशालय (डी.आई.पी.आर.) सरकार की नोड्ल एजेंसी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापन हेतु सार्वजनिक निधि के मनमाने उपयोग रोकने के दृष्टिकोण से सरकारी विज्ञापन-2014 के विषय विनियम पर दिशा-निर्देश अनुमोदित किए थे (मई 2015)। डी.आई.पी.आर. तथा तीन[21] जिला लोक संपर्क अधिकारियों के 2013-17 की अवधि के अभिलेखों की जनवरी-अप्रैल 2017 के दौरान यह निर्धारण करने के लिए जांच की गई थी कि क्या प्रचार एवं विज्ञापन पर व्यय मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया गया था।

[21] भिवानी, फरीदाबाद तथा कैथल जिले।

इकाइयों का चयन वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2017-18 में आवृत्त किए गए अनुसार जोखिम निर्धारण के आधार पर किया गया था। डी.आई.पी.आर. ने विज्ञापन एवं प्रचार पर 2013-17 के दौरान ₹ 163.55[22] करोड़ का कुल व्यय किया था।

3.4.2 प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन

3.4.2.1 राज्य से बाहर प्रकाशित समाचार-पत्रों में विज्ञापन

ए.पी.जी. 2007 के अनुसार विज्ञापन, चण्डीगढ़/पंजाब/हिमाचल प्रदेश/दिल्ली से प्रकाशित हरियाणा में वितरण वाले या अन्यथा राज्य की छवि को लाभ पहुंचाने वाले या विशेष मामलों में पाठकगण के पसंदीदा समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में दिए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने राज्य से बाहर (दिल्ली/पंजाब/हिमाचल प्रदेश से अलग) राष्ट्रीय समाचार-पत्रों तथा क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के विभिन्न[23] नगर संस्करणों में विज्ञापन के माध्यम से हरियाणा शक्ति रैली (नवंबर 2013) तथा विशेष अभियानों (जनवरी 2013 तथा अक्तूबर 2015) पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर प्रकाश डाला।

ये विज्ञापन राज्य के किसानों तथा एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के लिए कल्याण स्कीमों सहित वृद्धों, विधवाओं तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए पेंशन की वृद्धि के संबंध में थे। विभाग ने राज्य से बाहर तथा पड़ोसी राज्यों में प्रकाशित इन विज्ञापनों पर ₹ 18.19 लाख[24] का व्यय किया। अभिप्रेत विषय या संदेश की विस्तृत कवरेज प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि ये स्कीमें राज्य के लोगों के लिए ही उपयोगी थी।

3.4.2.2 समाचार-पत्रों की भाषा से पृथक भाषा में विज्ञापन का प्रकाशन

विज्ञापन नीति दिशानिर्देश 2007 निर्धारित करते हैं कि यदि कोई समाचार-पत्र उस भाषा, जिसमें यह प्रकाशित किया जाता है, से पृथक भाषा में कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है तो ग्राहक विभाग विज्ञापन के प्रकाशन हेतु किसी प्रकार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

22 2013-14: ₹ 33.32 करोड़, 2014-15: ₹ 32.55 करोड़, 2015-16: ₹ 41.95 करोड़ तथा 2016-17: ₹ 55.73 करोड़।

23 आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून, हल्द्वानी, जम्मू, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, भागलपुर, पटना, कोलकाता, सिलीगुड़ी तथा जयपुर।

24 जनवरी 2013: ₹ 0.60 लाख, नवंबर 2013: ₹ 17.33 लाख तथा अक्तूबर 2015: ₹ 0.26 लाख।

नहीं होगा या ग्राहक विज्ञापक, यदि अन्यथा संतुष्ट हो तो, विज्ञापन बिल से 10 प्रतिशत की कटौती करने का अधिकार रखता है। विज्ञापन सामग्री का सही अनुवाद करना प्रकाशक/समाचार-पत्र की जिम्मेदारी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने 2013-15 के दौरान अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के समाचार-पत्रों (पंजाबी/उर्दू) में 44 हिंदी/अंग्रेजी विज्ञापनों के प्रकाशन तथा इसके विपरीततया ₹ 30.35 लाख का व्यय किया। विभाग ने यह सत्यापन किए बिना भुगतान कर दिया कि विज्ञापन उसी भाषा में प्रकाशित किए गए हैं जिस भाषा में समाचार-पत्र प्रकाशित किए गए थे। विभाग ने बिलों से 10 प्रतिशत राशि की कटौती नहीं की। इस प्रकार, विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया तथा ₹ 30.35 लाख का व्यय निष्फल रहा।

3.4.2.3 स्कीम की अधिसूचना के बिना विज्ञापन पर निष्फल व्यय

विज्ञापन नीति दिशानिर्देश-2007 के अनुसार, प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापन में जनता को जागरूक करने के लिए राज्य द्वारा समय-समय पर आरंभ की गई विभिन्न प्रकार की राज्य की नीतियां, कार्यक्रम तथा उपलब्धियां शामिल हैं।

वन रैंक वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) स्कीम पर नीचे दर्शाए गए अनुसार एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन 18 फरवरी 2014 को 65 समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया तथा ₹ 48.39 लाख का व्यय किया गया था और मार्च 2014 से अक्तूबर 2014 के दौरान भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विज्ञापन नवंबर 2015 में स्कीम की अधिसूचना से बहुत पहले जारी किया गया था। आगे, विज्ञापन की विषय-वस्तु दर्शाती है कि विज्ञापन, राजनीतिक हस्तियों के महिमागान के लिए दिया गया था। इस प्रकार, अधिसूचना के बिना विज्ञापन पर किए गए व्यय ने नीति दिशानिर्देशों में दिए गए प्रयोजन को पूरा नहीं किया।

3.4.2.4 विज्ञापन बिलों का अतिरिक्त भुगतान

विज्ञापन नीति दिशानिर्देश-2007 में समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के सूचीकरण तथा दर अनुबंध, यदि समाचार-पत्र के पास आडियो विजुअल पब्लिसिटी निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) की अनुमोदित दरें नहीं हैं, हेतु सिफारिश करने के लिए सूचीकरण परामर्श कमेटी (ई.ए.सी.) के गठन पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रमुख अंग्रेजी तथा हिंदी प्रकाशन के मुखपृष्ठ मस्तूल शिखर पर रंगीन विज्ञापन की दरें जनवरी 2013 से नवंबर 2015 के दौरान प्रस्तावों/जारी आदेशों के अनुसार डी.ए.वी.पी. दरों की 340 तथा 240 प्रतिशत की दर[25] पर अंतिमकृत की गई थी। तथापि, विभाग ने ई.ए.सी. की मोल-तोल की गई दरों पर ₹ 2.96 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध अंग्रेजी तथा हिंदी समाचार-पत्रों के लिए डी.ए.वी.पी. दर के क्रमश: 420 तथा 280 प्रतिशत पर ₹ 3.48 करोड़ का भुगतान किया परिणामस्वरूप नीचे **तालिका 3.2** में दिए गए अनुसार ₹ 0.52 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

तालिका 3.2: विभिन्न समाचार-पत्रों में मस्तूल शिखर विज्ञापनों का अधिक भुगतान दर्शाने वाले विवरण

(₹ लाख में)

प्रकाशन का माह	बिलों की संख्या	भुगतान की गई राशि	देय राशि	अधिक भुगतान
जनवरी 2013	6	107.58	91.81	15.77
अप्रैल 2013	9	15.12	12.95	2.16
जनवरी 2014	1	3.19	2.71	0.49
फरवरी 2014	3	9.33	7.50	1.83
जून 2014	7	76.31	65.34	10.97
जुलाई 2014	4	15.37	13.18	2.19
अक्तूबर 2015	27	111.94	95.13	16.81
नवंबर 2015	3	8.68	7.38	1.30
कुल	**60**	**347.52**	**296.00**	**51.52**

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से संकलित।

इस प्रकार, विभाग द्वारा भुगतान के लिए बिलों को पास करने से पहले अनुमोदित दरों के संदर्भ में बिलों की समुचित रूप से जांच नहीं की गई थी। विभाग ने बताया (जून 2017) कि पंजाब तथा हिमाचल सरकार भी भुगतान की समान पद्धति का अनुसरण कर रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान अंतिमकृत दरों के संदर्भ में किए जाने अपेक्षित थे।

3.4.3 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन

3.4.3.1 टी.वी. चैनलों पर विज्ञापन की प्रभाविकता

प्राईवेट केबल एवं सेटेलाईट (सी एंड एस.) टी.वी. चैनलों के सूचीकरण हेतु सितंबर 2012 में जारी किए गए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने डी.ए.वी.पी. को छ:[26] नए टाईम बैंड करने का निर्देश दिया। न्यूज चैनलों के लिए टाईम बैंडस तीन तक, अर्थात्, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तथा

[25] अंग्रेजी तथा हिंदी समाचार-पत्रों के लिए डी.ए.वी.पी. दर पर अतिरिक्त क्रमश: 240 प्रतिशत तथा 140 प्रतिशत प्रीमियम।

[26] (i) सुबह 7 बजे से 9 बजे, (ii) 9 बजे से दोपहर 12 बजे, (iii) दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे (iv) शाम 7 बजे से 8 बजे, (v) 8 बजे से रात 10 बजे तथा (vi) रात 10 बजे से रात 11 बजे तक।

शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक, निर्धारित किए गए थे। विभाग ने फरवरी, मार्च तथा अप्रैल 2013 में दो टी.वी. चैनलो पर प्रसारण के लिए सुबह 7 बजे से रात 11 बजे के मध्य प्रसारित किए जाने हेतु तीन विज्ञापन अभियानों के आदेश जारी किए।

(क) 2013-14 के दौरान टी.वी. चैनलों द्वारा प्रस्तुत प्रसारण प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 41,960 सैकिंडों वाले 646 क्लिप्स सुबह 7 बजे से पहले तथा रात 11 बजे के बाद प्रसारित किए गए थे। विभाग ने यह सुनिश्चित किए बिना, कि जारी किए गए आदेशों में निर्धारित टाईम-बैंडस के भीतर प्रसारण किया गया था, इन क्लिप्स के प्रसारण हेतु ₹ 7.07 लाख का भुगतान जारी किया (फरवरी-अप्रैल 2013)। सुबह 7 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद विज्ञापनों का प्रसारण प्रभावी नहीं था, इसलिए भुगतान उचित नहीं था।

(ख) प्रसारण प्रमाण-पत्रों के अनुसार अप्रैल 2013 के दौरान एक ही टी.वी. चैनल पर एक ही समय पर 137 बार दो विज्ञापनों का प्रसारण किया गया था। एक ही टी.वी. चैनल पर एक ही समय पर दो विज्ञापनों का प्रसारण करना संभव नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 8,069 सैकिंडों के लिए ₹ 1.34 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(ग) विभाग ने दो विज्ञापनों के लिए, जो अप्रैल 2013 में 51 बार प्रसारित किए गए थे, का भुगतान किया। भुगतान 210 तथा 205 सैकिंडों की अवधि के लिए किए गए थे जबकि वास्तविक अवधि क्रमश: 130 तथा 125 सैकिंड थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.98 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने और आगे अवलोकित किया कि ब्रॉडकास्टरों द्वारा दिए गए प्रसारण/ब्रॉडकास्ट प्रमाण-पत्र के आधार पर जनवरी-अप्रैल 2013 की अवधि के लिए वीडियो अभियान पर ₹ 8.12 करोड़ का भुगतान किया गया था। विज्ञापन नीति दिशानिर्देशों 2007 (अनुच्छेद 10 (बी) (ii)) में, आवृत किए जाने वाले चैनलों के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रसारण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग सेवाएं प्राप्त करने का प्रावधान था। परंतु थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग सेवाएं प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामत: यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विज्ञापनों के वास्तविक प्रसारण के अनुसार सही ढंग से भुगतान किए गए थे।

3.4.3.2 एच.डी. फार्मेट में वीडियो बनाने से अतिरिक्त परिहार्य व्यय

सरकार की विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा उपलब्धियों को अधिक प्रभावी ढंग से दर्शाने के लिए नव चयनित सरकार की एक वर्ष की पूर्णता (अक्तूबर 2015) के अवसर पर विशेष अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। सूचीकरण परामर्श कमेटी ने डी.ए.वी.पी. दरों पर वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/फर्मों का चयन किया (नवंबर 2015)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एच.डी. फार्मेट में वीडियो के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था। एच.डी. फार्मेट की दरें डी.ए.वी.पी. दरों से 50 प्रतिशत अधिक थीं। एच.डी. फार्मेट में 18 वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए ₹ 1.09 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे यह भी प्रकट किया कि ये वीडियो क्लिप्स एच.डी. चैनलों पर प्रसारित नहीं किए गए थे। चूंकि ये वीडियो क्लिप्स एच.डी. चैनलों पर प्रसारित नहीं किए जाने थे, साधारण वीडियो क्लिप्स से प्रयोजन पूरा हो सकता था। साधारण फार्मेट की बजाय एच.डी. फार्मेट में वीडियो क्लिप्स बनाने के परिणामस्वरूप ₹ 36.58 लाख का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

विभाग ने बताया (जून 2017) कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का स्पष्टता से प्रचार करने के विचार से एच.डी. फार्मेट फिल्में बनाई गई थी। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि एच.डी. फार्मेट तभी उपयोगी होता है जब इसका प्रसारण एच.डी. चैनलों पर किया जाता है।

3.4.3.3 व्यक्ति विशेष का महिमागान

सरकारी विज्ञापन के विषय विनियम 2014 के दिशानिर्देश निर्धारित करते है कि विज्ञापन सामग्री संक्षिप्त होनी चाहिए तथा सत्तारूढ दलों के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए। आगे यह निर्धारित करती है कि सरकारी विज्ञापन को राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए तथा राजनीतिक हस्तियों के महिमागान और सत्तारूढ़ दल के सकारात्मक प्रभाव या सरकार के विरोधी दलों के नकारात्मक प्रभाव का प्रचार करने से बचना चाहिए। यह भी कि विज्ञापन सामग्री में सत्तारूढ़ दल का नाम, पार्टी का राजनीतिक चिह्न, प्रतीक चिह्न या झंडा नहीं होना चाहिए।

विभाग ने जुलाई-अगस्त 2014 की अवधि के दौरान ₹ 90.99 लाख की लागत पर विभिन्न टी.वी. चैनलों में ''हुडा जी का हरियाणा'' तथा ''म्हारा सीएम साहब'' के नाम से वीडियो क्लिप्स प्रसारित करवाए। ये दोनों वीडियो क्लिप्स हुडा जी का हरियाणा के रूप में ''हरियाणा सरकार'' को संदर्भित थे तथा कई स्थानों पर सरकार की उपलब्धियों को विशेष रूप से ''हुडा'' के व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में दर्शाते हैं।

विभाग ने बताया (जून 2017) कि टी.वी. विज्ञापन, किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए प्रसारित नहीं किए गए थे बल्कि वे सरकार की जन-कल्याण स्कीमों तथा विकास गतिविधियों से संबंधित थे। राज्य का मुख्यमंत्री होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का प्रयोग किया जा रहा था। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए तुकबंदियां नहीं की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विज्ञापनों ने सरकार की उपलब्धि को मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में दर्शाया जोकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के विरूद्ध था।

3.4.4 अन्य मीडिया द्वारा विज्ञापन

3.4.4.1 विज्ञापन बोर्डों को हटाने तथा दोबारा लगाने पर परिहार्य व्यय

हरियाणा नगरपालिका (विज्ञापन नियंत्रण) उप-नियम, 2008 का विनियम 3 प्रावधान करता है कि कोई एजेंसी, कार्यकारी अधिकारी से लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन नहीं लगाएगी। सार्वजनिक/नगरपालिका गलियों के सामने किसी भी तरह के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उप-नियम का विनियम 11 यह भी प्रावधान करता है कि होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि कार्यकारी अधिकारी या सरकार के किसी अन्य अधिकारी का यह विचार है कि (क) कोई होर्डिंग जो कि प्राधिकृत ट्रैफिक साईन, सिग्नल जैसा होने का भ्रम पैदा करता है, (ख) किसी स्थान पर ऐसे ढंग से लगाया गया कोई होर्डिंग, जो ट्रैफिक तक पहुंचने, मिलने या अलग होने की दृष्यता के साथ अवरोधन या हस्तक्षेप उत्पन्न करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि फरवरी 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य डी.आई.पी.आर. ने राज्य के 21 जिलों में 1,029 विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को ₹ 11.71 करोड़ जारी किए। विज्ञापन बोर्डों को लगाने के लिए स्थान का निर्धारण करते समय तत्रैव संदर्भित नगरपालिका कमेटियों के दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च-न्यायालय ने 2011 की जन हित याचिका में राज्य सरकार को उन सभी विज्ञापन बोर्डों को दूसरी जगह लगाने का निर्देश दिया (दिसंबर 2012) जो यातायात के लिए खतरनाक माने गए थे। तत्पश्चात् विभाग ने विज्ञापन बोर्डों के स्थान का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण टीमें भेजी। टीम की सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार (जुलाई 2013) विभाग से संबंधित 1,029 विज्ञापन बोर्डों में से 562 विज्ञापन बोर्डों को माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार दूसरे स्थानों पर लगाया जाना था।

विभाग ने 562 विज्ञापन बोर्डों को हटाने, शिफ्ट करने तथा लगाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को 13 फरवरी 2015 को ₹ 2.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया। 562 विज्ञापन बोर्डों में से 388[27] शिफ्ट किए गए थे (अप्रैल 2017) तथा ₹ 84.15 लाख का व्यय किया गया था। इस प्रकार, विज्ञापन बोर्डों के स्थान का चयन करते समय नगरपालिका उप-नियमों का अनुपालन न करने के कारण ₹ 84.15 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा। आगे ₹ 1.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी शेष विज्ञापन बोर्डों को दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए भविष्य में करना पड़ेगा।

3.4.4.2 बसों पर विज्ञापन पर निष्फल व्यय

डी.आई.पी.आर. प्रत्येक वर्ष विज्ञापन बोर्डों/डिसप्ले पैनलों पर फ्लेक्स/विनायल प्रिंटस की प्रिंटिंग तथा लगाने के लिए कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित करने के बाद दरें तय करता है तथा विभिन्न जिलों में सूचीबद्ध फर्मों को कार्य के आबंटन के लिए एक पैनल बनाया जाता है।

आम जनता को सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से डी.आई.पी.आर. ने चण्डीगढ़ में स्थित एक फर्म को ₹ 0.64 करोड़ की अनुमानित लागत पर हरियाणा परिवहन की 3,000 बसों के लिए फ्लेक्स/विनायल प्रिंटस की प्रिंटिंग तथा लगाने के लिए आदेश दिया (जून 2014)। इस कार्य के लिए ₹ 63.92[28] लाख का व्यय किया गया था। फिक्सिंग/पेस्टिंग का कार्य जून 2014 के अंतिम सप्ताह में पूरा किया गया था।

विभाग ने हरियाणा परिवहन की 3,000 बसों के माध्यम से राज्य सरकार का प्रचार करने का निर्णय लिया (दिसंबर 2013)। लोक सभा के चुनावों (अप्रैल-मई 2016) के कारण आसन्न आचार संहिता का ध्यान रखते हुए कार्य को चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक रोक दिया गया था। प्रस्ताव आगे महानिदेशक को प्रस्तुत (मई 2014) किया गया था जिन्होंने विचार व्यक्त किया कि दो-तीन माह के समय में दूसरी आचार संहिता लग सकती है तथा मामला सरकार के पास यह निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया कि क्या प्रचार हेतु व्यय किया जाना है या नहीं। सरकार ने तथापि, राज्य सरकार की बसों पर प्रचार के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया (जून 2014) तथा उसके बाद कार्य निष्पादित किया गया था। हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव (अक्तूबर 2014) के कारण 12 सितंबर 2014 को मॉडल आचार संहित लगाई गई थी। प्रचार पैनलों को उनके लगाए जाने के मात्र तीन माह पश्चात् हटा दिया गया था (सितंबर 2014)। विभाग मॉडल आचार संहिता लगने के बारे में भली-भांति परिचित था, बावजूद इसके, इसने ऐसी छोटी अवधि के लिए प्रचार पर ₹ 63.92 लाख का व्यय किया जोकि वित्तीय औचित्य के सिद्धांतो के विरूद्ध था।

---

[27] (i) अंबाला (66), (ii) रोहतक (94), (iii) फरीदाबाद (88), (iv) करनाल (75) तथा (v) हिसार (65)।

[28] 1,82,250 वर्गफुट क्षेत्र x ₹ 35.07 = ₹ 63.92 लाख।

3.4.5 निष्कर्ष

सार्वजनिक राजकोष से वित्तपोषित विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों को सरकार के उत्तरदायित्वों से संबंधित होना चाहिए तथा सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं और पहल को राज्य की जनता को सूचना प्रदान करने पर स्पष्ट रूप से निर्देशित होना चाहिए। जैसाकि उपर्युक्त अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है कि राज्य से बाहर समाचार-पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, समाचार-पत्र की भाषा से अन्य भाषा में, स्कीम की अधिसूचना के बिना एक विज्ञापन पर निष्फल व्यय तथा विज्ञापन बिलों पर ₹ 51.52 लाख के अधिक भुगतान के दृष्टांत थे। जनवरी 2013 की अवधि के लिए वीडियो अभियान पर थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग सेवाएं प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामत:, अधिक तथा अनियमित भुगतान के मामले थे। नगरपालिका उपविधियों के उल्लंघन में विज्ञापन बोर्डों को लगाने के परिणामस्वरूप उन्हें फिर से अन्य स्थानों पर लगाना पड़ा जिससे ₹ 2.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। परिवहन बसों पर विज्ञापन पर ₹ 63.92 लाख खर्च किए गए थे, जिनका लाभ बहुत कम अवधि के लिए उठाया गया था। इस प्रकार, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य प्रिंट मीडिया प्रकाशनों के माध्यम से अभिप्रेत विषय या संदेश की विस्तृत संभव कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त नहीं किए गए थे।

यह मामले मई 2017 में सरकार को संदर्भित किए गए थे तथा जुलाई एवं नवंबर 2017 में आगे अनुस्मारक जारी किए गए थे किंतु उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित था।

श्रम एवं रोजगार विभाग
(हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कार्मिक कल्याण बोर्ड)

3.5 निर्माण कार्य कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर निधियों का अनुप्रयोग न होना तथा आयकर का परिहार्य भुगतान

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कार्मिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर निधियों का अनुप्रयोग न होने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को वांछित लाभ नहीं हो पाया, इसके अतिरिक्त ₹ 22.76 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान हुआ तथा ₹ 47.07 करोड़ की अतिरिक्त देयता उत्पन्न हुई।

हरियाणा सरकार ने निर्माण कार्य कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाएं चलाने के लिए हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कार्मिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) गठित किया (नवंबर 2006) और उपकर अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप एक प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर लगाया (फरवरी 2007)। इस प्रकार से संगृहीत उपकर, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कार्मिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर व्यय करना अपेक्षित था। बोर्ड ने पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कार्मिकों (कार्मिकों) के लिए मार्च 2005 और सितंबर 2016 के मध्य 23 कल्याण योजनाएं तथा जून 2008 और सितंबर 2016 के मध्य नौ सामुदायिक कल्याण योजनाएं अधिसूचित/अनुमोदित की। सितंबर 2016 को राज्य में 5.90 लाख पंजीकृत कार्मिक थे।

बोर्ड निर्धारण वर्ष 2008-09 से प्रभावी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए के अंतर्गत धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो गया (सितंबर 2008)। आयकर अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार ट्रस्ट की 15 प्रतिशत आय आयकर से मुक्त थी तथा शेष 85 प्रतिशत आय आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए भारत में धर्मार्थ एवं धार्मिक प्रयोजनों

के लिए प्रयुक्त की जानी अपेक्षित थी। आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) में भी प्रावधान है कि यदि उस वर्ष के दौरान ट्रस्ट का व्यय 85 प्रतिशत से कम रहता है तो शेष आय आगामी वर्षों, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो, के लिए धर्मार्थ एवं धार्मिक प्रयोजना के लिए अलग रखी जा सकती है। यदि ट्रस्ट पांच वर्षों की निर्दिष्ट अवधि में पृथक रखी आय का अनुप्रयोग करने में विफल रहता है तब अलग रखी अव्ययित आय पांच वर्षों की अवधि व्यतीत होने पर तुरंत बाद के वर्ष में कर योग्य हो जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बोर्ड ने 2007-17 के दौरान ₹ 2,535.94 करोड़ की राशि उपकर, पंजीकरण और सदस्यता शुल्क के तौर पर प्राप्त की जिसमें से केवल ₹ 224.31 करोड़ अर्थात् कुल प्राप्तियों का नौ प्रतिशत बोर्ड द्वारा प्रशासनिक खर्चों, कल्याण योजनाओं इत्यादि पर प्रयोग किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे प्रकट किया:

(i) निधियों एवं योग्य पंजीकृत कार्मिकों की उपलब्धता के बाद भी योजनाएं पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की जा सकी। चार[29] मुख्य योजनाओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि बोर्ड द्वारा ₹ 511.73 करोड़ इन योजनाओं पर व्यय कर दिए जाते, यदि लाभ पंजीकृत कार्मिकों की योग्यता के आधार पर प्रदान किए गए होते ***(परिशिष्ट 3.1)*** परंतु केवल ₹ 25.28 करोड़ (पांच प्रतिशत) मार्च 2017 तक व्यय किए गए तथा केवल 60,985 निर्माण कार्य कार्मिक इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके।

(ii) मार्च 2005 और जनवरी 2016 के मध्य प्रारंभ पांच योजनाओं[30] में कोई कार्मिक लाभान्वित नही हुआ और 31 मार्च 2017 को व्यय शून्य था।

(iii) मार्च 2005 और जुलाई 2014 के मध्य प्रारंभ अन्य पांच योजनाओं[31] में केवल 2,510 कार्मिक लाभान्वित हुए और मार्च 2017 तक केवल ₹ 2.63 करोड़ का व्यय किया गया।

(iv) निर्माण कार्य कार्मिकों के कौशल विकास के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ राज्य स्तर पर "निर्माण कार्य के लिए हरियाणा अकादमी" के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया (जुलाई 2015) और इस प्रयोजन के लिए ₹ 100 करोड़ आबंटित किए गए। तथापि दो से अधिक वर्षों की समाप्ति के बाद भी कोई व्यय नहीं किया गया।

(v) 2007-12 के दौरान विज्ञापन एवं प्रोत्साहन पर कोई व्यय नहीं किया गया। 2012-16 के दौरान विज्ञापन एवं प्रोत्साहन पर ₹ 0.72 करोड़ की राशि व्यय की गई जो दर्शाता है कि श्रम वर्ग के मध्य कल्याण और समुदाय आधारित मूल योजनाओं की सूचना का प्रचार पर्याप्त नहीं था। परिणामस्वरूप पंजीकृत कार्मिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपने अधिकारों के बारे में अवगत नहीं करवाया जा सका और बहुत कम कार्मिक इन

---

[29] (i) साईकिल की खरीद हेतु वित्तीय सहायता (ii) टूल किट की खरीद हेतु वित्तीय सहायता (iii) मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना तथा (iv) सिलाई मशीन की खरीद हेतु वित्तीय सहायता।

[30] (i) मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम, (ii) पारिवारिक पैंशन हेतु वित्तीय सहायता, (iii) धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा, (iv) गृह नगर जाने के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा तथा (v) सौर लालटेन हेतु वित्तीय सहायता।

[31] (i) मातृत्व हेतु वित्तीय सहायता, (ii) पुत्र के विवाह हेतु वित्तीय सहायता, (iii) दिव्यांग पैंशन/दिव्यांग सहायता, (iv) गंभीर बिमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता तथा (v) शारीरिक अक्षम/मानसिक रूप अशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता।

योजनाओं से लाभान्वित हुए। लोक लेखा समिति ने अपनी 2015-16 की 72वीं रिपोर्ट में इच्छा व्यक्त की थी कि विभाग द्वारा कार्मिकों को जानकारी देने हेतु सभी श्रम चौराहों और श्रम शालिकाओं में कार्मिकों को पंजीकरण के सभी लाभ दर्शाते हुए बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाने चाहिए, इसके बावजूद 2016-17 के दौरान विज्ञापन एवं प्रोत्साहन पर ₹ 37.84 लाख के कुल व्यय में से केवल ₹ 7,246 (0.19 प्रतिशत) की राशि बैनरों/फ्लैकस बोर्डों पर व्यय की गई।

(vi) बोर्ड ने प्रवासी कार्मिकों, जो सामान्यत: समाज का सबसे अधिक असुरक्षित वर्ग है, के द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को सुलझाने हेतु कार्मिकों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस सृजित नहीं किया।

(vii) बोर्ड द्वारा उपकर पंजीकरण एवं सदस्यता शुल्क के तौर पर ₹ 409.17 करोड़[32] 2008-11 के दौरान प्राप्त किए गए। ₹ 347.49 करोड़ (₹ 409.17 करोड़ का 85 प्रतिशत) 31 मार्च 2016 तक प्रयोग किया जाना था। तथापि बोर्ड निर्दिष्ट समयावधि (2013-16) के भीतर आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) के अंतर्गत अनुमत अधिसूचित/अनुमोदित कल्याण तथा समुदाय आधारित योजनाओं पर केवल ₹ 129.07 करोड़ प्रयोग कर सका। इस प्रकार ₹ 218.72 करोड़ की अव्ययित आय कर योग्य हो गई।

बोर्ड ने निर्धारण वर्षों 2015-16 और 2016-17 के दौरान 2008-10 वित्तीय वर्षों के लिए ₹ 22.76[33] करोड़ की सीमा तक आयकर का भुगतान ₹ 82.27[34] करोड़ की अव्ययित अलग रखी हुई आय पर पहले ही कर दिया था। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 136.45 करोड़ की अलग रखी अव्ययित आय वित्तीय वर्ष 2016-17 में कर योग्य हो गई जिसमें निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 47.07[35] करोड़ के आयकर की देयता और सृजित हो गई।

---

32 आयकर का परिहार्य भुगतान दर्शाने वाली विवरणी।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्तियों की राशि	अगले पांच वर्षों के दौरान उपयोग की जाने वाली या उपयोग हेतु अलग रखी गई कुल प्राप्तियों की 85 प्रतिशत राशि	वित्तीय वर्ष जिसमें अलग रखी गई राशि कर योग्य बनी	विनिर्दिष्ट अवधि तक उपयोग की गई राशि	पांच वर्ष की समाप्ति के बाद उपयोग किए बिना रही राशि	निर्धारण वर्ष जब तक आयकर रिटर्न भरी जानी अपेक्षित है	भुगतान किए गए/देय आयकर, सरचार्ज तथा शिक्षा उपकर की राशि
2008-09	75.76	64.40	2014-15	29.67	34.73	2015-16	11.79
2009-10	113.46	96.44	2015-16	48.90	47.54	2016-17	10.97
2010-11	219.95	186.95	2016-17	50.50	136.45	2017-18	47.07
कुल	**409.17**	**347.79**		**129.07**	**218.72**		**69.83**

33 ₹ 11.79 करोड़ (आयकर का भुगतान किया गया: 2008-09) + ₹ 10.97 करोड़ (आयकर का भुगतान किया गया: 2009-10) = ₹ 22.76 करोड़।

34 ₹ 34.73 करोड़ (उपयोग न की गई राशि: 2008-09) + ₹ 47.54 करोड़ (उपयोग न की गई राशि: 2009-10) = ₹ 82.27 करोड़।

35 ₹ 47.07 करोड़ = ₹ 40.93 करोड़ (आयकर: 30 प्रतिशत) + ₹ 4.91 करोड़ (अधिभार: 12 प्रतिशत) + ₹ 1.23 करोड़ (उच्चतर शिक्षा उपकर: 3 प्रतिशत)।

सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि वे राज्य में निर्माण कार्य कार्मिकों के कल्याण के लिए संगृहीत निधियों के उपयुक्त प्रभावी एवं वैध अनुप्रयोगों के लिए सूचना, शिक्षा तथा प्रसारण नीति अपनाकर प्रयास कर रही है। कार्मिकों की प्रवासीय प्रकृति को भी कार्मिकों को लाभ प्रदान करने में प्रगति के धीमेपन का कारण बताया गया। बोर्ड ने यह भी बताया कि उन्होंने निर्माण कार्य कार्मिकों के पंजीकरण को आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, संबंधित बैंक के आई.एफ.एस.सी. कोड, मोबाईल संख्या तथा लाभार्थियों के परिवार के विवरण इत्यादि के साथ जोड़ने के विशेष अभियान पहले ही प्रारंभ कर दिए हैं।

इस प्रकार बोर्ड ने योजनाओं की विद्यमानता तथा योग्य कार्मिकों की उपलब्धता के बावजूद मार्च 2017 कुल उपलब्ध निधियों का 91 प्रतिशत तक प्रयोग नहीं किया था। बोर्ड प्रभावी संचार अभियान प्रारंभ करने में भी विफल रहा जोकि प्रचार पर प्रयुक्त अल्प निधियों से स्पष्ट है जिसके परिणामस्वरूप कार्मिक बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत नहीं थे। इसके अलावा, बोर्ड ने ₹ 22.76 करोड़ के आयकर का भुगतान किया और निर्दिष्ट समयावधि के भीतर 2008-11 अवधि की अलग रखी आय के अनुप्रयोग न होने के कारण ₹ 47.07 करोड़ की देयता भी थी।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.6 अधूरे कार्य पर निष्क्रिय व्यय

कार्यकारी अभियंता द्वारा स्वयं ही उच्च विशिष्टताओं के साथ कार्य निष्पादित किया गया जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृत राशि से ड्रेन निर्माण कार्य का केवल 38 प्रतिशत कार्य हुआ। निर्माण कार्य अधूरा रहा जिससे ₹ 3.11 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.16.2 और 10.16.4 में प्रावधान है कि संशोधित अनुमान तभी तैयार किया जाना चाहिए यदि पूर्व अनुमान मे अपर्याप्त प्रावधान हों और कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन एवं संशोधित अनुमान बारे दृढ़ प्रतिबद्धता के बिना अनुबंधी उत्तरदायित्व न ले। आगे, कोड का अनुच्छेद 6.5 प्रावधान करता है कि कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) अनुबंध की विशिष्टताओं और शर्तों के अनुरूप कार्य करेगा और निष्पादन के दौरान संस्वीकृत नमूने से कोई विशेष परिवर्तन व्यतिक्रम किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना नहीं करेगा। जब भी यह प्रकट हो जाए कि कार्य की अनुमानित लागत बढ़ने की संभावना है चाहे वह किसी भी कारण से हो संभावित वृद्धि की प्रकृति और कारणों का विवरण देकर आदेश मांगते हुए वह इस तथ्य बारे अधीक्षक अभियंता को सूचित करेगा।

ई.ई., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), कैथल ने 2011 में ''कैथल शहर से गुजरते हुए आर.डी. 7440 से आर.डी. 19164 तक कच्चा मानस ड्रेन (कैथल ड्रेन तक 3573.15 मीटर) को फिर से तैयार करने'' के लिए ₹ 4.23 करोड़ का एक अनुमान तैयार किया, जिसमें से ₹ 0.95 करोड़ का अंशदान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना था। अनुमान में आर.डी. 7440 से आर.डी. 10075 तक रीइनफोर्सड सीमेंट कंकरीट (आर.सी.सी.), आर.डी. 10075 से आर.डी. 11700 तक ड्रेन में ईंट की चिनाई और 10 सेंटीमीटर दीवारों वाली एवं 12.5 सेंटीमीटर मोटी बेड के साथ आर.सी.सी. ड्रेन आर.डी. 11700 से आर.डी. 19164 तक निर्माण का प्रावधान था। राज्य सरकार ने ₹ 3.20 करोड़ का अनुमोदन अप्रैल 2011 में प्रदान किया परंतु हुडा ने किसी भी राशि का अंशदान/प्रतिबद्धता नहीं दी। उन्हीं विनिर्देशों के साथ विस्तृत निविदा आमंत्रण नोटिस

₹ 3.82 करोड़ के लिए प्रमुख अभियंता (ई.आई.सी.), पी.एच.ई.डी., हरियाणा द्वारा जुलाई 2014 में अनुमोदित किया गया। कार्य ₹ 3.77 करोड़ की अनुबंध राशि के लिए अगस्त 2014 में 12 माह की समय सीमा के साथ एक ठेकेदार को आबंटित किया गया। ठेकेदार ने अनुबंध अनुसार आर.डी. 11700 तक ड्रेन में ईंट की चिनाई का कार्य निष्पादित किया (जुलाई 2015) परंतु उसके बाद ई.ई., पी.एच.ई.डी, ने उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाए बिना दीवारों की मोटाई 10 से 15 सेंटीमीटर और बेड की मोटाई 12.5 सेंटीमीटर से 17.5 सेंटीमीटर तक बढ़ाकर 2275 मीटर (आर.डी. 11700 से आर.डी. 19164) में से केवल लगभग 860 मीटर (38 प्रतिशत) का निर्माण करवाया। ₹ 3.11 करोड़ का व्यय करने के बाद कार्य संशोधित अनुमान की कमी के कारण अगस्त 2016 में बंद कर दिया गया। ई.ई., पी.एच.ई.डी मंडल संख्या-I, कैथल ने ड्रेन की पूर्णता के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को ₹ 7.25 करोड़ के लिए जुलाई 2016 में एक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जो जनवरी 2017 में प्रमुख अभियंता, पी.एच.ई.डी, द्वारा ₹ 7.15 करोड़ के लिए तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया गया और मार्च 2017 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। तथापि, कार्य आगे शुरू नहीं हुआ (अगस्त 2017)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएं देखी:

- पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 9.5.1 के अनुसार तकनीकी संस्वीकृति से अभिप्राय है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से मजबूत है विशिष्टताएं अभिप्रेत सेवा के लिए उपयुक्त हैं और अनुमान पर्याप्त डाटा पर आधारित वास्तविक है। इसके अतिरिक्त, बड़े आकार की परियोजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि मैदानी अवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाए। तथापि, ई.ई., पी.एच.ई.डी ने दिसंबर 2015 में तकनीकी विनिर्देशों को परिवर्तित कर दिया और कार्य उच्च विनिर्देशों के साथ शुरू कर दिया। इस प्रकार कोडल आवश्यकताओं की अनुपालना नहीं की गई क्योंकि तकनीकी विशिष्टताएं 16 माह की अवधि के भीतर परिवर्तित कर दी गई।

- आर.डी. 7,440 से आर.डी. 19,164 तक का कोई भी काम हुडा से संबंधित नहीं है। तथापि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल ने यह उल्लेख करते हुए कि ₹ 0.95 करोड़ की राशि हुडा से प्राप्त करनी देय है, राज्य सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन मांगा (2011)। तथापि, मंडल के ई.ई. ने बताया (मई 2017) कि हुडा से कोई निधियां वसूलनीय नहीं थी क्योंकि ड्रेन हुडा के क्षेत्र से नहीं गुजरती। इस प्रकार, अनुमान गलत था और सही डाटा पर आधारित नहीं था।

- अनुमोदित और अनुबंधित विनिर्देशों के विपथन के कारण, परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हो गई। विभाग ने ₹ 3.20 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन के विरूद्ध ₹ 3.77 करोड़ का अनुबंध करके संपूर्ण अनुमानित लागत के लिए अनुमोदन मांगने के लिए राज्य सरकार को मामला प्रस्तुत किए बिना कार्य शुरू कर दिया।

- पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.16.2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित संशोधित विनिर्देशों पर व्यय करने से पहले ई.ई. ने राज्य सरकार से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत नहीं किया।

ई.आई.सी., पी.एच.ई.डी., हरियाणा ने बताया (जनवरी 2017) कि कार्य के विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण ₹ 7.15 करोड़ की राशि के कार्य का संशोधित अनुमान जनवरी 2017 में तकनीकी रूप से पास कर दिया गया है। इस प्रकार विनिर्देश परिवर्तित किए गए और परिवर्तित विनिर्देशों के साथ कार्य प्रमुख अभियंता के अनुमोदन के बिना निष्पादित कर दिया गया। ₹ 7.15 करोड़ की संशोधित परियोजना का कार्य राज्य सरकार से मार्च 2017 में अनुमोदित करवाया गया परंतु ई.आई.सी. ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रावधानों से परे कार्य के निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता के कारण अनुबंध को नहीं बढ़ाया (जुलाई 2017)।

इस प्रकार, कार्यकारी अभियंता द्वारा उच्च विनिर्देशों के साथ स्वयं ही कार्य निष्पादित कर दिया गया परिणामत: संस्वीकृत राशि से केवल 38 प्रतिशत आर.सी.सी. ड्रेन कार्य का निर्माण हुआ। कार्य अधूरा रह गया (अगस्त 2017) जिससे ₹ 3.11 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ। इसके अलावा, पूर्णता की नियत तिथि से दो वर्षों से अधिक की अवधि के बाद भी वांछित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि सड़क के साथ आंशिक रूप से पुन: रिमाडलिंग ड्रेन के बाहर अपशिष्ट पानी जमा हो रहा था।

मामला टिप्पणी के लिए सरकार को भेजा गया (मई 2017); जुलाई तथा नवंबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद अभी भी उत्तर प्रतीक्षित था।

3.7 कलोरीनेशन प्लांटों की खरीद में अनियमितताएं

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने भंडारों की खरीद हेतु वित्तीय नियमों, राज्य सरकार के नीति दिशानिर्देशों तथा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के उल्लंघन में ₹ 6.39 करोड़ के 131 कलोरीनेशन प्लांट खरीदे। इसके अतिरिक्त, एक एजेंसी को ₹ 2.27 करोड़ के अनुरक्षण प्रभारों का अग्रिम में भुगतान करके अदेय वित्तीय लाभ प्रदान किया गया था।

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-II (हरियाणा में यथा लागू) के ***परिशिष्ट 14*** में समाविष्ट भंडार क्रय नियमावली के नियम 2 के अनुसार देश में बनी मशीनरी, आयातित मशीनरी एवं उपकरण तथा भारत में उपलब्ध सभी एक्स-स्टॉक भंडारों की खरीद आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय (डी.एस. एंड डी.), हरियाणा के माध्यम से की जाएगी। पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 13.6.3 (I) प्रावधान करता है कि निविदा की राशि आरंभिक रूप से एक विशेष प्राधिकारी की निविदा स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने तथा बाद में निविदा राशि को कार्य की पूर्ण लागत तक बढ़ाने के एकल प्रयोजन के साथ कृत्रिम रूप से कम नहीं रखी जानी चाहिए।

तीन[36] नमूना-जांच किए गए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) मंडलों के कार्यकारी अभियंताओं (ई.ईज) ने 45 वाटर वर्क्स पर गैस कलोरीनेटर उपलब्ध कराने एवं स्थापित करने के लिए अक्तूबर 2013 तथा नवंबर 2014 के मध्य 45 निविदाएं आमंत्रित की। निविदाएं, मैसर्ज कैमीकल इंजेक्शन टैक्नोलोजिज (सी.आई.टी.), (यू.एस.ए.) द्वारा निर्मित,

[36] (i) तोशाम, (ii) अंबाला शहर तथा (iii) महेन्द्रगढ़।

सभी तरह से पूर्ण, रीगल यू.एस.ए./इको क्लोर की आपूर्ति तथा संपूर्ण सिस्टम[37] की तीन वर्षों की व्यापक अनुरक्षण अवधि हेतु थी। केवल दो एजेंसियों 'ए' तथा 'बी' ने प्रत्येक निविदा में भाग लिया। एजेंसी 'ए' भारत में मैसर्ज सी.आई.टी. (यू.एस.ए.) की एकल वितरक थी तथा एजेंसी 'बी' एजेंसी 'ए' के अधीन डीलर थी। इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सभी 45 कार्य एजेंसी 'ए' को अक्तूबर 2013 तथा दिसंबर 2014 के मध्य प्रत्येक यूनिट के लिए ₹ 4.49 लाख से ₹ 4.95 लाख पर आबंटित किए गए थे। अनुबंधों का क्षेत्र 45 यूनिटों से 131 यूनिटों तक बढ़ाया गया था तथा अनुरक्षण लागत सहित ₹ 6.39 करोड़ का भुगतान फरवरी 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य ***परिशिष्ट 3.2*** में दिए गए विवरणानुसार इन तीन पी.एच.ई. मंडलों द्वारा किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकित किया:

- राज्य सरकार द्वारा भंडारों की खरीद के लिए जारी किए गए नीति दिशानिर्देशों (मई 2010) के पैरा 5 तथा जो अगस्त 2013 में प्रमुख अभियंता द्वारा भी दोहराए गए, के अनुसार विनिर्देशन प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने न कि उसे रोकने/हतोत्साहित करने के दृष्टिकोण से तैयार किए जाने चाहिए। मशीनरी के विनिर्देन सामान्य प्रकृति के होने चाहिए तथा विशिष्ट विनिर्माता/ब्रांड/मेक वाले नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाग ने न तो डी.एस. एंड डी. के माध्यम से कलोरीनेशन प्लांट खरीदे और न ही आवश्यकता को समेकित किया जो कि वित्तीय नियमों के प्रावधानों तथा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों के विरूद्ध था।

ई.ईज ने विशेष मेक के गैस कलोरीनेटरों के लिए निविदाएं आमंत्रित की। विशेष मेक के कलोरीनेटरों की खरीद/स्थापना के लिए तथा देश में बने कलोरीनेटरों के विरूद्ध आयातित कलोरीनेटरों को प्राथमिकता देने के लिए रिकार्ड में कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था।

- पी.डब्ल्यू.डी. कोड के पैरा 10.1.1 के अनुसार कार्य का अनुमान आवश्यक है क्योंकि यह प्रस्तावित कार्य की पृष्ठभूमि तथा आवश्यकता सामने लाता है तथा किए जाने वाले संभावित व्यय के बारे में पहले ही बताता है।

यह देखा गया कि इन 131 कलोरीनेशन प्लांटों के लिए न तो अनुमान तैयार किए गए थे और न ही उनकी लागत प्राप्त करने के लिए मंडलों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे। प्रत्येक कलोरीनेशन प्लांट के लिए ₹ 4.50 लाख तथा ₹ 4.98 लाख के मध्य प्रत्येक प्लांट की समग्र लागत दर्शाते हुए निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली पर ₹ 4.49 लाख एवं ₹ 4.95 लाख के मध्य समग्र लागत हेतु आबंटित की गई थी। इन कार्यों पर कलोरीनेशन प्लांटों की स्थापना हेतु आवश्यकता भी रिकार्ड में नहीं थी। यह दर्शाता है कि डी.एन.आई.टी. को जान-बूझकर ₹ पांच लाख के भीतर रखते हुए तैयार किया गया था अर्थात् उस सीमा जिसके लिए ई-टेंडरिंग की आवश्यकता नहीं थी तथा ई.ई. की निविदा स्वीकार्य सीमा के भीतर थी।

---

[37] संपूर्ण सिंस्टम में (क) वैक्यूम रेगुलेटर (ख) मेजरिंग ग्लास ट्यूब (ग) इजेक्टर (घ) पी.एफ.टयूबिंग (ड.) स्पैनर विद सिलेंडर ओपनिंग की (च) अमोनिया गैस (लिक्विड) ऑफ लीकिंग टेस्ट (छ) 1" व्यास पी.वी.सी. पाईप विद पी.वी.सी. फिटिंग, बाल वाल्व, इत्यादि (ज) बी.आई.एस. तथा विस्फोट विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित तथा अनुमोदित 100 किलोग्राम क्षमता वाले भरे हुए दो गैस सिलेंडर (झ) सेंसर तथा हूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक कलोरिन गैस लीक डीटेक्टर (ञ) आई गॉग्गलस तथा (ट) मॉस्क विद कैनिस्टर।

अपर मुख्य सचिव, पी.एच.ई.डी., हरियाणा ने बताया (सितंबर 2017) कि संबंधित परिमंडलों के अधीक्षण अभियंताओं से अनुमोदित विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना प्राप्त करने के बाद निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वाटर वर्क्स पर कलोरीनेटर स्थापित किए गए थे। यह भी बताया गया कि उस समय सरकार के अनुदेशों के अनुसार विभाग की वैबसाईट पर निविदा सूचना डालने के साथ-साथ कार्यालय के सूचना पटल पर निविदा सूचना लगाकर इसे वांछित प्रचार दिया गया था। तथापि, तथ्य यही रहा कि विभाग ने आवश्यकता का समेकन करने की बजाय निविदाओं का मूल्य ₹ पांच लाख से कम रखने के लिए यूनिटों के लिए वैयक्तिक निविदाएं आमंत्रित की।

- लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि पी.एच.ई. मंडल संख्या 1, कैथल ने भी मई तथा जून 2013 के मध्य उसी एजेंसी से कलोरीनेशन प्लांट लगवाए तथा अनुरक्षण लागत छोड़कर प्रत्येक प्लांट के लिए ₹ 3.15 लाख का भुगतान किया। तथापि, नमूना-जांच किए गए तीन मंडलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि अगले तीन वर्षों के लिए समग्र अनुरक्षण की लागत सहित 131 कलोरीनेशन प्लांटों के लिए संपूर्ण भुगतान स्थापना के समय किए गए थे। कलोरीन समाप्त होने की तारीखें, आवधिक जांचों की तारीखें, अनुरक्षण, कार्य घंटे इत्यादि इंगित करने वाला कोई रिकार्ड मंडल कार्यालय या साईट पर नहीं था। इन दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि ये प्लांट समुचित रूप से कार्य कर रहे थे तथा नियमित रूप से इनकी देखभाल की जा रही थी। इस प्रकार, अगले तीन वर्षों के लिए व्यापक अनुरक्षण हेतु ₹ 2.27 करोड़[38] का अग्रिम भुगतान एजेंसी को अनुचित वित्तीय लाभ के समान था।

अपर मुख्य सचिव, पी.एच.ई.डी. ने बताया (सितंबर 2017) कि कैथल में उपलब्ध करवाए गए कलोरीनेटरों में भिन्नता थी तथा तोशाम में तीन वर्षों के विरूद्ध कैथल में एक वर्ष के व्यापक अनुरक्षण का प्रावधान था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कैथल में भी व्यापक अनुरक्षण तीन वर्ष था तथा उस मंडल द्वारा अनुरक्षण अवधि के लिए अग्रिम में कोई भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, अग्रिम में भुगतान करना अनुचित लाभ था।

इस प्रकार, वित्तीय नियमों, भण्डारों की खरीद हेतु राज्य सरकार के नीति दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों के उल्लघंन में विभाग ने आवश्यकता के समेकन तथा उच्च मूल्य की निविदा आमंत्रित करने की बजाय प्रत्येक प्लांट के लिए वैयक्तिक स्थानीय निविदाएं आमंत्रित करके तीन पी.एच.ई. मंडलों में 131 कलोरीनेशन प्लांट ₹ 6.39 करोड़ में खरीद कर एक एजेंसी को अदेय लाभ प्रदान किया। चालन एवं अनुरक्षण से संबंधित रिकार्ड के अभाव में इन प्लांटों का समुचित कार्यचालन सुनिश्चित नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त, स्थापन के समय अग्रिम में तीन वर्षों के लिए प्लांटों की अनुरक्षण लागत का भुगतान करके एजेंसी को ₹ 2.27 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ भी प्रदान किया गया।

[38] ₹ 639.27 लाख का कुल भुगतान - (131 x ₹ 3.15 लाख) = ₹ 226.62 लाख।

3.8 अपूर्ण योजना पर निष्फल व्यय तथा एक एजेंसी को कार्य किए बिना भुगतान

₹ 16.73 करोड़ का व्यय करने के बाद भी सीवरेज योजना अपूर्ण रही। इसके अलावा एक एजेंसी को स्थल पर कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना ₹ 2.74 करोड़ का भुगतान किया गया।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 6.5.1 बताता है कि कार्यकारी अभियंता उसके मंडल के भीतर अनुबंधों के प्रशासन, निर्माण कार्यों की गुणवता और उनको समय पर पूर्णता सहित सभी निर्माण कार्यों के निष्पादन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 13.6.3 (1) में प्रावधान है कि अनुबंध की कड़ी शर्तों के बाहर तथा अनुबंध दरों के अतिरिक्त कोई भी भुगतान समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अधिकृत नहीं किया जाएगा।

मूलभूत संरचना सुविधाओं को सुधारने तथा शहरों एवं कस्बों में टिकाऊ परिसंपतियां और गुणवत्ता उन्मुख सेवाएं सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय ने दिसंबर 2005 में (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) प्रारंभ की। योजना के अनुसार निधियां भारत सरकार और राज्य सरकार में 80:20 के अनुपात में बांटी जानी थी। केन्द्र का पचास प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा पहली किस्त के रूप में तथा शेष पचास प्रतिशत पिछली निधियों के सत्तर प्रतिशत अनुपयोग के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर निर्मुक्त किया जाना था।

राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत अंबाला सदर शहर में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए 150 मि.मी. से 250 मि.मी. आंतरिक व्यास (आई./डी.) के 30.03 कि.मी. तथा 800 मि.मी. से 1,000 मि.मी. आई./डी. के पाईप के साथ 2.02 कि.मी. के सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए ₹ 37.28 करोड़ की परियोजना अनुमोदित की (मई 2010)। परियोजना को बाद में 200 मि.मी. से 250 मि.मी. के साथ 44.68 मि.मी. और 800 मि.मी. से 1,000 मि.मी. के साथ 2.02 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए ₹ 37.20 करोड़ के लिए संशोधित कर दिया गया (जून 2012)। भारत सरकार ने नवंबर 2012 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 14.91 करोड़ निर्मुक्त कर दिए और महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा ने उसी महीने में इस परियोजना के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी) को ₹ 3.73 करोड़ के राज्य हिस्से सहित ₹ 18.64 करोड़ की कुल निधियां निर्मुक्त कर दी। अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुई:

(i) कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), पी.एच.ई.डी. अंबाला कैंट के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ई.ई. ने जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3*** में विवरण है मई 2013 और जनवरी 2014 के मध्य पूर्ण किए जाने के लिए चार और छः महीने की समय सीमा के साथ ₹ 25.32 करोड़ के लिए 46.70 किलोमीटर एच.डी.पी.ई. सीवर पाईप लाईन बिछाने तथा मेनहोल के निर्माण के आठ निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए पांच एजेंसियों के साथ आठ अनुबंध किए (जुलाई 2012 और सितंबर 2013 के मध्य)। परंतु ई.ई. द्वारा संरेखण का अंतिमकरण न किए जाने के कारण 46.700 कि.मी. के विरूद्ध केवल 24.487 किलोमीटर सीवर लाईन बिछाई गई। बिछाई गई सीवर लाईन आपस में जोड़ी भी नहीं गई और मेनहोल चैंबरों का निर्माण नहीं किया गया (अगस्त 2017) जिसके परिणामस्वरूप पूर्णता की लक्षित तिथि से तीन से चार वर्षों से अधिक के बाद परियोजना अधूरी रही। ई.ई. ने मई 2013 और अगस्त 2016 के मध्य आठ निर्माण कार्यों पर ₹ 14.65 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

अधूरी योजना पर कुल ₹ 16.73 करोड़ का व्यय कर दिया गया (सितंबर 2016) तथा अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए ₹ 10.67 करोड़ की और आवश्यकता थी। तथापि, मंडल ने कार्य पूर्ण करने तथा बिछाई गई सीवरेज प्रणाली को कार्यचलित करने के लिए सरकार से ₹ 11.32 करोड़ (सिक्योरिटी के रिफंड की राशि सहित) की निधियां मांगी थी।

(ii) चूंकि विभाग, जैसा नियत था, कुल निधियों का अनुप्रयोग करने में विफल रहा, प्रथम किस्त के संबंध में अनुप्रयोग प्रमाण-पत्र शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) को नहीं भेजा गया और शेष निधियां भारत सरकार से प्राप्त नहीं की जा सकी। विभाग द्वारा जनवरी 2015 में शेष निधियां जारी करने के लिए आग्रह करने पर निदेशक, यू.एल.बीज, हरियाणा ने सूचित किया (जनवरी 2015) कि भारत सरकार ने योजना को मार्च 2014 से बंद कर दिया था और परियोजना की पूर्णता के लिए शेष निधियों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के साधनों से की जानी थी।

(iii) विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना और संविदा दस्तावेजों के अनुसार, सीवर लाईन बिछाने के लिए भुगतान विनिर्देशों के अनुसार पाईपों को बिछाने के बाद किया जाना था। परंतु लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ***परिशिष्ट 3.3*** में इंगित किए गए अनुसार दो अनुबंधों के विरूद्ध पाईपें बिछाए बिना फर्म 'सी' को ₹ 2.74 करोड़ का भुगतान कर दिया गया जबकि संविदा की शर्तों के अनुसार एजेंसी को स्थल पर लाए गए माल की जमानत के विरूद्ध केवल जमानती अग्रिम[39] दिया जाना चाहिए था।

इंगित किए जाने पर ई.ई., पी.एच.ई.डी., अंबाला कैंट ने बताया (नवंबर 2016) कि बिछाई गई सीवर पाईपें पूर्ण रूप से कार्य चलित थी और पाईपें जिनके लिए ₹ 2.74 करोड़ का आंशिक भुगतान किया गया था संबंधित जे.ई. के पास पड़ी थी और कार्य एजेंसी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा। तथापि, संबंधित जे.ई. के पास पाईपों की अभिरक्षा के समर्थन में पाईपों के बिल, विधिवत सत्यापित मैटीरियल एट साइट रजिस्टर और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जैसे रिकार्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था। 1,000 मि.मी. आंतरिक व्यास की ट्रंक सीवर लाईन अभी तक नहीं बिछाई गई थी (अगस्त 2017) और स्थल पर अप्रैल 2016 से कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। संरेखण की समस्या, जिसके कारण निर्माण कार्य रोके गए थे, का समाधान अभी भी नहीं हुआ था। ई.ई. ने यह भी सूचित किया (जुलाई 2017) कि मामले में सतर्कता जांच शुरू की गई है तथा कार्य निधियों की आवश्यकता में रूक गया है।

अत: ई.ई. के स्तर पर परियोजना की आयोजना के समय पाईपें बिछाने के लिए समुचित संरेखण, मेनहोल चैंबर्ज के निर्माण के लिए यथोचित कार्रवाई करने तथा पहले से डले सीवर के साथ बिछाए गए सीवर को जोड़ने का निर्णय करने में हुई विफलता के कारण ₹ 16.73 करोड़ का व्यय करने के बाद भी परियोजना चालू नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप अंबाला सदर शहर में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने में मूलभत संरचना सुविधाएं सुधारने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। आगे, कार्य निष्पादित करने में अत्यधिक देरी के कारण विभाग ₹ 14.85 करोड़ की केन्द्रीय निधियां प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अलावा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में एक एजेंसी को ₹ 2.74 करोड़ निर्मुक्त किए गए।

---

[39] मंडलीय अधिकारी ठेकेदार से लिखित आग्रह पर अग्रिम संस्वीकृत कर सकता है तथा कि ठेकेदार के साथ एक औपचारिक अनुबंध तैयार किया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार, कार्य का निष्पादन स्थगित करने के लिए ठेकेदार के कारण हानियों के विरूद्ध सामग्रियों पर धारण अधिकार सुरक्षित करती है।

मामला टिप्पणी के लिए सरकार को जुलाई 2017 में भेजा गया। अगस्त और नवंबर में स्मरण-पत्र जारी करने के बाद अभी भी उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3.9 भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण पेयजल की स्कीम का कार्यचलित न होना

भूमि अधिग्रहण न होने के परिणामस्वरूप गांव जिंदरान, जिला रोहतक के लिए एक अपूर्ण जलापूर्ति परियोजना पर ₹ 1.55 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

हरियाणा लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) कोड के अनुच्छेद 10.1.3 में प्रावधान है कि किसी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित स्थल की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए साईट का निरीक्षण किया जाएगा। कोड का अनुच्छेद 10.7.2 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी करता है कि जलापूर्ति योजनाओं का कार्य हाथ में लेते समय व्यवहार्यता अध्ययन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में तकनीकी, आर्थिक और अन्य मानदंडों से प्रस्ताव की जांच आवश्यक है। आगे, कोड के अनुच्छेद 15.2.1 (ए) में प्रावधान है कि वन विभाग से भी आवश्यक अनुमोदन लिया जाना है।

सदस्य सचिव, जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, हरियाणा ने गांव जिंदरान, जिला रोहतक में पेयजल प्रदान करने के लिए ₹ 2.15 करोड़ के लिए एक नहर आधारित स्वतंत्र वाटर वर्क्स अनुमोदित किया (नवंबर 2012)। अनुमोदित अनुमान के अनुसार, वाटर वर्क्स के लिए नहरी जल, 350 मिमी व्यास की रीइनफोर्सड सीमेंट कंकरीट (आर.सी.सी.) पाईप से 2,975 मीटर लंबे इनलेट चैनल के माध्यम से कटेसरा माईनर से प्राप्त किया जाना था, इसमें से 1,000 मीटर सड़क किनारे वन भूमि पर 1,043 मीटर कच्ची सड़क/अन्य प्रकार की भूमि पर तथा 932 मीटर निजी भूमि पर बिछाया जाना था।

तदनुसार, 0.4322 एकड़ की निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमान में प्रावधान जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) द्वारा बनाया गया। इनलेट चैनल सहित वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य[40] 12 महीनों की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 1.85 करोड़ की लागत पर एक एजेंसी को आबंटित किया गया (मई 2013)। वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य, वन भूमि पर 1,000 मीटर सड़क किनारे और कच्ची सड़क/अन्य प्रकार की भूमि पर 1,043 मीटर पर इनलेट चैनल पूर्ण कर दिया गया (जुलाई 2017) और पी.एच.ई.डी. द्वारा अब तक ₹ 2.15 करोड़ की अनुमोदित लागत के विरूद्ध ₹ 1.55 करोड़[41] का व्यय किया गया था।

कार्यकारी अभियंता, पी.एच.ई. मंडल संख्या-I, रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 932 मीटर इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य अपूर्ण रह गया क्योंकि विभाग ने निजी भूमि, जिस पर यह भाग निष्पादित किया जाना था, का अधिग्रहण नहीं किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जुलाई 2013 में एक संवाद करने के अलावा भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यकारी अभियंता ने उच्च प्राधिकारियों से कोई पत्राचार नहीं किया था। भूमि अधिगृहीत नहीं की गई और अभी तक कोई निर्माण नहीं किया गया (जुलाई 2017)। लेखापरीक्षा ने यह भी

---

40 350 एम.एम. डाई की आर.सी.सी. पाईप का 2,975 मीटर लंबा इनलैट चैनल, एक भंडारण एवं अवसादन टैंक, दो सैक्शन वैल, एक आर.सी.सी. उच्च स्तर टैंक, एक आर.सी.सी. फिल्टर बेड, एक आर.सी.सी. स्वच्छ जल टैंक इत्यादि।

41 80 प्रतिशत कार्य अभी तक पूरा किया गया है।

अवलोकित किया कि इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य वन भूमि में वन विभाग से अनुमति लिए बिना निष्पादित किया गया।

ई.ई. ने बताया (जून 2017) कि इनलेट चैनल का एक छोटा भाग (अर्थात् 932 मीटर) भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के कारण अधूरा पड़ा था और एक कच्चा (अर्थात् अस्थाई) चैनल इस भाग के लिए निर्मित कर दिया गया पक्का (अर्थात् स्थाई) चैनल केवल भूमि अधिग्रहण के बाद व्यवहार्य होगा। इस प्रकार, विभाग ने, कार्य आबंटन के चार वर्षों से अधिक अवधि के बाद भी, भूमि अधिगृहीत नहीं की। इसके अलावा कच्चा चैनल का निर्माण उपयोगी नहीं था चूंकि भूमि अधिग्रहण न होने के कारण नियमित पेयजल की आपूर्ति के लिए परियोजना कार्यचलित नहीं की गई थी।

इस प्रकार, पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों के उल्लंघन में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मामला जुलाई 2017 में टिप्पणी के लिए विभाग को भेजा गया। अगस्त और नवंबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

3.10 अपरिष्कृत जल के अभाव में गैर-कार्यात्मक जलापूर्ति योजना

बलाली गांव (भिवानी) की जलापूर्ति स्कीम *अपरिष्कृत* जल के स्रोत का चयन न करने के कारण ₹ 1.36 करोड़ के व्यय को निष्फल करते हुए गैर-कार्यात्मक रही।

लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) कोड का अनुच्छेद 10.12.2 प्रावधान करता है कि जलापूर्ति कार्यों के अनुमान में जल के स्रोत का परीक्षण, इसके सामर्थ्य एवं गुणवत्ता, मौसमी विभिन्नताएं, जल के वैकल्पिक स्रोत जिन्हें उपयोग या विकसित किया जा सकता है, शामिल होंगे। नहर आधारित स्कीमों के मामले में उपलब्ध होने वाले संभावित जल की मात्रा निश्चित की जानी चाहिए। कोड का अनुच्छेद 10.7.2 इसके साथ-साथ प्रावधान करता है कि जलापूर्ति योजनाओं का कार्य लेते समय तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य मापदण्डों से प्रस्ताव की जांच करने के लिए व्यावहारिक अध्ययन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी अपेक्षित है।

जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, हरियाणा ने पेयजल की अपूर्ति हेतु भिवानी जिला में बलाली गांव में नहर आधारित स्वतंत्र जल कार्य योजना उपलब्ध करवाने के लिए ₹ 1.66 करोड़ का अनुमान अनुमोदित किया (अप्रैल 2013)। वाटर वर्क्स के लिए अपरिष्कृत जल का प्रबंध दुधवा नहर से किया जाना था जो कि बलाली गांव के वाटर वर्क्स से 1000 मीटर की दूरी पर है। अनुमान में उल्लेख किया गया था कि अन्य वाटर वर्क्स के साथ सिंचाई विभाग से नहरी पानी लेने की सहमति पृथक रूप से प्राप्त की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि न तो बलाली गांव का नाम और न ही वाटर वर्क्स बलाली अपरिष्कृत जल प्रस्ताव में शामिल पाया गया था।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) मंडल, चरखी दादरी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अपरिष्कृत जल स्रोत की पुष्टि न होने के बावजूद बलाली गांव में वाटर वर्क्स के निर्माण का कार्य नौ माह की पूर्णता अवधि सहित ₹ 0.84 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक ठेकेदार को आबंटित (जनवरी 2014) किया गया था। ठेकेदार ने अक्तूबर 2016 में ₹ 1.36[42] करोड़ की लागत पर वाटर वर्क्स का कार्य जैसे

---

[42] कार्यों पर व्यय: ₹ 0.93 करोड़ तथा समाप्ति की लागत: ₹ 0.43 करोड़।

भंडारण एवं अवसादन टैंक, उच्च स्तर टैंक, फिल्टर बैडस का निर्माण इत्यादि निष्पादित किए। तथापि, वाटर वर्क्स अपरिष्कृत जल के अभाव में क्रियाशील नहीं हो सका। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्य, व्यावहारिक अध्ययन संचालित किए बिना तथा अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आरंभ किया गया था जो कि कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था। यह स्पष्ट रूप से समग्र ढंग से परियोजना की कल्पना और योजना बनाने में पी.एच.ई.डी. की विफलता इंगित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ई.ई., पी.एच.ई. विभाग ने पहले बताया (अप्रैल 2017) कि बलाली में वाटर वर्क्स के लिए सतनाली फीडर से अपरिष्कृत जल की आपूर्ति हेतु नया प्रस्ताव निर्माणाधीन था क्योंकि दुधवा माईनर में पानी उपलब्ध नहीं था। बाद में मई 2017 में ई.ई. ने बताया कि दुधवा माईनर से अपरिष्कृत जल लेने का नया प्रस्ताव निर्माणाधीन था। इस प्रकार, विभाग वाटर वर्क्स के लिए अपरिष्कृत जल स्रोत की पुष्टि करने में विफल रहा। स्कीम के अनुमोदन की तिथि से चार वर्ष के पश्चात् भी स्कीम के लिए अपरिष्कृत जल हेतु कोई प्रबंध नहीं किया (मई 2017) गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि गांव के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने का अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला टिप्पणियों के लिए सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2017) था; जुलाई तथा नंवबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर अभी प्रतीक्षित था।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा पर्यावरण विभाग

3.11 गंगा नदी का कायाकल्प

भारत सरकार को प्रस्तुत की गई आठ परियोजनाओं में से केवल दो को अनुमोदित किया गया। पानीपत तथा सोनीपत की परियोजनाएं पूर्ण नहीं की गई थी। सोनीपत में सीवर लाईनें बिछाने का कार्य उचित सर्वेक्षण के बिना आरंभ किया गया। ₹ 2.76 करोड़ की लागत की दो सुपर सकर सीवर सफाई मशीनें गैर-यमुना घाटी क्षेत्र को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई थी। बोर्ड द्वारा बंद की गई पांच इकाइयां अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बिना कार्यरत थी। यमुना में जैविक और जीवाणु संबंधी संदूषण निरंतर जारी रहा।

3.11.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण तथा प्रदूषण में प्रभावी कमी लाने के लिए तथा व्यापक योजना एवं प्रबंधन हेतु अंतर क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) की स्थापना की। जुलाई 2014 में सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए सभी चालू योजनाओं के साथ-साथ नई योजनाओं के लिए अंब्रेला कार्यक्रम के रूप में नामामि गंगे एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन आरंभ किया। इसके अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां, वर्तमान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटस (एस.टी.पीस) का पुनर्वास, नए एस.टी.पीस का सृजन, ग्राम पंचायतों के लिए पूर्ण स्वच्छता कवरेज, आधुनिक शव-दाह गृह/धोबी घाटों का विकास इत्यादि थी। एन.जी.बी.आर.ए. को अक्तूबर 2016 में समाप्त कर दिया गया तथा गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम तथा कायाकल्प की देख-रेख के लिए एक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद् (एन.जी.सी) की स्थापना की गई। हरियाणा में, यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए ₹ 217.87 करोड़ की अनुमानित लागत पर सोनीपत तथा पानीपत नगरों के लिए जुलाई 2012 में भारत सरकार, पर्यावरण एवं

वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा दो परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। परियोजनाओं के मुख्य घटकों में नई सीवर लाईनों का निर्माण, 70[43] मिलीयन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) क्षमता के एस.टी.पीस का निर्माण तथा वर्तमान 75 एम.एल.डी. क्षमता वाले एस.टी.पीस का संवर्धन शामिल किए गए थे। ₹ 188.12 करोड़ (भारत सरकार का अंश: ₹ 141.39 करोड़; राज्य सरकार: ₹ 46.73 करोड़) की निधियां जारी करने के विरूद्ध, 2012-17 के दौरान ₹ 184.58 करोड़ खर्च किए गए थे।

यह निर्धारण करने के दृष्टिकोण से कि क्या प्रदूषण की कमी के लिए उचित योजना विद्यमान है तथा परियोजनाएं, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित रूप से कार्यान्वित की गई थी, ₹ 184.58 करोड़ के संपूर्ण व्यय को आवृत्त करते हुए प्रमुख अभियंता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दो[44] निर्माण कार्य मंडलों तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तीन[45] क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की अप्रैल-जून 2017 के दौरान जांच की गई थी।

3.11.2 आयोजना

(i) जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने यमुना कार्य योजना-I के छ: शहरों के एस.टी.पीस तथा दो अतिरिक्त शहरों अर्थात् रोहतक तथा बहादुरगढ़ सहित मास्टर प्लान तैयार किए (दिसंबर 2010)। सीवरेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आरस) अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) को प्रस्तुत की गई थी। डी.पी.आरस में सीवरेज लाईनों का निर्माण, विद्यमान एस.टी.पी. का संवर्धन तथा नए एस.टी.पीस का निर्माण शामिल किया गया। भारत सरकार को प्रस्तुत परियोजनाओं, प्रस्तावित एस.टी.पीस की अतिरिक्त क्षमता तथा उनके अनुमोदन के विवरण नीचे **तालिका 3.3** में दिए गए है:

तालिका 3.3: भारत सरकार को प्रस्तुत परियोजनाएं दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	भारत सरकार को भेजी गई डी.पी.आर. का माह	अनुमोदन की तिथि	कार्य की प्रकृति
1	पानीपत	दिसंबर 2010	जुलाई 2012	दो एस.टी.पी. (25 एम.एल.डी. एवं 20 एम.एल.डी.) तथा विद्यमान सीवरेज का सुदृढ़ीकरण
2	सोनीपत	दिसंबर 2010	जुलाई 2012	एक एस.टी.पी. (25 एम.एल.डी.) तथा विद्यमान सीवरेज का सुदृढ़ीकरण
3	गुरूग्राम	दिसंबर 2010	अनुमोदित नहीं	एक एस.टी.पी. (25 एम.एल.डी.) तथा विद्यमान सीवरेज का सुदृढ़ीकरण
4	करनाल	दिसंबर 2010	अनुमोदित नहीं	एक एस.टी.पी. (20 एम.एल.डी.) तथा विद्यमान सीवरेज का सुदृढ़ीकरण
5	यमुनानगर-जगाधरी	जनवरी 2011	अनुमोदित नहीं	दो एस.टी.पी. (50 एम.एल.डी. एवं 15 एम.एल.डी.) तथा विद्यमान सीवरेज का सुदृढ़ीकरण
6	फरीदाबाद	जनवरी 2011	अनुमोदित नहीं	विद्यमान सीवरेज का सुदृढ़ीकरण
7	रोहतक	जनवरी 2011	अनुमोदित नहीं	
8	बहादुरगढ़	जनवरी 2011	अनुमोदित नहीं	

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से संकलित सूचना।

---

[43] जमालपुर खुर्द (सोनीपत) में 25 एम.एल.डी. का एक एस.टी.पी. तथा पानीपत में 25 (सिवाह) तथा 20 एम.एल.डी. (जाटल रोड़) के दो एस.टी.पीज।

[44] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, पानीपत-II तथा सोनीपत-II.

[45] (i) यमुनानगर, (ii) पानीपत तथा (iii) सोनीपत।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, आठ परियोजनाओं में से केवल दो भारत सरकार द्वारा जुलाई 2012 में अनुमोदित की गई थी। शेष छः परियोजनाएं न तो निरस्त की गई और न ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। विभाग ने भारत सरकार के साथ मामला नहीं उठाया था यद्यपि दो परियोजनाओं के अनुमोदन को पांच वर्ष बीत चुके थे। परिणामतः यमुना नदी में प्रदूषण नियत्रण करने का उद्देश्य बृहद सीमा तक अप्राप्त रहा।

विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि भारत सरकार के बैठक के कार्यवृत्त, जिनमें परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी, उनके अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। यह भी बताया गया था कि मामला अगस्त 2012 में आगे संदर्भित किया गया था किन्तु मंत्रालय ने परियोजनाएं अनुमोदित नहीं की थी। इस प्रकार, विभाग ने अगस्त 2012 के पश्चात् भारत सरकार के साथ प्रभावी ढंग से मामला नहीं उठाया था।

(ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (दिसंबर 2010) के अंतर्गत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी हेतु दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है कि ड्रेनों का अवरोधन एवं परिर्वन तथा एस.टी.पीस का स्थापन ही एस.टी.पीस के माध्यम से उत्पन्न संपूर्ण व्यर्थजल का बहाव एवं उपचार सुनिश्चित नहीं करता। प्रदूषण कम करने वाली परियोजनाएं तैयार करने में समग्र दृष्टिकोण तथा घर-घर तक एकीकृत सीवर नेटवर्क का प्रावधान शामिल होगा। मलिन बस्तियों तथा वैयक्तिक मकानों, जिनमें शौचालय बनाने के लिए स्थान नहीं है, को सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से आवृत किया जाएगा। इसी प्रकार दाह-संस्कार, धोबी घाटों, मवेशियों को नहलाने, नदी के किनारों का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इत्यादि के लिए प्रावधान भी किया जाना था। नया दृष्टिकोण शहर की पूरी कवरेज तथा इस प्रकार इष्टतम उपचार एवं उपयोग हेतु एस.टी.पीस को संपूर्ण मलजल की ढुलाई सुनिश्चित करेगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना के अंतर्गत डी.पी.आरज केवल सीवर लाइनों के निर्माण, नए एस.टी.पीस की स्थापना तथा विद्यमान एस.टी.पीस के संवर्धन के लिए तैयार किए गए थे। डी.पी.एस. में सामुदायिक शौचालय काम्पलैक्सों, दाह-संस्कार, धोबी घाटों, मवेशियों को नहलाने, नदी के किनारों का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इत्यादि के सुदृढ़ीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि सामुदायिक शौचालय काम्पलैक्सों, दाह-संस्कार, धोबी घाटों, मवेशियों को नहलाने, नदी के किनारों का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इत्यादि से संबंधित कार्य उनके क्षेत्र के अधीन नहीं थे। इस प्रकार प्रदूषण कम करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समग्र दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था यद्यपि यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी थी।

3.11.3 परियोजना का कार्यान्वयन

3.11.3.1 निर्धारित अवधि के भीतर परियोजनाएं पूर्ण न करना

परियोजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन (जुलाई 2012) के अनुसार, परियोजनाएं अनुमोदन की तिथि से 36 माह के भीतर अर्थात् जुलाई 2015 तक, पूर्ण की जानी थी। जुलाई 2015 माह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के अध्ययन ने प्रकट किया कि परियोजनाओं की पूर्णता की निर्धारित अवधि के भीतर पानीपत तथा सोनीपत में क्रमशः केवल 57 प्रतिशत तथा 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया था। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि परियोजनाएं मार्च 2017 तक भी पूर्ण नहीं की जा सकी तथा पानीपत और सोनीपत में कार्यों की प्रगति क्रमशः 88 प्रतिशत और 96 प्रतिशत थी। स्कीम के अंतर्गत तीन नए एस.टी.पीस का निर्माण (पानीपत में दो तथा सोनीपत में एक) किया जाना था किंतु पानीपत में

25 एम.एल.डी. का केवल एक एस.टी.पीस कार्यात्मक बनाया गया था तथा अन्य दो एस.टी.पीज अभी निर्माणाधीन (जून 2017) थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि परियोजनाएं, ठेकेदारों को समय पर भुगतान न करने तथा अन्य विभागों से स्थलों की आवश्यक अनुमति प्राप्त न करने के कारण विलंबित थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पानीपत के लिए 44 एम.एल.डी. के उत्पादन के विरूद्ध 30 एम.एल.डी. की वर्तमान मलजल उपचार क्षमता थी तथा शेष 14 एम.एल.डी. अनुपचारित मलजल ड्रेन संख्या 6 में छोड़ा जा रहा था जोकि बाद में यमुना नदी में मिलता है। विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि ठेकेदारों को भुगतान, बार-बार अनुसरण के बावजूद, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण, विलंबित थे। परंतु, अन्य विभागों के अनुमति प्राप्त करने में विलंब के बारे में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब के कारण अनुपचारित मलजल को निरंतर यमुना में छोड़ने के परिणामस्वरूप जल प्रदूषण हुआ।

3.11.3.2 उचित सर्वेक्षण संचालित किए बिना कार्य का निष्पादन

समय बढ़ने के परिणामस्वरूप सुविधाओं के उपयोग में विलंब तथा लागत में वृद्धि होती है। विलंब से बचने के लिए हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 16.37.1 (ए) निर्धारित करता है कि संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य किया जाना चाहिए ताकि स्थलीय स्थितियां निविदा में वर्णित से भौतिक रूप में अलग न हो।

कार्यकारी अभियंता, पी.एच.ई. मंडल संख्या 2, सोनीपत के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 1100 एम.एम. तथा 1400 एम.एम. व्यास का पाईप सीवर प्रदान करने तथा बिछाने का कार्य **तालिका 3.4** में दिए गए अनुसार बार-बार बदला गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उचित स्थान पर भूमि, जिसके लिए कार्य के आरंभ से पहले उचित सर्वेक्षण संचालित नहीं किया गया, की अनुपलब्धता के कारण कार्य का क्षेत्र बार-बार बदला गया था।

तालिका 3.4: कार्य के क्षेत्र के परिवर्तन दर्शाने वाले विवरण

विवरण	1100 एम.एम. (मीटरों में)	1400 एम.एम. (मीटरों में)	राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि/ समीक्षा की तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि
कार्य का वास्तविक क्षेत्र	1996	1500	7.09	01 जनवरी 2013	04 जनवरी 2014
पहली संशोधन	2075	0	3.94	30 अगस्त 2013	
दूसरी संशोधन	2100	220	4.98	30 अप्रैल 2014	

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से संकलित सूचना।

इस प्रकार, कार्य का क्षेत्र बार-बार बदला गया तथा कार्य पूर्णता की निर्धारित अवधि से तीन वर्ष से अधिक के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका। कार्य के क्षेत्र में बार-बार परिवर्तन दर्शाता है कि ठेके के प्रदानगी से पहले निष्पादन हेतु उचित सर्वेक्षण तथा आयोजना नहीं बनाई गई थी जिसने कार्य के निष्पादन को विलंबित किया।

विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि मुख्य पंपिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य फर्म द्वारा भूमि की खरीद की जानी थी क्योंकि कोई भी किसान स्थल के नजदीक भूमि बेचने का इच्छुक नहीं था इसलिए भूमि की खरीद नहीं की जा सकी। पंचायत से भूमि खरीदने के बाद 396 मीटर की दूरी पर पंपिंग स्टेशन स्थापित किया गया था, जिसके कारण कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग को कार्य को आरंभ करने से पहले

भूमि की खरीद करनी चाहिए थी तथा किसी परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप विलंब तथा अतिरिक्त व्यय हो सकता है, से बचने के लिए तदनुसार योजना बनानी चाहिए थी।

3.11.3.3 कार्यों के क्षेत्र का अनियमित विस्तारण

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 13.6.3 (I) निर्धारित करता है कि निविदा की राशि आरंभिक रूप से एक विशेष प्राधिकारी की निविदा स्वीकरण सीमा के भीतर रखने तथा बाद में कार्य की पूर्ण लागत तक बढ़ाने के एकल प्रयोजन के साथ कृत्रिम रूप से कम नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, कोड का अनुच्छेद 13.19.3 निर्धारित करता है कि निविदा आमंत्रित करते समय कार्य की लागत को कम दिखाना और बाद में उसमें वृद्धि करना, गंभीर वित्तीय विसंगति मानी जाती है।

निर्माण कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 21 निर्माण कार्यों ***(परिशिष्ट 3.4)*** की अनुमानित राशि कार्यकारी अभियंता की निविदा क्षमता के भीतर रहते हुए प्रत्येक कार्य के लिए ₹ पांच लाख से नीचे रखी गई थी तथा बाद में कार्यों की लागत का 17 गुणा तक बढ़ाया गया तथा अगले उच्चतर प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था। ₹ 0.48 करोड़ की अनुबंध राशि के विरूद्ध ये कार्य ₹ 3.79 करोड़ की लागत पर निष्पादित करवाए गए थे। इन कार्यों में से पानीपत मंडल से संबंधित ₹ 2.07 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 25 लाख से अधिक) के पांच[46] कार्य अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित किए गए थे जबकि वित्त विभाग की दिनांक 29 फरवरी 2008 की अधिसूचना के संबंध में इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी मुख्य अभियंता थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 7.67 करोड़ की कुल राशि के 14 कार्य (प्रत्येक मामले में ₹ पांच लाख से अधिक के मूल्य वाले) ₹ 15.42 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.4)*** की लागत पर निष्पादित करवाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप कोडल प्रावधानों का उल्लंघन हुआ जिसने उच्च मूल्य के कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसियों के भाग न लेने के कारण निविदाकरण प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के लाभों से विभाग को वंचित किया।

विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि लोक हित में स्थल की परिस्थितियों के अनुसार कार्य का क्षेत्र बढ़ाया गया था। यह भी बताया गया कि यदि नई निविदाएं आमंत्रित की जाती तो बहुत समय व्यर्थ हो जाता तथा कम दरें प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अनुमान उचित संवीक्षा के पश्चात तैयार किए जाने चाहिए तथा निविदाएं कोडल प्रावधानों के अनुसार आमंत्रित की जानी चाहिए थी।

3.11.3.4 गैर-यमुना घाटी क्षेत्रों में सीवर सफाई मशीनों का हस्तांतरण

सुपर सकर सीवर सफाई मशीनें उच्च दबाव पर पानी छोड़कर तथा उच्च शक्ति ब्लोअर द्वारा पानी सोखकर शुष्क एवं नम परिस्थितियों में गहराई से बड़े व्यास वाली सीवर लाईनों, स्टार्म वाटर ड्रेनों की सफाई तथा रख-रखाव के लिए प्रयोग की जाती है। परियोजना के अंतर्गत पानीपत तथा सोनीपत मंडल द्वारा चार सुपर सक्कर मशीनें प्रत्येक के लिए दो, ₹ 5.51 करोड़ में खरीदी गई थी। लेखापरीक्षा ने तथापि अवलोकित किया कि दो मशीनें, प्रत्येक मंडल द्वारा एक, प्रमुख अभियंता के आदेशों के अधीन सिरसा तथा कैथल जिलों को हस्तांतरित (जुलाई 2014) की गई थी। गैर-यमुना बेसिन जिलों में इन मशीनों का हस्तांतरण ₹ 2.76 करोड़ की परियोजना निधियों के विपथन के समान है। इससे यमुना बेसिन क्षेत्रों में

[46] अनुबंध संख्या 764, 915, 916, 922 तथा 923

सीवरेज प्रणाली का अनुरक्षण बाधित हुआ। विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि मशीनें अन्य जिलों को हस्तांतरित की गई थी क्योंकि पानीपत तथा सोनीपत जिले में प्रत्येक में एक मशीन सीवर लाईनों को साफ करने के लिए पर्याप्त थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मुख्य बड़ा सीवर सफाई के अभाव में बंद हो रहा था तथा 12 एम.एल.डी. अनुपचारित मलजल पानीपत शहर में छोड़ा जा रहा था। सोनीपत में भी शिकायत रजिस्टर में दर्ज सफाई की कमी के कारण सीवर बंद होने की बहुत सी शिकायतें प्रकट हुई। अत:, परियोजना क्षेत्र से बाहर मशीनों का हस्तांतरण उचित नहीं था। यदि मशीनें हस्तांतरित नहीं की गई होती तो सीवर जाम होने की समस्या का तेजी से समाधान किया जा सकता था।

3.11.3.5 सार्वजनिक भागीदारी और जन जागरूकता

निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन साधारण को शामिल करने के लाभ असीम हैं। यह प्रदूषण कम करने की जनता की समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता है तथा बाद में लाभार्थियों का समर्थन हासिल करके सरकारी कार्रवाई पर विवादों को दूर करता है। मकान संयोजनों, घरेलू स्तर पर जन संरक्षण एवं कूड़ा-करकट का उचित संग्रहण जैसे मुद्दों पर कार्यशालाओं, सम्मेलनों, नुक्कड़ नाटकों, सिटी रनस तथा नदी किनारे सैर के माध्यम से प्रभावी जन शिक्षा, जागरूकता एवं भागीदारी कार्यक्रम का प्रतिपादन करना आवश्यक है। स्कूलों तथा कालेजों में विद्यार्थियों एवं शिक्षक समुदाय की सक्रिय भागीदारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकती है। परियोजनाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पानीपत की परियोजना के लिए सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2.67 करोड़ की चिह्नित निधियों में से ₹ 0.48 करोड़ अर्थात् 18 प्रतिशत निधियां 40 सम्मेलनों के आयोजन के लिए खर्च की गई थी जबकि सोनीपत की परियोजना पर जागरूकता पर कोई व्यय नहीं किया गया था, यद्यपि इस प्रयोजन के लिए ₹ 1.95 करोड़ की निधियां प्रदान की गई थी। इस प्रकार, सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि ₹ 4.62 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 0.48 करोड़ खर्च किए गए थे।

3.11.3.6 उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) जल के कार्यान्वयन (संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1974 हेतु उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 24 किसी जलधारा में सभी प्रकार के विषैले, हानिकारक या दूषित पदार्थों (प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।

एच.एस.पी.सी.बी. के चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2012-17 के दौरान उत्सर्जन के निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए प्रवाह निर्वहन पर अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का संस्थापन न करने के कारण 149 औद्योगिक इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। आगे, यह देखा गया था कि इन 149 औद्योगिक इकाइयों में से 93 औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कारण बताओ नोटिस निरस्त किए गए थे क्योंकि प्रवाह आगे नमूना में निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया था। शेष 56 औद्योगिक इकाइयों ने मानकों का पालन नहीं (जुलाई 2017) किया। बोर्ड ने 2012-17 के दौरान 45 इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी किए तथा इनमें से 11 इकाइयों के मामले में बोर्ड द्वारा इकाई द्वारा की जाने वाली अनुपालना सुनिश्चित की जानी शेष थी (मई 2017)।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि जल (संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा बंद किए जाने के लिए आदेशित की गई 45 इकाइयों में से यमुनानगर की पांच धातु औद्योगिक इकाइयां कार्य कर रही थी तथा अनुपचारित प्रवाह का निर्वहन कर रही थी (जुलाई 2017)।

इस प्रकार, आवधिक निरीक्षण तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड द्वारा बंद की गई इकाइयां अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के बिना कार्य नहीं कर रही थी, बोर्ड में कोई औपचारिक संस्थागत प्रणाली नहीं थी ।

एच.एस.पी.सी.बी. ने बताया (अगस्त 2017) कि बंद किए जाने के लिए आदेशित इकाइयों की इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जांच करवाई जाएगी तथा दोषी इकाइयों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया कि सील/बंद की गई इकाइयों के निरीक्षण के लिए तथा बंद की गई इकाइयों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नई निरीक्षण नीति बोर्ड के पास प्रक्रियाधीन थी।

3.11.4 प्रभाव

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंड के अनुसार नदी के जल का बायो-केमीकल आक्सीजन मांग[47] (बी.ओ.डी.) स्तर 3 ग्राम प्रतिलीटर से कम होना चाहिए। पानीपत नगर की यमुना नदी के ऊपरी स्तर तथा निचले स्तर से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिए गए नमूने के परिणाम ने दर्शाया कि बी.ओ.डी. स्तर नीचे **तालिका 3.5** में दिए गए विवरणानुसार मानकों से अधिक था।

तालिका 3.5: मानकों से अधिक बी.ओ.डी. स्तर के विवरण

वर्ष	पानीपत (औसत बी.ओ.डी. स्तर ग्राम/लीटर)	
	ऊपरी स्तर	ऊपरी स्तर
2012-13	2.90	4.20
2013-14	2.00	2.45
2014-15	2.40	5.47
2015-16	3.20	4.50
2016-17	3.19	4.40

स्रोतः विभाग के अभिलेखों से संबंधित सूचना।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, पानीपत नगर की यमुना में मलजल तथा प्रवाह छोड़ने के बाद पानी की गुणवता बिगड़ रही थी।

यमुनानगर शहर का मलजल तथा प्रवाह डिच ड्रेन के माध्यम से ले जाया जा रहा था जो करनाल जिला में धनौरा निकास के माध्यम से यमुना नदी में मिलती है। करनाल के निचले स्तर में बी.ओ.डी. स्तर 110 ग्राम/लीटर दर्ज किया गया था तथा औसत स्तर 3 ग्राम प्रति लीटर से कम के वांछित मानक के विरूद्ध 2016-17[48] के दौरान 56.35 ग्राम/लीटर था।

इस प्रकार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारण अनुपचारित मलजल तथा औद्योगिक प्रवाह यमुना नदी में छोड़ा जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जैविक और जीवाणु संबंधी संदूषण निरंतर जारी रहा।

---

47 पानी के नमूने में जैविक प्रदूषण की राशि के माप हेतु मानक पद्धति।

48 पूर्ववर्ती अवधि के नमूने बोर्ड द्वारा संगृहीत नहीं किए गए थे।

3.11.5 निष्कर्ष

भारत सरकार को प्रस्तुत आठ परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। पानीपत तथा सोनीपत की परियोजनाएं उनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि के दो वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हुई थी। सोनीपत में सीवर लाईन बिछाने का कार्य समुचित सर्वेक्षण के बिना आरंभ किया गया था परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण रहा। दो सुपर सक्कर सीवर सफाई मशीनें अनियमित रूप से गैर-यमुना घाटी क्षेत्रों को हस्तांतरित की गई थी। सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि ₹ 4.62 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 0.48 करोड़ ही खर्च किए गए थे। बोर्ड में आवधिक निरीक्षण तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई औपचारिक संस्थागत प्रणाली नहीं थी कि बोर्ड द्वारा बंद की गई इकाइयां अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के बिना कार्य कर रही थी। यमुना में अनुपचारित मलजल तथा औद्योगिक प्रवाह छोड़ने के कारण नदी में जैविक और जीवाणु संबंधी संदूषण निरंतर जारी रहा।

ये बिंदु जुलाई 2017 में सरकार को संदर्भित किए गए थे तथा आगे स्मरण-पत्र नवंबर 2017 में जारी किया गया था किंतु उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित था।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

3.12 रेलवे के पास निधियों का समयपूर्व निक्षेप

रेलवे लाईन के नीचे कम ऊंचाई वाले भूमिगत मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 30.42 करोड़ की राज्य निधियां रेलवे के पास समय से पहले जमा करवाई गई थी। तीन वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी सर्वेक्षण तथा योजना के कार्य अभी तक अंतिमकृत नहीं किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 8.65 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

पंजाब वित्तीय नियम (हरियाणा द्वारा अपनाए गए) का नियम 2.10 (ए) प्रावधान करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक से सार्वजनिक धन के किए गए व्यय के संबंध में उसी सतर्कता का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि एक आम आदमी अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करता है तथा व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। अभियांत्रिकी विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड (आई.आर.सी.ई.) का अनुच्छेद 732 तथा 1845 प्रावधान करता है कि अन्य सरकारी विभागों के लिए तथा उनकी लागत पर कार्यों के निष्पादन के लिए रेलवे योजना तथा अनुमानों को पूरा करने के लिए परियोजना (₹ 1,00,000 से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए) की अनुमानित लागत का दो प्रतिशत प्रभार वसूल करेगी। आगे अनुच्छेद 735 प्रावधान करता है कि कोई भी कार्य तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित विभाग द्वारा उसके लिए विस्तृत अनुमान स्वीकार नहीं कर लिया जाता तथा सक्षम रेलवे प्राधिकारी से संस्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती। पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 8.4.4 भी पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) द्वारा जमा कार्यों को करने के लिए उसी प्रावधान का निर्धारण करता है जो अनुमानों की तैयारी हेतु लागत की मांग करने तथा उसके बाद ग्राहक विभाग द्वारा डिजाइन एवं अनुमान की स्वीकृति के पश्चात् निधियों की मांग करने का प्रावधान करता है।

रेलवे ने जमा आधार पर बहादुरगढ़ में मालगोदाम रोड से अनाज मंडी के मध्य के.एम. 29/4-5 पर लाईन पार करने के लिए कम ऊंचाई वाले भूमिगत मार्ग (एल.एच.एस.) के निर्माण का प्रस्ताव किया (जून 2012) तथा प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सर्वेक्षण एवं

योजना प्रभारों के रूप में ₹ 52.90 लाख (₹ 26.45 करोड़ की अनुमानित लागत का दो प्रतिशत) की मांग की। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) ने सर्वेक्षण एवं योजना कार्य करने के लिए अप्रैल 2013 में ₹ 52.90 लाख जमा करवाए। अगस्त 2013 में रेलवे द्वारा यह बताते हुए शुद्धि-पत्र भेजा गया कि अनुमानित राशि ₹ 31.04 करोड़ मानी जाए। विभाग ने रेलवे से किसी विशिष्ट मांग के बिना दिसंबर 2013 में ₹ 31.04 करोड़ की संपूर्ण राशि (अप्रैल 2013 में ₹ 0.53 करोड़ व दिसंबर 2013 में ₹ 30.51 करोड़) जमा करवा दी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि केवल दो प्रतिशत, अर्थात् परिशोधित अनुमान के अनुसार ₹ 62.08 लाख, रेलवे को देय था तथा शेष निधियां महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे के कार्यालय से योजना अनुमोदन के पश्चात् ही जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

दो वर्ष बाद मई 2015 में रेलवे ने एक प्रारूप सामान्य व्यवस्था ड्राईंग (जी.ए.डी.) पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) तथा रेलवे के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन हेतु भेजी। दिसंबर 2015 में विभाग ने इस आग्रह के साथ जी.ए.डी. को निरस्त कर दिया कि एल.एच.एस. का निर्माण, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा भेजे गए आरंभिक प्रस्ताव के अनुसार, अर्थात् मूल साईट प्लान, किया जाए। रेलवे ने गुडस प्लेटफार्म के नजदीक रैंप की पहुंच का कारण बताते हुए मूल साईट प्लान के अनुसार एल.एच.एस. का निर्माण करने में अपनी असमर्थता दर्शाई। बाद में विभाग ने जुलाई 2016 में उसी जी.ए.डी. को स्वीकार कर लिया परंतु महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ने परियोजना को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया (अप्रैल 2017) क्योंकि इस मामले में भूमि पट्टे पर देने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुमोदन अपेक्षित है। सक्षम रेलवे प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना समय से पहले संपूर्ण राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप ₹ 30.42[49] करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय तक रेलवे के पास पड़े थे परिणामतः राज्य सरकार को ₹ 8.65 करोड़[50] के ब्याज की हानि हुई।

अपर मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) ने बताया (अक्तूबर 2016) कि रेलवे भूमिगत मार्ग का संशोधित जी.ए.डी. जुलाई 2016 में प्रमुख अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा आवश्यक राशि रेलवे की मांग पर और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अनुमान के प्राप्ति के बाद ही रेलवे के पास जमा करवाई गई थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि रेलवे से उचित मांग के बिना अगस्त 2013 के शुद्धि-पत्र के विरूद्ध संपूर्ण राशि जमा करवाई गई थी। दो पूर्ववर्ती परियोजनाओं[51] में विभाग ने आरंभिक रूप से केवल योजना एवं सर्वेक्षण प्रभार जमा करवाए तथा शेष राशि रेलवे से विशिष्ट मांग पर किस्तों में जमा करवाई थी।

इस प्रकार, विभाग जमा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफल रहा। जमा निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए सामायिकता के बारे में लापरवाही, वित्तीय सावधानी तथा निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली की अनुपालना न करने के कारण ₹ 30.42 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय तक व्यर्थ पड़े रहे। परियोजना स्वयं ही सुस्त है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रशासनिक अनुमोदन अभी तक नहीं मिला है।

---

49 कुल भुगतान किए गए ₹ 31.04 करोड़ - ₹ 0.62 करोड़ (दो प्रतिशत अग्रिम) = ₹ 30.42 करोड़।

50 2013-14 से 2016-17 के दौरान सरकारी उधारों पर 8 तथा 9.83 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज की भारित औसत दर पर जनवरी 2014 से मार्च 2017 तक परिकलित।

51 (i) कुरूक्षेत्र - नरवाना सैक्शन पर के.एम. 37/8-9 पर आर.यू.बी.
(i) कुरूक्षेत्र - नरवाना सैक्शन पर के.एम. 35/4-5 पर आर.यू.बी.

3.13 राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव

सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता के निर्धारण के लिए नियमित यातायात गणना नहीं की जा रही थी, जिसके अभाव में राज्य राजमार्गों को मानदंड के अनुसार चौड़ा/मजबूत नहीं किया जा रहा था तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कें मानदंड पूरा करने के बावजूद राज्य राजमार्ग के रूप में अपग्रेड नहीं की जा रही थी। निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियत आंतरिक यंत्रावली का अनुसरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक अनुमोदन से ₹ 12.53 करोड़ का अधिक व्यय हुआ और विस्तृत अनुमानों में विनिर्दिष्ट नहीं की गई ₹ 3.43 करोड़ की मदों का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया। परियोजनाओं में अत्यधिक देरी हुई जिससे लागत ₹ 1.58 करोड़ बढ़ गई और ₹ 3.94 करोड़ टोल शुल्क की राजस्व हानि हुई।

3.13.1 प्रस्तावना

हरियाणा में राज्य राजमार्ग, राज्य के भीतर जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों और पड़ोसी प्रदेशों के राजमार्गों के साथ जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग हैं। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।

हरियाणा में 2,416 किलोमीटर (जनवरी 2013) की कुल लंबाई वाले 31 राज्य राजमार्ग थे जो चार राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित होने के कारण कम होकर 1,732 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 27 रह गए थे। विभाग ने 2012-17 के दौरान 26 निर्माण कार्य मंडलों के माध्यम से राज्य राजमार्गों को मजबूत करने, चौड़ा करने और रख-रखाव पर ₹ 1,114.97 करोड़ का व्यय किया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव उचित था और कार्य कोडल प्रावधानों के विधिवत अनुरूप मितव्ययिता और कुशलता से निष्पादित किए जा रहे थे, आठ[52] मंडलों, जिनमें 2012-17 के दौरान 58 राज्य राजमार्ग निर्माण कार्यों पर ₹ 443.56 करोड़ का व्यय किया गया था, के अभिलेखों की नमूना-जांच नवबंर 2016 और मार्च 2017 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा परिणाम मई 2017 में सरकार को संदर्भित किए गए थे और संबंधित कार्यकारी अभियंताओं (ई.ईज) द्वारा प्रस्तुत और अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2017) उत्तर उपयुक्त स्थानों पर शामिल कर लिए गए हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.13.2 योजना

सेवाओं की कुशल और समय पर प्रदानगी के लिए उपयुक्त योजना अपेक्षित है ताकि संसाधनों को क्रमबद्ध किया जा सके और अपेक्षित मूलभूत संरचना को तैयार आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा सके। नमूना-जांच किए गए मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि योजना कुशल नहीं थी क्योंकि सड़कों और निर्माण कार्यों के उन्नयन की आवश्यकता के निर्धारण के लिए यातायात की गणना नियमित

---

52 (i) भिवानी, (ii) कुरूक्षेत्र-II, (iii) गुरूग्राम-II, (iv) रेवाड़ी, (v) चरखी दादरी, (vi) करनाल-I, (vii) सिरसा-I तथा (viii) सिरसा-II प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति अपनाकर चुने गए थे।

आधार पर नहीं की जा रही थी और निर्माण कार्य व्यक्तिपरक निर्णय/तदर्थ/सार्वजनिक मांग के आधार पर किए गए थे जैसा कि नीचे चर्चित है। परिणामत:, सड़कों को चौड़ा/मजबूत प्रदत्त मानदंड के अनुसार नहीं किया गया और मुख्य जिला सड़कें (एम.डी.आरज) को राज्य राजमार्गों के तौर पर उन्नयन नहीं किया जा सका जबकि यह भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) कोड के मानदंडों को पूरा करती थी।

3.13.2.1 राज्य राजमार्गों के लिए यातायात की गणना का संचालन न करना

भारतीय सड़क कांग्रेस कोड 108-1996 में पेवमेन्ट की चौड़ाई और डिजाइन सुनिश्चित करने सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए राजमार्गों पर भविष्य में यातायात के अनुमान हेतु प्रावधान है। आई.आर.सी. कोड: 9-1972 में प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार प्रत्येक बिंदु पर यातायात की गणना के अनुमान के लिए प्रावधान है (एक बार फसल की कटाई और विपणन के व्यस्ततम मौसम के दौरान और एक बार मंदी के मौसम के दौरान) तथा प्रत्येक बार गणना एक सप्ताह के लिए लगातार सात दिनों और प्रत्येक दिन 24 घंटों तक चलनी चाहिए।

नमूना-जांच किए गए मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार मंडलों[53] द्वारा नियमित रूप से यातायात की गणना आयोजित नहीं की जा रही थी जैसा कि आई.आर.सी. कोड में प्रावधान किया गया है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यातायात की गणना केवल राजमार्गों के उन्नयन और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आयोजित की जा रही थी। पांच मंडलों द्वारा गत 2-5 वर्षों से यातायात की गणना नहीं किए जाने तथा केवल सड़कों के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यातायात की गणना आयोजित करने के विवरण नीचे **तालिका 3.6** में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: यातायात की गणना आयोजित करने की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंडल	राज्य राजमार्ग	सड़क का नाम	जब से यातायात की गणना आयोजित नहीं की गई
कुरूक्षेत्र-II	एस.एच.-4	काला अंब बराड़ा शाहबाद थोल रोड़ कि.मी. 50.40 से 75.50	2012-13
	एस.एच.-6	सहारनपुर कुरूक्षेत्र रोड़ कि.मी. 55.00 से 95.00	2012-13
	एस.एच.-7	करनाल रंबा इंद्री लाडवा रोड़ कि.मी. 41.00 से 59.25	2012-13
करनाल-I	एस.एच.-9	करनाल कछवा सांबली कौल रोड़	2015-16
	एस.एच.-8	करनाल कैथल रोड़	2015-16
	एस.एच.-33	नीलोखेड़ी करसा ढांड रोड़	2015-16
रेवाड़ी	एस.एच.-22	बहादुरगढ़ झज्जर कोसली नाहर कनीना रोड़	2012-13
	एस.एच.-32	सिरसा ओट्टू रानिया डबवाली रोड़ (कि.मी. 4.80 से 46.00)	2012-13
गुरूग्राम-II	एस.एच.-26	गुरूग्राम पटौदी रेवाड़ी रोड़ कि.मी. 7.20 से 40.15	गणना 2015-16 में मजबूतीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आयोजित की गई
सिरसा-II	एस.एच.-23	सरदूलगढ़ सिरसा ऐलनाबाद रोड़ (कि.मी. 29.00 से 78.56)	गणना 2015-16 में मजबूतीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आयोजित की गई

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

53 (i) कुरूक्षेत्र-II, (ii) रेवाड़ी, सिरसा-II तथा (iii) गुरूग्राम-II.

तीन मंडलों[54] के ई.ईज ने बताया (अगस्त 2017) कि यातायात की गणना नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही थी। यह भी बताया गया कि यातायात की गणना सड़कों को मजबूत करने और चौड़ा करने से पहले आयोजित की जा रही थी जबकि करनाल-I मंडल के ई.ई. ने बताया कि नियमित यातायात की गणना आयोजित की जा रही थी। ई.ई. करनाल-I का उत्तर सही नहीं था क्योंकि तीन सड़कों की यातायात की गणना 2015-16 से आयोजित नहीं की गई थी। आई.आर.सी. कोड के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आयोजना के लिए उन्नयन, मरम्मत और मजबूतीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों की पहचान के लिए नियमित यातायात की गणना आयोजित करना अपेक्षित था। इस प्रकार, सड़कों को मजबूत करने तथा रख-रखाव के लिए आयोजना वास्तविक यातायात की गणना पर आधारित नहीं थी और प्रस्ताव व्यक्तिपरक निर्णय/तदर्थ/सार्वजनिक मांग के आधार पर तैयार किए जा रहे थे।

3.13.2.2 सड़कों को चौड़ा और मजबूत न करना

(क) आई.आर.सी. कोड 73: 1980 का अनुच्छेद 7.2 अनुबंध करता है कि सात मीटर चौड़े कैरिजवे के साथ दो-लेन सड़क होनी चाहिए जो दोनों दिशाओं में प्रतिदिन 10,000 यात्री गाड़ियों (पी.सी.यूज) का यातायात ले जाता है।

नमूना-जांच किए गए मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2011-12 और 2012-13 में क्रमश: 12,688 और 12,972 पी.सी.यूज का यातायात वाला राज्य राजमार्ग (एस.एच-33) नीलोखेड़ी-करसा-ढांड मार्ग (कि.मी 0 से 23) आई.आर.सी. कोड के अनुसार सात मीटर की अपेक्षा के विरूद्ध 5.5 मीटर चौड़ाई के साथ कार्यचालित था।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि यद्यपि एस.एच-33 2014-15 में मजबूत की गई थी, सड़क को आई.आर.सी. कोड की आवश्यकता के अनुसार सात मीटर तक चौड़ा नहीं किया गया था। ई.ई. करनाल-I ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि निधियों के अभाव के कारण सड़क को चौड़ा नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पहले सड़क को चौड़ा करने का कार्य हाथ में लेने की कोई योजना नहीं थी और विभाग ने सड़क को चौडा करने के लिए कभी भी वित्तीय आबंटन नहीं मांगा।

(ख) आई.आर.सी. कोड 37: 2012 का अनुच्छेद 10 में सड़कों पर यातायात और अपरिष्कृत जमीन की मजबूती के आधार पर पेवमेन्ट संरचना का प्रावधान है। आई.आर.सी. कोड 73: 1980 का अनुच्छेद 5.3 में आगे प्रावधान है कि एक विशेष राजमार्ग पर डिजाइन गति[55] अधिमानत: समरूप होनी चाहिए। यह भी वांछित है कि डिजाईन गति में अचानक परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

सफीदों-जींद-भिवानी मार्ग (एस.एच-14) कि.मी. 95.86 से 121.41 (25.55 कि.मी), भिवानी मंडल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यातायात की तादाद 18,738 पी.सी.यूज थी (सितंबर 2013) और इसकी मौजूदा क्रस्ट 225 मि.मी. था। यातायात डाटा को ध्यान में रखते हुए, मंडल द्वारा डिजाइन मोटाई 730 मि.मी. परिगणित की गई (मार्च 2013) और ई.आई.सी. को मामला प्रस्तुत किया गया परंतु निधियों के अभाव में इसे अनुमोदित नहीं किया गया। इसके बाद सड़क को आई.आर.सी. मानकों के अनुसार, 730 मि.मी. तक बढ़ाने

54 (i) कुरूक्षेत्र-II, (ii) सिरसा-II तथा (iii) रेवाड़ी।

55 डिजाईन स्पीड, सड़क डिजाईन के दौरान नई सड़क की ज्यामितीय विशेष्ताओं का निर्धारण करने के लिए मूल मापदंड है।

और 10 मीटर तक चौड़ा करने की बजाय केवल 50 मि.मी. बिटुमन मैकादम (बी.एम.) और 25 मि.मी. अर्ध-घने बिटुमन वाली कंकरीट (एस.डी.बी.सी.) के 15.31 कि.मी. तक फैले कार्य को 2014-15 में ₹ 6.23 करोड़ के व्यय के साथ निष्पादित किया गया। यह भी देखा गया कि 2011-12 में ₹ 19.03 करोड़ के व्यय के साथ शेष 10.240 कि.मी. लंबी सड़क की चौड़ाई 10 मीटर तक बढ़ाई गई। अत: सड़क की पूरी सीमा को आई.आर.सी. कोड के प्रावधानों के अनुसार अपग्रेड नहीं किया गया। सड़क की बिखरी हुई परतों में विभिन्न चौड़ाई और क्रस्ट की मजबूती यातायात के निर्विघ्न आवागमन में रूकावट थी और यातायात की गति में अचानक परिवर्तन के परिणामस्वरूप दुर्घटना का कारण बन सकता है। अनुमान अनुमोदित न करने का कारण निधियों का अभाव बताया गया है। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2013-14 में ₹ 32.74 करोड़ की बचतें थी। इसके अतिरिक्त आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क कार्यों को करने के लिए दीर्घावधि योजना बनाई जानी चाहिए थी।

3.13.2.3 महत्वपूर्ण सड़कों का राज्य राजमार्गों के रूप में उन्नयन न किया जाना

आई.आर.सी. कोड 73-1980 का अनुच्छेद 3.3 राज्य राजमार्गों को मुख्य राजमार्ग रूट के रूप में परिभाषित करता है जो राज्य के भीतर जिला मुख्यालय और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों या पड़ोसी राज्यों के राजमार्गों से मिलाता है। कोड का अनुच्छेद 7.2 एक विभाजित चार लेन राजमार्ग (14 मीटर चौड़ाई वाला) निर्धारित करता है जहां यातायात 20,000-30,000 पी.सी.यू. हो।

नमूना-जांच किए गए मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जिला मुख्यालयों को मिलाने वाली तीन सड़कों का राज्य राजमार्ग के रूप में उन्नयन नहीं किया गया था और न ही चार लेन सड़क में परिवर्तित किया गया जबकि दो सड़कों पर यातायात का आयतन 20,000 पी.सी.यूज से अधिक था। सड़कों के विवरण नीचे **तालिका 3.7** में दिए गए हैं:

तालिका 3.7: राज्य राजमार्गों के रूप में उन्नयित न की गई महत्वपूर्ण सड़कों के ब्यौरे

सड़क का नाम	पी.सी.यूज में यातायात की मात्रा (वर्ष)	दो-लेन सड़क की चौड़ाई	जिला मुख्यालयों को जोड़ना
दादरी बोंद मार्ग (एम.डी.आर. 124)	35,225 **(2012-13)**	7 मीटर	चरखी दादरी तथा रोहतक
कुरूक्षेत्र कैथल मार्ग (एम.डी.आर. 119)	22,008 **(2012-13)**	5.5 मीटर	कुरूक्षेत्र तथा कैथल
हिसार तोशाम भिवानी मार्ग (एम.डी.आर. 108)	12,195 **(2011-12)**	7 मीटर	हिसार तथा भिवानी

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए अपेक्षित विशिष्टताओं के साथ इन सड़कों को राज्य राजमार्ग के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव शुरू नहीं किया। संबंधित ई.ईज ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि सभी तीन सड़कें उन्नयन के लिए विचाराधीन थी। तथापि, प्रस्ताव अभी तक अंतिम नहीं किया गया था (अगस्त 2017) और इन सड़कों को आई.आर.सी. कोड की अपेक्षा के अनुसार राज्य राजमार्ग के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया। दूसरी ओर, तीन सड़कें[56], जो कि दो जिला मुख्यालयों को नहीं जोड़ती तथा इसलिए, मानदंड पर खरी नहीं उतरती, को फिर भी राज्य राजमार्गों के रूप में घोषित कर दिया गया था।

---

[56] (i) भिवानी जिले में सीवानी-सिघानी मार्ग (यातायात घनत्व: 1,986 पी.सी.यू.) (ii) भिवानी जिले में तोशाम-बहल मार्ग (यातायात घनत्व: 6,802 पी.सी.यू.) तथा (iii) सिरसा जिले में सिरसा-रानियां-डबवाली मार्ग (यातायात गणना संचालित नहीं की गई)।

3.13.3 कार्यों का निष्पादन

3.13.3.1 प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 9.3.10 में प्रावधान है कि जहां कार्य के निष्पादन के दौरान, दरों में वृद्धि या अन्य कारणों की वजह से, व्यय प्रशासनिक अनुमोदन के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है, इस जानकारी के अधिमानत: एक माह के भीतर, कि संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होगी, संशोधित अनुमान का मामला जल्द से जल्द भेज देना चाहिए। यदि प्रारंभ में निविदा की लागत प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20 प्रतिशत अधिक है, तो कार्य आबंटित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चार सड़क कार्यों के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक ₹ 12.53 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय किया गया जिसके लिए सरकार से अनुमोदन नहीं मांगा गया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्रत्येक मामले में निविदा लागत प्रशासनिक अनुमोदन (ए.ए) के 20 प्रतिशत से अधिक था और कार्य के आबंटन से पहले संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित था। परंतु प्रस्ताव अगस्त 2017 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे जबकि कार्य तीन से पांच वर्ष पहले पूर्ण कर लिए गए थे। अधिक निविदा लागत और वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे **तालिका 3.8** में दिया गया है:

तालिका 3.8: अधिक निविदा लागत और वास्तविक व्यय दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

सड़क का नाम	ए.ए. का माह	ए.ए. की राशि	निविदा लागत	ए.ए. से अधिक निविदा लागत का आधिक्य (प्रतिशतता)	व्यय	ए.ए. से अधिक व्यय	समापन की तिथि
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंडल, भिवानी							
सफीदों जींद भिवानी (एस.एच.-14) कि.मी. 95.86 से 121.40	नवंबर 2010	12.41	17.38	4.97 (40)	19.03	6.62	अगस्त 2012
भिवानी हांसी रोड़ (एस.एच.-17) कि.मी. 106.00 से 141.00	जनवरी 2011	10.73	13.80	3.07 (29)	14.32	3.59	अगस्त 2012
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंडल -I, करनाल							
करनाल कछवा सांबली कौल रोड़ (एस.एच.-09) कि.मी. 26.58 से 30.90	दिसंबर 2010	4.50	6.52	2.02 (45)	6.32	1.82	मई 2014
करनाल कछवा सांबली कौल रोड़ (एस.एच.-09) कि.मी. 30.90 से 32	जनवरी 2013	1.38	1.67	0.29 (21)	1.88	0.50	मई 2014
कुल		**29.02**	**39.37**	**10.35(36)**	**41.55**	**12.53(43)**	

स्रोत: मंडलों के अभिलेखों से संकलित डाटा।

संबंधित ई.ईज ने बताया (अगस्त 2017) कि मामले ए.ए. के संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। तथ्य रह जाता है कि प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक ₹ 12.53 करोड़ का व्यय सरकार के अनुमोदन के बिना किया गया, जो निर्माण कार्यों के आबंटन से पहले प्राप्त करना आवश्यक था। यह आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली का अभाव दर्शाता है।

3.13.3.2 संशोधित विस्तृत अनुमानों को तैयार न किया जाना

पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 10.1.8 अनुबंध करता है कि विस्तृत अनुमान तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तकनीकी संस्वीकृतियां यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती हैं कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से सुदृढ़, विशिष्टता उपयुक्त हैं और अनुमान पर्याप्त डाटा पर आधारित वास्तविक है। अनुच्छेद 10.1.12 भी यह अनुबंध करता है कि मूलरूप से विचारित निष्पादन के तरीके में कोई भी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि तीन[57] मंडलों में कार्यकारी अभियंताओं ने ***परिशिष्ट 3.5*** में दिए विवरण के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना मार्च 2013 और मार्च 2016 के मध्य निष्पादित ₹ 3.43 करोड़ के अतिरिक्त व्यय वाले चार[58] कार्यों के संबंध में स्थल पर जल बाध्य मैकडम, बिटुमन वाला मैकडम, बिटुमन वाला कंकरीट इत्यादि जैसी कुछ मदों की मात्राओं में परिवर्तन कर दिया गया। चूंकि मात्राओं में इन परिवर्तनों को उचित सिद्ध करते हुए अनुमोदन के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया गया, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये परिवर्तन आवश्यक और अनिवार्य थे। संबंधित मंडलों के ई.ईज ने बताया (अगस्त 2017) कि मात्राएं स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार निष्पादित की जा रही थी और संशोधित अनुमान अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। तथ्य रह जाता है कि परिवर्तित डिजाइन के साथ निर्माण कार्य मुख्य अभियंता के अनुमोदन के बिना निष्पादित किए गए और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

3.13.3.3 समय और लागत में वृद्धि

समय में वृद्धि के परिणाम उच्च परियोजना लागत, अनुबंधीय दावे, सुविधा प्रयोग करने में विलंब और राजस्व की संभावित हानि हो सकती है। नमूना-जांच किए गए मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो मंडलों में दो निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब हुआ परिणामस्वरूप लागत बढ़ने और टोल शुल्क न लगाने के कारण राजस्व की हानि हुई जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं:

परियोजना का नाम	प्रारंभ करने/ पूर्णता की नियत तिथि	पूर्ण करने का माह (किया गया व्यय)	समय में वृद्धि	टिप्पणियां
भिवानी जिला में सिवानी-सिघानी सड़क (26.80 कि.मी.) कि.मी. 59.36 से 87.36 (एस.एच.-19) को चौड़ा और मजबूत करना	दिसंबर 2009/ जुलाई 2011	मार्च 2017 (₹ 13.75 करोड़)	68 माह	मुख्य अभियंता द्वारा निर्माण कार्य का विस्तृत नोटिस आमंत्रण टेंडर (डी.एन.आई.टी.) अनुमोदित करते समय किसी उचित कारण बताए बिना बिटुमिन्स लेयर की सकेरिफिकेशन की मात्रा तथा बिटुमिन्स मकादम को कम कर दिया गया। कार्य के निष्पादन के समय यह अवलोकित किया गया कि कम की गई मात्राएं स्थल पर निष्पादित की जानी अपेक्षित थी। कम की गई मात्राओं सहित आबंटित दरों पर विस्तृत अनुमान मंडल द्वारा मई 2012 में मुख्य अभियंता को प्रस्तुत किया गया। परंतु इसे मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। इसी मध्य, ठेकेदार ने सितंबर 2012 में कार्य की मात्राओं के बारे अ-निर्णय के कारण कार्य छोड़ दिया।

[57] (i) भिवानी, (ii) कुरुक्षेत्र-II तथा (iii) रेवाड़ी।

[58] (i) रेवाड़ी-शाहजानपुर रोड (एस.एच.-15), (ii) सुबाना-कोसली-नाहर-कनीना रोड़ (एस.एच.-22) कि.मी. 63.25 से 67.75, (iii) सहारनपुर-कुरुक्षेत्र रोड़ (एस.एच.-6) कि.मी 76.15 से 85.00 तथा (iv) सफीदों-जींद-भिवानी रोड़ (एस.एच.-14) कि.मी. 95.860 से 121.41.

परियोजना का नाम	प्रारंभ करने/ पूर्णता की नियत तिथि	पूर्ण करने का माह (किया गया व्यय)	समय में वृद्धि	टिप्पणियां
				तत्पश्चात मूल डी.एन.आई.टी. की कम की गई मात्राएं जोड़कर शेष कार्य के लिए डी.एन.आई.टी. मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और कार्य ₹ 6.98 करोड़ के लिए 2015-17 के दौरान निष्पादित करवा लिया गया जोकि मूल ठेकेदार से ₹ 5.40 करोड़ की लागत पर निष्पादित करवाया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार, कार्य मुख्य अभियंता द्वारा आबंटित दरों पर संशोधित अनुमान के अनुमोदन न होने के साथ-साथ औचित्य दिए बिना मात्राओं की कमी के कारण विलंबित हो गया। एस.ई., भिवानी ने लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकार किया (अगस्त 2017)। तथापि, मुख्य अभियंता ने मूल डी.एन.आई.टी. में मात्राओं में कमी के कारण स्पष्ट नहीं किए।
करनाल, रंबा, इंद्री, लाडवा सड़क कि.मी. 20.500 से 41.00 (एस.एच.-7) को चौड़ा और मजबूत करना	दिसंबर 2012/ दिसंबर 2013	मार्च 2015 (₹ 26.19 करोड़)	15 माह	कार्य ठेकेदार द्वारा 15 महीनों की देरी से पूर्ण किया गया।। ठेकेदार द्वारा माल की कमी, भारी बरसाती मौसम, श्रम की अनुपलब्धताऔर बिटुमन वाले कार्य के लिए प्रतिकूल सर्दी का मौसम के आधार पर मांगी गई समय बढ़ाने की मांग को विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया (जनवरी 2015)। नए पदस्थ एस.ई. अंबाला ने 6 प्रतिशत सी.बी.आर. भूमि की अनुपलब्धता, भारी यातायात, ठेकेदार को भुगतान निर्मुक्त करने मे देरी जैसे विवरणों से एजेंसी की स्थिति को उचित ठहराते हुए ई.आई.सी. को जून 2015 और जुलाई 2015 में समय बढ़ाने के लिए मामला उठाया। एस.ई. की सिफारिश पर, ई.आई.सी. ने मार्च 2015 तक समय बढ़ाने की अनुमति दे दी (जून 2016)। समय बढ़ाना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विस्तारण उसी आधार पर प्रदान किया गया जिस पर पहले जनवरी 2015 में रद्द किया गया था। ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने मई 2014 में सड़क को टोल सड़क के रूप में अधिसूचित कर दिया। परंतु एजेंसी द्वारा पूर्ण न किए जाने के कारण जून और नवंबर 2014 के मध्य टोल लगाया नहीं जा सका परिणामत: राज्य राजकोष को लगभग ₹ 3.94 करोड़[59] की हानि हुई। संबंधित एस.ई. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि मूलत: सरकारी राजकोष को प्रभारों के कारण अनावश्यक भार से बचाने हेतु समय सीमा जानबूझकर कमतर रखी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य अनुबंध के अनुसार आबंटित समय सीमा के मध्य पूर्ण करवाया जाना था और टोल सरकारी आदेशों के अनुसार लगाया जाना था।

59 ₹ 65,61,111 (दर जिस पर टोल का संग्रह करने के लिए अनुबंध दिया गया था) x 6 महीने (अर्थात् जून 2014 से नवंबर 2014) = ₹ 3,93,66,666

अत:, कार्यो के निष्पादन में पर्याप्त विलंब थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का अधिक व्यय और टोल शुल्क को लगाने में विलंब के कारण ₹ 3.94 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

3.13.3.4 समुचित ड्रेनेज का प्रावधान न होना

आई.आर.सी. कोड 37-2012 का अनुच्छेद 11.1 बताता है कि पेवमेन्ट के निष्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है यदि पेवमेन्ट की संरचना में सीलन के जमाव को रोकने के लिए पर्याप्त ड्रेनेज के उपाय न किए जाएं। कमजोर ड्रेनेज अवस्थाओं के विरूद्ध बचाव के लिए कुछ उपाय स्तरीय जल के तुरंत बहने को आसान बनाने के लिए अनुप्रस्थ कक्ष का रख-रखाव और समुचित भूतल और उप-तल का प्रावधान जहां आवश्यक हो, हैं।

भिवानी-जींद सड़क कि.मी. 95.860 से 121.410 में कार्य 2014-15 में ₹ 6.23 करोड़ की लागत से निष्पादित किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भूतल ड्रेनेज (साईड ड्रेनस) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके कारण पेवमेन्ट संरचना में सीलन का जमाव हुआ एवं कि.मी. 117.800 से 118.800 तक टिगराना गांव में 2016 के बरसाती मौसम में सड़क क्रस्ट बह गई। सड़क की मरम्मत पर मार्च 2017 में ₹ 22.45 लाख का व्यय किया गया। इस प्रकार, विभाग की लापरवाही के कारण सड़क पर पर्याप्त ड्रेनेज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप सड़क की मरम्मत पर ₹22.45 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त सड़क से यातायात के निर्विघ्न प्रवाह में रूकावट आई।

ई.ई. भिवानी ने बताया (अगस्त 2017) कि सड़क के दोनों तरफ ड्रेनेज ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित की जानी थी और निर्माण कार्य हाथ में लेने का मामला विचाराधीन है। इस प्रकार सड़क का निर्माण ड्रेनेज प्रदान किए बिना किया गया जिसके परिणामस्वरूप सड़क की मरम्मत पर ₹ 22.45 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। विभाग के इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं था कि ग्राम पंचायत साईड ड्रेनेज के निर्माण के लिए सहमत हुई थी (अक्तूबर 2017)।

3.13.3.5 बिटुमन वाले मिश्रण में अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाना

अपशिष्ट प्लास्टिक का सुरक्षित निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ होने के नाते यह समय के साथ नष्ट नहीं होता और यदि भूमिगत गड्डों में गाड़ दिया जाए, तो वायु और जल कटाव के माध्यम से वातावरण में वापस रास्ता ले लेता है, ड्रेनज एवं ड्रेनेज चैनल्ज को अवरूद्ध कर देता है और आवारा पशुओं द्वारा खाया जा सकता है और उनकी बीमारी तथा मृत्यु का कारण बन सकता है और निर्माण भराई को दूषित कर सकता है। आई.आर.सी.: एस.पी.: 98-2013 के अनुच्छेद 1.3 में प्रकट किया गया है कि अपशिष्ट प्लास्टिक में बिटुमन वाले निर्माण में प्रयोग की क्षमता है क्योंकि बिटुमन के भार के लगभग 5-10 प्रतिशत की थोड़ी प्रमात्रा में मिलाना बिटुमन मिश्रण को पर्याप्त रूप से स्थिरता, मजबूती, परिश्रांत जीवन अन्य वांछित गुणों में सुधार करता है जिससे टिकाऊपन और पट्टी निष्पादन में सुधार होता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं में हो रहा था, विभाग ने अगस्त 2017 तक राज्य राजमार्गों की परियोजनाओं में बिटुमन वाले मिश्रण में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रयोग

करना प्रारंभ नहीं किया था। अत: विभाग ने अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान की समस्या को कम करने के लिए कोड के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

3.13.4 निष्कर्ष

विस्तारित अर्थव्यवस्था के साथ बढ़े हुए यातायात से निपटने के लिए सड़कों को कुशल बनाने हेतु चौड़ा और मजबूतीकरण महत्वपूर्ण है। विभाग सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता के वस्तुनिष्ठ निर्धारण के लिए नियमित यातायात गणना नहीं कर रहा था जिसके अभाव में, विभिन्न निर्माण कार्य तदर्थ आधार पर किए जा रहे थे। राज्य राजमार्ग निर्धारित मानदंड के अनुसार चौड़े/मजबूत नहीं किए जा रहे थे और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों का आई.आर.सी. मानदंड पूरा करने के बावजूद राज्य राजमार्गों के रूप में उन्नयन नहीं किया गया था। निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्धारित नियंत्रण यंत्रावली का अनुसरण नहीं किया जा रहा था परिणामस्वरूप प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना विस्तृत अनुमानों में विर्निदिष्ट न की गई मदों का निष्पादन हो रहा था। दो परियोजनाओं में काफी विलंब हो गया था जिससे लागत बढ़ गई और राजस्व की हानि हुई। पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, आई.आर.सी. कोड में विर्निदिष्ट होने पर भी अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग बिटुमन वाले मिश्रण में नहीं किया जा रहा था ।

राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग

3.14 सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन करके सरकारी खाते से बाहर निधियां रखने के कारण ब्याज का अतिरिक्त भार

वित्त विभाग के अनुदेशों तथा कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में निधियां सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.81 करोड़ के ब्याज भार में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, बचत बैंक खातों पर अर्जित ₹ 9.52 करोड़ का ब्याज भी सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया था।

हरियाणा में यथा लागू पंजाब वित्तीय नियम के पैरा 9.4 एवं 12 तथा पंजाब सहायक खजाना नियम के पैरा 4.64 एवं 4.65 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए अवितरित मुआवजा राशि को भू-अधिग्रहण कलैक्टरओं (एल.ए.सी.) द्वारा खजाने में जमा किया जाना एवं इस प्रयोजन के लिए राजस्व जमा (आर.डी.) खाता परिचालित करना अपेक्षित है।

वित्त विभाग (एफ.डी.), हरियाणा सरकार के दिनांक 02 दिसंबर 2011 के अनुदेशों के अनुसार विभागाध्यक्ष के नाम में या डी.डी.ओ. के नाम में बैंक खातों का प्रचालन उपयुक्त नहीं था तथा तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना अपेक्षित था तथापि, विकट परिस्थितियों के मामलों में जहां बैंक खाते के प्रचालन की प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता वहां बैंक खाते को खोलने/निरंतर प्रचालन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा जाना चाहिए। आगे, वित्त विभाग ने निर्देश दिया (जून 2014) कि सभी भूमि अधिग्रहण मामलों में विभाग, जिसके लिए भूमि अधिगृहीत की जाती है, खजाना में अपेक्षित बिल प्रस्तुत करके बुक हस्तांतरण के माध्यम से एल.ए.सी. के आर.डी. खाते में अपेक्षित राशि जमा करवाएगा। जब कभी भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.) को किसी लाभार्थी को भुगतान करना हुआ तो वह खजाने में आर.डी. खाते से आहरण हेतु बिल प्रस्तुत करेगा तथा राशि भुगतान

इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली (ई.पी.एस.) के माध्यम से भू-स्वामी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा।

जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी.) पंचकूला, फतेहाबाद तथा रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मांगकर्ता विभागों द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु बैंक ड्राफ्ट/चैकों के माध्यम से इन डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी. के पास 2012 से 2017 के दौरान ₹ 737.71 करोड़[60] की राशि जमा करवाई गई थी। डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी., फतेहाबाद, पंचकूला तथा रोहतक ने वित्त विभाग के वित्तीय नियमों एवं निर्देशनों के उल्लंघन में खजाने में परियोजना वार राजस्व जमा खाते खोलने की बजाय बिना ब्याज वाले 11 चालू खाते (इन चालू खातों में बकाया अब शून्य है) तथा 58 बचत बैंक खाते खोलकर विभिन्न बैंकों में जून 2012 तथा मई 2017 के मध्य में राशियां जमा करवाई थी। मार्च 2017 तक इन 58 बैंक खातों में ₹ 54.37 करोड़[61] रखने के परिणामस्वरूप ₹ 15.81 करोड़[62] (2012-17 के दौरान सरकारी उधारों पर 8 तथा 9.86 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज की भारित औसत दर लागू करके परिकलित) का अतिरिक्त भार पड़ा। आगे लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 52 बचत खातों में ₹ 9.52 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया है किंतु उसे सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया था (अक्तूबर 2017)।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2016) डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.ओ. फतेहाबाद ने बताया (अक्तूबर 2016) कि उपायुक्त ने विभिन्न बैंकों के चालू खातों में राशि जमा करने का निर्देश दिया था। तथापि, बाद में सभी निधियां बचत खाते में हस्तांतरित की गई थी। डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.ओ. पंचकूला ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् एच.एस.आई.आई.डी.सी. को छोड़कर सभी स्कीमों के बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं तथा शेष राशि खजाने में जमा करवा दी गई है किंतु एच.एस.आई.आई.डी.सी. स्कीम का बैंक खाता अभी तक बंद नहीं किया गया है क्योंकि सतर्कता विभाग द्वारा एक जांच की जा रही थी। एल.ए.ओ., रोहतक का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

इस प्रकार, एफ.डी. के वित्तीय नियमों तथा निर्देशनों के उल्लंघन में इन एल.ए.सीज ने विभिन्न बैंक खातों में भारी राशियां रखी। की गई उपचारी कार्रवाई केवल आंशिक है क्योंकि संपूर्ण निधियां अभी तक खजाने में जमा नहीं करवाई गई है। कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के उल्लंघन में सरकारी खाते से बाहर भारी निधियां रखकर सरकार ने ब्याज के कारण ₹ 15.81 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाया। इसके अतिरिक्त, ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 9.52 करोड़ भी सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया था।

मामला टिप्पणियों के लिए जुलाई 2017 में सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग को संदर्भित किया गया था। सितंबर तथा नवंबर 2017 में आगे स्मरण-पत्र जारी किए गए थे। उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था।

---

60 पंचकूला: ₹ 212.21 करोड़, फतेहाबाद: ₹ 460.00 करोड़ तथा रोहतक: ₹ 65.50 करोड़।

61 रोहतक: ₹ 39.47 करोड़, फतेहाबाद: ₹ 4.42 करोड़ तथा पंचकूला: ₹ 10.48 करोड़।

62 फतेहाबाद: ₹ 4.72 करोड़, रोहतक: ₹ 1.96 करोड़ तथा पंचकूला: ₹ 9.13 करोड़। इसमें डी.आर.ओ., रोहतक से संबंधित छ: बैंक खातों में उठाई गई हानि शामिल नहीं है क्योंकि इन खातों में मासिक शेष लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

तकनीकी शिक्षा विभाग

3.15 कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना का विकास

आयोजना का अभाव था क्योंकि ₹ 60.11 करोड़ व्यय करने के बावजूद सात नए बहुतकनीकी संस्थानों में से पांच कार्यात्मक नहीं किए गए। वर्तमान बहुतकनीकी संस्थानों में सीटें खाली रहने के बावजूद दस नए बहुतकनीकी संस्थान ₹ 157.17 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किए गए। निधियों की उपलब्धता के बावजूद वर्तमान बहुतकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना का अभाव पाया गया। बिना किसी मांग के ₹ 4.98 करोड़ की लागत पर लड़कों का छात्रावास निर्मित किया गया तथा अप्रयुक्त पड़ा रहा। कुछ बहुतकनीकी संस्थानों ने स्टॉफ की कमी का सामना किया तथा उत्तीर्ण प्रतिशतता और छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट कम था।

3.15.1 प्रस्तावना

तकनीकी शिक्षा वर्धित औद्योगिक उत्पादकता के लिए कुशल मानवशक्ति सृजित करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य में बहुतकनीकी संस्थान अभियांत्रिकी विधाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। मार्च 2017 को, राज्य में 11 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान, 12 सरकारी बहुतकनीकी शिक्षा समितियां और सरकार से सहायता प्राप्त चार बहुतकनीकी संस्थान थे। महानिदेशक (डी.जी.), तकनीकी शिक्षा (टी.ई.) विभाग का प्रमुख है और बहुतकनीकी संस्थानों के प्रधानाचार्य संस्थाओं में शिक्षा तथा संबंधित गतिविधियां प्रदान करने के उत्तरदायी हैं। 2012-17 के दौरान बहुतकनीकी संस्थानों में ₹ 1,402.25 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 1,096.41 करोड़ का व्यय किया गया।

कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना के विकास के मूल्यांकन के लिए, लेखापरीक्षा ने 2012-17 की अवधि के लिए 27 कार्यात्मक बहुतकनीकी संस्थानों में से सात[63] के अलावा डी.जी., टी.ई. विभाग के अभिलेखों की जांच की। नमूना-जांच के लिए बहुतकनीकी संस्थानों का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना अपनाकर (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) किया गया। लेखापरीक्षा परिणामों का विवरण नीचे दिया गया है।

3.15.2 नए बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना

3.15.2.1 गैर कार्यशील बहुतकनीकी संस्थान

भारत सरकार (भारत सरकार) ने ₹ 86.10 करोड़ (₹ 12.30 करोड़ प्रति बहुतकनीकी संस्थान) की लागत पर कौशल विकास के लिए समन्वित कार्य योजना के अंतर्गत हरियाणा के असेवित और कम सेवित सात[64] जिलों की पहचान की (जनवरी 2009)। प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान के लिए भारत सरकार की सहायता में से, ₹ आठ करोड़ सिविल कार्यों पर और ₹ 4.30 करोड़ उपकरण, मशीनरी, पुस्तकालय की किताबों इत्यादि पर व्यय किया जाना था। ₹ 12.30 करोड़ के आबंटन से अधिक किसी भी निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना था। भारत सरकार द्वारा ₹ 86.10 करोड़ के कुल अनुदान में से, ₹ 67.64 करोड़ मार्च 2017 तक निर्मुक्त कर दिए गए थे।

---

[63] (i) अंबाला, (ii) नारनौल, (iii) नीलोखेड़ी, (iv) चीका, (v) नाथूसारी चोपटा, (vi) मानेसर तथा (vii) वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक।

[64] (i) फतेहाबाद, (ii) कैथल, (iii) कुरुक्षेत्र, (iv) पंचकुला, (v) पानीपत, (vi) रेवाड़ी तथा (vii) यमुना नगर।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सात बहुतकनीकी संस्थानों में से, केवल दो बहुतकनीकी संस्थानों (कैथल में चीका और रेवाड़ी में लिसाना) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और उन्हें वर्ष 2010-11 से कार्यात्मक बनाया गया। चार बहुतकनीकी संस्थानों की इमारत का निर्माण कार्य 2016-17 में पूर्ण कर दिया गया था और बहुतकनीकी, नानकपुरा का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति अधीन था जबकि निर्माण कार्य नवंबर 2013 और नवंबर 2014 के मध्य प्रारंभ हो गए थे। अनिवार्य वस्तुएं जैसे फर्नीचर/मशीनरी/उपकरण खरीद लिए गए थे और संकाय कर्मचारी वर्ग के पदों की संस्वीकृति अभी प्रक्रिया अधीन थी। अत:, यद्यपि योजना भारत सरकार की प्राथमिक मद थी, फिर भी ₹ 60.11 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.6)*** के व्यय के बावजूद इमारतों की अनुपलब्धता के कारण सात बहुतकनीकी संस्थानों में से पांच में अभी कक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई थी (अगस्त 2017)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बहुतकनीकी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा विभाग ने निर्धारित नहीं की थी। निर्मुक्त निधियों को अनुप्रयोग न होने और अनुप्रयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण भारत सरकार ने मार्च 2017 तक ₹ 86.10 करोड़ में से ₹ 18.46 करोड़ निर्मुक्त नहीं किए।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि चीका और लिसाना के पूर्ण बहुतकनीकी संस्थानों को उपकरण, मशीनरी, लाइब्रेरी की किताबों इत्यादि की खरीद के लिए, प्रत्येक को ₹ 3.50 करोड़ निर्मुक्त कर दिए गए थे (मार्च 2015) तथापि, केवल ₹ 1.32 करोड़ की मशीनरी एवं उपकरण खरीदे गए और ₹ 5.68 करोड़ का अनुदान संबंधित बहुतकनीकी संस्थानों के पास अप्रयुक्त पड़ा था (मार्च 2017)।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि तीन[65] बहुतकनीकी संस्थानों में 2017-18 से और उमरी में स्थित एक बहुतकनीकी संस्थान में 2019-20 से कक्षाएं शुरू होने वाली हैं और मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए कार्ययोजना के अंतिमकरण के बाद मशीनरी खरीदी जाएगी। तथापि, तथ्य यह रहता है कि ₹ 60.11 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, पांच असेवित और कम सेवित जिलों में नए बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया। अब भी विभाग की 2017-18 से नए बहुतकनीकी संस्थान प्रारंभ करने की योजना शायद फलीभूत न हो पाए क्योंकि आधे से ज्यादा शैक्षणिक वर्ष बीत चुका है (अक्तूबर 2017)।

3.15.2.2 आवश्यकता के निर्धारण के बिना नए बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सात बहुतकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्वयं के बजट से सात[66] नए बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया और अप्रैल 2012 से जून 2014 के मध्य ₹ 113.47 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया। दिसंबर 2016 में अन्य तीन[67] बहुतकनीकी संस्थानों के निर्माण के लिए ₹ 43.70 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। दस बहुतकनीकी संस्थानों में से, सात बहुतकनीकी संस्थान ₹ 80.62 करोड़ की लागत पर पूर्ण कर लिए गए परंतु अगस्त 2017 तक इन बहुतकनीकी संस्थानों में से कोई भी कार्यात्मक नहीं बनाया गया। विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इमारतों के लाभप्रद

[65] (i) हथनीकुंड, (ii) धनगर तथा (iii) जाटल, पानीपत।

[66] (i) शेरगढ़ (कैथल), (ii) नीमका (फरीदाबाद), (iii) इंद्री (मेवात), (iv) मलब (मेवात), (v) मंडकोला (पलवल), (vi) जमालपुर शेखां (फतेहाबाद) तथा (vii) छप्पर (भिवानी)।

[67] (i) सढौरा (यमुनानगर), (ii) धामलवास (रेवाड़ी) तथा (iii) सेक्टर-26, पंचकूला।

अनुप्रयोग के लिए तीन[68] बहुतकनीकी संस्थानों की इमारतें औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को सौंप दिया जाए। बाकि चार[69] बहुतकनीकी संस्थानों में, संकाय/कर्मचारी वर्ग के अपेक्षित पदों की संस्वीकृति और फर्नीचर/मशीनरी/उपकरण इत्यादि की खरीद प्रक्रिया अधीन थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राज्य में 27 कार्यात्मक बहुतकनीकी संस्थानों में 12,640 सीटों की क्षमता के विरूद्ध, 2012-13 में वास्तविक नामांकन 11,070 था जो कि 2016-17 में कम होकर 8,556 (23 प्रतिशत) हो गया ***(परिशिष्ट 3.7)***। इस प्रकार बहुतकनीकी पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के समुचित निर्धारण के बिना नए बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया और इस अवस्था में नए बहुतकनीकी संस्थानों का सृजन जबकि वर्तमान बहुतकनीकी संस्थानों में सीटें खाली रही, अनुचित था और खराब नियोजन को दर्शाता था।

3.15.3 वर्तमान बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन

3.15.3.1 मौलिक मूलभूत संरचना/सुविधाओं की कमी

नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों की ए.आई.सी.टी.ई. को उनकी वार्षिक रिपोर्ट से मार्च 2017 की समाप्ति पर मूलभूत संरचना और सुविधाओं में कमियां पाई गई, जिनके विवरण ***परिशिष्ट 3.8*** में दिए गए हैं। मुख्य कमियां थी:

(i) इंटरनेट बैंडविड्थ की अपर्याप्त उपलब्धता।

(ii) पांच बहुतकनीकी संस्थानों में छात्रों को कम्प्यूटरों की अपर्याप्त संख्या।

(iii) सात बहुतकनीकी संस्थानों में अपर्याप्त कार्यशाला/प्रयोगशाला की जगह।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भारत सरकार ‘कौशल विकास के तहत समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत बहुतकनीकी संस्थानों पर उप-मिशन’ स्कीम के अंतर्गत प्रति बहुतकनीकी संस्थान ₹ 2 करोड़ की दर पर वर्तमान 12 बहुतकनीकी संस्थानों के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) प्रदान कर रही थी। निधियां नए उपकरण खरीदने और पुराने उपकरण बदलने, शिक्षण, ज्ञान एवं परीक्षण प्रक्रियाओं में आई.टी. के लागूकरण की सुविधाएं और नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मूलभूत संरचना सृजित करने के लिए प्रयोग की जानी थी। जी.आई.ए. का प्रयोग संस्वीकृति की तिथि के बारह महीनों के भीतर किया जाना था। संबंधित बहुतकनीकी संस्थानों के प्रधानाचार्यों द्वारा कोई खरीद करने से पहले तकनीकी शिक्षा विभाग की राय से मशीनरी/उपकरण की विस्तृत सूची तैयार करना और सूची को संबंधित क्षेत्र के तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.टी.टी.टी.आर.) से सत्यापित करवाना अपेक्षित था। राज्य में 12 बहुतकनीकी संस्थानों के लिए संस्वीकृत ₹ 24 करोड़ में से ₹ 15.31 करोड़ भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त किए गए थे। शेष ₹ 8.69 करोड़ निर्मुक्त निधियों के अनुप्रयोग न होने और अनुप्रयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण मार्च 2017 तक भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त नहीं किए गए।

[68] (i) इंद्री (मेवात), (ii) जमालपुर शेखां (फतेहाबाद) तथा (iii) छप्पर (भिवानी)।

[69] (i) शेरगढ़ (कैथल), (ii) नीमका, (फरीदाबाद), (iii) मलब (मेवात) तथा (iv) मंडकोला (पलवल)।

नमूना-जांच किए गए सात बहुतकनीकी संस्थानों में से पांच[70] बहुतकनीकी संस्थानों में यह स्कीम कार्यान्वयन के अधीन थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निदेशालय द्वारा मार्च 2010 और दिसंबर 2016 के मध्य भारत सरकार की प्रथम और द्वितीय किश्तों के रूप में ₹ 6.91 करोड़ पांच बहुतकनीकी संस्थानों को निर्मुक्त कर दिए गए। बहुतकनीकी संस्थानों ने उपकरण के विस्तृत विवरणों को एन.आई.टी.टी.टी.आर. से सत्यापित करवाने (अगस्त 2015) के बाद, अपना प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत कर दिया (अगस्त 2015)। तथापि, केवल ₹ 2.24 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर एवं अन्य बाह्य उपकरण खरीदे गए और ब्याज सहित ₹ 5.08 करोड़ की राशि संबंधित प्रधानाचार्यों के बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी (मार्च 2017) ***(परिशिष्ट 3.9)***। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मशीनरी अभी तक खरीदी नहीं गई, मशीन की खरीद के लिए कार्य योजना निदेशालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दो वर्षों के बाद भी तैयार नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि राज्य में बहुतकनीकी पाठ्यक्रमों में से मान्यता के राष्ट्रीय बोर्ड में कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं था (अक्तूबर 2017)। राज्य सरकार ने दिसंबर 2016 में 23 बहुतकनीकी संस्थानों की मान्यता के लिए ₹ 115 करोड़ संस्वीकृत किए थे।

विभाग ने बताया कि मशीनरी और उपकरण के खरीद के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है (अगस्त 2017) और खरीद प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तथापि, तथ्य रह जाता है कि इन बहुतकनीकी संस्थानों में निधियों की उपलब्धता के बावजूद मौलिक मूलभूत संरचना/सुविधाओं की कमियां थी जिनका शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्यंभावी था।

3.15.3.2 छात्रावास का निर्माण

बहुतकनीकी संस्थान अंबाला शहर में जनवरी 2013 तक 593 छात्रों (519 लड़कों के लिए तथा 74 लड़कियों के लिए) की क्षमता के साथ छात्रावास के छः ब्लाक (5 लड़कों के लिए तथा 1 लड़कियों के लिए) थे। जनवरी 2013 से दिसंबर 2016 के दौरान लड़कों के छात्रावास में अधिभोग दर 31 से 58 प्रतिशत तथा लड़कियों के छात्रावास में 22 से 73 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति लड़कों के नए छात्रावास के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2012)। छात्रावास की इमारत ₹ 4.98 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई (जून 2016), परंतु छात्रों की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि जब लड़कों के छात्रावास में 16 प्रतिशत सीटें रिक्त थी, तो नए छात्रावास का निर्माण अनुमोदित किया गया। इस प्रकार, खराब योजना के कारण छात्रावास के निर्माण पर किया गया ₹ 4.98 करोड़ का व्यय अप्रयुक्त रहा। दूसरी तरफ, नारनौल ओर नाथूसरी चौपटा (सिरसा) में स्थित बहुतकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधाओं की कमी थी। इन संस्थाओं में छात्रावास का अधिभोग नारनौल में लड़कों के छात्रावास में क्षमता से 6 से 39 प्रतिशत और नाथूसारी चौपटा में 16 से 66 प्रतिशत अधिक था और चीका, भिवानी, नरवाना और सांपला में स्थित बहुतकनीकी संस्थानों में कोई छात्रावास सुविधा नहीं थी। बल्कि विभाग को इन बहुतकनीकी संस्थानों में अधिक अधिभोग और छात्रावास सुविधा की अनुपलब्धता के मुद्दे की तरफ ध्यान देना चाहिए था।

---

70 (i) अंबाला, (ii) मानेसर, (iii) नारनौल, (iv) नाथूसारी चोपटा तथा (v) नीलोखेड़ी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि गत कुछ वर्षों से बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिलों में तेज गिरावट के कारण छात्रावास की मांग काफी कम हो गई है। विभाग उन मामलों के बारे मौन था जहां अधिक अधिभोग था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छात्रावास की संस्वीकृति प्रदान करते समय भी अतिरिक्त छात्रावास की कोई आवश्यकता नहीं थी।

3.15.3.3 भाषा की स्टैंडअलोन प्रयोगशाला

ए.आई.सी.टी.ई. मानकों के अनुसार संस्थानों में एक स्टैंडअलोन भाषा प्रयोगशाला अनिवार्य थी। इसमें उन छात्रों द्वारा भाग लिया जाता है जो अंग्रेजी कक्षाओं के लिए उपचारात्मक रूप से विकल्प लेते हैं। पाठ तथा अभ्यास साप्ताहिक आधार पर रिकार्ड किए जाते हैं ताकि छात्र सुनने और बोलने को विविध अश्यास से उजागर हों। यह विशेष तौर पर उन छात्रों को लाभान्वित करती है जो अंग्रेजी में कमजोर हों और जिनका लक्ष्य साक्षात्कारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का हो।

जी.पी. नारनौल ने, मार्च 2007 में 15 कम्प्यूटर भाषा प्रयोगशाला में लगाए गए थे परंतु ये कार्यात्मक अवस्था में नहीं थे (अप्रैल 2017)। संस्थान ने निधियों की उपलब्धता के बावजूद न तो नए कम्प्यूटर/भाषा सॉफ्टवेयर खरीदे न ही पुरानी प्रणाली को कार्यात्मक बनाया। सरकार बहुतकनीकी शिक्षा समिति मानेसर में प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई (अगस्त 2017)।

विभाग ने जुलाई 2017 में एक बैठक के दौरान बताया कि मूलभूत संरचना (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर) की आवश्यकता शीघ्र पूरी की जाएगी क्योंकि कम्प्यूटरों की आपूर्ति के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

3.15.4 अन्य मामले

3.15.4.1 कम मांग के बावजूद पाठ्यक्रम जारी रखना

नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों में से, तीन[71] बहुतकनीकी संस्थानों में 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन ने 2012-17 के दौरान घटती प्रवृत्ति दर्शाई और 2016-17 में नामांकन उनके दाखिले की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे ***(परिशिष्ट 3.10)*।** आगे, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान, रोहतक में 2012-17 के दौरान कार्यालय ''प्रबंधन एवं कप्यूटर एप्लीकेशन (ओ.एम.सी.ए.)'' पर पाठ्यक्रम के लिए चार संकाय और ''पुस्तकालय और सूचना विज्ञान (एल.आई.एस.)'' पर पाठ्यक्रम में तीन-तीन संकाय की तैनाती की गई। इस अवधि में एल.आई.एस. में नामांकन कम होकर 10 से 8 प्रतिशत और ओ.एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों में 23 से 12 प्रतिशत हो गए। ये अवलोकित किया गया कि इन पाठ्यक्रमों की मांग नहीं थी परंतु फिर भी ये जारी रखे गए थे। विभाग ने इन पाठ्यक्रमों की मांग में कमी का ध्यान नहीं रखा और इन पाठ्यक्रमों को बंद/संशोधित करने और मांग के अनुसार नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना नहीं बनाई।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिले में व्यापक कमी की प्रवृत्ति के कारण, नामांकन संतोषजनक नहीं थे। यह भी बताया कि विभिन्न सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक विभागीय समिति गठित की गई है।

---

[71] (i) नारनौल, (ii) रोहतक तथा (iii) चीका।

3.15.4.2 स्टॉफ की कमी

नमूना-जांच किए बहुतकनीकी संस्थानों में शिक्षक और गैर-शिक्षक सवर्गों की विभिन्न श्रेणियों में 926 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध, वास्तविक तैनाती 496 थी, जबकि 430 पद रिक्त पड़े थे ***(परिशिष्ट 3.11)***। नमूना-जांच किए गए सात बहुतकनीकी संस्थानों में 31 मार्च 2017 को शिक्षक संवर्ग में 39 प्रतिशत पद और गैर-शिक्षक संवर्ग में 56 प्रतिशत पद रिक्त थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अधिकतम स्टॉफ रिक्तियां उन पाठ्यक्रमों में थी जिनमें उच्च नामांकन थे। उदाहरणत: 2009-12 से 2013-16 के सत्र के दौरान सिविल और मैकेनिकल अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में 74 से 100 प्रतिशत नामांकन थे। तथापि, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टॉफ की कमी क्रमश: 54 और 44 प्रतिशत थी ***(परिशिष्ट 3.12)***। आगे, कनिष्ठ क्रमादेशक, प्रयोगशाला प्रशिक्षक, सामान्य अंग्रेजी शिक्षक इत्यादि के पद में कमी थी जो सभी पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित हैं।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि विभाग सेवा नियम तैयारी अधीन हैं। तथापि, बहुतकनीकी संस्थानों के प्रधानाचार्यों को अतिथि संकाय लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

3.15.5 संस्थानों का निष्पादन

3.15.5.1 छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशतता

राज्य में बहुतकनीकी छात्रों की कुल उत्तीर्ण प्रतिशतता 62 थी तथा 2011-16 के दौरान 60 और 68 प्रतिशत के मध्य रही ***(परिशिष्ट 3.13)***। नमूना-जांच किए गए सात बहुतकनीकी संस्थानों में से, मानेसर, नाथूसरी चौपटा और चीका के संस्थानों में 2009-16 के दौरान औसत उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमश: 36, 41 और 44 थी जो राज्य के औसत से बहुत कम थी।

जैसा कि ***परिशिष्ट 3.14*** में इंगित किया गया है, एक ही बहुतकनीकी संस्थान के भीतर विभिन्न पाठ्यक्रमों के मध्य उत्तीर्ण प्रतिशता में, व्यापक विविधता थी। अंबाला बहुतकनीकी संस्थान में, सिविल और मैकेनिकल पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण प्रतिशतता सिविल इंजीनियरिंग में 70 से 89 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 79 से 86 थी, जबकि प्लास्टिक तकनीकी पाठ्यक्रम में सफलता प्रतिशतता 2009-16 के दौरान केवल 11 से 58 थी।

विभाग ने कम उत्तीर्ण प्रतिशतता का कारण ग्रामीण छात्रों की अधिक नामांकन बताया जो कि मैट्रिक स्तर तक हिंदी माध्यम से पढ़े थे (अगस्त 2017)।

3.15.5.2 कैंपस प्लेसमेंट

विभाग का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमाधारकों के रोजगार में सुधार करना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सभी बहुतकनीकी संस्थानों में एक कैंपस प्लेसमेंट कक्ष स्थापित किया गया है। विभाग ने ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, की प्लेसमेंट के लिए 75 प्रतिशत का लक्ष्य निश्चित किया है। नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2009-16 के दौरान डिप्लोमाधारकों की धीमी कैंपस प्लेसमेंट प्रकट हुई जो 26 और 52 प्रतिशत की सीमा में रही ***(परिशिष्ट 3.15)***। कम कैंपस प्लेसमेंट शिक्षा की खराब गुणवत्ता का संकेतक था जिसने उस प्रयोजन को ही समाप्त कर दिया जिसके लिए ये संस्थान स्थापित किए गए थे। अत: विभाग द्वारा रोजगार में सुधार का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एच.एस.बी.टी.ई.) ने 2017-18 के सत्र में प्रभावी सभी छः सेमेस्टरों में छात्रों की साफ्ट स्किल्स में सुधार के लिए साफ्ट स्किल्स से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के विभिन्न उपाय किए गए हैं जिससे परिणाम के साथ-साथ प्लेसमेंट में भी सुधार होगा।

3.15.6 निष्कर्ष

वर्तमान संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवता को सुधारने की बजाय, वर्तमान बहुतकनीकी संस्थानों में सीटें खाली रहने के बावजूद नए बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए गए। यह खराब आयोजना को इंगित करता है। लड़कों का छात्रावास बिना किसी मांग के ₹ 4.98 करोड़ की लागत पर निर्मित किया गया और अनप्रयुक्त पड़ा था। मशीनरी और उपकरण के खरीद/बदलने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई। आगे, मौलिक मूलभूत संरचना/सुविधाएं कम थी और बहुतकनीकी संस्थानों में मानव शक्ति की कमी थी। मान्यता, जोकि गुणवता आश्वासन के लिए एक यंत्रावली, अभी तक प्राप्त नहीं की गई थी। इन कमियों का शिक्षा की गुणवता पर विपरीत प्रभाव पड़ा परिणामस्वरूप छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतता और कैंपस प्लेसमेंट कम था।

ये बिंदु जुलाई 2017 में सरकार को भेजे गए और नवंबर 2017 में स्मरण पत्र जारी किए गए परंतु उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

3.16 चूककर्ता विकासक से सरकारी देयों की वसूली में विफलता

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, समन्वय के अभाव के कारण, एक चूककर्ता विकासक से जून 2017 तक ₹ 14.29 करोड़ के सरकारी देयों की वसूली करने में विफल रहे। सरकारी देयों की वसूली/समायोजन की बजाय, विकासक को ₹ 14.34 करोड़ का भुगतान किया गया।

हरियाणा शहरी क्षेत्रों के विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (अधिनियम) की धारा 3 के अनुसार, शहरी एवं ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.), हरियाणा (विभाग) किसी भी स्वामी, जो अपनी भूमि को आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक इत्यादि कालोनी में परिवर्तित करने का इच्छुक हो, को लाईसेंस प्रदान करता है। हरियाणा शहरी क्षेत्रों के विकास एवं विनियमन (नियम), 1976 के नियम 11(i)(सी) के अनुसार, आवेदक को अनुपातिक विकास प्रभारों का भुगतान करना होगा। अनुपात तथा समय जिसके भीतर ऐसे विकास प्रभारों का भुगतान किया जाना है का निर्धारण, निदेशक, टी.सी.पी.डी. द्वारा निर्धारित किया जाता है।

निदेशक, टी.सी.पी.डी. के अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि अधिनियम के अंतर्गत सैक्टर-23, धारूहेड़ा (रेवाड़ी) में 8.77 एकड़ के एक क्षेत्र पर समूह आवासीय कालोनी स्थापित करने के लिए जनवरी 2007 में एक कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया। ₹ 8.32 करोड़ के बाह्य विकास प्रभार (ई.डी.सी.) का भुगतान या तो एकमुश्त या दस अर्ध-वार्षिक किश्तों में ब्याज तथा पेनल्टी के साथ, यदि कोई हो, किया जाना था। विकासक ने टी.सी.पी.डी. को सितंबर 2010 तक ₹ 2.15 करोड़ ब्याज सहित भुगतान किया तथा ₹ 10.22 करोड़ (मूलधन: ₹ 6.66 करोड़, ब्याज: ₹ 2.51 करोड़ तथा पेनल्टी: ₹ 1.05 करोड़) जनवरी 2011 तक विकासक के विरूद्ध लंबित था।

हुडा नीति (जून 2010) में प्रावधान है कि यदि कोई अनुमोदित लाइसेंसधारी एक शहरी संपदा में हुडा द्वारा नियत विशिष्टताओं के अनुसार उसी शहरी संपदा में एक मास्टर सड़क निर्मित करने का इच्छुक हो तो उसको ऐसा करने की अनुमति दे देनी चाहिए। हुडा ने चूककर्ता विकासक की कालोनी के पास सड़क, स्ट्रीट लाईट, पौधाकरण इत्यादि से संबंधित निर्माण के लिए मार्च 2011 और अप्रैल 2012 के मध्य ₹ 14.81 करोड़ के लिए चार कार्य आबंटित कर दिए जो कि चूककर्ता विकासक की कालोनी के पास थे जिसके विरूद्ध ₹ 10.22 करोड़ का ई.डी.सी. लंबित था (जनवरी 2011) जो कि बाद में जून 2017 की समाप्ति पर ब्याज और पेनल्टी जोड़ने के बाद बढ़कर ₹ 14.29 करोड़ हो गए।

निर्माण कार्य संविदा के उपबंध 22-ए के अनुसार, हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ठेकेदार से वसूलनीय राशि को ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल किया जाएगा। आगे, कोई भी ऐसी चूक जिसका उत्तरदायी विकासक हो, जो पूर्णता की तिथि से पांच वर्षों की चूक देयता की अवधि के दौरान विकसित हो या ध्यान में आ जाए, को ठीक करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। विकासक द्वारा ऐसे सभी रख-रखाव नि:शुल्क किए जाने थे। यदि ठेकेदार, कमियों को ठीक करने में विफल रहता है तो, प्रभारी अभियंता किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सारी कमियां ठीक करने के लिए नियुक्त कर सकता है और ऐसे सारे प्रासंगिक खर्च संबंधित ठेकेदार द्वारा वहन किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), हुडा मंडल, रेवाड़ी ने विकास कार्य चूककर्ता विकासक को आबंटित किए और इन कार्यों के लिए विकासक को जुलाई 2013 और अक्तूबर 2015 के मध्य ₹ 14.34 करोड़[72] का भुगतान भी कर दिया। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि यद्यपि हुडा टी.सी.पी.डी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है फिर भी विकास कार्य किसी भी विकासक को आबंटित करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या विकासक द्वारा विकास प्रभारों का भुगतान समय सारणी के अनुसार कर दिया गया है, कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। यदि इस पहलू पर टी.सी.पी.डी. और हुडा के मध्य समन्वय के लिए उचित यंत्रावली होती तो टी.सी.पी.डी. जून 2017 तक ₹ 14.29 करोड़ की लंबित ई.डी.सी. वसूल करने में समर्थ होता। अत: हुडा ने निर्माण कार्य संविदा के खंड 22-ए के अनुसार एजेंसी के बिलों से बकाया देयों की कटौती करने की बजाय ₹ 14.34 करोड़ का भुगतान करके चूककर्ता विकासक को अनुचित लाभ दिया।

72

क्र. सं.	कार्य का नाम	आबंटन की तिथि	आबंटित कार्य राशि (₹ करोड़ में)	कार्य की पूर्णता की तिथि	भुगतान की तिथि	विकासक को भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)
1	सड़क का निर्माण	22 मार्च 2011	9.65	20 अप्रैल 2013	09 जुलाई 2013	9.59
2	स्टोर्स वाटर ड्रेन ब्लॉक पेवर को आपस में जोड़ने वाले अर्थ और चैनल उपलब्ध करवाना और फिक्स करना	02 दिसंबर 2011	3.86	25 नवंबर 2013	02 दिसंबर 2013	3.66
3	स्ट्रीट लाईट उपलब्ध करवाना	05 जनवरी 2012	0.95	27 अक्तूबर 2012	22 अक्तूबर 2013	0.95
4	लॉन में अच्छी घास बिछाना, सजावटी पेड़-पौधे एवं झाड़ियां लगाना	12 अप्रैल 2012	0.35	अपूर्ण	06 अक्तूबर 2015	0.14
	कुल		**14.81**			**14.34**

आगे, फर्म पूर्णता की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए सड़क के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सड़क पर गड्ड़े बन गए थे, विकासक द्वारा किया गया ड्रेनेज कार्य दोषपूर्ण था तथा पौधारोपण के कार्य हेतु कुल ₹ 0.35 करोड़ में से केवल ₹ 0.14 करोड़ का कार्य विकासक द्वारा निष्पादित किया गया था। एस.डी.ई. उप-मंडल-I, रेवाड़ी ने ई.ई., हुडा मंडल, रेवाड़ी को सूचित किया (जनवरी 2016) कि बार-बार अनुरोध के बावजूद विकासक ने सड़क और ड्रेनेज प्रणाली की मरम्मत दायित्व अवधि के अंतर्गत नहीं की थी। हुडा अनुबंध में दिए गए दोषों के दायित्वों के प्रावधानों को लागू करवाने में और चूककर्ता विकासक से कमियों को नि:शुल्क ठीक करवाने में विफल रहा।

इस प्रकार, विभाग ने सरकारी देयों को वसूल करने और विकासक को दंडित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके विपरीत, हुडा ने ₹ 14.29 करोड़ के बकाया सरकारी देयों को वसूल करने/समायोजित करने की बजाय चूककर्ता विकासक को ₹ 14.81 करोड़ मूल्य के कार्य आबंटित किए तथा ₹ 14.34 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, हालांकि डेवलपर द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता निम्न स्तरीय थी, फिर भी, हुडा मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए अनुबंध की जोखिम और लागत धारा को लागू करने में विफल रहा।

मामला टिप्पणी के लिए जुलाई 2017 में सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को भेजा गया, सितंबर और नवंबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3.17 स्पष्ट स्थल प्रदान न करने के कारण निष्क्रिय व्यय

स्पष्ट स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना मुख्य जलापूर्ति पाईप लाइनें बिछाने के कार्य के आबंटन से न केवल ₹ 4.12 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ परंतु क्षेत्र के निवासियों को जलापूर्ति स्कीम के वांछित लाभ भी प्राप्त नहीं हो सके।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.1.3 में प्रावधान है कि किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय भूमि की उपलब्धता के साथ क्षेत्र की अवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाए।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), मंडल संख्या-III गुरूग्राम के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रकट हुआ कि नए सैक्टरों 58 से 115 (जोन IV से VIII), शहरी संपदा, गुरूग्राम के लिए जलापूर्ति प्रदान करने की मुख्य योजना (वितरण साधन) का कार्य मुख्य प्रशासक (सी.ए.), हुडा द्वारा जनवरी 2012 में प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित किया गया। कार्य ₹ 6.36 करोड़ के लिए एक ठेकेदार को आबंटित किया गया (नवंबर 2012) जो कि कार्य के आबंटन की तिथि से छ: महीने की अवधि के भीतर अर्थात् मई 2013 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्य जैसा पी.डब्ल्यू.डी. कोड में प्रावधान है, बिना किसी व्यवहार्यता अध्ययन एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना हाथ में ले लिया गया। परिणामत:, निष्पादन के समय, हुडा मंडल संख्या III, गुरूग्राम गांव बलियावास के आसपास एजेंसी को स्पष्ट स्थल प्रदान नहीं कर सका क्योंकि पाईपलाइन बिछाने का कार्य गांव के ''राजस्व रास्ता''[73] से होकर गुजरता है। जनवरी 2013 तक 72 प्रतिशत कार्य की पूर्णता के

[73] सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रलेखित या चित्रित किया गया कोई भी मार्ग या पहुंच मार्ग राजस्व मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है।

बाद, आगे कार्य की कोई प्रगति नहीं हुई। अतः, चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण पड़ा था। ठेकेदार को ₹ 4.12 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है (मई 2014)।

यह अवलोकित किया गया कि बलियावास के ग्रामीणों ने 'राजस्व रास्ता' पर कार्य के निष्पादन होने देने से मना कर दिया क्योंकि यह रास्ता गांव के मंदिर को जाता है और इस पर पहले से ही पेवर ब्लॉक निर्मित किए गए थे। ई.ई. ने तहसीलदार, सोहना को फरवरी 2014 में जलापूर्ति पाईपलाइन के लिए संरेखन चिह्नित करने के लिए संबंधित गिरदावर और पटवारी को तैनात करने का अनुरोध किया। तथापि, तहसीलदार, सोहना ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की (अगस्त 2017)। फरवरी 2014 के बाद ई.ई. हुडा द्वारा न तो स्थल खाली करवाने के लिए मामला राजस्व विभाग के उच्च प्राधिकारियों के साथ उठाया गया तथा न ही इसे उच्च प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। अगस्त 2017 तक 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया। शेष कार्य की पूर्णता के अभाव में, बिछाई गई पाईपलाइन को प्रयोग में नहीं लाया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.12 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

ई.ई., ने बताया (मार्च और अगस्त 2017) कि चूंकि 'रेवन्यू रास्ता' में पहले ही पेवर ब्लॉक निर्मित किया जा चुका है तथा यह बलियावास के मंदिर को जाता है, ग्रामीणों द्वारा जलापूर्ति लाइन बिछाने से मना कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया कि पाईपलाइन को गांव की दक्षिणी ओर से सुयोजित करने का प्रस्ताव नगर निगम, गुरूग्राम को भेजा गया है (अगस्त 2017)। तथापि, अनुमोदन प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

उत्तर लेखापरीक्षा के तर्क को प्रमाणित करता है कि हुडा ने भूमि की अवस्था सुनिश्चित करने के लिए पहले न तो व्यवहार्यता अध्ययन तथा न ही निरीक्षण आयोजित किया। यदि उचित व्यवहार्यता अध्ययन पहले से कर लिया जाता तो पेवर ब्लॉक के साथ 'रेवन्यू रास्ता' के पुनःनिर्माण को या तो टाला जा सकता था या जल पाईपलाइन के साथ-साथ लिया जा सकता था। आगे, अनुपालन के अभाव और अनुसरण में लापरवाही इस तथ्य से स्पष्ट है कि हुडा ने राजस्व विभाग के उच्च प्राधिकारियों के साथ मामला नहीं उठाया जबकि तहसीलदार, सोहाना पाईपलाइन बिछाने के लिए सुयोजन संरेखन करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

अतः समुचित व्यवहार्यता अध्ययन के बिना परियोजना लेने और बाद में अनुपालन के अभाव में ₹ 4.12 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। परिणामस्वरूप क्षेत्र के निवासी जलापूर्ति योजना के वांछित लाभ से वंचित रहे जो बहुत पहले मई 2013 में पूर्ण हो जाना चाहिए था।

मामला अप्रैल 2017 में टिप्पणी के लिए सरकार को भेजा गया। जून और नवंबर 2017 में स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित था।

3.18 अपूर्ण पुनर्नवीनीकरण सीवरेज जल वितरण पाईपलाइन

पूर्णता की प्रस्तावित तिथि से तीन वर्ष से अधिक बीतने के बाद भी, परियोजना के लिए बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की विफलता ने ₹ 108 करोड़ के व्यय को निरर्थक बना दिया।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.1.3 में प्रावधान है कि किसी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय भूमि की उपलब्धता सहित क्षेत्र की अवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाएगा।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), डिवीजन संख्या-II, गुरूग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि शहर में निर्माण कार्य गतिविधियों के लिए तृतीयक उपचारित सीवरेज जल और पार्कों तथा ग्रीन बेल्ट की सिंचाई हेतु सैक्टर 58 से 115 गुरूग्राम से पुनर्नवीनीकरण जल के लिए वितरण साधन प्रदान करने के लिए ₹ 116 करोड़ की लागत पर कार्य एक कंपनी को तीन माह के परीक्षण चलाने की अवधि सहित बारह माह की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया (अप्रैल 2013) आपूर्ति लाईनों की पूर्ति बहरामपुर और धनवारपुर में स्थित वर्तमान सीवरेज उपचार संयंत्रों (एस.टी.पीज) और सैक्टर 107, गुरूग्राम में निर्मित किए जाने वाले तीसरे प्रस्तावित एस.टी.पी. से की जानी थी। परियोजना क्षेत्र के अनुसार, 58.4 किलोमीटर पाईपलाइन बिछाई जानी थी। पाईपलाइन कार्य की पूर्णता की नियत तिथि से तीन वर्षों से अधिक की अवधि के बाद भी, केवल 53 किलोमीटर पाईपलाइन बिछाई गई थी और 1.42 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर था। पाईपलाइन का शेष बचा कार्य रास्ते[74] में इमारतों, मंदिर, रेलवे क्रासिंग, गैस पाईपलाइन इत्यादि विभिन्न बाधाओं के कारण अभी तक शुरू नहीं किया गया (मई 2017) और बिछाई गई पाईपलाइन भी कार्य के पूर्ण न होने के कारण प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। इस कार्य के लिए कंपनी को अभी तक ₹ 108 करोड़ की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

आगे, धनवापुर और बहरामपुर में एस.टी.पीज बिछाई गई पाईपलाइनों के साथ जोड़े नहीं गए और सैक्टर 107 में प्रस्तावित तीसरे एस.टी.पी. के लिए भूमि अभी तक भी अधिगृहीत नहीं की गई थी (दिसंबर 2016)। इसके कारण तृतीयक उपचारित जल प्रवाह चैनलों में जाने दिया जा रहा था। यदि हुडा ने समय पर परियोजना पूर्ण करवा ली होती तो, जल प्रवाह चैनलों में प्रवाहित किए गए उपचारित जल को उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता था जिनके लिए परियोजना अनुमोदित की गई थी और शहर के तेजी से गिरते भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ई.ई., हुडा ने परियोजना के डिजाइन एवं अनुमान की तैयारी शुरू करने से पहले बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। इसके अतिरिक्त, रेलवे लाईन के नीचे से पाईपलाइन गुजरने के लिए एक आर.सी.सी. बॉक्स का निर्माण रेलवे विभाग द्वारा डिपोजिट कार्य के रूप में निष्पादित किया जाना था परंतु कार्य के प्रारंभिक लागत अनुमान अभी तक भी अनुमोदित नहीं हुए हैं, जबकि पूरी परियोजना अप्रैल 2014 तक पूर्ण की जानी थी। ये बाधाएं तब भी विद्यमान थी जब परियोजना प्रारंभ की गई थी। तथापि, हुडा द्वारा इनका परियोजना, योजना तथा पाईपलाइन के मार्ग में उचित रूप से नियोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना अपूर्ण रह गई।

74 मार्ग, जिस पर पाईपलाइन बिछाई जानी थी।

ई.ई. ने बताया (जून 2017) कि कार्य सितंबर 2017 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। उसने यह भी बताया कि उपचारित जल प्रवाह चैनल में निर्मुक्त किया जा रहा है जिसे सिंचाई प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा था । उत्तर तर्कसंगत नहीं है और भूमि की परिस्थितियां के वास्तविक निर्धारण पर आधारित नहीं था क्योंकि बिछाई गई पाईपलाइन 13 भिन्न-भिन्न स्थानों पर वियोजित थी और इन बाधाओं को हटाने में पर्याप्त समय लगेगा यहां तक कि आर.सी.सी. बाक्स के कार्य की कच्ची लागत का अनुमान भी अभी अनुमोदित नहीं हुआ था, न ही प्रस्तावित तीसरे एस.टी.पी. के लिए अभी तक भूमि अधिगृहीत की गई थी।

इस प्रकार, परियोजना के लिए बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में हुडा की विफलता के कारण पूर्णता की प्रस्तावित तिथि से तीन से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी अब तक परियोजना पर व्यय किए ₹ 108 करोड़ का व्यय निरर्थक रह गया। साथ ही, निर्माण कार्य के लिए तृतीयक उपचारित जल प्रयोग करने और शहर में पार्कों और ग्रीन बेल्ट की सिंचाई के उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किए जा सके।

मामला टिप्पणी के लिए जून 2017 में सरकार को भेजा गया। आगे स्मरण-पत्र सिंतबर एवं नवंबर 2017 में जारी किए गए। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

3.19 व्यावसायिक कालोनी लाईसेंस की अनियमित प्रदानगी और विकासक को अदेय लाभ

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने विशेष क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र को बिना किसी अधिसूचना के वाणिज्यिक भूमि उपयोग में बदल कर वाणिज्यिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान किया। विकासक को ₹ 18.94 करोड़ की सीमा तक अदेय लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त, विकासक की भूमि के माध्यम से आम मार्ग सुनिश्चित नहीं किया गया था और परियोजना का विज्ञापन भवन योजना के अनुमोदन के बिना शुरू कर दिया गया था।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.), पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र के अनियमित विकास अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत हरियाणा राज्य में घोषित नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार और प्रकाशित करता है। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, सरकार के लिए जन साधारण एवं स्थानीय प्राधिकारी से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा मसौदा विकास योजना प्रकाशित करना अनिवार्य है। तत्पश्चात विभाग इन योजना दस्तावेजों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करता है। गुड़गांव मानेसर शहरी कैंपस-2031 (जी.एम.यू.सी.-2031) के प्रारूप विकास योजना हेतु जनता से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए सितंबर 2012 में प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात, अंतिम विकास योजना (एफ.डी.पी.) नवंबर 2012 में अधिसूचित की गई जिससे विभिन्न भूमि प्रयोग[75], जैसे आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक विशेष जोन, रक्षा भूमि इत्यादि चिह्नित किए गए थे। गुरूग्राम में 114 हैक्टेयर विशेष जोन क्षेत्र में से सैक्टर 16 गुरूग्राम में 17.768 एकड़ भूमि को विशेष जोन क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोगों यथा व्यवसायिक, ग्रुप हाउसिंग, मनोरंजन एवं मन बहलाव तथा संस्थागत प्रयोग के लिए प्रावधान था।

[75] आवासीय: 16,021 हेक्टयर, वाणिज्यिक: 1,616 हेक्टेयर, औद्योगिक: 4,613 हेक्टेयर, विशेष जोन: 114 हेक्टेयर, डिफेंस भूमि: 633 हेक्टेयर इत्यादि।

जिला नगर आयोजक (डी.टी.पी.), गुरूग्राम तथा टी.सी.पी.डी., हरियाणा के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि व्यक्तिगत भूमि मालिकों ने एक निजी फर्म के साथ सहयोग में सैक्टर-16 के विशेष जोन में पड़ने वाली 13.08 एकड़ भूमि पर व्यावसायिक कालोनी स्थापित करने के लिए हरियाणा शहरी क्षेत्रों के विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत लाईसेंस की प्रदानगी के लिए आवेदन किया (फरवरी 2013), जोकि अगस्त 2015 में प्रदान कर दिया गया। अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- **पूरे विशेष जोन का व्यावसायिक कालोनी में अनियमित परिवर्तन**

विकासक द्वारा लाईसेंस के आवेदन पर (फरवरी 2013), मंत्री-परिषद् ने एक बैठक (अगस्त 2013) में सैक्टर-16, गुरूग्राम में स्थित 17.768 एकड़ के पूरे विशेष जोन की व्यवसायिक भूमि प्रयोग के लिए अनुमति दे दी। इस प्रकार, प्रभावी रूप से विशेष जोन व्यवसायिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया। विभाग ने जी.एम.यू.सी.-2031 में यह संशोधन अधिसूचित नहीं किया तथा जनता से आपत्तियों को आमंत्रित करने में विफल रहा। जी.एम.यू.सी.-2031 जनवरी 2017 में संशोधित तथा अधिसूचित किया गया। यह परिवर्तन, संशोधन अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया। अत:, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया और विशेष जोन के भूमि प्रयोग का परिवर्तन अनियमित था।

- **आम सार्वजनिक रास्ते का प्रावधान न करना**

जी.एम.यू.सी.-2031 की सैक्टर-वार योजना के अनुसार आवेदित किया गया स्थल एन.एच.-8 और गुरूग्राम-महरौली सड़क के मध्य 24 मीटर चौड़ी विकास योजना सड़कों से पहुंच पर था। परंतु 24 मीटर चौड़ी सैक्टरवार योजना सड़क पहले से प्रदान भूमि प्रयोग के परिवर्तन, निर्मित स्थल की विद्यमानता और प्रस्तावित सड़क के कुछ भागों में आवासीय संरचना इत्यादि जैसी रूकावटों के कारण संभव नहीं हो पाई। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डी.टी.पी., गुरूग्राम ने कई वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किए (अप्रैल 2013 और जनवरी 2014) और ये सब विकासक के आवेदित स्थल से गुरजते थे। यह भी प्रस्तावित किया गया कि विकासक से सहमति ली जाए कि प्रस्ताविक सड़क उनकी अपनी भूमि पर अपनी लागत पर उनके द्वारा निर्मित की जाए। विकासक ने भी स्वीकार कर लिया (नवंबर 2013) और संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत की जिसमें उसके स्थल से गुजरने वाली सड़क दिखाई गई। आखिरकार, दो वैकल्पिक मार्ग दोनों विकासक की भूमि से गुजरते हुए, मुख्य प्रशासक, हुडा को अनुमोदन के लिए भेज दिए गए (फरवरी 2014)।

तथापि, व्यवसायिक कालोनी की जोनिंग योजना मुख्य प्रशासक, हुडा द्वारा विकासक की भूमि से गुजरती हुई 24 मीटर सड़क की शर्त को लागू किए बिना ही स्वीकृत कर दी गई (अगस्त 2015)। कालोनी की जोनिंग योजना पूरे क्षेत्र को निर्माण जोन के तौर पर दिखाती है। एन.एच. आठ से 24 मीटर चौड़ी सड़क अब विकासक के स्थल की चारदीवारी पर खत्म होती है। इस प्रकार, विभाग ने विकासक के स्थल में से 24 मीटर चौड़ा आम रास्ता बनाने की शर्त के बिना लाईसेंस देकर विकासक को अनुचित लाभ दिया। डी.टी.पी. द्वारा यथा प्रस्तावित और विकासक द्वारा स्वीकृत लाईसेंसशुदा भूमि से सार्वजनिक आम रास्ते का प्रावधान न किए जाने के कारण रिकार्ड में भी नहीं पाए गए। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जून 2017) पर महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. ने हुडा को डी.टी.पी, गुरूग्राम द्वारा प्रस्तावित योजना के विपरित योजना अनुमोदित करने के कारण प्रस्तुत करने को कहा। तथापि, हुडा का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

- **विकासकों से हुडा ग्रीन बेल्ट भूमि के एवज में भूमि प्राप्त न करना**

सितंबर 1992 से हुडा द्वारा अनुसरण की जाने वाली वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार, यदि विकासक की भूमि तक कोई पहुंच उपलब्ध नहीं है और हुडा द्वारा अधिगृहीत भूमि से पहुंच प्रदान की जाती है तो पहुंच प्रदान करने के लिए अपेक्षित ऐसी भूमि के एवज में भूमि का 1.5 गुणा हुडा द्वारा विकासक से ले लिया जाएगा। इस व्यावसायिक कालोनी को पहुंच वाली सड़क हुडा द्वारा इसकी 108वीं बैठक में अनुमोदित की गई और मुख्य प्रशासक, हुडा, द्वारा प्रशासक हुडा, गुरूग्राम को सूचित की गई थी। सहमत वैकल्पिक मार्ग हुडा भूमि के 2,530 वर्गमीटर और एन.एच-8 से सटी हुई 2,400 वर्गमीटर[76] हुडा ग्रीन बेल्ट से गुजरा और ग्रीन बेल्ट में वाटर बूस्टिंग सिस्टम प्रस्थापित था।

हुडा द्वारा 2400 वर्ग मीटर ग्रीन बेल्ट के बदले किसी भूमि की मांग नहीं की गई। हुडा की 108वीं बैठक में भी इसकी चर्चा नहीं की गई। वर्ष 2014-15 के लिए व्यवसायिक भूमि के कलेक्टर दरों के अनुसार, विनिमय डीड की निष्पादन तिथि को भूमि की कीमत ₹ 18.94 करोड़[77] बनती है।

- **भवन योजना के अनुमोदन बिना परियोजना का विज्ञापन**

राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) के नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा-29 (2) के अंतर्गत एन.एच. को प्रभावित करने वाले आने/जाने वाले यातायात के लिए एन.एच.ए.आई. से पूर्व अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है। सामान्य अवस्था में ऐसी अनुमति लेने का कर्तव्य कोलोनाइजर का है, परंतु तत्काल मामले में निवेदन हुडा द्वारा किया गया था (जनवरी 2015)। विकासक ने एन.एच.ए.आई. से अनुमति प्राप्त करने के लिए लाईसेंस की प्रदानगी की तिथि (अगस्त 2015) से 18 मास के समय की छूट का निवेदन किया (जून 2015) परंतु यह अभी प्रदान नहीं किया गया (अगस्त 2017)।

इसके अतिरिक्त, लाईसेंस में शर्त के अनुसार, भवन योजना केवल एन.एच.ए.आई. से अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमोदित की जानी थी। आगे, मई 2011 में जारी टी.सी.पी.डी. के अनुदेशों के अनुसार कालोनाइजरज द्वारा उनकी लाईसेंसशुदा कालोनियों में प्लाट/फ्लैट की बिक्री के लिए उनके द्वारा दिए गए विज्ञापनों में अनुमोदनों के ब्यौरे देना अपेक्षित था। वरिष्ठ नगर आयोजक द्वारा कालोनाइजरज द्वारा ऐसे विज्ञापनों पर नियमित जांच और चूककर्ता कालोनाइजरज बारे लाईसेंसों के कार्यचालन को रद्द करने के लिए कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय को सूचित करना अपेक्षित था। आगे, आशय के पत्र[78] (एल.ओ.आई.) में यह बताया गया कि कालोनाईजर बिल्डिंग योजनाओं के अनुमोदन से पहले जगह को पूर्व-प्रारंभ/बेचेगा नहीं।

तथापि, यह अवलोकित किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि एन.एच.ए.आई. से अनुमोदन प्रतीक्षित था और भवन योजना अभी तक अनुमोदित नहीं हुई थी, कालोनाइजर ने परियोजना के लिए विज्ञापन दे दिए और (मई 2015[79]) से विभिन्न वेबसाईटज पर

---

[76] 100 मीटर लंबाई वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क।

[77] 2,870.37 वर्गगज (2,400 वर्गमीटर) गुणा 1.5 गुणा ₹ 44,000 प्रति वर्गगज।

[78] विभाग लाईसेंस जारी करने से पहले एल.ओ.आई. जारी करता है जिसमें अन्य बातों के साथ बैंक गांरटी प्रस्तुत करने के लिए, अनुपातिक विकास प्रभारों का भुगतान हाथ में लेने और अनुबंध/अंडरटेकिंग निष्पादित करने जैसी निश्चित शर्तें होती हैं।

[79] आरचीव.ओ.आर.जी. वेबसाइट (Archive.org website) के अनुसार।

सार्वजनिक डोमेन में भवन योजना उपलब्ध थी, जो एल.ओ.आई. और लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन था। वरिष्ठ नगर आयोजक ने विज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया परिणामत: विकासक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी (अक्तूबर 2017)।

इस प्रकार, अधिसूचना के बिना पूरे विशेष जोन के क्षेत्र व्यवसायिक भूमि प्रयोग में परिवर्तित करने, लाईसेंसशुदा भूमि से सार्वजनिक आम रास्ते की शर्त का प्रावधान न करने, विकासक से इसके बदले भूमि लिए बिना हुडा ग्रीन बेल्ट का प्रावधान करने और एन.एच.ए.आई. से अनुमोदन के बिना तथा भवन योजनाओं के अनुमोदन के बिना परियोजना को पूर्व-प्रारंभ करना अनियमित तथा कालोनाइजर को अनुचित लाभ के बराबर था।

मामला टिप्पणियों के लिए अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के ध्यान में लाया गया था। सितंबर और नवंबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

3.20 आवश्यकता से अधिक पाईपों की खरीद

हुडा द्वारा वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना, डी.आई. पाईपों के अधिक खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 20.80 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। ₹ 2.12 करोड़ मूल्य की पाईपें प्रयोग नहीं की जा सकी चूंकि संविदा थ्रू दरों के माध्यम से दी गई थी।

हरियाणा में यथा लागू, पंजाब वित्तीय नियम खण्ड-I (पी.एफ.आर.) के नियम 15.2 (बी) में प्रावधान है कि खरीद लोक सेवा की निश्चित आवश्यकता के अनुरूप अधिकतम मितव्ययी ढंग से की जानी चाहिए। साथ ही, वास्तविक आवश्यकता से बहुत पहले ही भंडारों की खरीद न किए जाने का ध्यान रखा जाना चाहिए। हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 25.3.3 (के) आगे प्रावधान करता है कि एक विभाग में विभिन्न स्थलों/स्टोरों पर उपलब्ध सीमेंट, स्टील, बिटुमन, पाईपों जैसी उपभोग की भारी वस्तुओं की मात्रा एक उचित विवरणी के माध्यम से परिचालित की जानी चाहिए और विशेष तथा बहुत भारी मात्रा के प्राप्त की योजना करने से पहले यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या माल की व्यवस्था अंतर-मंडलीय हस्तांतरण द्वारा या नई आपूर्ति द्वारा विवेकपूर्ण एवं मितव्ययी है।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), डिवीजन संख्या-II, गुरूग्राम जो कि गुरूग्राम में सभी मंडलों के लिए सभी भंडारों की खरीद के लिए नोडल कार्यालय है, के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 20.80 करोड़ मूल्य के विभिन्न आकारों[80] की 10,831 मीटर नरम लोहे (डी.आई.) की पाईपें मार्च 2017 तक स्टॉक में पड़ी थी। ये पाईपें उन निर्माण कार्यों जो पहले ही अनुमोदित हो चुके और निर्माण कार्य जिनके अनुमान प्रक्रिया अधीन थे के लिए ई.ई., डिवीजन संख्या-III गुरूग्राम द्वारा 2010-12 के दौरान दी गई मांग पर ई.ई, डिवीजन संख्या-II, गुरूग्राम द्वारा फरवरी 2011 और मई 2013 के मध्य प्रापित किए गए थे। चूंकि पाईपों का खरीद जिन निर्माण कार्यों के लिए किया गया था, ई.ई. हुडा डिवीजन संख्या-III द्वारा निष्पादित नहीं किए जा रहे थे और पाईपें भंडार में पड़ी थी, ई.ई., हुडा डिवीजन संख्या-II, गुरूग्राम ने राज्य में हुडा मंडलों के सभी ई.ईज को डी.आई. पाईपों के लिए उनकी मांग भेजने हेतु सूचित किया (फरवरी 2016 और जनवरी 2017)। तथापि, किसी मंडल से कोई भी मांग प्राप्त नहीं हुई और हुडा मंडल-III गुरूग्राम, जिसने स्वयं ₹ 13.20 करोड़

[80] 500 मि.मी. के 1,626 मीटर, 700 मि.मी. के 619 मीटर, 800 मि.मी. के 87 मीटर, 900 मि.मी. के 1,054 मीटर, 1,100 मि.मी. के 2,362 मीटर तथा 1,200 मी.मी. व्यास के 5,083 मीटर।

मूल्य की 800 मि.मी. और 1,200 मि.मी. डी.आई. पाईपों की खरीद के लिए मांग परिपेक्षित की, ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि इन पाईपों की उनके डिवीजन को आवश्यकता नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि स्टॉक में पहले से ही उपलब्ध डी.आई. पाईपों की, कोई मांग पहले उठाए बिना मार्च 2013 में दरों[81] के माध्यम से आधारित एक ठेकेदार को ₹ 76.10 करोड़ मूल्य की एक परियोजना आबंटित कर दी गई। इन डी.आई. पाईपों के मूल्य के बराबर ₹ 2.12 करोड़ का भुगतान चल रहे बिलों के द्वारा जून 2017 तक पहले ही कर दिया गया था। ई.ई. डिवीजन संख्या-III, गुरूग्राम ने ₹ 7.60 करोड़ मूल्य के विभिन्न व्यास (500 मि.मी., 700 मि.मी., 900 मि.मी. और 1,100 मि.मी.) के शेष स्टॉक बारे, बताया कि ये पाईपें उनके द्वारा प्रयुक्त कर लिए जाएंगे, परंतु ई.ई, डिवीजन संख्या-III द्वारा न तो इन पाइपों का मांगपत्र जारी किया गया, न ही ये पाईपें अभी तक जारी की गई। इस प्रकार, ₹ 20.80 करोड़ मूल्य की डी.आई. पाईपें उनकी खरीद के चार से छः वर्षों के बाद भंडार में अप्रयुक्त पड़ी थी। यह इंगित करता है कि पाईपों के लिए मांग आवश्यकता के समुचित निर्धारण के बिना की गई थी।

ई.ई., हुडा डिवीजन संख्या-II, गुरूग्राम ने बताया (मई 2017) कि पाईपें सैक्टर-68-80, 88-ए और 89-ए की मुख्य लाईनों में प्रयोग कर ली जाएंगी। इन सैक्टरों में कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किया गया है। उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है कि पाईपों की आवश्यकता का उचित निर्धारण किए बिना वास्तविक आवश्यकता से अत्यधिक पाईपें खरीदी गई थी। परिणामस्वरूप, ₹ 20.80 करोड़ मूल्य की 10,831 मीटर डी.आई. पाईपें पिछले चार से छः वर्षों से अनुपयुक्त पड़ी थी। डी.आई. पाईपों का पर्याप्त भंडार होने के बावजूद भी अनुबंध थ्रू दरों पर किया गया जिसमें ₹ 2.12 करोड़ तक मूल्य की पाईपों का प्रयोग हो सकता था। यह लापरवाही और वित्तीय औचित्य के मानदंडों की उल्लंघना इंगित करता है जिसके लिए जवाबदेही तय किए जाने की आवश्यकता है।

मामला सरकार, शहर एवं ग्राम आयोजना विभाग को टिप्पणी के लिए जून 2017 में भेजा गया और नवंबर 2017 में आगे स्मरण-पत्र जारी किया गया परंतु उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

परिवहन विभाग

3.21 एजेंसी को अदेय लाभ

पट्टा राशि के निर्धारण में असामान्य देरी एवं अनंतिम पट्टा किराए की देरी से वसूली के कारण ₹ 2.02 करोड़ की अवसूली और ₹ 0.57 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा परिवहन ने अपनी सी.एन.जी. बसों में सुविधाजनक ईंधन डालने के लिए बल्लभगढ़ स्थित फरीदाबाद डिपो के भीतर केप्टिव सी.एन.जी. ईंधन की सुविधा रखने का निर्णय लिया (मई 2006)। इस दिशा में, महाप्रबंधक (जी.एम.), हरियाणा परिवहन फरीदाबाद ने 6 मार्च 2009 को एक फर्म के साथ अनुबंध किया जिसने वितरण बिंदु पर सी.एन.जी. वितरण करने के लिए बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर सुरक्षित रूप से सी.एन.जी. भरने की सुविधा स्थापित की। सी.एन.जी. भरने के स्टेशन को स्थापित करने और चलाने से संबंधित मानवशक्ति की लागत, बिजली इत्यादि सभी लागतें फर्म द्वारा वहन की जानी थी। जी.एम. ने भी फर्म को शैड तथा अन्य सिविल/इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कार्य, गैस कंपरैसर्ज के लिए

[81] माध्यम दरों का अर्थ है ठेकेदार को माल की लागत और श्रम दोनों पर आबंटित कार्य।

स्थल पर अपेक्षित अन्य रखने एवं भरने की सुविधाओं के लिए फर्म को भूमि भी प्रदान कर दी। भूमि का स्वामित्व हरियाणा परिवहन के पास रहना था और फर्म को प्रयुक्त भूमि के लिए पट्टा राशि का भुगतान करना था। पट्टा राशि का निर्धारण उपायुक्त, फरीदाबाद (डी.सी.) द्वारा प्रचलित सिद्धांतों, निर्देशों एवं नीति के अनुसार किया जाना था और इसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी थी। अनुबंध पांच वर्षों की अवधि के लिए था जो कि आपसी स्वीकृत शर्तों और अनुबंधों पर बढ़ाया जा सकता था।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जी.एम., हरियाणा परिवहन, फरीदाबाद ने सी.एन.जी. भरने को स्टेशन प्रस्थापित करने के लिए फर्म को 1,526.37 वर्गमीटर का क्षेत्र दिया था। तथापि, विभाग के पास, भूमि सौंपने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। सरकारी दिशा निर्देशों (फरवरी 2009), के अनुसार, पट्टा राशि उपायुक्त (डी.सी.), फरीदाबाद द्वारा तय की जानी थी। फरवरी 2009 में तय ₹ 11,000 प्रतिवर्ष की अनंतिम पट्टा किराया भी डी.सी. फरीदाबाद द्वारा किराए के निर्धारण तक फर्म से वसूलनीय था। यह देखा गया कि अनुबंध में अनंतिम किराए की वसूली की धारा शामिल ही नहीं की गई थी। अत:, जी.एम., फरीदाबाद ने कोई अनंतिम पट्टा किराया वसूल नहीं किया और फर्म द्वारा अधिभोग की गई भूमि के लिए पट्टा राशि तय करने के लिए समिति[82] गठित करने के लिए डी.सी. को अनुरोध किया (फरवरी 2010)। डी.सी. ने इस प्रयोजन के लिए एक समिति[83] गठित कर दी (मार्च 2010) परंतु यह किराया तय करने में विफल रही। इसी मध्य फर्म के साथ अनुबंध मार्च 2014 में समाप्त हो गया तथा इसे बढ़ाया नहीं गया, जबकि फर्म द्वारा सी.एन.जी. वितरण का कार्य जारी था (मई 2017)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद (सितंबर 2014), जी.एम. ने मामला अक्तूबर 2014 में समिति के साथ उठाया। यद्यपि समिति द्वारा जनवरी 2015 और मार्च 2016 के बीच, कई बैठकें आयोजित की गई, पट्टा राशि तय नहीं की गई। अंततः सितंबर 2016 में, जी.एम., हरियाणा परिवहन, फरीदाबाद ने सूचित किया कि समिति ने पट्टा राशि नियत[84] कर ली है जो डी.सी. द्वारा भी अनुमोदित कर दी गई है और देय पट्टा किराया अब फर्म के बिलों से वसूल किया जाएगा। निदेशक, राज्य परिवहन (डी.एस.टी.) ने बताया (अक्तूबर 2016) कि 6 मार्च 2009 से 30 जून 2016 की अवधि के लिए सेवाकर छोड़कर ₹ 11,000 प्रतिमाह की दर पर ₹ 9.67 लाख का अनंतिम पट्टा किराया डिपो द्वारा वसूल कर लिया गया है और 12 जुलाई 2016 को राजकोष में जमा करवा दिया गया है। जी.एम. ने डी.सी. की अध्यक्षता में समिति द्वारा तय किराए के आधार पर फर्म से मार्च 2009 से अक्तूबर 2016 की अवधि के लिए ₹ 2.07 करोड़ की मांग की (अक्तूबर 2016)। विभाग ने फर्म के अभिवेदन पर अंतिम निर्णय तक उच्चतर दर पर पट्टा किराया वसूल न करने का निर्णय लिया गया। फर्म से केवल ₹ 11,000 प्रतिमास का अनंतिम पट्टा किराया वसूलना जारी है। ₹ 1.32 लाख का अनंतिम किराया जून 2017 तक वसूल कर लिया गया।

---

82 जिसमें जिला प्रशासन, राजस्व प्राधिकारी और पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर. प्राधिकारी के प्रतिनिधि।

83 जिसमें उपमंडलीय मजिस्ट्रेट (सिविल) बल्लभगढ़, जिला राजस्व अधिकारी फरीदाबाद तथा कार्यकारी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) फरीदाबाद।

84 प्रतिवर्ग मीटर प्रतिमाह की दर पर: 6 मार्च 2009 से 5 मार्च 2012 के लिए ₹ 112.32, 6 मार्च 2012 से 5 मार्च 2015 के लिए ₹ 140.40 तथा 6 मार्च 2015 से 5 मार्च 2018 की अवधि के लिए ₹ 175.50.

तत्पश्चात, राज्य सरकार ने अवलोकित किया (अप्रैल 2017) कि फिलिंग स्टेशन केवल हरियाणा परिवहन की बसों के प्रयोग के लिए प्रस्थापित किया गया था और इच्छा व्यक्त की कि व्यवस्था की विशेष प्रकृति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त (फरीदाबाद) की रिपोर्ट मांगी जाए ताकि पट्टा किराया की अंतिम दर सरकारी स्तर पर अंतिम की जा सके। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध के अंतिमकरण से पूर्व इन पहलुओं पर पहले ही विचार कर लिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप 30 जून 2017 तक फर्म से वसूलनीय ₹ 2.02 करोड़[85] की संग्रहित पट्टा राशि और मार्च 2017 तक ₹ 0.57 करोड़[86] के ब्याज की हानि हुई। वसूली में किसी देरी का परिणाम समय के साथ ब्याज राशि के बढ़ने में होगा।

इस प्रकार, विभाग का दृष्टिकोण शुरू से ही बहुत अनौपचारिक था क्योंकि उसके पास भूमि हस्तांतरण का रिकार्ड तक नहीं था। अनंतिम पट्टा किराया भी सात वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर वसूल किया गया। पट्टा किराया तय करवाने में आठ वर्ष से अधिक लगे जो स्वीकार भी नहीं किया गया। इस बीच अनुबंध मार्च 2014 में समाप्त हो गया जो नवीनीकृत नहीं किया गया (अक्तूबर 2017) परंतु संचालन जारी था। पट्टा किराया नियत करने और अनंतिम पट्टा किराया वसूल करने में अत्यधिक देरी फर्म को अदेय लाभ का संकेत है। अंतरीय पट्टा किराया के ₹ 2.02 करोड़ तथा उस पर ₹ 0.57 करोड़ के ब्याज की हानि अभी भी वसूलनीय है।

मामला टिप्पणी के लिए सरकार को भेजा गया (जुलाई 2017)। सितंबर और नवंबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

शहरी स्थानीय निकाय और विकास एवं पंचायत विभाग

3.22 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

नमूना-जांच की गई 12 नगरपालिकाओं में, अस्वच्छ शौचालयों वाले निवासियों की पहचान नहीं की गई और 23 नगरपालिकाओं में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया। 2,571 लाभार्थियों को ₹ 1.80 करोड़ के प्रोत्साहन उनकी सत्यता के सत्यापन किए बिना निर्मुक्त किए गए। शहरी क्षेत्रों में 2,192 लाभार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,364 लाभार्थियों को केवल आंशिक प्रोत्साहन निर्मुक्त किए गए। प्रोत्साहन के दोहरे/तिहरे भुगतान के मामले देखे गए। शौचालयों के निर्माण के लिए घरों को आवृत करने में कमी की और वे शौचालय जो निर्मित किए गए, कई मामलों में अपूर्ण थे। जागरूकता, निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव भी था।

3.22.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने 2 अक्तूबर 2019 तक देश को साफ बनाने के लक्ष्य के साथ 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इसमें दो उप-अभियान है अर्थात् स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) (एस.बी.एम.(जी)) और स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) (एस.बी.एम.(यू))। अभियान के मुख्य उद्देश्य थे: खुले में शौच बंद करना, मानवीय मल उठाने

85 सितंबर 2016 में डी.सी. फरीदाबाद द्वारा नियत दर पर परिगणित अर्थात् जून 2017 तक ₹ 2.13 करोड़ घटा: वसूल राशि ₹ 0.11 करोड़।

86 2010-11 से 2016-17 के दौरान सरकारी उधार पर 8 और 9.86 प्रतिशत के बीच ब्याज की भारित औसत दर पर परिगणित।

का उन्मूलन, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वस्थ स्वच्छता अभ्यास बारे व्यवहार में परिवर्तन, स्वच्छता बारे जागरूकता का सृजन और इसका जन स्वास्थ्य के साथ जोड़ना। व्यक्तिगत घरों में शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) और सामुदायिक शौचालय, अभियान के मुख्य मिशन थे। एस.बी.एम. (यू), के कार्यान्वयन के लिए नगरपालिकाओं को ₹ 114.03 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई जिसमें से 2014-17 के दौरान ₹ 66.69 करोड़ आई.एच.एच.एल. और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए थे। इसी प्रकार, राज्य में 2014-17 के दौरान एस.बी.एम. (जी) के अंतर्गत आई.एच.एच.एल. पर ₹ 148.90 करोड़ का व्यय किया गया।

एस.बी.एम. (यू) के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार से घर में शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन ₹ 4,000 प्रति घर शौचालय था। राज्य सरकार ने भी अपने स्वयं के साधनों से प्रति घर शौचालय के लिए अधिकतम ₹ 10,000 प्रदान करने का निर्णय लिया। इस तरह, एस.बी.एम. (जी) के अंतर्गत पहचान किए गए लाभार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 9,000 के (75 प्रतिशत) केंद्रीय हिस्से और ₹ 3,000 (25 प्रतिशत) के राज्य के हिस्से के साथ आई.एच.एच.एल. की प्रत्येक इकाई के लिए ₹ 12,000 की प्रोत्साहन राशि थी। नवंबर 2015 से एस.बी.एम. (जी) की हिस्सेदारी राज्य और केंद्रीय सरकारों 75:25 से बदलकर 60:40 हो गई।

एस.बी.एम. (यू) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण की स्थिति का निर्धारण करने के विचार से फरवरी-अगस्त 2017 के मध्य निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा 2015-17 की अवधि के लिए राज्य में 80 नगरपालिकाओं में से 24[87] नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा की गई। नमूना-जांच के लिए नगरपालिकाओं का चयन प्रतिस्थापन के साथ आकार की आनुपातिक संभावना विधि अपनाकर किया गया। नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के कुल 24,909 लाभार्थियों में से 666 का नगरपालिकाओं के स्टॉफ के साथ एक संयुक्त भौतिक सत्यापन भी लेखापरीक्षा के दौरान किया गया। लाभार्थियों को नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के भिन्न-भिन्न वार्डों से प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर भौतिक सत्यापन के लिए चुना गया। इसी तरह, अप्रैल-अगस्त 2017 के दौरान निदेशालय, विकास एवं पंचायत और छः[88] चयनित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.एज) की संवीक्षा की गई। नमूना-जांच के लिए डी.आर.डी.एज, प्रतिस्थापन के साथ आकार के लिए संभावितता पद्धति को अपनाकर चुने गए। लेखापरीक्षा के दौरान खंड विकास और पंचायत कार्यालयों के स्टॉफ के साथ चयनित जिलों की 130 ग्राम पंचायतों से 1,045 लाभार्थियों का भी एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के लिए लाभार्थी नमूना-जांच किए गए जिलों को भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों से सिंपल प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर चुने गए। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

87 (i) पानीपत, (ii) पंचकुला, (iii) फरीदाबाद, (iv) होडल, (v) भिवानी, (vi) नारनौल, (vii) रेवाड़ी, (viii) चरखी दादरी, (ix) पुंडरी, (x) राजौंद, (xi) गन्नौर, (xii) कनीना, (xiii) बवानी खेड़ा, (xiv) बरवाला, (xv) कलायत, (xvi) उकलाना मंडी, (xvii) नारनौंद, (xviii) फिरोजपुर झिरका (xix) निसिंग, (xx) उचाना, (xxi) सांपला, (xxii) सफीदों, (xxiii) जुलाना तथा (xxiv) महेन्द्रगढ़।

88 (i) अंबाला, (ii) भिवानी, (iii) जींद, (iv) रेवाड़ी, (v) सोनीपत तथा (vi) यमुनानगर।

3.22.2 व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के लिए लाभार्थियों और स्थलों की पहचान

एस.बी.एम. (यू.) के मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 4.3 बताता है कि लाभार्थी का अर्थ कोई घर जिसमें व्यक्तिगत शौचालय तक पहुच नहीं है या अस्वास्थ्यकर शौचालय (शुष्क/बाहु और एक खड्डा शौचालय) है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण करना अपेक्षित था। इस सर्वेक्षण पर आधारित, सभी खुले में शौच करने वाले परिवारों की पहचान की जानी थी और यू.एल.बीज द्वारा ऐसे पहचान किए गए प्रत्येक परिवारों/परिवारों के समूह के लिए व्यक्तिगत शौचालय या सार्वजनिक शौचालय के लिए योजना अनुमोदित करनी अपेक्षित थी। यू.एल.बीज द्वारा उनके घरों/रिहायसी इकाइयों के आस-पास उपयुक्त भूमि के टुकड़े की पहचान करनी थी और शौचालय डिजाईन किए जाने थे।

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 12 नगरपालिकाओं[89] ने केवल उन्हीं घरों की पहचान की थी जिनमें शौचालय नहीं थे परंतु वे घर जिनमें अ-स्वच्छ शौचालय और एक खड्डा शौचालय थे, की न तो पहचान की गई और न ही अभियान के अंतर्गत शामिल करना लक्षित किया गया। इस प्रकार, सर्वेक्षण मार्गनिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया और पात्र व्यक्ति लाभों से वंचित रह गए तथा अभियान के उद्देश्य की प्राप्ति भी उस सीमा तक कम हो गई।

यह इंगित किए जाने पर, संबंधित नगरपालिकाओं (राजौंद, उकलाना मंडी और नारनौल के सिवाय जिन्होंने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया) ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (फरवरी-अगस्त 2017) कि भविष्य में इस प्रकार के घरों की भी पहचान की जाएगी और शामिल किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, नगर निगम, पानीपत के अलावा सामुदायिक शौचालय निर्मित नहीं किए गए थे। ग्यारह[90] नगरपालिकाओं ने बताया (फरवरी-अगस्त 2017) कि लाभार्थियों और सामुदायिक शौचालयों के लिए जगह की पहचान की जाएगी और भविष्य में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। छः अन्य नगरपालिकाओं[91] ने बताया कि लाभार्थी और जगह की पहचान कर ली गई थी परंतु निधियां निदेशालय, यू.एल.बीज द्वारा संस्वीकृत की जानी बाकि है जबकि नगरपालिका समिति, उचाना ने बताया (जुलाई 2017) कि सामुदायिक शौचालयों के लिए उपयुक्त जगह पर भूमि उपलब्ध नहीं थी।

- एस.बी.एम. (यू) के मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 6.1 प्रावधान करता है कि यू.एल.बीज यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शहर में चलायमान जनसंख्या को आकर्षित करने वाले प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का समुचित संख्या में निर्माण किया जाए। इस घटक के लिए, केंद्र सरकार से कोई वित्तीय समर्थन नहीं होगा और यू.एल.बीज द्वारा उपयुक्त भूमि पहचानना और पी.पी.पी. (निजी सार्वजनिक भागीदारी) विधि के द्वारा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और प्रबंध करना वांछित था। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य पानीपत के अलावा अन्य किसी भी नगरपालिकाओं द्वारा नहीं किया गया था।

---

[89] (i) पंचकूला, (ii) होडल, (iii) नारनौल, (iv) राजौंद, (v) कनीना, (vi) बवानीखेड़ा, (vii) कलायत, (viii) उकलाना मंडी, (ix) सफीदों, (x) महेंद्रगढ़, (xi) सांपला तथा (xii) फिरोजपुर झिरका।

[90] (i) होडल, (ii) भिवानी, (iii) गन्नौर, (iv) पुंडरी, (v) कनीना, (vi) बवानीखेड़ा, (vii) कलायत, (viii) नारनौंद, (ix) निसिंग, (x) सफीदों तथा (xi) सांपला।

[91] (i) पंचकूला, (ii) चरखी दादरी, (iii) रेवाड़ी (iv) महेंदरगढ़, (v) फिरोजपुर झिरका, तथा (vi) बरवाला।

इस घटक के अ-कार्यान्वयन को स्वीकारते हुए 11 नगरपालिकाओं[92] ने बताया (फरवरी-अगस्त 2017) कि सार्वजनिक शौचालयों के लिए जगह की पहचान की जाएगी और यह घटक भविष्य में कार्यान्वित किया जाएगा।

3.22.3 वित्तीय प्रबंधन

(i) निधियों की निर्मुक्ति में देरी

शहरी

एस.बी.एम. (यू) के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 10.4.6 में निर्दिष्ट है कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिस्से की निर्मुक्ति के 30 दिनों के भीतर यू.एल.बीज (नगरपालिकाएं) को इसके हिस्से के साथ निधियां निर्मुक्त करने के लिए एक अनुकूल यंत्रावली विकसित करेगी। निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय (डी.यू.एल.बी.) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निधियां 30 दिनों के भीतर निर्मुक्त नहीं की गई तथा देरी एक से छः मास के मध्य रही ***(परिशिष्ट 3.16)***।

ग्रामीण

एस.बी.एम. (जी) के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 13.2 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अनुदान की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जिला कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसीज (डी.आर.डी.ए.) को राज्य के मिलान हिस्सो के साथ-साथ केंद्रीय अनुदान निर्मुक्त करना अपेक्षित है। निदेशालय विकास एंड पंचायती विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निधियां भारत सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति के 15 दिनों के भीतर निर्मुक्त नहीं की गई और देरी एक से नौ मास के भीतर थी ***(परिशिष्ट 3.16)***।

यू.एल.बीज/डी.आर.डी.एज को निधियों की निर्मुक्ति में देरी ने लाभार्थियों को निधियों की निर्मुक्ति और अभियान के इस घटक के कार्यान्वयन को विलंबित कर दिया।

(ii) निधियों का विपथन

चयनित नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एम.सीज, बरवाला और चरखी दादरी ने उनके कार्यालयों के शौचालयों की मरम्मत/निर्माण पर आई.एच.एच.एल. निधियों में से क्रमशः ₹ 2.06 लाख और ₹ 0.72 लाख खर्च किए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.78 लाख की आई.एच.एच.एल. निधियों का विपथन हुआ। इसी प्रकार, निदेशालय यू.एल.बी. ने एस.बी.एम. की निधियों में से क्षमता निर्माण और प्रशासनिक तथा कार्यलीय खर्चों के अंतर्गत कंप्यूटर्ज की खरीद और वाहनों के रख-रखाव पर ₹ 4.04 लाख खर्च किए हालांकि इन मदों पर व्यय मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 9.8 के अंतर्गत निषिद्ध था।

एम.सी. बरवाला ने बताया (मई 2017) कि मामले की छानबीन की जाएगी और एम.सी., चरखी दादरी ने बताया (जून 2017) कि राशि की पूर्ति नगरपालिका निधि से कर दी जाएगी।

[92] (i) होडल, (ii) भिवानी, (iii) गन्नौर, (iv) पुंडरी, (v) कनीना (vi) बवानीखेड़ा, (vii) कलायत, (viii) नारनौंद, (ix) निसिंग, (x) सफीदों तथा (xi) सांपला।

(iii) लाभार्थियों का सत्यापन किए बिना प्रोत्साहन की निर्मुक्ति

एस.बी.एम. (यू) के मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 4.4.2 निर्धारित करता है कि यू.एल.बीज लाभार्थियों द्वारा इसकी प्रस्तुति के सात कार्य दिवसों के भीतर कोई प्रोत्साहन निर्मुक्ति करने से पहले प्रत्येक आवेदन का सत्यापन करेगी। नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि छः नगरपालिकाओं में, आई.एच.एच.एल. के निर्माण के लिए सहायता 3,429 लाभार्थियों को निर्मुक्त की गई थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 3,429 लाभार्थियों में से 2,571 लाभार्थियों को ₹ 179.97 लाख की सहायता लाभार्थियों की सत्यता का सत्यापन किए बिना निर्मुक्त की गई जोकि मार्गनिर्देशों का उल्लंघन है जैसा कि नीचे **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9 बिना सत्यापन के निर्मुक्त प्रोत्साहन का विवरण

नगरपालिका	लाभार्थियों की संख्या	बिना सत्यापन के निर्मुक्त प्रोत्साहन	राशि (₹ लाख में)
पुंडरी	667	418	29.26
राजौंद	254	16	1.12
कनीना	114	114	7.98
पंचकूला	2,000	2,000	140.00
कलायत	184	14	0.98
उकलाना मंडी	210	9	0.63
कुल	**3,429**	**2,571**	**179.97**

स्रोत: नगरपालिकाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा।

बिना सत्यापन के प्रोत्साहन की निर्मुक्ति से अयोग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन के भुगतान का जोखिम रहता है जैसा कि इन नगरपालिकाओं में 130 लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि चार लाभार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया जबकि उनके पास पहले ही स्वच्छ शौचालय थे। इसके अतिरिक्त, 11 लाभार्थी निर्दिष्ट पते पर नहीं पाए गए।

चार नगरपालिकाओं[93] ने बताया (मार्च-मई 2017) कि भविष्य में मार्गनिर्देशों का ध्यान रखा जाएगा और शेष दो नगरपालिकाओं से उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

(iv) लाभार्थियों को प्रोत्साहन की आंशिक/अ-निर्मुक्ति

शहरी

एस.बी.एम. (यू) के मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 4.4 के अनुसार केंद्र सरकार का प्रोत्साहन आई.एच.एच.एल. निर्माण के लिए ₹ 4,000 प्रति व्यक्ति होगा। प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत राज्य सरकार के हिस्से के साथ प्रथम किश्त के रूप में निर्मुक्त किया जाना था। राज्य सरकार ने अपने ₹ 10,000 के हिस्से को ₹ 5,000 की दो किस्तों के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया (नवंबर 2015)। अत: कुल प्रोत्साहन प्रति लाभार्थी ₹ 14,000 था।

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि तीन नगरपालिकाओं ने ₹ 1.53 करोड़ (₹ 7,000 प्रति लाभार्थी) निर्मुक्त करने की आवश्यकता के विरूद्ध ₹ 2,000 और ₹ 3,500 प्रति लाभार्थी के मध्य की दर पर 2,192 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में ₹ 51.87 लाख निर्मुक्त किए। इसके

93 पुंडरी, कनीना, पंचकूला तथा कलायत।

परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ की प्रथम किश्त के भुगतान की कम निर्मुक्त हुई जैसा कि **तालिका 3.10** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.10 प्रोत्साहन की प्रथम किश्त की कम निर्मुक्ति दर्शाने वाले विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगरपालिका का नाम	उन लाभार्थियों की संख्या जिन्होंने आंशिक प्रोत्साहन प्राप्त किए	₹ 7,000 की दर पर निर्मुक्त किए जाने अपेक्षित प्रोत्साहन	लाभार्थियों को भुगतान किए गए आंशिक प्रोत्साहन	कम भुगतान
1	पानीपत	1,651	115.57	33.02	82.55
2	नारनौंद	525	36.75	18.37	18.38
3	निसिंग	16	1.12	0.48	0.64
कुल		**2,192**	**153.44**	**51.87**	**101.57**

स्रोत: नगरपालिकाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा।

एम.सी. नारनौल ने बताया (जून 2017) कि मामले की छानबीन की जाएगी जबकि एम.सी. निसिंग ने बताया (जून 2017) कि 16 लाभार्थियों को शेष भुगतान जल्दी ही किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि इन मामलों में प्रोत्साहन की द्वितीय किश्त निर्मुक्त नहीं की गई थी।

ग्रामीण

- एस.बी.एम. (जी) के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 4.6 के अनुसार, प्रति आई.एच.एच.एल. इकाई ₹ 12,000 का प्रोत्साहन आई.एच.एच.एल. की पूर्णता के बाद योग्य लाभार्थियों को निर्मुक्त किया जाना अपेक्षित था। डी.आर.डी.ए. रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि रेवाड़ी और बावल खंडों के 1,364 मामलों में, आई.एच.एच.एल. के लिए प्रोत्साहन ₹ 12,000 की बजाय ₹ 4,600 का भुगतान किया गया। इससे प्रति लाभार्थी ₹ 7,400 का कम भुगतान हुआ। कुल कम भुगतान ₹ 1.07 करोड़ बनता है। डी.आर.डी.ए. रेवाड़ी ने बताया (अगस्त 2017) कि ₹ 4,600 प्रति आई.एच.एच.एल. का प्रोत्साहन तत्कालीन अपर उपायुक्त के मौखिक अनुदेशों के अनुसार बांटा गया। इस प्रकार, बिना किसी तर्कसंगत के कम प्रोत्साहन दिया गया जो अभियान के मार्गनिर्देशों के प्रतिकूल था।

- अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि तीन जिलों के छः खंडों में, 184 लाभार्थियों को ₹ 22.44 लाख की राशि डी.आर.डी.एज के बैंक खाते में फरवरी 2015 से दिसंबर 2016 तक अवितरित पड़ी थी। यह राशियां पहले निर्मुक्त की गई थी परंतु लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या बारे गलत ब्यौरे के कारण लाभार्थियों के खाते में डाली नहीं जा सकी। विवरण नीचे **तालिका 3.11** में दिए गए हैं:

तालिका 3.11 बैंक खातों में असंवितरित पड़ी राशि दर्शाने वाले विवरण

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	जिलों के नाम	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	जींद	जींद	72	3.83
2	सफीदों	जींद	50	2.96
3	रेवाड़ी	रेवाड़ी	32	9.89
4	बावल	रेवाड़ी	19	4.44
5	मुरथल	सोनीपत	3	0.36
6	गन्नौर	सोनीपत	8	0.96
कुल			**184**	**22.44**

स्रोत: ब्लॉकों के अभिलेखों से संकलित सूचना।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इन मामलों में डी.आर.डी.एज ने भुगतान करने के प्रयास नहीं किए जबकि राशियां छः से 26 महीनों से अधिक अवितरित पड़ी थी। संबंधित डी.आर.डी.ए. ने बताया (अगस्त-सितंबर 2017) कि अवितरित प्रोत्साहन संबंधित लाभार्थियों को शीघ्र निर्मुक्त कर दिए जाएंगे।

(v) प्रथम किश्त की दोहरी/तिहरी निर्मुक्ति

शहरी

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा और कंप्यूटराईजड डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि पांच नगरपालिकाओं ने वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त 108 लाभार्थियों को दो बार और एक लाभार्थी को तीन बार प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.10 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा नीचे **तालिका 3.12** में वर्णित है:

तालिका 3.12: प्रथम किश्त की दोहरी/तिहरी निर्मुक्ति दर्शाने वाले विवरण

नगरपालिकाएं	किश्त की राशि	दोहरे/तिहरे हस्तांतरण के मामले	दिया गया अधिक भुगतान (₹ लाख में)
फरीदाबाद	7,000	13 (दोहरे)	0.91
पंचकूला	7,000	79 (दोहरे)	5.53
	7,000	1 (तिहरे)	0.14
बवानी खेड़ा	7,000	1 (दोहरे)	0.07
भिवानी	7,000	3 (दोहरे)	0.21
पानीपत	2,000	12 (दोहरे)	0.24
कुल		**109**	**7.10**

स्रोत: संबंधित नगरपालिकाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि दोहरे/तिहरे भुगतान आवेदनों की अनुप्रयुक्त संवीक्षा के कारण किए गए थे क्योंकि आवेदकों ने नाम, पिता/पति के नाम, पता, बैंक खाता संख्या इत्यादि में अल्प से बदलाव द्वारा दो/तीन भिन्न-भिन्न आवेदन प्रस्तुत किए थे। अत: आवेदनों की संवीक्षा करते समय उचित जांच नहीं की गई।

चार नगरपालिकाओं[94] ने बताया (मई 2017) कि मामलों की जांच की जाएगी और जांच के परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाएंगे। नगर निगम, फरीदाबाद ने 13 लाभार्थियों के दोहरे भुगतान को स्वीकार किया (अगस्त 2017)।

ग्रामीण

अभिलेखों और आईडिया साफ्टवेयर के माध्यम से डी.आर.डी.ए. सोनीपत के कंप्यूटरीकृत डाटा की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मुरथल के सात लाभार्थियों को दो बार वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.79 लाख का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट 3.17)***। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि लाभार्थियों को दोहरी भुगतान प्रत्येक आवेदन के विरूद्ध भुगतान का रिकार्ड न रखने के कारण हुई। डी.डी.पी.ओ., सोनीपत ने तथ्यों को स्वीकारा और बताया (सितंबर 2017) कि दोहरे भुगतानों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

यह सिफारिश की जाती है कि लाभार्थियों को प्रोत्साहन की निर्मुक्ति के लिए अनन्य पहचान संख्या को आधार के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

---

[94] (i) पंचकूला; (ii) भिवानी; (iii) बवानी खेड़ा तथा (iv) पानीपत।

3.22.4 जागरूकता, निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा

(i) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित न करना

एस.बी.एम. (यू) के मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 8.1 बताता है कि एस.बी.एम. (शहरी) की मुख्य नीति के अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन लाना और यह सुनिश्चित करना है कि एक मुद्दे के रूप में स्वच्छता सारे जनसाधारण के साथ मुख्य धारा हो। इसमें खुले में शौच, मानवीय रूप से मल उठाने पर रोकथाम, स्वच्छ आदतें, शौच सुविधाओं का उचित प्रयोग एवं रखरखाव और इसमें संबंधित स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय परिणाम होने चाहिए। स्वच्छता के बारे व्यवहार और जागरूकता में परिवर्तन के लिए प्रत्येक नगरपालिका को सूचना शिक्षा प्रसारण (आई.ई.सी.) एवं सार्वजनिक जागरूकता के लिए पृथक निधियां प्रदान की गई थी।

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 21 नगरपालिकाओं ने इस घटक पर कोई व्यय नहीं किया जबकि इस प्रयोजन के लिए ₹ 38.04 लाख प्रदान किए गए थे। प्रत्येक नगरपालिका को दी गई निधियों के विवरण ***परिशिष्ट 3.18*** में दिए गए हैं। केवल तीन नगरपालिकाओं[95] ने ₹ 44.91 लाख की उपलब्धता के विरूद्ध ₹ 40.85 लाख व्यय किए थे। यह दर्शाता है कि अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया।

संबंधित नगरपालिकाओं ने चार[96] के अलावा ने बताया (फरवरी-अगस्त 2017) कि भविष्य में सार्वजनिक जागरूकता पर राशि व्यय की जाएगी।

(ii) जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समितियां गठित न किया जाना

एस.बी.एम. (यू) के मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 12 प्रावधान करता है कि माननीय सदन के सदस्य की अध्यक्षता के अंतर्गत परियोजनाओं के संतोषप्रद कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति (डी.एल.आर.एम.सी.) गठित की जाएगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जींद जिले के अलावा डी.एल.आर.एम.सी. गठित नहीं की गई। संबंधित नगरपालिकाओं, चार[97] के अलावा, ने बताया (फरवरी से अगस्त 2017) कि डी.एल.आर.एम.सीज भविष्य में शीघ्र गठित की जाएगी।

(iii) सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं करना

एस.बी.एम. (जी.) के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 8.3 के अनुसार, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। ग्राम पंचायतों (जी.पीज) को भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी में भूमिका अदा करनी चाहिए। जी.पी. कार्यक्रम की सामाजिक लेखापरीक्षाएं आयोजित करने में व्यवस्था एवं सहायता करेगी। प्रत्येक जी.पी. में छः महीनों में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि इस अनुसूची का पालन किया जाए। छः चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि सामाजिक लेखापरीक्षा किसी भी नमूना-जांच किए गए जिलों में आयोजित नहीं की गई। संबंधित डी.आर.डी.ओ./डी.डी.पी.ओ. ने सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजित न करने बारे तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च-सितंबर 2017)।

---

[95] (i) फरीदाबाद: ₹ 36.87 लाख, (ii) निशाना: ₹ 0.20 लाख तथा (iii) पंचकूला: ₹ 3.78 लाख।

[96] (i) राजौंद, (ii) जुलाना, (iii) उकलाना मंडी तथा (iv) नारनौल।

[97] (i) राजौंद, (ii) उकलानामंडी, (iii) नारनौल तथा (iv) फरीदाबाद।

3.22.5 प्रभाव आंकलन

शहरी

(i) लाभार्थियों की अपर्याप्त कवरेज

एस.बी.एम. (यू) मार्गनिर्देशों (अनुच्छेद 4.4.1), राज्य सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से (₹ 5,000) के साथ-साथ प्रथम किश्त के तौर पर यू.एल.बीज द्वारा पहचान किए गए लाभार्थी परिवारों को केंद्र सरकार से प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत (₹ 2,000) निर्मुक्त किया जाना था। केंद्र सरकार प्रोत्साहन का शेष 50 प्रतिशत दूसरी किश्त के रूप में घरेलू शौचालय के निर्माण की भौतिक प्रगति के सत्यापन पर राज्य सरकार के प्रोत्साहन के साथ-साथ निर्मुक्त किया जाना था।

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं ने अभियान के अंतर्गत आवृत किए जाने हेतु 36,176 लाभार्थियों की पहचान/चयन किया। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 36,176 पहचान किए गए लाभार्थियों में से केवल 24,909 (69 प्रतिशत) लाभार्थी आवृत किए गए क्योंकि इन लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त निर्मुक्त की गई थी। अत:, 11,267 पहचान किए गए लाभार्थी अभी अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं किए गए थे (सितंबर 2017)।

इसके अतिरिक्त, कुल 24,909 लाभार्थियों जिनको प्रथम किश्त निर्मुक्त की गई थी, में से केवल 366[98] (एक प्रतिशत) को द्वितीय किश्त निर्मुक्त की गई थी ***(परिशिष्ट 3.19)***। लाभार्थियों द्वारा शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन के लिए कोई यंत्रावली तैयार नहीं की गई। शौचालयों की पूर्णता के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा भारत सरकार के मार्गनिदेशों में तय नहीं की गई थी न ही राज्य सरकर ने स्वयं कोई समय सीमा तय की थी। यह दर्शाता है कि अभियान के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा शौचालयों के निर्माण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी नहीं की जा रही थी। यह इंगित किए जाने पर, पांच नगरपालिकाओं[99] को छोड़कर संबंधित नगरपालिकाओ, ने बताया (फरवरी-सितंबर 2017) कि दूसरी किश्त शौचालयों के निर्माण के सत्यापन के बाद निर्मुक्त की जाएगी। तथ्य रह जाता है कि नगरपालिकाओं ने पहचान किए गए लाभार्थियों को केवल आंशिक रूप से आवृत किया था। आगे, जिन्होंने प्रथम किश्त प्राप्त कर ली थी, उनका भी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि नगरपालिकाओं द्वारा इसकी निगरानी नहीं की गई थी।

(ii) भौतिक सत्यापन

शौचालयों के निर्माण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के साथ एक संयुक्त भौतिक सत्यापन 666 लाभार्थियों की चयनित नगरपालिकाओं में आयोजित किया गया। सत्यापन से प्रकट हुआ कि 666 आई.एच.एच.एलज में से, केवल 184 (28 प्रतिशत) शौचालय पूर्ण पाए गए जबकि 120 लाभार्थियों ने शौचालयों का निर्माण भी शुरू नहीं किया था। 285 मामलों में शौचालय जलापूर्ति, दरवाजे, छत इत्यादि की कमी के कारण अधूरे पड़े थे। यह भी अवलोकित किया गया कि पांच लाभार्थियों को भी प्रथम किश्त दी गई थी जिनके पास पहले ही स्वच्छ शौचालय थे। 72 लाभार्थी

98 (i) नगर परिषद, नारनौल (155), तथा (ii) नगरपालिका समिति, सांपला (211)।

99 (i) राजौंद, (ii) जुलाना, (iii) उकलाना मंडी, (iv) नारनौल तथा (v) फरीदाबाद, जिन्होंने कारण नहीं बताए थे।

विनिर्दिष्ट पतों पर ढूंढे नहीं जा सके, जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं हो सका कि प्रथम किश्त सही लाभार्थियों को दी गई या नहीं और उन्होंनें शौचालयों का निर्माण किया या नहीं। नगरपालिका-वार ब्यौरे ***परिशिष्ट 3.20*** में दिए गए हैं:

जसविंद्र पुत्र शेरा, वार्ड नं 5, पंचकूला का अपूर्ण शौचालय (03 मई 2017)	**देव दत्त पुत्र रिदकू राम, वार्ड सं. 5, पंचकूला का अपूर्ण शौचालय (03 मई 2017)**

संबंधित नगरपालिकाओं पांच[100] को छोड़कर, ने बताया (फरवरी से अगस्त 2017) कि मामले की छानबीन की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण

(iii) व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की स्थिति

आधार सर्वेक्षण 2012 के अनुसार, राज्य में 7.64 लाख परिवार बिना शौचालय के थे। अभियान के कार्यान्वयन के बाद, जबकि राज्य ने इसे जून 2017 से खुला शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) राज्य के तौर पर घोषित कर दिया था, 31 जुलाई 2017 को अभियान की प्रगति रिपोर्ट ने दर्शाया कि 14,959[101] परिवार आई.एच.एच.आई.एलज के बिना थे। अत: राज्य की यू.डी.एफ. के रूप में घोषणा प्रगति रिपोर्ट के अनुकूल नहीं थी। इसके अलावा, संबंधित बी.डी.पी.ओज के स्टॉफ के साथ परिवारों के भौतिक सत्यापन से भी आई.एच.एच.एल.एलज की अपूर्णता और आई.एच.एच.एल.एलज का अन्य प्रयोजनों के लिए अनुप्रयोग सामने आया जैसे नीचे विवरण दिया गया है:

- एस.बी.एम. (जी) के मार्ग-निदेशों के अनुच्छेद 5.4.1 के अनुसार, एक विधिवत पूर्ण घरेलू स्वच्छ शौचालय में एक ढांचा जो स्वच्छ हो, के साथ एक शौचालय इकाई (जो मानवीय मल को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करे और मानवीय संभाल की आवश्यकता समाप्त करती है इससे पहले कि यह पूर्ण रूप से विघटित हो जाए), एक उत्तम ढांचा, जल की सुविधा के साथ और साफ करने और हाथ धोने के लिए इकाई शामिल होगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भौतिक सत्यापन किए 1,045 आई.एच.एच.एल.एलज में से 10[102] पूर्ण नहीं किए गए थे जबकि, 2014-16 के दौरान इन परिवारों को ₹ 1.16 लाख के प्रोत्साहन निर्मुक्त किए गए

[100] (i) राजौंद, (ii) जुलाना, (iii) उकलाना मंडी, (iv) नारनौल तथा (v) फरीदाबाद।

[101] (i) भिवानी: 1,280, (ii) चरखी दादरी: 1,233, (iii) फरीदाबाद: 5,248, (iv) गुरुग्राम: 44, (v) जींद: 496, (vi) पलवल: 1,699 तथा (vii) सोनीपत: 4,959.

[102] (i) जींद (3 मामले: ₹ 36,000), (ii) सफीदों (4 मामले: ₹ 48,000) तथा (iii) मुस्तफाबाद (3 मामले: ₹ 32,000)।

थे। तीन खंडों में सात गांवों को शौचालय वाशबेसिन, दरवाजा, छत, पानी की टंकी और अपूर्ण मूलभूत संरचना के पाए गए। डी.आर.डी.ए., जींद और खंड विकास और पंचायत अधिकारी, मुस्तफाबाद ने बताया (मार्च-अगस्त 2017) कि संबंधित लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार आई.एच.एच.एल. पूर्ण करने के अनुदेश दिए जाएंगे।

- तीन खंडों[103] के चार लाभार्थी आई.एच.एच.एल.एलज को शौचालयों के तौर पर प्रयोग नहीं कर रहे थे। ये शौचालय स्टोर, उपले रखने के लिए प्रयोग किए जा रहे थे तथा एक मामले में इनका प्रयोग ही नहीं हो रहा था। आई.एच.एच.एल.एलज के निर्माण के लिए इन लाभार्थियों को ₹ 44,000 का प्रोत्साहन निर्मुक्त किया गया था ***(परिशिष्ट 3.21)***। बी.डी.पी.ओ., बिलासपुर और डी.डी.पी.ओ., सोनीपत ने बताया (मार्च-सितंबर 2017) कि लाभार्थियों ने शौचालयों का प्रयोग शुरू कर दिया था जबकि डी.आर.डी.ए., रेवाड़ी ने बताया (अगस्त 2017) कि मामले की छानबीन की जाएगी और चूककर्ता लाभार्थियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

3.22.6 निष्कर्ष

12 नगरपालिकाओं में, स्वच्छ शौचालयों वाले परिवारों की पहचान नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त एम.सी. पानीपत के अलावा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का घटक कार्यान्वित नहीं किया गया था। ₹ 1.80 करोड़ का प्रोत्साहन 2,571 लाभार्थियों को उनकी सत्यता की जांच किए बिना निर्मुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में 2,192 लाभार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,364 लाभार्थियों को आंशिक प्रोत्साहन निर्मुक्त किया गया। लाभार्थियों को आवृत करने में कमी, जागरूकता निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव था। अत: अभियान के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में सुधरे हुए तथा और अधिक ठोस कार्यान्वयन की गुजाईश थी।

ये बिंदु सितंबर 2017 में सरकार को भेजे गए थे और नवंबर 2017 में आगे स्मरण पत्र जारी किया गया था परंतु उनके उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे।

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

3.23 छात्रवृत्तियों के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

जिला कल्याण अधिकारी, झज्जर ने दावों के पूर्ण प्रलेखन और वास्तविकता सुनिश्चित किए बिना छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 5.15 करोड़ का भुगतान किया इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ।

मैट्रिक उपरांत एवं माध्यमिक-उपरांत स्तर पर पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें उच्च शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ करने के लिए, भारत सरकार ने 2003 में भारत में शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिक-उपरांत (पी.एम.एस.) की एक केंद्रीय वित-पोषित योजना प्रारंभ की। योजना के मार्गनिदेश 2010 और 2013 में संशोधित किए गए। योजना के मार्गनिदेशों के अनुसार, छात्रवृति उन छात्रों को दी जानी थी जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं में मैट्रिक उपरांत या सैकेंडरी उपरांत मान्यता प्राप्त कोर्स कर रहे थे। राज्य सरकार प्रतिवर्ष मई-जून के दौरान राज्य के अग्रणी समाचार-पत्रों, अपनी वेबसाईटों और अन्य मीडिया माध्यमों में विज्ञापन जारी करके

---

[103] (i) बिलासपुर (यमुनानगर), (ii) गन्नौर (सोनीपत) तथा (iii) रेवाड़ी।

स्कीम के विवरण घोषित करेगी और आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। आवेदक अपने ब्यौरे जैसे नाम, पिता का नाम, फोटो, पता, बैंक खाता विवरण, संस्था और कोर्स विवरण इत्यादि विशिष्टताएं निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करेंगे सभी तरह से पूर्ण, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट एक अधिकारी को संबोधित आवेदन पत्र, प्रत्याशियों द्वारा संस्था के प्रमुख को प्रस्तुत किए जाने थे। आवेदन-फार्म और समर्थक दस्तावेजों की संपूर्ण संवीक्षा के बाद छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाता में किया जाना था।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पशु चिकित्सा और पशुधन डिप्लोमा (वी.एल.डी.डी.) का कोर्स करने वाले हरियाणा के एस.सी. छात्रों के मामले में, संस्थाओं द्वारा योग्य छात्रों के विधिवत् भरे हुए आवेदन-पत्र संबंधित जिले के जिला कल्याण अधिकारी (डी.डब्ल्यू.ओ.) को प्रस्तुत किए जाने थे। राजकोष में बिल प्रस्तुत करने से पहले आवेदन-पत्रों के सभी ब्यौरों के सत्यापन के लिए डी.डब्ल्यू.ओ. उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

3.23.1 डी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा तथ्यों के सत्यापन बिना छात्रवृति को भुगतान

दिसंबर 2012 से नवंबर 2016 की अवधि के लिए जिला कल्याण अधिकारी (डी.डब्ल्यू.ओ.), झज्जर के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मार्च और नवंबर 2014 के मध्य जिला झज्जर में एक संस्था में वी.एल.डी.डी. कोर्स करने वाले एस.सी. छात्रों को पी.एम.एस. के तौर पर ₹ 5.28 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (एल.यू.वी.ए.एस.) ने संस्था को दिसंबर 2013 में इस शर्त पर केवल अस्थाई मान्यता दी थी कि यह कमियों को ठीक कर लेगा। तथापि, संस्था ने अस्थाई मान्यता प्रदान से पहले ही अपने आप प्रवेश परीक्षा लिए बिना छात्रों को सत्र 2012-13 में दाखिला दे दिया। मई 2014 के दौरान एल.यू.वी.ए.एस. द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण जिसमें संस्थान में संकाय और छात्रों की अनुपलब्धता जैसी अनियमितताएं देखी गई के बाद जून 2014 में अस्थाई मान्यता रद्द कर दी गई। उक्त संस्थान के किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा जारी नहीं किया गया। 185 एस.सी. छात्रों के 353 आवेदन पत्रों के विरूद्ध छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया और डी.डब्ल्यू.ओ. ने 42 भिन्न-भिन्न संस्वीकृति आदेशों द्वारा भुगतान की निर्मुक्ति अनुमोदित की। तथापि, डी.डब्ल्यू.ओ. झज्जर 353 आवेदन फार्मों में से केवल 160 प्रस्तुत कर सके। इन 160 फार्मों की संवीक्षा ने ₹ 197.43 लाख का कपटपूर्ण भुगतान प्रकट किया जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- 28 फार्मों में, दो अलग छात्रों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता दर्शाया गया था अर्थात् 28 भिन्न-भिन्न आवेदकों के विरूद्ध केवल 14 बैंक खाते दिखाए गए थे। इन खातों में ₹ 41.71 लाख का भुगतान किया गया।

- 90 फार्मों में, 45 छात्रों के नाम एवं पते दोहराए गए थे परंतु प्रत्येक मामले में उनकी फोटो अलग थी। ये फार्म संस्थान द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किए गए थे। इन खातों में ₹ 134.79 लाख का भुगतान किया गया था।

- ₹ 3.00 लाख के भुगतान से आवेष्टित, दो मामलों में आवेदन फार्मों में नाम और अन्य ब्यौरे अलग थे जबकि प्रत्येक आवेदन फार्म पर फोटो एक ही था।

- 12 मामलों में 11 भिन्न-भिन्न बैंक खातों वाले तीन छात्रों को ₹ 17.93 लाख का भुगतान किया।

- मार्गनिर्देशों में उल्लिखित शर्तों की उल्लंघना में 28 फार्मों पर फोटो नहीं लगाई गई थी।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि डी.डब्ल्यू.ओ., झज्जर ने सभी तथ्यों का सत्यापन किए बिना और पी.एम.एस. के आवेदन पत्रों की समुचित संवीक्षा कि बिना भुगतान किए। यह स्पष्ट रूप से लापरवाही और संस्थान के साथ संभावित मिलीभगत का संकेत है।

3.23.2 बैंकों द्वारा छात्रवृति का भुगतान

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न बैंकों की 16 शाखाओं में रखे गए 227 बैंक खातों में पी.एम.एस. का भुगतान किया गया। छात्रों के ब्यौरे जैसा वाउचरों में अंकित थे, की सत्यता सुनिश्चित करने के विचार से, जिन बैंक खातों में भुगतान किया गया था, उनके ब्यौरे मई 2017 में सभी बैंक की शाखाओं से मंगवाए गए थे। ₹ 5.15 करोड़ की छात्रवृत्ति वाले 222 खातों के संबंध में 15 बैंकों ने ब्यौरे आपूरित किए। इन बैंकों के प्रबंधकों ने सूचित किया (मई-जुलाई 2017) कि अभिलेखों के अनुसार एक को छोड़कर इन खातों के किसी भी खाताधारकों के ब्यौरे वाउचरों में छात्रों के ब्यौरे से मेल नहीं खाते। अत: वाउचरों में उल्लिखित आवेदकों की सूची उन खाताधारकों के ब्यौरे से मेल नहीं खाते थे जिनमें निधियों का हस्तांतरण किया गया था। आगे, यह अवलोकित किया गया कि आठ विभिन्न बैंकों में, पांच खाताधारकों के ब्यौरे (आवेदक का नाम, पिता का नाम) एक ही पाए गए। ₹ 95.84 लाख का भुगतान इन खातों में किया गया जिसके परिणामस्वरूप निधियों का कपटपूर्ण आहरण हुआ। शेष एक बैंक से सूचना प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 2017)।

अत:, संस्थान ने छात्रों के लिए पी.एम.एस. दावे प्रस्तुत किए यद्यपि यह एक मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं था। डी.डब्ल्यू.ओ., झज्जर ने भी मान्यता न होने के बावजूद और मार्गनिर्देशों में यथा निर्धारित पूरे दस्तावेज और दावों की सत्यता सुनिश्चित किए बिना दावे पास कर दिए हालांकि संस्थान द्वारा प्रस्तुत फार्मों में विविध त्रुटियां थी। एल.यू.वी.ए.एस. की निरीक्षण समिति की अभ्युक्तियों, लेखापरीक्षा को संस्थान द्वारा प्रस्तुत फार्मों में प्रकट त्रुटियों और बैंक खाता के ब्यौरों के क्रास सत्यापन से यह पुष्टि होती है कि छात्रों के दावे धोखे से प्रस्तुत किए गए और ₹ 5.15 करोड़ के कपटपूर्ण भुगतान की वसूली के अलावा एक संपूर्ण छानबीन की आवश्यकता है। तत्कालीन डी.डब्ल्यू.ओ., झज्जर द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए शर्तों को पूर्ण करने की पूरी अवहेलना डी.डब्ल्यू.ओ. और संस्थान के मध्य मिलीभगत की संभावना का संकेत है। यह खराब आंतरिक नियंत्रण को भी इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ की लापरवाही और कपटपूर्ण भुगतान हुआ। डी.डब्ल्यू.ओ., झज्जर द्वारा लापरवाही और कपटपूर्ण भुगतान के लिए कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ने सूचित किया (जून 2017) कि मामले की जांच के लिए अधिकारियों का एक दल गठित किया गया था। आगे, यह सूचित किया गया कि प्रक्रिया में कम से कम तीन सप्ताह लगेंगे और तथ्य प्राप्त करने की रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, 'तथ्य खोज रिपोर्ट' अभी भी प्रतीक्षित थी (नवंबर 2017)।

मामला मई 2017 में सरकार को भेजा गया था और अगस्त एवं नवंबर 2017 में स्मरण-पत्र जारी किए गए परंतु उनके उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे।

चण्डीगढ़ **(महुआ पाल)**

दिनांकः 31 जनवरी 2018 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांकः 06 फरवरी 2018 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 5)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	चोरी, दुर्विनियोजन तथा गबन के कारण हानि	13	1.33
2	"डिपोजिट वर्क/डिसमैंटल्ड मैटीरियल/उपकर संग्रहण प्रभार/ बिक्री कर/आयकर/गलत बिलिंग के कारण कम वसूली/प्रशासन प्रभार/किराया/किसानों/अन्य विभाग/राज्य से अबियाना प्रभारों/ जल प्रभारों की अवसूली" के कारण अन्य सरकारी एजेंसियों/बैंक/हुडा/ठेकेदारों/कर्मचारियों से वसूली	185	16,30,304.52
3	रोकड़ बही/रोकड़ बही/खजाना नियमों/पी.डब्ल्यू.डी. प्रावधानों/सरकारी नियमों से संबंधित नियमों का पालन न करने/धन/सामग्री की परिगणना न करने/सी.एस.एस.ए. राशि के असमायोजन/विविध अग्रिमों के असमायोजन से संबंधित अनियमितताएं	200	402.71
4	समय पर प्रदान न करने/अनक्लीयर साईट/बैक वेजिज/स्पलिटिंग ऑफ वर्क/वेतन/नॉन म्यूटेशन ऑफ लैंड/वेतन नियतन इत्यादि/निधियों का अवरोधन/असंस्वीकृत अनुमान पर व्यय के कारण अनियमित/अतिरिक्त/परिहार्य/अतिशेष/निष्फल/व्यर्थ व्यय	329	3,168.13
5	निम्न स्तरीय कार्य के निष्पादन/कार्य के निष्पादन में विलंब के कारण ठेकेदार/एजेंसियों को अदेय लाभ	58	31.49
6	विविध अनियमितताएं (कार्य विश्लेषण/पूर्णता रिपोर्ट न भेजने/निष्पादन प्रतिभूति की अप्राप्ति/असत्यापन/यू.सीज की अप्राप्ति/वार्षिकी प्रभारों को जमा न कराने से संबंधित)/टूल्ज एंड प्लांट (टी. एंड पी.) रिटर्न/वाहनों/बेकारसामग्री की नीलामी न करना/भौतिक सत्यापन न करना/अभिलेखों को प्रस्तुत न करना/हरियाणा श्रमिक एवं कामगार कल्याण बोर्ड के पास श्रम उपकर जमा न करना	243	88.69
	कुल	**1,028**	**16,33,996.87**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में अनुरक्षित डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

31 मई 2017 को वर्ष 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2015-16	1	2.1
2.	शिक्षा	2012-13	1	2.3
		2014-15	1	3.3
		2015-16	1	2.3
	प्राथमिक शिक्षा विभाग	2014-15	1	2.2
3.	तकनीकी शिक्षा	2014-15	1	3.26
4.	उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार तथा कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र)	2014-15	1	3.10
	उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	2014-15	1	2.3
5.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	2014-15	1	3.1
6.	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	2014-15	1	3.2
7.	खाद्य एवं आपूर्ति	2012-13	1	3.5
		2014-15	2	3.5, 3.6
8.	खाद्य एवं औषध प्रबंधन	2015-16	1	3.2
9.	गृह (पुलिस)	2014-15	3	3.11, 3.12, 3.13
10.	गृह तथा न्याय प्रशासन	2012-13	1	3.7
		2015-16	1	3.3
	गृह तथा न्याय प्रशासन, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन	2015-16	1	3.4
11.	स्वास्थ्य विभाग (रेड क्रास सोसाइटीज)	2014-15	1	3.9
	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	2012-13	1	3.6
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	2014-15	1	3.19
		2015-16	4	2.2 (समीक्षा), 3.9, 3.10, 3.11
12.	वन विभाग	2014-15	2	3.7, 3.8
13.	सिंचाई	2012-13	2	3.10, 3.11
		2014-15	2	3.16, 3.17
	सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2014-15	1	3.18
	सिंचाई एवं जल संसाधन	2015-16	1	3.6

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
14.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2012-13	2	3.13, 3.14
		2014-15	1	3.22
		2015-16	3	3.12, 3.13, 3.14
15.	लोक निर्माण विभाग (जन-स्वास्थ्य)	2014-15	3	2.1 (समीक्षा), 3.20, 3.21
		2015-16	2	3.15, 3.16
16.	राजस्व	2012-13	1	3.15
17.	ग्रामीण विकास	2012-13	1	2.4
		2014-15	2	3.23, 3.24
18.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
		2015-16	1	3.18
19.	आवास विभाग (आवास बोर्ड हरियाणा)	2012-13	1	3.8
20.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2015-16	1	3.17
21.	परिवहन	2012-13	1	3.18
22.	पंचायत विभाग	2012-13	1	3.4
23.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2, 3.19, 3.20
24	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2014-15	1	3.15
	औद्योगिक प्रशिक्षण	2015-16	1	3.5
25	उद्योग एवं वाणिज्य	2015-16	1	3.7
26	सहकारिता विभाग	2012-13	1	2.5
27	नागर विमानन विभाग	2012-13	1	3.1
28	सिविल सचिवालय	2012-13	2	3.2, 3.3
29	लोक संपर्क विभाग	2012-13	1	3.9
30	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2012-13	1	3.21
31	पर्यावरण विभाग (एच.एस.पी.सी.बी.)	2014-15	1	3.4
		2015-16	1	3.1
32	श्रम	2015-16	1	3.8
33	बागवानी	2014-15	1	3.14
34	खेल एवं युवा मामले	2014-15	1	3.25
35	महिला एवं बाल विकास	2014-15	1	3.27
		2015-16	2	3.19,3.20
कुल अनुच्छेद			**77**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति द्वारा अनुरक्षित डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

वर्ष 2012-13 तथा 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 मई 2017 को प्रतीक्षित थी, के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	गृह तथा न्याय प्रशासन	2012-13	1	3.7
		2014-15	2	3.11, 3.12
		2015-16	1	3.3
	गृह तथा न्याय प्रशासन, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग	2015-16	1	3.4
2.	सिंचाई	2012-13	2	3.10, 3.11
		2014-15	2	3.16, 3.17
	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	2015-16	1	3.6
3.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2012-13	1	3.13
		2014-15	1	3.22
		2015-16	3	3.12, 3.13, 3.14
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), लो.नि. (भ.व स.), लो.नि. (पी.एच.), सिंचाई के संयुक्त अनुच्छेद	2012-13	1	3.14
		2014-15	1	3.18
4.	परिवहन	2012-13	1	3.18
5.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
		2015-16	1	3.18
6.	ग्रामीण विकास	2012-13	1	2.4 समीक्षा
		2014-15	2	3.23, 3.24
7.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2014-15	3	2.1 समीक्षा, 3.20, 3.21
		2015-16	2	3.15, 3.16
8.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2 समीक्षा, 3.19, 3.20
9.	शिक्षा	2014-15	3	2.2 समीक्षा, 2.3 समीक्षा, 3.3
		2015-16	1	2.3
10.	उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा	2014-15	2	3.26, 3.10
11.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	1	3.6
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	2014-15	1	3.19
		2015-16	4	2.2 समीक्षा, 3.9, 3.10, 3.11
12.	आवास बोर्ड हरियाणा	2012-13	1	3.8
13.	बागवानी	2014-15	1	3.14

क्र. सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
14.	कृषि	2015-16	1	2.1 समीक्षा
15.	महिला एवं बाल विकास	2014-15	1	3.27
		2015-16	2	3.19, 3.20
16.	पशुपालन एवं डेयरी	2014-15	1	3.1
17.	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	2014-15	1	3.2
18.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	2014-15	1	3.6
19.	खाद्य एवं औषध प्रबंधन विभाग	2015-16	1	3.2
20.	वन विभाग	2014-15	2	3.7, 3.8
21.	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	2015-16	1	3.5
22.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	2015-16	1	3.7
23.	सिविल सचिवालय	2012-13	1	3.3
24.	श्रम विभाग	2015-16	1	3.8
25.	विकास एवं पंचायत	2012-13	1	3.4
26.	पर्यावरण विभाग	2015-16	1	3.1
	कुल		**62**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
2.	पशु पालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
		2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
		2014-15	3.6.2	2,446.00
		2014-15	3.6.3	240.00
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.7	44.41
			2.3.10.11	37,386.00
			3.20	84.64
7	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1.2.13.1	8.25
8	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेडक्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
			3.3.5.2	71.00
9	पी.डब्ल्यू.डी. (सिंचाई)	2010-11	3.1.2	62.25
10	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1. 9.4	79.95
11	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
			3.20	554.00
12	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
13	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
14	शिक्षा	2014-15	3.3	251.00
15	गृह	2014-15	3.11 (बी),vi (ए)	124.00
16	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	2014-15	3.19	116.00
17	कृषि	2015-16	2.1.7.5	12,644.00
		2015-16	2.1.9.3	21.41
18	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2015-16	3.12.4.1	53.00
		2015-16	3.12.4.2	106.00
19	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हुडा)	2015-16	3.18 (ए)	41,715.00
		2015-16	3.18 (बी)	1,077.00
	कुल		**38**	**1,71,807.97**

अर्थात् ₹ 1,718.08 करोड़

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2017 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है

क्र.सं.	लो.ले.स. रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31-03-2017 को कुल बकाया अनुच्छेद
1	9वीं	1971-72	1
2	14वीं	1973-74	1
3	16वीं	1975-76	1
4	18वीं	1976-77	1
5	21वीं	1978-79	1
6	22वीं	1979-80	2
7	23वीं	1979-80	1
8	25वीं	1980-81	3
9	26वीं	1981-82	2
10	28वीं	1982-83	1
11	29वीं	1983-84	2
12	32वीं	1984-85	5
13	34वीं	1985-86	5
14	36वीं	1986-87	7
15	38वीं	1987-88	6
16	40वीं	1988-89	8
17	42वीं	1989-90, 90-91,91-92	4
18	44वीं	1990-91, 91-92,92-93	8
19	46वीं	1993-94	7
20	48वीं	1993-94, 1994-95	3
21	50वीं	1993-94,1994-95, 1995-96	33
22	52वीं	1996-97	15
23	54वीं	1997-98	10
24	56वीं	1998-99	14
25	58वीं	1999-2000	38
26	60वीं	2000-01	35
27	61वीं	2001-02	12
28	62वीं	2002-03	20
29	63वीं	2005-06	25
30	64वीं	2003-04	09

क्र.सं.	लो.ले.स. रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31-03-2017 को कुल बकाया अनुच्छेद
31	65वीं	2004-05	21
32	67वीं	2007-08	37
33	68वीं	2006-07	56
34	70वीं	2008-09	28
35	71वीं	2009-10	29
36	72वीं	2010-11	60
37	73वीं	2011-12	108
38	74वीं	2013-14	67
		कुल	**686**

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 6)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2014-15	2014-15	2011-12	2015-16	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2015-16	2014-15	2008-09	--	--
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2012-13	--	--
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2014-15 से 2018-19	2015-16	2013-14	2011-12	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2015-16 से 2019-20	2015-16	2015-16	2013-14	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2015-16	2015-16	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	--	--
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	--	--
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुरूग्राम	-सम-	2015-16	2012-13	1996-97	--	--

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	-	-	-	2015-16	20 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2014-15	2014-15	1999-2000	2015-16	एक वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	1996-97	2015-16	पांच वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2015-16	2013-14	1996-97	--	--
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2015-16	2013-14	1996-97	--	--
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2014-15	1996-97	--	--
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	1996-97	2008-09 से 2015-16	आठ वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	2014-15	2014-15	2009-10	2015-16	एक वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14 से 2015-16	तीन वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2015-16	2013-14	2008-09	--	--

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः अनुच्छेद: 2.1.9.2; पृष्ठ 20)

नमूना-जांच किए गए विभागों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात के विवरण

विभाग का नाम	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
	अध्यापक	विद्यार्थी	अनुपात	अध्यापक	विद्यार्थी	अनुपात	अध्यापक	विद्यार्थी	अनुपात	अध्यापक	विद्यार्थी	अनुपात	अध्यापक	विद्यार्थी	अनुपात
कीटाणु-विज्ञान	8	63	1:8	8	39	1:5	8	79	1:10	8	38	1:5	8	82	1:10
चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र	3	55	1:18	5	43	1:9	5	31	1:6	5	44	1:9	5	42	1:8
रसायन शास्त्र	18	214	1:12	17	233	1:14	16	224	1:14	12	205	1:17	11	195	1:18
जैविक-रसायनिकी	5	74	1:15	5	83	1:17	5	78	1:16	5	93	1:19	5	85	1:17
औषध निर्माण विज्ञान	17	351	1:21	17	368	1:22	17	345	1:20	17	322	1:19	17	332	1:20
गणित	12	467	1:39	12	523	1:44	12	530	1:44	12	546	1:46	12	530	1:44
रक्षा एंड रणनीति अध्ययन	3	57	1:19	3	22	1:7	3	35	1:12	3	37	1:12	3	35	1:12
मनोविज्ञान	16	121	1:8	16	133	1:8	16	154	1:10	16	164	1:10	14	118	1:8
पर्यावरण विज्ञान	7	65	1:9	7	66	1:9	7	80	1:11	7	84	1:12	7	101	1:14
समाज शास्त्र	9	75	1:8	7	84	1:12	6	89	1:15	5	106	1:21	5	112	1:22
अर्थशास्त्र	13	236	1:18	13	229	1:18	13	257	1:20	9	261	1:29	9	268	1:30
भूगोल	6	196	1:33	6	186	1:31	6	200	1:33	6	154	1:26	6	159	1:27
राजनीति विज्ञान	3	129	1:43	3	140	1:47	2	139	1:70	2	141	1:71	2	133	1:67
लोक प्रशासन	4	117	1:29	4	151	1:38	3	160	1:53	3	141	1:47	2	164	1:82
शारीरिक शिक्षा	6	125	1:21	4	119	1:30	3	147	1:49	3	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3	194	1:65

स्रोत: संबंधित विभाग के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः अनुच्छेदः 2.1.9.5; पृष्ठ 22)

नमूना-जांच किए गए विभागों में रिक्त सीटों के विवरण

क्र. सं	विभाग	पाठ्यक्रम	संस्वीकृत सीटें	भरी गई	रिक्त	प्रतिशतता
1	रक्षा	एम.फिल	67	35	32	47.76
		प्री-पीएच.डी	15	7	8	53.33
2	लोक प्रशासन	एम.ए. (ऑनर्स) 5 वर्षीय । सेमेस्टर-I	190	150	40	21.05
		एम.फिल/प्री-पीएच.डी	90	54	36	40
3	राजनीति विज्ञान	एम.ए. सेमेस्टर-III	300	206	94	31.33
4	मनोविज्ञान	प्री-पीएच.डी/पीएच.डी कोर्स	26	20	6	23.08
		एम.-II	207	134	73	35.27
		मनोविज्ञान में पी.जी. डिप्लोमा कोर्स	81	65	16	21.69
		मार्गदर्शन एवं परामर्श में पी.जी. डिप्लोमा कोर्स	112	82	30	26.79
		एम.ए. व्यावहारिक मनोविज्ञान-II	40	31	9	22.5
		पी.जी. डिप्लोमा मानव संसाधन कंपीटैंसीज	40	27	13	32.5
5	कीटाणु-विज्ञान	एम.एससी. बायल जैव प्रौद्योगिकी	100	82	18	18
6	पर्यावरण विज्ञान	एम.एससी. पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी	100	65	35	35
7	भूगोल	III	252	200	52	20.63
		एम.ए. पी.ओ.पी. III	60	36	24	40
		एम.टेक 1	15	9	6	40
		प्री-पीएच.डी	22	20	2	20
		एम.टेक III	15	7	8	53
		एम.एससी. भूसूचनाविज्ञान 3	40	24	16	40
		एम.एससी. भूसूचनाविज्ञान 4	20	7	13	65
		पी.जी. डिप्लोमा कोर्स	40	20	20	50
कुल			**1,832**	**1,281**	**551**	

स्रोतः संबंधित विभाग के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद: 2.2.8.2; पृष्ठ 36)

सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा उनकी उपयोगिता स्थिति को दर्शाने वाले विवरण

सुरक्षा मद का नाम	उपलब्ध	अक्रियाशील
मोबाईल फोन जैमर्ज	43	43
डी.एफ.एम.डी.	21	16
एच.एच.एम.डी.	38	26
सर्च लाईटस	75	55
टोर्च	43	11
कुल	**220**	**151**

आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता

सुरक्षा मद का नाम	आवश्यकता	उपलब्ध
बॉडी स्केनर	06	00
नाईट विजन बाइनोक्यूलर्स	66	00
हेलमट	350	00
केन शील्डस	335	00
शाइन प्रोटेक्टर	310	00
सैनसरज	38	00
कुल	**1,105**	**शून्य**

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः अनुच्छेद: 2.2.8.2; पृष्ठ 37)

नमूना-जांच की गई जेलों में निषिद्ध वस्तुओं की वसूली दर्शाने वाले विवरण

जेल का नाम	किए गए निरीक्षण	जेलों में पाई गई वस्तुएं	निषिद्ध वस्तुओं के प्रकार
सी.जे. अंबाला	1,483	630	मोबाईल फोन, सिम कार्ड, चार्जर एंड बेटरी
डी.जे. गुरूग्राम	1,825	330	मोबाईल फोन, सिम, सुलफा, चरस एंड ब्लेडस
सी.जे. हिसार-I	240	138	मोबाईल फोन, चार्जर, सिम कार्ड, अफीम,चरस एंड सुलफा इत्यादि
सी.जे. हिसार-II	261	10	मोबाईल फोन
डी.जे. करनाल	2,562	40	मोबाईल फोन, सिम कार्ड एंड नारकोटिक सबस्टैन्सी
डी.जे. नारनौल	63	160	मोबाईल, बैटरी एंड सिम कार्ड
डी.जे. रोहतक	1,825	88	मोबाईल फोन एंड सुलफा
डी.जे. सिरसा	153	29	सिम कार्डस, मोबाईल फोन, अफीम, सुलफा, स्मैक, शराब एंड 165 ड्रग टैब्लेट्स
कुल	**8,412**	**1,425**	

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः अनुच्छेद: 2.2.9.1 (i); पृष्ठ 40)

राज्य में जेलों की औसत क्षमता, अधिभोग तथा अधिभोग की प्रतिशतता दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष (कैलेण्डर)	कुल क्षमता	वास्तविक अधिभोग	अधिभोग की प्रतिशतता
2012	16,964	16,909	99
2013	16,647	17,655	106
2014	16,647	18,659	112
2015	16,718	18,238	109
2016	18,096	17,964	99

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सुचना।

नमूना-जांच की गई जेलों में औसत क्षमता, अधिभोग तथा अधिभोग की प्रतिशतता दर्शाने वाली विवरणी

जेल का नाम	औसत कुल क्षमता	औसत कुल अधिभोग	अधिभोग की प्रतिशतता
हिसार-I	1,116	1,718	154
नारनौल	319	596	187
सिरसा	567	824	145
अंबाला	1,228	1,230	100
गुरूग्राम	2,412	2,151	89
हिसार-II	398	439	110
करनाल	2,434	2,236	92
रोहतक	1,300	1,357	104

स्रोत: नमूना-जांच की गई जेलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः अनुच्छेद: 2.2.9.2 (i); पृष्ठ 42)

नमूना-जांच की गई जेलों में बिस्तरों की कमी दर्शाने वाली विवरणी

जेल का नाम	जेलों की क्षमता	जेलों की क्षमता के 5 प्रतिशत की दर पर एम.पी.एम. के अनुसार अपेक्षित बिस्तर	बिस्तरों की संख्या	कमी
अंबाला सी.जे.	1,228	61	13	48
गुरूग्राम डी.जे.	2,412	120	28	92
हिसार-**I** सी.जे.	1,499	75	14	61
हिसार-**II** सी.जे.	571	28	04	24
करनाल डी.जे.	2,434	122	35	87
नारनौल डी.जे.	350	18	2	16
रोहतक डी.जे.	1,300	65	39	26
कुल	**9,794**	**489**	**135**	**354**

स्रोत: नमूना-जांच की गई जेलों के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः अनुच्छेदः 2.2.9.4; पृष्ठ 44)

जिला मजिस्ट्रेट को भेजे गए, समय पर प्राप्त तथा देय तिथि के पश्चात प्राप्त मामले दर्शाने वाली विवरणी

जेल का नाम	अनुमोदन हेतु डी.एम. के पास भेजे गए पैरोल/फरलो के मामलों की कुल संख्या	निर्धारित समय अर्थात 21 दिनों के भीतर प्राप्त किए गए पैरोल/फरलो के मामलों की संख्या	देय तिथि के पश्चात प्राप्त किए गए पैरोल/फरलो के मामलों की संख्या
अंबाला	1,040	00	1,040
गुरूग्राम	2,193	386	1,807
हिसार-I	3,409	417	2,992
हिसार-II	372	11	361
करनाल	3,515	212	3,303
नारनौल	853	00	853
रोहतक	1,375	56	1,319
सिरसा	1,630	450	1,180
कुल	**14,387**	**1,532**	**12,855**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः अनुच्छेद: 2.2.9.4; पृष्ठ 44)

पैरोल पर छोड़े गए, वापस लौटे, सरेंडर किए गए तथा फरार कैदियों को दर्शाने वाली विवरणी

जेल का नाम	कैदियों की संख्या			गिरफ्तार किए गए तथा सरेंडर किए गए कैदी		फरार कैदी	जब्त की जाने वाली प्रतिभूति (₹ करोड़ में)
	पैरोल पर छोड़े गए	वापस लौटे	वापस नहीं लौटे	गिरफ्तार किए गए	सरेंडर किए गए		
अंबाला	851	847	04	01	0	02 (01 दिवंगत)	0.05
गुरूग्राम	1,967	1,901	66	31	25	10	1.41
हिसार-1	3,215	3,172	43	36	0	07	1.25
हिसार-2	330	329	01	01	0	00	0.04
करनाल	2,794	2,718	76	12	40	22 (2 दिवंगत)	0.74
नारनौल	835	830	05	05	0	0	0.18
रोहतक	1,327	1,311	16	03	08	05	0.20
सिरसा	1,389	1,382	07	02	03	02	0.04
कुल	**12,708**	**12,490**	**218**	**91**	**76**	**48 (03 दिवंगत)**	**3.91**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.5 (i); पृष्ठ 65)

चार प्रमुख स्कीमों पर किए गए व्यय के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आरंभ की तिथि	दर (₹ में) तथा पात्रता मानदंड	पात्र मजदूरों की संख्या	लाभग्राही मजदूरों की संख्या	लाभग्राही मजदूरों की प्रतिशतता	सभी पात्र मजदूरों को आवृत करने के लिए अपेक्षित राशि	वास्तव में खर्च की गई राशि	कमी
							₹ करोड़ में		
1	साईकिल की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	08 अगस्त 2013	3000 (तीन वर्ष में एकबार तथा एक वर्ष की नियमित सदस्यता)	5,06,735	34,606	6.82	152.02	11.33	140.69
2	टूल किट की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	10 जून 2014	5000 (तीन वर्ष में एकबार तथा तीन वर्ष की सदस्यता पूर्ण की)	5,06,735	10,930	2.16	253.37	7.57	245.80
3	मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना	03 मार्च 2011	5100 (सदस्यता के नवीकरण पर प्रत्येक वर्ष)	1,23,648	7,902	6.39	63.06	3.12	59.94
4	सिलाई मशीन की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	25 जुलाई 2014	3500 (एक वर्ष की सदस्यता की पूर्णता के बाद जीवन में एकबार)	1,23,648	7,547	6.10	43.28	3.26	40.02
कुल					**60,985**		**511.73**	**25.28**	**486.45**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.7; पृष्ठ 70)

तीन मंडलों द्वारा 45 वाटर वर्क्स पर क्लोरीनेटरों के स्थापन तथा उसके बाद कार्य के क्षेत्र विस्तारण के लिए एजेंसी 'ए' के साथ अनुबंधों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुबंध संख्या तथा तिथि	माह	अनुबंध राशि	वृद्धित राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि
ए	तोशाम					
1.	2014 का 62	फरवरी 2014	4.94	44.46	12 दिसंबर 2014	44.46
2.	2014 का 61	फरवरी 2014	4.94	44.46	17 दिसंबर 2014	44.46
3.	2014 का 144	अगस्त 2014	4.94	44.46	15 दिसंबर 2014	44..46
4.	2014 का 6	जनवरी 2014	4.89	63.57	11 फरवरी 2014	63.57
5.	2014 का 133	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 अक्तूबर 2014	9.88
6.	2014 का 134	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
7.	2014 का 135	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 अक्तूबर 2014	9.88
8.	2014 का 136	अगस्त 2014	4.94	9.88	12 दिसंबर 2014	9.88
9.	2014 का 143	अगस्त 2014	4.94	9.88	15 दिसंबर 2015	9.88
10.	2014 का 145	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 अक्तूबर 2014	9.88
11.	2014 का 146	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 अक्तूबर 2014	9.88
12.	2014 का 147	अगस्त 2014	4.94	9.88	15 दिसंबर 2015	9.88
13.	2014 का 148	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 अक्तूबर 2014	9.88
14.	2014 का 149	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 अक्तूबर 2014	9.88
15.	2014 का 150	अगस्त 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
16.	2014 का 193	दिसंबर 2014	4.94	9.88	28 अक्तूबर 2015	9.88
17.	2014 का 194	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
18.	2014 का 195	दिसंबर 2014	4.94	9.88	28 अक्तूबर 2015	9.88
19.	2014 का 196	दिसंबर 2014	4.94	9.88	23 अक्तूबर 2015	9.88
20.	2014 का 197	दिसंबर 2014	4.94	9.94	20 जनवरी 2015	9.94
21.	2014 का 199	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
22.	2014 का 200	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
23.	2014 का 201	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
24.	2014 का 202	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88

क्र. सं.	अनुबंध संख्या तथा तिथि	माह	अनुबंध राशि	वृद्धित राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि
25.	2014 का 203	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
26.	2014 का 204	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
27.	2014 का 205	दिसंबर 2014	4.94	9.88	23 अक्तूबर 2015	9.88
28.	2014 का 206	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
29.	2014 का 207	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
30.	2014 का 208	दिसंबर 2014	4.94	9.88	20 जनवरी 2015	9.88
बी	**अंबाला शहर**					
31.	2013-14 का 148	जनवरी 2014	4.49	9.89	13 मार्च 2014	9.89
32.	2013-14 का 150	जनवरी 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2017	9.88
33.	2013-14 का 151	जनवरी 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2017	9.88
34.	2013-14 का 153	जनवरी 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2017	9.88
35.	2013-14 का 155	फरवरी 2014	4.94	7.93	10 मार्च 2014	7.43
36.	2013-14 का 156	फरवरी 2014	4.94	9.88	13 मार्च 2014	9.88
37.	2013-14 का 157	मार्च 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
38.	2013-14 का 159	मार्च 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
39.	2013-14 का 160	मार्च 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
40.	2013-14 का 161	मार्च 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
41.	2013-14 का 162	फरवरी 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
42.	2013-14 का 163	फरवरी 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
43.	2013-14 का 164	फरवरी 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
44.	2013-14 का 165	मार्च 2014	4.94	9.88	24 मार्च 2014	9.88
सी	**महेन्द्रगढ़**					
45.	ई.ई. संख्या 9639-41	अक्तूबर 2013	4.95	49.50	2 नवंबर 2015	49.50
	योग (ए+बी+सी)		**221.81**	**639.77**		**639.27**

स्रोत: लेखापरीक्षित विभाग के अभिलेख से समेकित सूचना।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.8 (i एवं iii); पृष्ठ 72 एवं 73)

अंबाला छावनी में एच.डी.पी.ई. सीवरेज पाईपें बिछाने के लिए ई.ई., पी.एच.ई.डी., अंबाला छावनी द्वारा किए गए अनुबंधों तथा किए गए भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	फर्म/ एजेंसी का नाम	अनुबंध की तिथि	पूर्णता की लक्ष्य तिथि	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	एच.डी.पी.ई. पाईप डाई	बिछाई जानी है (मीटर में)	वास्तव में बिछाई गई (मीटर में)	भुगतान किया गया (₹ करोड़ में)	भुगतान का माह
1.	ए	10 जनवरी 2013	मई 2013	2.75	225 एम.एम.	7,973	4,265	2.08	अगस्त 2014
2.	बी	10 जनवरी 2013	मई 2013	3.35	225 एम.एम.	9,547	2,814	1.33	अगस्त 2016
3.	बी	10 जनवरी 2013	मई 2013	3.01	225 एम.एम.	8,876	6,070	2.86	मार्च 2015
4.	सी	12 मार्च 2013	जुलाई 2013	4.92	280 एम.एम.	2,137	2,137	3.34	जून 2014
					900 एम.एम.	968	--		
5.	सी	14 फरवरी 2013	जून 2013	2.18	280 एम.एम.	4,688	3,688	1.73	जून 2014
6.	सी	26 अगस्त 2013	दिसंबर 2013	3.09	280 एम.एम.	5,146	2,876	1.51	जुलाई 2014
7.	डी	4 सितंबर 2013	जनवरी 2014	2.21	225 एम.एम.	6,309	2,285	0.97	सितंबर 2014
8.	ई	20 जुलाई 2012	जनवरी 2013	3.81	1000एम.एम.	184		0.83	मई 2013
					900 एम.एम.	72	48		
					800 एम.एम.	800	304		
	कुल			**25.32**		**46,700**	**24,487**	**14.65**	

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख से संकलित।

कार्यों के निष्पादन के बिना किए गए भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुबंध की तिथि	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	एच.डी.पी.ई. पाईप डाई	पाईप नहीं बिछाई गई किंतु भुगतान किया गया (मीटर में)	भुगतान सहमति दर के 65 प्रतिशत की दर पर किया गया (₹ करोड़ में)
1. (उपर्युक्त क्र.सं. 4 पर)	12 मार्च 2013	4.92	900 एम.एम.	968	2.47
2. (उपर्युक्त क्र.सं. 5 पर)	14 फरवरी 2013	2.18	280 एम.एम.	1,000	0.27
					2.74

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख से संकलित।

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.11.3.3; पृष्ठ 80)

(i) उन मामलों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी जहां अनुबंध राशि ₹ पांच लाख से कम थी तथा बाद में बढ़ाई गई

क्र. सं.	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	वृद्वित राशि (₹ लाख में)	अनुबंध राशि में कितनी गुणा वृद्वि की गई
पानीपत मंडल					
1	764	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	4.95	49.25	9.95
2	787	पानीपत शहर में मेनहोल को उठाना, नए मेनहोलों का निर्माण, विद्यमान मेनहोल के लिए स्लैबें तथा उससे संबंधित सभी कार्य	1.94	9.81	5.06
3	791	10 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर बहिस्राव चैनल के रिसीविंग चैम्बर से डी.आई. पाईप 1000 एम.एम. आई.डी. को बिछाने के लिए ब्रिक मसोनरी पिलर का निर्माण	0.61	2.65	4.34
4	796	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	4.33	13.21	3.05
5	803	जाटल रोड़ पानीपत में 20 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर सड़क के बीच मिट्टी भरता	2.18	24.89	11.42
6	808	जाटल रोड़ पानीपत में 20 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर स्केंसियल बैच रियक्टर के प्लिंथ प्रोटेक्शन का निर्माण	2.43	9.94	4.09
7	811	गैस पाईप तथा रेलिंग की सहायता के लिए सिवाह में 35 एम.एल.डी. विद्यमान एस.टी.पी. के रियक्टर पर एम.एस. पिलर्ज प्रदान करना तथा लगाना	2.40	9.95	4.15
8	812	गैस पाईप तथा रेलिंग की सहायता के लिए सिवाह में 35 एम.एल.डी. विद्यमान एस.टी.पी. के रियक्टर पर एम.एस. पिलर्ज प्रदान करना तथा लगाना	2.56	9.99	3.90
9	826	सिवाह में 35 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर ट्रस स्टोर पर जी.आई. या एल. हुक के साथ 0.6 एम.एम. मोटी रंगीन टाटा डयूरा सी.जी.आई. सीट प्रदान करना तथा लगाना	2.51	7.48	2.98
10	875	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	0.94	9.23	9.82
11	884	चौकीदार क्वाटर में गेट पिलर तथा स्लैग का निर्माण	0.98	2.50	2.55
12	889	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. तथा 300 एम.एम. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	0.87	14.99	17.23
13	895	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	0.94	13.37	14.22

क्र. सं.	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	वृद्वित राशि (₹ लाख में)	अनुबंध राशि में कितनी गुणा वृद्वि की गई
पानीपत मंडल					
14	896	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	0.93	12.68	13.63
15	897	पानीपत शहर में विभिन्न स्थानों पर मेनहोल को उठाना तथा विद्यमान मेनहोल को क्षति के कारण नए स्लैब का निर्माण	0.97	12.11	12.48
16	898	मेनहोल सीवर की 200 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	0.94	10.44	11.11
17	915	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	4.42	39.50	8.94
18	916	मेनहोल सीवर की 250 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	4.43	39.09	8.82
19	920	सिवाह गांव में 35 एम.एल.डी. एस.टी.पी. स्टॉफ क्वाटरों की मरम्मत	0.96	8.60	8.96
20	922	मेनहोल सीवर की 450 एम.एम. तथा 600 एम.एम. आई/डी. आर.सी.सी. क्लास एन.पी.-3 पाईप आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	3.67	39.56	10.78
21	923	मेनहोल सीवर की 450 एम.एम. तथा 600 एम.एम. आई/डी. आर.सी.सी. क्लास एन.पी.-3 पाईप आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	4.42	39.81	9.01
	कुल		**48.38**	**379.05**	

(ii) उन मामलों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी जहां अनुबंध राशि ₹ पांच लाख से अधिक थी तथा बाद में बढ़ाई गई

क्र. सं.	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	वृद्वित राशि (₹ लाख में)	अनुबंध राशि में कितनी गुणा वृद्वि की गई
पानीपत मंडल					
1	778	मेनहोल सीवर की 1800 एम.एम. आई/डी. आर.सी.सी. एन.पी.-3 पाईप आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना तथा काटना, सड़क की खुदाई तथा उससे संबंधित सभी कार्य	5.02	9.98	1.99
2	793	सिवाह में नए 130.75 एम.एल.डी. एम.पी.एस. पर तथा पानीपत में 90 एम.एल.डी. एम.पी.एस. पर पैनल रूम का निर्माण	5.42	24.98	4.61
3	792	सिवाह में 35 एम.एल.डी. पर विद्यमान बहिस्राव चैनल से जाटल रोड़ पानीपत में 10 एम.एल.डी. एस.टी.पी. तक एरेशन टैंक के इनलैट का निर्माण	6.21	9.91	1.60

क्र. सं.	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	वृद्वित राशि (₹ लाख में)	अनुबंध राशि में कितनी गुणा वृद्वि की गई
पानीपत मंडल					
4	822	ऐरोडयनामिक रूप से डिजाईन सिंगल पीस डाई-कास्टिड एलूमिनियम हाऊसिंग सहित 22 स्ट्रीट लाईटे प्रदान करना तथा फिक्स करना	9.72	15.17	1.56
5	823	ऐरोडयनामिक रूप से डिजाईन सिंगल पीस डाई-कास्टिड एलूमिनियम हाऊसिंग सहित 22 स्ट्रीट लाईटे प्रदान करना तथा फिक्स करना	9.68	15.19	1.57
6	111	800 एम.एम. एवं 1000 एम.एम. आई/डी. पाईप आकार के आर.सी.सी. एन.पी.-3 प्रदान करना तथा बिछाना	420.39	960.37	2.29
सोनीपत मंडल					
7	121	आर.सी.सी. कॉलम सहित शेष चारदीवारी का निर्माण	5.95	22.11	3.71
8	130	600 एम.एम. आई/डी. पाईप आकार के आर.सी.सी. एन.पी.-3 प्रदान करना तथा बिछाना	5.33	9.99	1.87
9	131	600 एम.एम. आई/डी. पाईप आकार के आर.सी.सी. एन.पी.-3 प्रदान करना तथा बिछाना	5.34	9.99	1.87
10	136	600 एम.एम. आई/डी. पाईप आकार के 8" एवं 12"' आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप तथा आर.सी.सी. एन.पी.-3 प्रदान करना तथा बिछाना	5.68	9.95	1.75
11	138	600 एम.एम. आई/डी. पाईप आकार के आर.सी.सी. एन.पी.-3 प्रदान करना तथा बिछाना	5.55	9.99	1.80
12	159	200 एम.एम. आई/डी. एवं 300 एम.एम. आई/डी. एस.डब्ल्यू. पाईप प्रदान करना, बिछाना तथा फिक्स करना	5.82	18.50	3.18
13	183	रेत की लोडिंग तथा अनलोडिंग, 1000 एम.एम. आई/डी. एन.पी.-3 पाईप प्रदान करना तथा बिछाना	5.66	16.88	2.98
14	108	900 एम.एम. आई/डी. पाईप आकार के आर.सी.सी. एन.पी.-3 प्रदान करना तथा बिछाना	271.38	408.51	1.51
	कुल		**767.15**	**1,541.52**	

स्रोत: नमूना-जांच किए गए मंडलों के अभिलेख से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.13.3.2; पृष्ठ 90)

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्थल पर मात्राओं में परिवर्तन करके अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाली विवरणी

सड़क का नाम	मद	अनुबंध के अनुसार मात्रा सी.यू.एम. में	वास्तविक निष्पादित मात्रा	अंतर	प्रति इकाई दर	अनियमित व्यय (₹ लाख में)
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंडल, रेवाड़ी						
रेवाड़ी शाहजहांपुर रोड़ (एस.एच.-15)	बिटुमिनस मैकडम (बी.एम.)	847.00	1,550.50	703.50	6,000	42.21
	उप-योग					**42.21**
सुभाना कोसली नाहर कनीना रोड़ (एस.एच.-22) कि.मी. 63.25 से 67.75	भू कार्य	8,572.00	9,410.88	838.88	50	0.42
	स्टोन मैटल (जी-I)	675.00	1,347.30	672.30	1,150	7.73
	स्टोन मैटल (जी -II)	1,012.00	2,020.95	1,008.95	1,150	11.60
	बी.एम.	1,012.50	1,177.62	165.12	5,000	8.26
	डेनसे बी.एम. (डी.बी.एम.)	2,925.00	2,990.65	65.65	6,150	4.04
	बिटुमिनस कंक्रीट (बी.सी.)	1,350.00	1,377.90	27.90	7,000	1.95
	उप-योग					**34.00**
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंडल, नं.2, कुरूक्षेत्र						
सहारनपुर कुरूक्षेत्र रोड़ (एस.एच-6) कि.मी. 76.15 से 85.00	बी.एम.	123.75	615.45	491.70	6,500	31.96
	बी.सी.	4,890.00	4,959.06	69.06	8,475	5.85
	ग्रेनुलर सब-बेस	0	268.25	268.25	1,325	3.55
	स्टोन मैटल	0	269.50	269.50	1,575	4.24
	उप-योग					**45.60**
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंडल, भिवानी						
सफीदों, जींद भिवानी रोड़ (एस.एच.-14) कि.मी. 95.860 से 121.41	डी.बी.एम.	5,205.00	6,820.00	1,615.00	6,600	106.59
	बी.सी.	2,602.00	4,209.33	1,607.33	7,100	114.12
	उप-योग					**220.71**
कुल योग						**342.53**

अर्थात् ₹ 3.43 करोड़

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.2.1; पृष्ठ 96)

अनसर्वड/अंडरसर्वड जिलों में नए बहुतकनीकी संस्थानों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

बहुतकनीकी संस्थान का नाम	किया गया व्यय	वर्तमान स्थिति
हथनीकुंड, यमुनानगर	12.92	निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तथा एम.एंड ई. की खरीद प्रक्रिया में, संस्थान को 2017-18 से क्रियशील बनाया जाएगा।
डांगर, फतेहाबाद	12.41	निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तथा एम.एंड ई. की खरीद प्रक्रिया में, संस्थान को 2017-18 से क्रियशील बनाया जाएगा।
जाटल, पानीपत	12.45	निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तथा एम.एंड ई. की खरीद प्रक्रिया में, संस्थान को 2017-18 से क्रियशील बनाया जाएगा।
उमरी, कुरूक्षेत्र	16.33	निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तथा एम.एंड ई. की खरीद प्रक्रिया में, संस्थान को 2018-19 से क्रियशील बनाया जाएगा।
नानकपुरा, पंचकुला	6.00	40 प्रतिशत निमार्ण पूर्ण हुआ।
कुल	**60.11**	

स्रोत: नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.2.2; पृष्ठ 97)

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन में घटती प्रवृति दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	ली गई संस्वीकृत संख्या	नामांकित विद्यार्थी	लिए गए के विरूद्ध नामांकन की प्रतिशतता
2012-13	12,640	11,070	88
2013-14	12,820	10,034	78
2314-15	12,130	9,577	79
2015-16	11,850	9,148	77
2016-17	12,150	8,556	70

(स्रोत: बहुतकनीकी संस्थानों के अभिलेखों से संकलित सूचना)

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.3.1; पृष्ठ 97)

चयनित बहुतकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना की कमियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

प्रकार	अंबाला		नीलोखेड़ी		चीका		नाथूसारी चोपटा		मानेसर		वी.टी.आई. रोहतक		नारनौल	
	आर	ए	आर	ए	आर	ए	आर	ए	आर	ए	आर	ए	आर	ए
इंटरनेट बैंडविड्थ	48	20	48	02	16	02	32	02	48	04	32	09	32	02
पर्सनल कंप्यूटर	360	151	-	-	-	-	170	140	340	160	230	121	240	125
राष्ट्रीय जर्नल (संख्या)	30	8	18	09	12	00	12	00	21	00	27	01	21	00
रीडिंग रूम की क्षमता (संख्या)	-	-	150	100	99	80	150	40	150	100	150	100	150	50
पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर (संख्या)	01	00	-	-	-	-	-	-	01	00	01	00	01	00
मल्टीमीडिया पी.सी. (संख्या)	10	02	10	03	07	01	10	02	-	-	10	01	10	01
शीर्षक (संख्या)	9,425	3,813	-	-	-	-	1,425	828	1,625	450	8,025	2,066	-	-
अतिरिक्त वर्कशॉप/लैब (वर्ग मीटर)	800	0	800	0	800	00	800	00	800	252	800	228	800	00
ट्युटोरियल रूम (वर्ग मीटर)	231	61	-	-	-	-	-	-	231	00	-	-	165	00
क्लास रूमज (वर्ग मीटर)	-	-	-	-	-	-	858	742	1,716	614	-	-	-	-
सम्मेलन कक्ष (वर्ग मीटर)	-	-	-	-	132	00	132	00	132	00	-	-	-	-
लैबोरेट्रीज (वर्ग मीटर)	-	-	-	-	1,254	738	-	-	2,310	1,894	-	-	-	-

(आर=अपेक्षित तथा ए=उपलब्ध)

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.3.1; पृष्ठ 98)

जारी किए गए अनुदान तथा किए गए व्यय के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

बहुतकनीकी संस्थान का नाम	एम.एच.आर.डी. द्वारा संस्वीकृत निधियां	संस्वीकृति का माह	निधियां जारी करने का माह	अर्जित ब्याज	कुल	किया गया व्यय	31 मार्च 2017 को शेष
अंबाला	0.10	मार्च 2010	मार्च 2010	शून्य	1.50	0.10	1.40
	1.40	सितंबर 2013	दिसंबर 2016				
नीलोखेड़ी	0.10	मार्च 2010	मार्च 2010	0.02	1.22	0.62	0.60
	1.10	दिसंबर 2014	मार्च 2015				
नाथूसारी चोपटा	0.20	मई 2011	मई 2011	0.19	1.69	0.72	0.97
	1.30	दिसंबर 2014	मार्च 2015				
मानेसर	0.10	मार्च 2010	मार्च 2010	0.17	1.67	0.58	1.09
	1.40	दिसंबर 2014	मार्च 2015				
नारनौल	0.20	जनवरी 2011	जनवरी 2011	0.03	1.24	0.22	1.02
	1.01	मार्च 2016	दिसंबर 2016				
कुल	**6.91**			**0.41**	**7.32**	**2.24**	**5.08**

स्रोत: नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.4.1; पृष्ठ 99)

नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों में नामांकन में घटती प्रवृति दर्शाने वाली विवरणी

बहुतकनीकी संस्थान	कोर्स का नाम	लिए गए	वर्षवार नामांकित विद्यार्थियों की घटती प्रवृति प्रतिशतता									
			2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
			नामांकित विद्यार्थी	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	प्रतिशतता
चीका	कंप्यूटर इंजीनियर	60	46	77	55	92	40	67	27	45	12	20
	इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन	60	कोर्स 2014-15 में आरंभ किया गया				42	70	12	20	15	25
नारनौल	कंप्यूटर इंजीनियर	60	43	72	31	52	10	17	13	22	11	18
	इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन	60	48	80	42	70	23	38	33	55	15	25
	इंस्ट्रूमैंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर	60	21	35	26	43	6	10	28	47	15	25
	मैडीकल इलैक्ट्रोनिक्स	60	26	43	11	18	8	13	7	12	3	5
रोहतक	ओ.एम. एंड सी.ए.	60	14	23	13	22	3	5	21	35	7	12
	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	60	6	10	5	8	0	0	16	27	5	8
	इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन	60	56	93	57	95	49	82	43	72	26	43
	आटोमोबाईल	60	54	90	55	92	41	68	53	88	26	43

स्रोत: नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.4.2; पृष्ठ 100)

31 मार्च 2017 को शिक्षण संवर्ग तथा गैर-शिक्षण संवर्ग में रिक्तियां दर्शाने वाले विवरण

बहुतकनीकी का नाम	शिक्षण संवर्ग				गैर-शिक्षण संवर्ग			
	संस्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्ति	रिक्त	रिक्ति प्रतिशतता	संस्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्ति	रिक्त	रिक्ति प्रतिशतता
चीका	53	19	34	64	31	3	28	90
नाथूसारी चोपटा	41	18	23	56	36	12	24	67
नीलोखेड़ी	113	72	41	36	68	33	35	51
अंबाला	96	75	21	22	72	37	35	49
मानेसर	99	64	35	35	54	20	34	63
रोहतक	54	34	20	37	74	40	34	46
नारनौल	73	39	34	47	62	30	32	52
कुल	**529**	**321**	**208**	**39**	**397**	**175**	**222**	**56**

स्रोत: विभागीय डाटा से संकलित।

कुल संस्वीकृत संख्या = 529+397 = 926

कुल तैनात व्यक्ति = 321+175= 496

कुल रिक्ति = 208+222= 430

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.4.2; पृष्ठ 100)

मैकेनिकल तथा सिविल कोर्सों के लिए बहुतकनीकी संस्थानों में स्टॉफ की स्थिति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

बहुतकनीकी	कोर्स का नाम							
	मैकेनिकल				सिविल			
	संस्वीकृत	भरी गई	रिक्त	प्रतिशतता	संस्वीकृत	भरी गई	रिक्त	प्रतिशतता
अंबाला	13	11	2	15	13	10	3	23
चीका	7	5	2	29	7	2	5	71
मानेसर	19	5	14	74	16	4	12	75
नारनौल	13	7	6	46	7	1	6	86
नाथूसारी चोपटा	7	3	4	57	7	0	7	100
नीलोखेड़ी	21	14	7	33	13	10	3	23
रोहतक	7	4	3	43	7	5	2	29
कुल	**87**	**49**	**38**	**44**	**70**	**32**	**38**	**54**

स्रोत: संबंधित बहुतकनीकीयों के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भः अनुच्छेदः 3.15.5.1; पृष्ठ 100)

विद्यार्थियों की वर्षवार पास प्रतिशतता के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	अंतिम परीक्षा के लिए उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या	पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता
2011-12	13,821	8,896	64
2012-13	12,651	7,543	60
2013-14	9,488	6,441	68
2014-15	9,226	5,506	60
2015-16	8,470	5,099	60

स्रोतः निदेशालय के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.5.1; पृष्ठ 100)

नमूना-जांच किए गए बहुतकनीकी संस्थानों में खराब पास प्रतिशतता के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

बहुतकनीकी	कोर्स का नाम	नामांकित विद्यार्थियों के विरूद्ध 50 से कम उत्तीर्ण														
		2009-12			2010-13			2011-14			2012-15			2013-16		
		नामांकित विद्यार्थी	उत्तीर्ण	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	उत्तीर्ण	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	उत्तीर्ण	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	उत्तीर्ण	प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थी	उत्तीर्ण	प्रतिशतता
अंबाला	सिविल इंजीनियरिंग	237	171	72	122	89	73	62	55	89	62	50	81	61	43	70
	मैकेनिकल	225	179	80	126	100	79	120	98	82	125	108	86	122	97	80
	प्लास्टिक टैक.	83	48	58	90	34	38	59	20	34	43	12	28	53	6	11
चीका	सिविल इंजीनियरिंग	0	0	0	0	0	0	67	46	69	64	51	80	56	33	59
	मैकेनिकल	0	0	0	0	0	0	47	34	72	60	28	47	49	9	18
मानेसर	सिविल इंजीनियरिंग	127	21	17	97	33	34	95	37	39	119	31	26	114	40	35
	मैकेनिकल	109	46	42	235	52	22	99	55	56	111	54	49	118	85	72
नारनौल	सिविल इंजीनियरिंग	109	59	54	120	61	51	54	34	63	58	40	69	52	24	46
	मैकेनिकल	218	140	64	180	84	47	89	81	91	120	88	73	125	55	44
नाथूसारी चोपटा	सिविल इंजीनियरिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मैकेनिकल	0	0	0	50	17	34	62	34	55	50	26	52	50	16	32
नीलोखेड़ी	सिविल इंजीनियरिंग	219	103	47	221	89	40	137	57	42	139	94	68	123	91	74
	मैकेनिकल	203	137	67	237	97	41	182	106	58	205	145	71	186	137	74
रोहतक	सिविल इंजीनियरिंग	68	28	41	53	33	62	61	33	54	63	33	52	65	23	35
	मैकेनिकल	62	38	61	62	45	73	64	45	70	64	36	56	66	34	52

स्रोत: संबंधित बहुतकनीकीयों के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.15.5.2; पृष्ठ 100)

विद्यार्थियों के वर्षवार प्लेसमैंट के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

यूनिट का नाम	2009-12			2010-13			2011-14			2012-15			2013-16		
	ई	पी	पी.सी.	ई	पी	पी.सी.	ई	पी	पी.सी.	ई	पी	पी.सी.	ई	पी	पी.सी.
रोहतक	244	49	20	200	64	32	200	36	18	157	53	34	102	71	70
मानेसर	152	111	73	219	113	52	215	120	56	216	145	67	231	121	52
नीलोखेड़ी	821	146	18	658	130	20	484	124	26	525	181	34	497	205	41
नाथूसारी चोपटा	130	69	53	97	93	96	118	111	94	101	82	81	67	62	93
चीका	43	0	0	38	22	58	203	94	46	168	28	17	82	14	17
नारनौल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	162	111	69	121	111	92	137	96	70	115	82	71
अंबाला	900	219	24	659	210	32	426	168	39	383	138	36	334	186	56
कुल	**2,290**	**594**	**26**	**2,033**	**743**	**37**	**1,767**	**764**	**43**	**1,687**	**723**	**43**	**1,428**	**741**	**52**

स्रोत: चयनित बहुतकनीकीयों से संकलित डाटा।

ई = पात्र विद्यार्थी

पी = प्लेसमैंट

पी.सी.= प्रतिशतता

उ.न. = उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.22.3 (i); पृष्ठ 115)

निधियां जारी करने में विलंब दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th colspan="6">यू.एल.बी.</th></tr>
<tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">राशि (₹ करोड़ में)</th><th></th><th rowspan="2">माह में विलंब</th></tr>
<tr><th>भारत सरकार द्वारा जारी करने की तिथि</th><th>केंद्रीय तथा राज्य का हिस्सा जारी करने का माह</th><th>केंद्रीय हिस्सा</th><th>राज्य का हिस्सा</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>24 मार्च 2015</td><td>6 अक्तूबर 2015</td><td>2.33</td><td>5.83</td><td>8.16</td><td>6</td></tr>
<tr><td>21 अक्तूबर 2015</td><td rowspan="2">18 फरवरी 2016</td><td>11.09</td><td rowspan="2">8.16</td><td rowspan="2">40.77</td><td>3</td></tr>
<tr><td>18 दिसंबर 2015</td><td>0.56</td><td>1</td></tr>
<tr><th colspan="6">डी.आर.डी.ए.</th></tr>
<tr><th colspan="2">केंद्रीय हिस्सा</th><th colspan="2">राशि (₹ करोड़ में)</th><th rowspan="2">कुल</th><th rowspan="2">माह में विलंब</th></tr>
<tr><th>भारत सरकार द्वारा जारी करने की तिथि</th><th>केंद्रीय तथा राज्य का हिस्सा जारी करने का माह</th><th>केंद्रीय हिस्सा</th><th>राज्य का हिस्सा</th></tr>
<tr><td>22 जून 2015</td><td>23 अक्तूबर 2015</td><td>16.24</td><td>5.41</td><td>21.65</td><td>3</td></tr>
<tr><td>18 मई 2016</td><td>14 जुलाई 2016</td><td>10.08</td><td>6.72</td><td>16.80</td><td>1</td></tr>
<tr><td>25 मई 2016</td><td>8 मार्च 2017</td><td>0.32</td><td>3.00</td><td>3.32</td><td>9</td></tr>
</table>

स्रोत: निदेशालय के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.22.3 (v); पृष्ठ 118)

प्रोत्साहन के दोहरे भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

<table>
<tr><th colspan="8">मुरथल ब्लॉक</th></tr>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ग्राम पंचायत</th><th>नाम</th><th>पिता/पति का नाम</th><th>लेखा संख्या</th><th>भुगतान तिथि</th><th>राशि</th><th>राशि (₹ में)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>आसदपुर</td><td>कृष्ण</td><td>रामदिया</td><td>33874116700</td><td>08 नवंबर 2016</td><td>12,000</td><td rowspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>आसदपुर</td><td>कृष्ण</td><td>रामदिया</td><td>33874116700</td><td>16 सितंबर 2016</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>भीगन</td><td>मुर्ती</td><td>राम कुमार</td><td>50100083343281</td><td>07 सितंबर 2016</td><td>12,000</td><td rowspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>भीगन</td><td>मुर्ती देवी</td><td>राम कुमार</td><td>50100083343281</td><td>26 अक्तूबर 2015</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>भीगन</td><td>प्रेम सिंह</td><td>नारायण सिंह</td><td>327373323234</td><td>07 सितंबर 2016</td><td>12,000</td><td rowspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>भीगन</td><td>प्रेम</td><td>नारायण सिंह</td><td>327373323234</td><td>26 अक्तूबर 2015</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>जैनपुर</td><td>विनोद</td><td>सरदार सिंह</td><td>50247474762</td><td>08 नवंबर 2016</td><td>12,000</td><td rowspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>जैनपुर</td><td>विनोद</td><td>सरदार सिंह</td><td>50247474762</td><td>07 सितंबर 2016</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td>जैनपुर</td><td>यामीन</td><td>यासीन</td><td>21686153552</td><td>08 नवंबर 2016</td><td>12,000</td><td rowspan="2">7,000*</td></tr>
<tr><td>जैनपुर</td><td>यामीन</td><td>यासीन</td><td>21686114148</td><td>29 जून 2016</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td>सानपेरा</td><td>बलबीर</td><td>जोगीराम</td><td>50100083325165</td><td>08 नवंबर 2016</td><td>12,000</td><td rowspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>सानपेरा</td><td>बलबीर</td><td>जोगीराम</td><td>50100083325165</td><td>16 सितंबर 2016</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td>तिकोला</td><td>महेन्द्र</td><td>आशा राम</td><td>21686107719</td><td>20 सितंबर 2016</td><td>12,000</td><td rowspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>तिकोला</td><td>महेन्द्र</td><td>आशा राम</td><td>21686107719</td><td>29 मई 2014</td><td>4,600</td></tr>
<tr><td colspan="7">कुल</td><td>79,000</td></tr>
</table>

*** 8 सितंबर 2017 को ₹ 5,000 वसूल किए गए।**

स्रोत :संबंधित डी.आर.डी.ए. के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.22.4 (i); पृष्ठ 119)

सूचना, शिक्षा, संचार एवं जन-जागरूकता हेतु प्राप्ति एवं व्यय दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	नगरपालिकाओं के नाम	प्राप्त राशि (₹ लाख में)	व्यय	शेष
1	पानीपत	5.16	0.00	5.16
2.	गन्नौर	0.00	0.00	0.00
3.	होडल	0.00	0.00	0.00
4.	पुंडरी	2.50	0.00	2.50
5.	राजौंद	3.79	0.00	3.79
6.	कनीना	0.49	0.00	0.49
7.	बावानीखेड़ा	1.20	0.00	1.20
8.	बरवाला	3.73	0.00	3.73
9.	कालायत	3.11	0.00	3.11
10.	उकलाना	0.83	0.00	0.83
11.	नारनौंद	3.05	0.00	3.05
12.	जुलाना	0.24	0.00	0.24
13.	सफीदों	0.16	0.00	0.16
14.	महेन्द्रगढ़	1.58	0.00	1.58
15.	चरखी दादरी	1.69	0.00	1.69
16.	भिवानी	2.90	0.00	2.90
17.	सांपला	1.31	0.00	1.31
18.	उचाना	3.85	0.00	3.85
19.	फिरोजपुर झिरका	0.00	0.00	0.00
20.	रेवाड़ी	1.43	0.00	1.43
21.	नारनौल	1.02	0.00	1.02
कुल		**38.04**	**0.00**	**38.04**

स्रोत :निदेशालय कार्यालय के अभिलेख।

परिशिष्ट 3.19

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.22.5 (i); पृष्ठ 120)

लाभार्थियों की कवरेज दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	नगरपालिका	पहचान किए गए लाभार्थी	लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई	शेष/कमी	लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की गई	शेष/कमी
1	पानीपत	4,182	1,651	2,531	-	1,651
2	गन्नौर	100	32	68	-	32
3	होडल	97	0	97	-	0
4	पुंडरी	677	667	10	-	667
5	राजौंद	897	254	643	-	254
6	कनीना	125	114	11	-	114
7	पंचकुला	5,604	2,000	3,604	-	2,000
8	बावानीखेड़ा	558	294	264	-	294
9	बरवाला	3,017	1,076	1,941	-	1,076
10	कालायत	784	184	600	-	184
11	उकलाना मंडी	990	210	780	-	210
12	नारनौद	768	525	243	-	525
13	जुलाना	225	209	16	-	209
14	निसिंग	190	189	01	-	189
15	सफीदों	89	83	6	-	83
16	महेन्द्रगढ़	400	334	66	-	334
17	चरखी दादरी	425	408	17	-	408
18	भिवानी	732	581	151	-	581
19	सांपला	331	289	42	211	78
20	उचाना	234	230	4	-	230
21	फिरोजपुर झिरका	507	429	78	-	429
22	रेवाड़ी	421	421	0	-	421
23	नारनौल	527	451	76	155	296
24	फरीदाबाद	14,296	14,278	18	-	14,278
कुल		**36,176**	**24,909**	**11,267**	**366**	**24,543**

स्रोत :संबंधित एम.सीज के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 3.20

(संदर्भः अनुच्छेद: 3.22.5 (ii); पृष्ठ 121)

व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों के भौतिक सत्यापन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

नगरपालिका	भौतिक सत्यापन के अनुसार शौचालयों के निर्माण की स्थिति					कुल चयनित लाभार्थी
	पूर्ण	अपूर्ण	निर्मित नहीं	अपने पते पर नहीं पाए गए	पहले से निर्मित	
पानीपत	6	26	14	-	-	46
गन्नौर	-	-	14	-		14
होडल#	-	-	-	-	-	0
पुंडरी	17	7	6	6	-	36
राजौंद	2	13	-	2	1	18
कनीना	4	1	5	5	-	15
पंचकुला	9	10	1	1	1	22
बवानीखेड़ा	2	15	1	2	1	21
बरवाला	3	22	4	10	-	39
कालायत	5	11	3	-	-	19
उकलाना मंडी	7	6	3	2	2	20
नारनौंद	7	10	2	7		26
जुलाना	3	18	-	1		22
निसिंग	5	10	-	2		17
सफीदों	1	8	2	1		12
महेन्द्रगढ़	2	7	19	4		32
चरखी दादरी	13	9	7	8		37
भिवानी	8	11	17	6		42
सांपला	13	5	-	1		19
उचाना	2	16	7	-		25
फिरोजपुर झिरका	2	14	5	1		22
रेवाड़ी	7	30	3	6		46
नारनौल	19	15	6	7	-	47
फरीदाबाद	47	21	1	-	-	69
कुल	**184**	**285**	**120**	**72**	**5**	**666**

स्रोत: भौतिक सत्यापन सर्वेक्षण से संकलित सूचना।

लाभार्थियों को प्रोत्साहन संवितरित नहीं किए गए।

परिशिष्ट 3.21

(संदर्भः अनुच्छेदः 3.22.5 (iii); पृष्ठ 122)

व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों का शौचालयों के रूप में उपयोग न दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	लाभार्थी का नाम	गांव	वर्ष में प्रदत्त राशि	जारी की गई राशि (₹ में)	अभ्युक्तियां
1	बिलासपुर	रामकली धर्मपत्नी अमर नाथ	मारवाकला	2015-16	10,000	स्टोर के रूप में प्रयोग
2	बिलासपुर	रिखी राम पुत्र अन्तु	छाजु नागला	2015-16	10,000	उपलों के भंडारण के रूप में उपयोग करने के लिए
3	गन्नौर	नरेश पुत्र रामश्वर	मोई	2014-15	12,000	प्रयोग में नहीं
4	रेवाड़ी	छाजु राम पुत्र श्री राम	जैन्ती	2016-17	12,000	स्टोर के रूप में प्रयोग
कुल					**44,000**	

स्रोतः बी.डी.पी.ओ. के अभिलेखों तथा भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकित से संकलित सूचना।

© भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in